मीडिया संबंधी मामलों पर
अनुदेशों का सार-संग्रह

मार्च 2019

दस्तावेज 14-संस्करण 1

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

"मजबूत लोकतंत्र सबकी भागीदारी"

दस्तावेज - 14

मीडिया संबंधी मामलों पर
अनुदेशों का सार-संग्रह

(मार्च 2019)

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

"मजबूत लोकतंत्र सबकी भागीदारी"

भारत के माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त का संदेश

(चित्र)

(श्री सुनील अरोड़ा)

लोकतंत्र मीडिया के लिए अनिवार्य है, और मीडिया के बिना लोकतांत्रिक निर्वाचन अकल्पनीय है। मीडिया के माध्यम से प्रचारित सूचना आम राय बनाती है और यह राय मतदाता के कार्यों को प्रभावित करती है। आयोग मीडिया के महत्व को समझता है और इसे अपने एक मजबूत सहयोगी के रूप में मानता है। मीडिया निर्वाचनों के बाधारहित संचालन के उद्देश्य को प्राप्त करने और "कोई भी मतदाता न छूटे" के अपने ध्येय को पूरा करने के प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आयोग द्वारा समय-समय पर की गई पहल स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचनों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए इसके दृढ़संकल्प की पुष्टि करती है। मीडिया की भूमिका तथा निर्वाचक मंडल पर इसके प्रभाव को देखते हुए, भारत निर्वाचन आयोग का यह दायित्व हो जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि निर्वाचन प्रक्रिया के सभी स्टेकहोल्डर सामान्य फ्रेमवर्क एवं आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करें। यह पुस्तक उस दिशा में ऐसा ही एक प्रयास है, क्योंकि इसमें व्यापक रूप से ऐसे सभी महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं, जो निर्वाचन के समय मीडिया की भूमिका से संबंधित होते हैं। यह चुनाव के दौरान पेड न्यूज, राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन, सोशल मीडिया और मीडिया अनुवीक्षण जैसे मुद्दों पर नजर रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को व्यापक दिशानिर्देशों और अनुदेशों का पता लगाने में भी सक्षम बनाती है। यह प्रयास निर्वाचन प्रक्रिया के निर्बाध संचालन में अवरोध उत्पन्न करने वाले किसी भी कदाचार को रोकने में आयोग के निरंतर प्रयत्न को दर्शाता है।

मैं व्यक्तिगत रूप से मीडिया उन्मुखी इन व्यापक निर्देशों को एक व्यापक दस्तावेज़ में संकलित करने हेतु निर्वाचन आयोग के संचार प्रभाग की इस उत्तम पहल के लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं। इस प्रकार की गतिविधि का हिस्सा होने पर मुझे अपार हर्ष है। मुझे पूर्ण

विश्वास है कि यह सार संग्रह सभी स्टेकहोल्डरों और विशेष रूप से मीडिया के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा।

भारत के माननीय निर्वाचन आयुक्त का संदेश

(श्री अशोक लवासा)

भारत निर्वाचन आयोग की क्रियाविधि एवं उद्देश्य के संबंध में सभी स्टेकहोल्डरों के बीच सर्वसम्मति स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय निर्वाचनों के संचालन के लिए पूर्वापेक्षा होती है। निर्वाचन आयोग नि:संदेह संविधान द्वारा यथाअधिदेशित अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रति अटल रहा है।

निर्वाचन आयोग इस व्यापक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में सभी स्टेकहोल्डरों और विशेषकर मीडिया की सार्थकता को स्वीकार करता है। मीडिया, भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य सहयोगी होता है क्योंकि यह एक ओर जनता को भारत निर्वाचन आयोग के अधिदेश एवं कार्यप्रणाली की जानकारी देता है तथा दूसरी ओर मतदाता को लोकतंत्र तथा निर्वाचनों के बारे में जागरूक करता है और उन्हें शिक्षित करता है। सूचना कि विपुलता वाले इस युग में, यह देखा गया है कि निर्वाचन-प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए खोजे गए नए अर्थोपायों में बढ़ोतरी हो रही है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की क्रियाविधि को सरल और कारगर बनाने के लिए निदेश और नियम जारी किए जाते हैं। इस पुस्तक में मीडिया की भागीदारी के संबंध में अद्यतित अनुदेश शामिल किए गए हैं।

मुझे आशा है कि यह संस्करण आगामी निर्वाचनों के दौरान सभी स्टेकहोल्डरों के लिए उपयोगी होगा और भारतीय निर्वाचनों में मीडिया की भूमिका सहित विस्तृत परिप्रेक्ष्य देगा। मुझे उम्मीद है कि यह सार-संग्रह उन सभी लोगों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा जो भारतीय निर्वाचन में मीडिया की भूमिका के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है।

भारत के माननीय निर्वाचन आयुक्त का संदेश

(श्री सुशील चंद्रा)

मीडिया निर्वाचन प्रक्रिया सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय बीतने के साथ-साथ, नए मीडिया मंचों का निर्माण होता है तथा ये पुरानों का स्थान ले लेते हैं। सूचना एवं डाटा के सत्यनिष्ठ तथा समयपूर्वक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता में तब कई गुना वृद्धि हो जाती है और जोखिम भी बढ़ जाता है जब प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया अधिकांश मतदाताओं को निर्वाचन संबंधी विभिन्न मुद्दों की सही तस्वीर दिखाने में विफल रहते हैं।

इस संकलन में राजनैतिक विज्ञापनों के मीडिया प्रमाणन, मीडिया अनुवीक्षण और सोशल मीडिया इत्यादि से संबंधित विषयों के अतिरिक्त, निर्वाचन आयोग के विभिन्न निदेशों और निर्वाचनों के दौरान मीडिया की भूमिका से संबंधित मुद्दों को समग्र रूप में शामिल किया गया है। किसी भी प्रकार के भ्रष्ट आचरण से रहित एक ऐसी व्यापक निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग मीडिया की विभिन्न भूमिकाओं, जिनका एक निर्णायक प्रभाव पड़ता है, उन्हें सावधानीपूर्वक वर्गीकृत करता है, पृथक् करता है और उनका विश्लेषण करता है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि यह व्यापक दस्तावेज भारतीय निर्वाचनों के मीडिया कवरेज के सभी पहलुओं को कवर करेगा। मैं संचार प्रभाग को बधाई देता हूं कि उन्होंने भारत में निर्वाचनों को कवर करने वाले मीडिया के लिए इस विस्तृत संदर्भ पुस्तक को संकलित करने के अद्भुत प्रयास किया है।

आमुख

(श्री धीरेन्द्र ओझा)

देश के ऊर्जावान मीडिया के घनिष्ठ सहयोग के बिना भारत में सफल निर्वाचन संचालित करने का विचार कल्पनातीत है। मीडिया आम राय बना या बिगाड़ सकता है यही वजह है जो आधुनिक समाज में इसे इतना अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। भारत निर्वाचन आयोग मीडिया के महत्व को स्वीकार करता है और मीडिया को एक महत्वपूर्ण मित्र के रूप में मानता है।

चाहे निर्वाचन संबंधित आंकड़ों का प्रचार-प्रसार करना हो या आचार संहिता के उल्लंघनों के दौरान होने वाली को जानकारी में लाना हो, मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहरहाल, अनेक ऐसे मुद्दे होते हैं जो मीडिया की भागीदारी को प्रभावित करते हैं और जिस पर विस्तृत विचार किए जाने की आवश्यकता है।

आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (प्रिंट मीडिया के लिए मतदान दिवस और मतदान से एक दिन पहले), पेड-न्यूज़ और मीडिया से संबंधित अन्य मामलों पर विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन के लिए जिला स्तर और राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समितियां (एमसीएमसी) गठित की हैं।

निर्वाचनों की मीडिया कवरेज को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देने के लिए आयोग ने मीडिया से संबंधित मुद्दों का एक साथ संकलित करने का निर्णय लिया है। यह दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अनुवीक्षण केन्द्र (ईएमएमसी), पेड-न्यूज़, राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापनों का प्रमाणन, सोशल मीडिया, पीसीआई की सिफारिशों, निर्वाचनों के दौरान राजनैतिक दलों को प्रसारण समय के आवंटन, एनबीएसए के दिशा-निर्देश इत्यादि जैसे विषयों से संबंधित विभिन्न सिफारिशों और अद्यतन जानकारियों पर प्रकाश डालता है।

मैं संचार प्रभाग के प्रयासों की सराहना करता हूं जिन्होंने इस पहल के सफल निष्पादन के लिए पूर्ण उत्साह के साथ कार्य किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सार-संग्रह मीडिया

कार्मिकों और अन्य स्टेकहोल्डरों के मानसपटल पर आने वाली किसी भी शंका का समाधान करने में अत्यंत सहायक होगा।

विषय सूची

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ सं.
क.	राजनैतिक विज्ञापनों और पेड-न्यूज़ का प्रमाणन	
1.	अनुदेशों का सार	
2.	टी.वी. चैनल तथा केबल नेटवर्क पर राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापनों से संबंधित उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 अप्रैल, 2004 के आदेश के संबंध में आयोग का पत्र सं. 509/75/2004/जे.एस.-। दिनांक 15.04.2004 और आदेश दिनांक 15 अप्रैल, 2004	
3.	विज्ञापनों के प्रमाणन हेतु आवेदन का प्रोफार्मा	
4.	प्रसारण हेतु विज्ञापन के पूर्व प्रमाणन का प्रोफार्मा	
5.	टी.वी. चैनल और केबल नेटवर्क पर राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापनों से संबंधित आयोग के आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 2004 के संबंध में आयोग का पत्र सं. 509/75/2004/जे.एस.। दिनांक 22 जुलाई, 2004	
6.	टी.वी. चैनलों और केबल टी.वी. नेटवर्क - रेडियो पर भी राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापनों के संबंध में आयोग का पत्र सं. 509/75/2004/जे.एस.।/खंड।।/आर सी सी, दिनांक 21.11.2008	
7.	टी.वी. चैनलों और केबल नेटवर्क तथा रेडियो पर राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापन -स्पष्टीकरण के संबंध में आयोग का पत्र सं. 509/75/2004-जे.एस.-।/आर सी सी/खंड ।।, दिनांक 18.03.2009	
8.	टी.वी. चैनलों और केबल नेटवर्क तथा रेडियो पर राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापनों के संबंध में आयोग का पत्र सं. 3/ईआर 2009/एस डी आर, दिनांक 19.03.2009	
9.	निर्वाचनों के दौरान 'पेड न्यूज़'अर्थात् मीडिया में समाचारों की आड़ में विज्ञापनों पर रोक लगाने के उपायों के संबंध में आयोग का पत्र सं. 491/मीडिया/2010, दिनांक 8 जून, 2010	
10.	निर्वाचनों के दौरान 'पेड न्यूज़'अर्थात मीडिया में समाचार की आड़ में विज्ञापनों पर रोक लगाने के उपायों के संबंध में आयोग का पत्र सं. 491/मीडिया पालिसी/2010, दिनांक 23.09.2010	

11.	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में संशोधन हेतु प्रस्तावों के संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिव को संबोधित आयोग का पत्र सं. 3/1/2011/एस डी आर दिनांक 03.02.2011	
12.	निर्वाचनों के दौरान 'पेड न्यूज़'अर्थात् मीडिया में समाचार की आड़ में विज्ञापनों पर रोक लगाने के उपायों के संबंध में आयोग का पत्र सं. 491/मीडिया/2009 दिनांक 18.03.2011	
13.	निर्वाचनों के दौरान राजनैतिक दलों या उनके कार्यकर्ताओं/पदाधिकारियों के स्वामित्व वाले टी.वी./केबल-चैनलों पर अभ्यर्थियों के विज्ञापनों से निपटने हेतु दिशा-निदेशों के संबंध में आयोग का पत्र सं. 491/मीडिया/2001(विज्ञापन) दिनांक 16.08.2011	
14.	राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारियों/मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समितियों से प्राप्त ''पेड-न्यूज़''की शिकायतों/संदर्भों की जांच करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के स्तर पर एक समिति के गठन के संबंध में आयोग का आदेश सं. 491/पेड-न्यूज़/2012/मीडिया दिनांक 15.03.2012	
15.	पेड-न्यूज पर आयोग के व्यापक दिशा-निदेश सं. 491/पेड-न्यूज़/2012/मीडिया दिनांक 27.08.2012	
16.	जिला/राज्य मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समितियों द्वारा जारी नोटिस का उत्तर देने के लिए अभ्यर्थियों के लिए समय-सीमा - आयोग का पत्र सं. 491/पेड-न्यूज़/2012/मीडिया दिनांक 09.10.2012	
17.	प्रमाणन में सिनेमा हाल/अन्य माध्यमों में प्रदर्शित विज्ञापन सम्मिलित हैं - आयोग का पत्र सं. 491/पेड-न्यूज़/2012/मीडिया दिनांक 15.10.2012	
18.	प्रसारण मीडिया संबंधी पेड-न्यूज़ के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु न्यूज़ प्रसारण संघों को आयोग का पत्र सं. 491/पी एन/मीडिया/2013 दिनांक 12.02.2013	
19.	सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापनों के प्रमाणन पर स्पष्टीकरण - आयोग का पत्र सं. 491/मीडिया पालिसी/2013 दिनांक 10.10.2013	
20.	आयोग का पत्र सं. 491/पेड-न्यूज़/2014 दिनांक 07.02.2014 -	

	विज्ञापनों के प्रमाणन पर स्पष्टीकरण	
21.	प्रमाणन और पेड-न्यूज़ पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समितियों के गठन के संबंध में आयोग का पत्र सं. 491/पेड-न्यूज़/2014 दिनांक 26.02.2014	
22.	निर्वाचनों के दौरान 'पेड-न्यूज़'अर्थात् मीडिया में समाचार की आड़ में विज्ञापनों पर और इससे संबंधित मामलों पर रोक लगाने के उपाय - संशोधित दिशा-निदेश के संबंध में आयोग का पत्र सं. 491/मीडिया पालिसी/2013 दिनांक 07.03.2014	
23.	निर्वाचनों के दौरान प्रसारण मीडिया द्वारा अनुपालन करने के लिए दिशा-निदेशों संबंधी आयोग का पत्र सं. 491/मीडिया पालिसी/2013/8793 से 827 दिनांक 07.03.2014 - समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एन बी एस ए) के दिनांक 24.11.2001 के पत्र के द्वारा जारी दिशा निदेश	
24.	राजनैतिक विज्ञापनों के स्पष्टीकरण के संबंध में आयोग का पत्र सं. 491/एम सी एम सी/2014(संचार) दिनांक 15.03.2014	
25.	राजनैतिक विज्ञापनों के स्पष्टीकरण के संबंध में आयोग का पत्र सं. 491/एम सी एम सी/2014(संचार) दिनांक 11.04.2014	
26.	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रमाणन के संबंध में आयोग का पत्र सं. 491/एम सी एम सी/2014(संचार) दिनांक 24.03.2014	
27.	आयोग का पत्र सं. 491/एम सी एम सी/2014/संचार दिनांक 12.04.2014 - टी.वी. चैनलों/केबल नेटवर्क/रेडियो पर राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर दिशा-निदेशों के संबंध में	
28.	निर्वाचनों के दौरान पेड-न्यूज़ पर रोक लगाने के उपाय - किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध पेड-न्यूज़ का दोष निर्धारित करने की समय-सीमा - स्पष्टीकरण के संबंध में आयोग का पत्र सं. 491/पेड-न्यूज़/2014 दिनांक 22.04.2014	
29.	राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणन पर अनुदेश के संबंध में आयोग का पत्र सं. 491/एम सी एम सी/2014 (संचार), दिनांक 25 अप्रैल, 2014	

30.	राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन - राजनैतिक अभियानों में बड़ी मात्रा में एसएमएस/वॉयस संदेशों का प्रयोग के संबंध में आयोग का पत्र सं. 491/मीडिया पालिसी/संचार, दिनांक 28.05.2015	
31.	राजनैतिक दलों के स्वामित्व वाले टी.वी./केबल चैनलों/समाचार-पत्रों में अभ्यर्थियों के विज्ञापनों के संबंध में आयोग का दिनांक 03.01.2016 का पत्र सं. 491/मीडिया पालिसी/2016	
32.	पेड-न्यूज़ के मामलों को साप्ताहिक आधार पर प्रस्तुत करने का फार्मेट	
33.	निर्वाचन पूरा होने के पश्चात् मीडिया हाउस, अभ्यर्थी के नाम और किए गए व्यय इत्यादि का उल्लेख करते हुए पेड-न्यूज़ के मामलों को प्रस्तुत करने का फार्मेट	
34.	पेड-न्यूज़ मामलों के उदाहरण	
35.	पेड-न्यूज़ के संबंध में प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न	
36.	विज्ञापनों के प्रमाणन के संबंध में प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न	
ख.	**निर्वाचन अभियानमें सोशल मीडिया का प्रयोग और भारत निर्वाचन आयोग की सोशल मीडिया पालिसी**	
1.	अनुदेशों का सार	
2.	निर्वाचन अभियान में सोशल मीडिया के प्रयोग के संदर्भ में आयोग के अनुदेश, दिनांक 25.10.2013	
3.	सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ई-पेपरों पर स्पष्टीकरण के संबंध में आयोग का पत्र सं. 491/एस एम/2013, दिनांक 16 अप्रैल, 2014	
4.	मुख्य निर्वाचन अधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों के स्तर पर सोशल मीडिया के प्रयोग के संबंध में आयोग का पत्र सं. 491/एस एम/2015/संचार, दिनांक 06.09.2016	
5.	सोशल मीडिया पर प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न	
ग.	**निर्वाचन प्रक्रिया की कवरेज के लिए प्राधिकार-पत्र जारी करने सहित मीडिया कर्मियों को उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाएं**	
1.	अनुदेशों का सार	
2.	निर्वाचन प्रक्रिया की कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों को उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं के संबंध में आयोग का आदेश सं.	

	491/96/एम सी एस, दिनांक 27 मार्च,1996	
3.	आयोग का पत्र सं. 491/97/एम सी एस-खंड-।। दिनांक 25 मार्च, 1997 -प्राधिकार पत्र जारी करने पर हस्ताक्षर करने के संबंध में स्पष्टीकरण	
4.	निर्वाचन प्रक्रिया की कवरेज हेतु मीडिया कर्मियों को उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं के संबंध में आयोग के दिनांक 27.04.2004 के संशोधित दिशा-निदेश सं. 491/2004/एम सी पी-खंड ।।	
5.	आयोग का पत्र सं. 491/ए एल-अनुदेश/2014, दिनांक 18 मार्च, 2014 - प्राधिकार पत्र जारी करने पर हस्ताक्षर करने के संबंध में स्पष्टीकरण	
6.	प्राधिकार पत्रों के नमूने	
7.	मीडिया कर्मियों को प्राधिकार पत्र जारी करने के संबंध में प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न	
घ.	**लोक सभा/राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण समय आबंटित करने की योजना**	
1.	अनुदेशों का सार	
2.	निर्वाचनों के दौरान राजनैतिक दलों द्वारा सरकार के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग की योजना के संबंध में आयोग का दिनांक 16 जनवरी, 1998 का आदेश सं. ई सी आई/जी ई-98/437एम सी एस/98	
3.	प्रसारण हेतु राजनैतिक दलों द्वारा प्रस्तुत लिप्यंतर(ट्रांस्क्रिप्ट) को अनुमोदित करने के लिए प्रसार भारती द्वारा शीर्ष समिति के गठन के संबंध में पत्र सं. 437/टीए/2015/संचार, दिनांक 02.12.2015	
4.	गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन 2017 के दौरान राजनैतिक दलों को प्रसारण समय आबंटित करने के संबंध में आयोग का आदेश सं. 437/टीए-एलए/2017/संचार दिनांक 11.01.2017	
5.	राजनैतिक दलों को प्रसारण समय आबंटित करने के संबंध में प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न	

ड.	**निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन प्रबंधन संबंधी समाचारों का मीडिया अनुवीक्षण**	
1.	अनुदेशों का सार	
2.	मीडिया अनुवीक्षण दिशा-निदेशों के संबंध में आयोग कादिनांक 06.01.2016 का पत्र सं. 491/एम एम/2015/संचार	
3.	प्रवाह चार्ट - निर्वाचनों के दौरान मीडिया अनुवीक्षण	
4.	मीडिया अनुवीक्षण का कार्य ई एम एम सी को सौंपने के संबंध में आयोग का दिनांक 07.03.2016 का पत्र सं. 491/एम एम/2016/संचार	
5.	आयोग का पत्र सं. 491/एम एम/2016/संचार, दिनांक 05.04.2016 - मीडिया अनुवीक्षण मामलों में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में स्पष्टीकरण।	
6.	मीडिया अनुवीक्षण के संबंध में प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न	
च.	**निर्वाचनों के दौरान मीडिया द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निदेश**	
1.	अनुदेशों का सार	
2.	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 में उल्लिखित अवधि के दौरान मीडिया कवरेज पर प्रेस नोट	
3.	निर्वाचन लड़ने वाले अभिनेताओं की फिल्मों को टी.वी. चैनलों पर प्रसारित करने के संबंध में आयोग का दिनांक 15.04.2014 का पत्र सं. 437/6/जी जे-एच पी/2014	
4.	प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट औरमीडिया के लिए दिशा-निदेश	
5.	निर्वाचनों के दौरान मीडिया प्रसारण के लिए समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) द्वारा जारी प्रतिमानक/दिशा निदेश	
6.	निर्वाचनों के दौरान मीडिया कवरेज के संबंध में प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न	

क.
राजनैतिक विज्ञापनों एवं पेड न्यूज़ का प्रमाणन

अनुदेशों का सार

1. राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन

(i) टी.वी.चैनलों और केबल नेटवर्क में राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रमाणन से संबंधित उच्चतम न्यायालय का दिनांक 13.04.2004 का आदेश

(क) भारत के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2004 की विशेष अनुमति याचिका(सि) सं. 6679 (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम मैसर्स जेमिनी टी.वी.प्रा.लि. एवं अन्य) में 13.04.2004 को यह आदेश पारित किया है कि किसी पंजीकृत राजनैतिक दल/किसी संगठन अथवा समूह/संघ/व्यक्तिगत अभ्यर्थी द्वारा टी.वी. चैनलों और केबल नेटवर्क पर जारी किए जाने वाले सभी प्रस्तावित राजनैतिक विज्ञापनों का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न स्तरों पर नामित प्रमाणन समिति द्वारा पूर्व प्रमाणन किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप निर्वाचन आयोग ने 15.04.2004 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को ऐसी समितियाँ बनाने का आदेश जारी किया। (पृष्ठ सं. 9-21)

(ख) राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु, आयोग ने अपने दिनांक 15.04.2004 के आदेश सं. 509/75/2004/जे एस-I के पैरा 10(i) में उस सीमा तक छूट दी है कि विद्यमान पद्धति के अपनाने के अतिरिक्त, राजनैतिक दल/अभ्यर्थी, यदि वे चाहें, प्रमाणन हेतु प्रस्तावित विज्ञापन का प्रतिलेखन पहले प्रस्तुत करने की वैकल्पिक पद्धति का भी पालन कर सकते हैं और एक बार समिति द्वारा प्रतिलेखन की जांच/अनुमोदन होने के पश्चात, दल/अभ्यर्थी किसी अन्य समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतिम रूप से तैयार सामग्री को अंतिम प्रमाणन हेतु प्रस्तुत करेगा।(पृष्ठ सं. 64-65)

(ग) आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विज्ञापन देने पर विशेष रूप से कोई रोक नहीं लगाई है, किन्तु, वर्ष 2004 की विशेष अनुमति याचिका(सि) सं. 6679 में दिनांक 13.04.2004 (पृष्ठ सं. 66) के इसके आदेश के तहत ऐसे व्यक्ति किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी के फायदे के लिए विज्ञापन नहीं दे सकते हैं।

(ii) राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन के प्रावधान की भारत के समस्त भू-भाग में सर्वदा प्रयोज्यता

उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 अप्रैल, 2004 के आदेश में विशिष्ट और स्पष्ट शब्दों में प्रावधान है कि इसका निर्देश भारत के समस्त क्षेत्र में सर्वदा प्रयोज्य होगा, न कि यह निर्वाचन की घोषणा की तारीख से आरंभ हो रही अवधि से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया के समापन तक सीमित होगा। (पृष्ठ सं. 75)

(iii) टी.वी. चैनलों और केबल टी.वी. नेटवर्क पर राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापनों का प्रमाणन- रेडियो और सिनेमा हाल तक विस्तार

रेडियो पर वाणिज्यिक विज्ञापनों की संहिता में आशोधन करने के परिणामस्वरूप, निर्वाचन आयोग ने यह आदेश जारी किया है कि टीवी चैनलों/केबल नेटवर्क पर राजनैतिक विज्ञापनों की संवीक्षा करने के लिए बनाई गई समितियां निजी एफएम चैनलों सहित रेडियो पर राजनैतिक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को भी देखेंगी (पृष्ठ सं. 24-25)। आयोग ने प्रमाणन के क्षेत्र का विस्तार करते हुए टीवी चैनलों/केबल नेटवर्क के अतिरिक्त सिनेमा हॉल तथा एफएम चैनलों सहित रेडियो को भी शामिल कर लिया है। (पृष्ठ सं. 51)

(iv) **सार्वजनिक स्थानों पर राजनैतिक विज्ञापनों का श्रव्य-दृश्य प्रदर्शन**

आयोग के विद्यमान आदेशों के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर राजनैतिक विज्ञापन/अभियान सामग्री का श्रव्य-दृश्य प्रदर्शन के लिए नामित समिति से प्रमाणन करवाना अपेक्षित होगा। (पृष्ठ सं. 53)

(v) राजनैतिक अभियान में बड़ी संख्या में एसएमएस/वॉयस संदेशों का प्रयोग

आयोग के विद्यमान आदेशों के अंतर्गत राजनैतिक अभियान में बड़ी संख्या में एसएमएस/वॉयस संदेशों के प्रयोग का भी नामित समिति से प्रमाणन कराना आवश्यक होना चाहिए (पृष्ठ सं. 69-70)।

(vi) राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियों के गठन के लिए आयोग के निदेश

i. आयोग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निदेश दिया है कि मीडिया में पेड-न्यूज की घटनाओं का अनुवीक्षण करने के लिए जिला स्तर और राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणनऔर अनुवीक्षण समितियों का गठन करें (पृष्ठ सं. 33-34)।

ii. मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन/कर्तव्य - आयोग ने स्पष्ट किया है कि राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणन के प्रयोजन हेतु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणन में अपनी सहायता के लिए

उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या के अनुसार अपेक्षित सदस्यों को सहयोजित कर सकता है ताकि प्रमाणन के लिए सभी जिलों से विस्तृत विचार और समान प्रतिनिधित्व मिल सके। (पृष्ठ सं. 57-58)

(vii) किसी राष्ट्रीय पार्टी की राज्य इकाई /राज्य पार्टी द्वारा राजनैतिक विज्ञापन के प्रमाणन और किसी राष्ट्रीय पार्टी/राज्य पार्टी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, की बहु-भाषाओं और क्षेत्रीय भाषा में राजनैतिक विज्ञापन के प्रमाणन का आवेदन पत्र।

(क)दिनांक 15.04.2004 के उपर्युक्त संदर्भित आदेश के अनुसार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के कार्यालय में स्थापित समिति उन सभी राजनैतिक दलों के आवेदन-पत्रों का निपटारा करेंगी, जिनके मुख्यालय दिल्ली में हैं। आयोग ने अपने दिनांक 18.03.2009 के पत्र के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय पार्टियों की राज्य इकाईयाँ अपने आवेदन पत्र संबंधित राज्यों की समिति को प्रस्तुत कर सकती हैं। तथापि, राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों, जिनके मुख्यालय दिल्ली में है, के केन्द्रीय कार्यालयों के आवेदन-पत्रों की संवीक्षा दिल्ली में स्थित समिति द्वारा की जाती रहेगी। राज्यीय पार्टियों के मामलों में, राज्यों में पार्टियों की इकाईयों के आवेदन-पत्र, उन स्थानों को छोड़कर जहां पर इनके मुख्यालय हैं, भी उन संबंधित राज्यों में बनी समिति द्वारा निपटाए जाएंगे, जहां राज्य इकाईयां अपने आवेदन-पत्र प्रस्तुत करती हैं। (पृष्ठ सं. 26-27)

(ख) विज्ञापनों के प्रमाणन के संबंध में, आयोग ने 19.03.2009 को आगे स्पष्ट किया कि यदि दिल्ली में स्थित मुख्यालय वाले राष्ट्रीय दल अथवा राज्यीय दल का कोई केंद्रीय कार्यालय बहु भाषाओं (हिंदी/अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाएं) में उसी विज्ञापन का प्रमाणन कराना चाहता है तो प्रमाणित प्रतिलेखन सहित प्रत्येक भाषा में विज्ञापन की सामग्री मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के कार्यालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि दिल्ली में स्थित मुख्यालय वाले राष्ट्रीय दल अथवा राज्यीय दल का कोई केंद्रीय कार्यालय किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा(जिसके साथ संबंधित विज्ञापन का हिंदी/अंग्रेजी अनुवाद नहीं है) में विज्ञापन का प्रमाणन कराना चाहता है, तो प्रमाणन की अपेक्षा के आवेदन - पत्र को संबंधित राज्य (अर्थात वह राज्य, जिसकी यह क्षेत्रीय भाषा है) के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। (पृष्ठ सं. 28-29)

(ग) ऐसे मामलों में, जहां पंजीकृत राजनैतिक दलों/समूह/संस्थान/संघ का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नहीं है, लेकिन अपने विज्ञापन को दिल्ली में दूरदर्शन पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो जिस राज्य में दल निर्वाचन लड़ रहा है, उस राज्य की एमसीएमसी द्वारा विज्ञापन के प्रमाणन पर विचार किया जाना चाहिए। (पृष्ठ सं. 54)

(घ) ऐसे राज्यीय दल, जो उस राज्य से बाहर निर्वाचन लड़ना चाहते हैं जहां उनका मुख्यालय स्थित है, वे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के कार्यालय की समिति से ऐसे विज्ञापन का प्रमाणन करा सकते हैं (पृष्ठ सं. 61-62)। आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसी भी राजनैतिक दल के मुख्यालय की अवस्थिति पर ध्यान दिए बिना उसके विज्ञापनों को स्वीकार कर सकते हैं और पूर्व-प्रमाणित कर सकते हैं, बशर्ते कि वे विज्ञापन की भाषा को समझने में सक्षम हों (पृष्ठ सं. 63)।

(viii) राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन के लागू होने के संबंध में निर्णय दिए जाने की समय-सीमा

आयोग ने अपने दिनांक 10 मार्च, 2016 के पत्र के तहत स्पष्ट किया कि राज्य और जिला एमसीएमसी राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन के आवेदनों की प्राप्ति के दो दिनों के भीतर इन पर निर्णय देंगे। (पृष्ठ सं. 74)

(ix) एमसीएमसी में सोशल मीडिया विशेषज्ञ का समावेशन

आयोग ने अपने दिनांक 25 फरवरी, 2019 के पत्र के तहत राज्य तथा जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति में एक मध्यस्थ विशेषज्ञ (आईटी अधिनियम 2000 की धारा 2(डब्ल्यू) में यथापरिभाषित मध्यस्थ)/सोशल मीडिया विशेषज्ञ के समावेशन का अनुदेश दिया है।(पृष्ठ सं. 80)। सोशल मीडिया विशेषज्ञ निम्नलिखित कार्य-निष्पादन करेगा :

(i) सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रकाशित किए जाने हेतु प्रस्तावित राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणन के मामले में एमसीएमसी की सहायता करना।

(ii) पेड न्यूज़ के संदिग्ध मामलों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म की जांच करने में एमसीएमसी की सहायता करना।

(iii) अभ्यर्थी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर निर्वाचन के विज्ञापन पर उपगत व्यय के संबंध में आरओ और व्यय प्रेक्षक को प्रतिलिपि देते हुए लेखा-दल को दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में एमसीएमसी की सहायता करना।

(vi) सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विज्ञापनों से संबंधित प्रश्नों/शिकायतों के मामलों में एमसीएमसी की सहायता करना।

(v) एमसीएमसी तथा मध्यस्थ विशेषज्ञों/सोशल मीडिया प्लेटफार्म के बीच समग्र समन्वय की देखभाल करना।

(vi) यह सुनिश्चित करना कि निर्वाचन की विधियों का सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विज्ञापनों से संबंधित मामलों के संबंध में पूर्णतया पालन किया जाता है।

(vii) सोशल मीडिया पर उल्लंघन के मामलों का निपटान करने में एमसीएमसी की सहायता करना।

राज्य स्तरीय एमसीएमसी का भाग होने के नाते, वह सोशल मीडिया पर विज्ञापन के प्रमाणन पर जिला तथा अपर/संयुक्त सीईओ समिति से अपील पर निर्णय देने तथा जिला एमसीएमसी के निर्णय के विरूद्ध अपील पर पेड न्यूज़ के सभी मामलों या ऐसे मामलों जो स्वप्रेरणा से लिए गए हों, की जांच करने में सहायता करेंगे/करेंगी।

2. पेड - न्यूज़

भारत निर्वाचन आयोग ने पेड - न्यूज के बारे में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया द्वारा दी गई परिभाषा को स्वीकार किया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने पेड - न्यूज़ को ''नकद मूल्य अथवा वस्तुगत रूप में किसी मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक) में प्रकाशित किसी खबर अथवा विश्लेषण'' के रूप में परिभाषित किया है (पृष्ठ सं. 168)।

(i) पेड-न्यूज को एक निर्वाचन अपराध बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन हेतु आयोग का प्रस्ताव

आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करने के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है ताकि इसमें यह उपबंध किया जा सके कि किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन में उसकी संभावना बढ़ाने अथवा किसी अभ्यर्थी की निर्वाचन संबंधी संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की मंशा से 'पेड न्यूज़' को प्रकाशित करवाने अथवा प्रकाशित करने के लिए उकसाने को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग VII के अध्याय- III के अंतर्गत एक निर्वाचन अपराध बनाया जा सके और इसमें कम

से कम दो वर्ष के कारावास की सजा हो। यह मामला भारत सरकार के समक्ष है (पृष्ठ सं. 35-37)।

(ii) किसी भी मुद्रित पैम्फलेट, हैण्डबिल और अन्य दस्तावेजों पर प्रकाशक और मुद्रक के नाम और पते की घोषणा

यह स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के अंतर्गत विधिक उपबंधों में निर्वाचन विज्ञापन, पैम्फलेट इत्यादि के प्रकाशक के लिए यह अनिवार्य है कि वह इन पर प्रकाशक और मुद्रक के नाम और पते को मुद्रित करे और ऐसा न करने पर वह दो वर्ष तक के कारावास और/अथवा दो हजार रूपये के दंड का भागी होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ज, अन्य बातों के साथ-साथ, विज्ञापन पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के प्राधिकार के बिना, व्यय को निषेध करती है। इसमें समाचार-पत्रों इत्यादि में दिए गए विज्ञापनों के रूप में घोषित अथवा विशिष्ट विज्ञापन और ऐसे विज्ञापनों के लिए दी गई राशि बताना शामिल है। किन्तु, पेड-न्यूज़ के मामले में, ऐसे भुगतान का उल्लेख शायद ही कभी किया जाता है क्योंकि ऐसे मामलों को केवल विज्ञापन के रूप में छपवा कर समाचार का रूप देकर छिपा लिया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क(1) के प्रयोजन हेतु ''निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर'' का अर्थ है ऐसा मुद्रित पैम्फलेट, हैंडबिल अथवा दस्तावेज, जिसे किसी अभ्यर्थी अथवा किन्हीं अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन की संभावना को बढ़ाने अथवा उसे अपने पक्ष में करने के प्रयोजन हेतु वितरित किया गया हो''। इसीलिए, 'पेड-न्यूज' भी 'अन्य दस्तावेज' की श्रेणी में आएगा और 'निर्वाचन पैम्फलेट एवं पोस्टर'' में शामिल किया जाएगा तथा तद्नुसार कार्रवाई की जाएगी। अत:, अन्य अभ्यर्थियों और पार्टियों को नजरांदाज करके/अन्य से पक्षपात करके एक विशिष्ट अभ्यर्थी अथवा पार्टी को समर्थन/लाभ देने के लिए प्रिंट मीडिया में समाचार देने संबंधी ऐसे स्पष्ट मामलों की जांच करने की आवश्यकता होगी। (पृष्ठ सं. 30-32)।

(iii) मीडिया घरानों के मानक दर कार्डों के अनुसार अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय खाते में पेड-न्यूज के अनुमानित व्यय का समावेशन।

राजनैतिक दलों अथवा उनके कार्यकर्ताओं/ पदधारियों के स्वामित्व वाले टी.वी./केवल टी.वी. नेटवर्क पर पेड - न्यूज़ और विज्ञापनों के निपटान में समानता लाने के लिए आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निदेश दिया

है कि वे लोकसभा अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान सभाओं, जैसा भी मामला हो, के कार्यकाल की समाप्ति की देय तिथि से छह महीने पहले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रसारित/परिचालित टेलीविजन चैनलों/रेडियो चैनल/समाचारों पत्रों और उनकी मानक दरों के कार्डों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त करेंगे और आयोग को प्रेषित करेंगे। जिला स्तर और राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणनऔर अनुवीक्षण समिति अभ्यर्थियों से संबंधित सभी राजनैतिक विज्ञापनों का अनुवीक्षण करेगी, चाहे वे प्रत्यक्ष हों अथवा छिपे हुए, और वह निर्वाचन अधिकारी को सूचित करेगी कि यदि अभ्यर्थी ने वास्तविक व्यय के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं, तो उनके निर्वाचन व्यय खाते में मानक दर के कार्डों के आधार पर अनुमानित व्यय को सम्मिलित करवाने के लिए उसे नोटिस जारी करेगी (पृष्ठ सं. 39-40)।

(iv) पेड-न्यूज़ के मामलों की जांच करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के स्तर की समिति

आयोग ने राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति से प्राप्त मामलों की जांच करने और आयोग में पेड-न्यूज़ से संबंधित सीधे प्राप्त मामलों, जो किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है, की जांच करने और इन पर सिफारिश देने के लिए भी ईसीआई के स्तर पर एक समिति का गठन किया है। (पृष्ठ सं. 41-42)

(v) पेड न्यूज़ पर आयोग के दिनांक 27.08.2012 के विस्तृत दिशा-निदेश

पेड-न्यूज़ से संबंधित मामलों का अधिक प्रभावी ढंग से अनुवीक्षण करने के लिए, आयोग ने सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार समाचार कवरेज की आड़ में राजनैतिक विज्ञापनों का पता लगाने के लिए जिला स्तर की समिति जिले में समस्त समाचार-पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुवीक्षण करती है। समिति के ध्यान में जैसे ही पेड-न्यूज़ का कोई संदिग्ध मामला आता है, तो अभ्यर्थी को सम्यक नोटिस जारी किया जाता है, जिसका उत्तर उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस दिए जाने के 48 घंटे के भीतर देना होता है, और ऐसा न करने पर समिति का निर्णय अंतिम होगा। जिला स्तर की मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति के निर्णय के विरूद्ध अपील जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के निर्णय के 48 घंटे के भीतर राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति को की जा

सकती है, जिसका निर्णय अपील की प्राप्ति के 96 घंटे के भीतर राज्य स्तर की मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थी राज्य स्तर की मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समिति के निर्णय के विरूद्ध अपील इस समिति का आदेश प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर भारत निर्वाचन आयोग को कर सकता है। आयोग का निर्णय अंतिम होगा। (पृष्ठ सं. 43-49)

(vi) **मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के लिए पेड न्यूज़ रिपोर्टिंग का फार्मेट**

आयोग को पेड न्यूज़ की रिपोर्ट भेजने के लिए आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के लिए दो फार्मेट तैयार किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को नाम निर्देशन की संवीक्षा की अंतिम तिथि से फार्मेट-1 में साप्ताहिक रिपोर्ट और निर्वाचनों के सम्पन्न होने के बाद पेड न्यूज़ के सभी पुष्ट मामलों की अंतिम विस्तृत रिपोर्ट फार्मेट-2 में भेजनी होती है।(पृष्ठ सं. 73-74)

(vii) पेड-न्यूज़ के मामलों को निर्धारित करने के लिए समय-अवधि

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि पेड न्यूज के मामलों का विवरण अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन दायर करने की तिथि से रखा जाए।(पृष्ठ सं.67)

(viii) राजनैतिक पार्टियों के स्वामित्व वाले टीवी/केबल चैनलों/समाचार-पत्रों के संबंध में अभ्यर्थियों के विज्ञापनों से निपटने हेतु दिशानिर्देश

राजनैतिक पार्टियों अथवा उनके कार्यकर्ताओं/पदाधिकारियों के स्वामित्व वाले टीवी/केबल चैनलों/समाचार-पत्रों में अभ्यर्थियों के विज्ञापनों पर होने वाले व्यय को शामिल करने के लिए अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय विवरण (निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में अनुदेशों के सार-संग्रह के अनुबंध 15 की अनुसूची 4क) में नए उपबंध शामिल किए गए हैं।

मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति उपर्युक्त प्रकृति की विषय-वस्तु की पहचान करने के लिए ऐसे चैनलों पर प्रसारित होने वाली विषय-वस्तु पर कड़ी निगरानी रखेगी, और समस्त सम्यक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए चैनल की मानक दरों के कार्ड के अनुसार अनुमानित व्यय को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय खाते में उपयुक्त रूप से जोड़ देगी, चाहे उन्होंने चैनल/समाचार-पत्र को वास्तव में किसी भी राशि का भुगतान न किया हो। (पृष्ठ सं.71)

(ix) **पेड-न्यूज़ में शामिल क्रमश: प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रेस कांउसिल ऑफ इंडिया और न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन**

मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियों द्वारा पेड-न्यूज़ के प्रमाणित मामलों में, शामिल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कार्रवाई करने के लिए इनके नाम क्रमश: प्रेस कांउसिल ऑफ इंडिया और न्यूज़ ब्रॉड कास्टर्स एसोसिएशन को भेजे जाते हैं। (पृष्ठ सं. 49 और 52-53)

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं 0509/75/2004/जे.एस.-I दिनांक 15.4.2004

सेवा में
सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषयः-टी वी चैनल और केबल नेटवर्क पर राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का दिनांक 13 अप्रैल, 2004 का आदेश।

महोदय,

मुझे एतद्द्वारा 2004 की एस एल पी संख्या 6679 (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम मैसर्स जेमिनी टी वी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 अप्रैल, 2004 के आदेश के अनुसरण में आयोग द्वारा पारित दिनांक 15 अप्रैल, 2004 के आदेश को संलग्न करने का निदेश हुआ है।

2. इस बात पर ध्यान दिया जाए कि आयोग ने निदेश दिए हैं कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दल या किसी समूह या संगठन, संस्था, जिसका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हो, द्वारा टी वी चैनल या केबल नेटवर्क में प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों के पूर्वदर्शन, संवीक्षण और प्रमाणन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली को आदेश के अनुच्छेद 6 (i) के निदेशानुसार एक समिति गठित करनी होगी, इसी प्रकार अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुच्छेद 6 (iii) के अनुसार जिस राजनीतिक दल या अन्य संस्थाओं/समूहों का मुख्यालय उनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है, उनके आवेदनों पर विचार करने के लिए समितियां गठित करेंगे। आदेश के अनुच्छेद 6 (v) के द्वारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों को भी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विज्ञापन के पूर्वदर्शन, संवीक्षण और प्रमाणन के लिए पदाभिहित अधिकारी घोषित किया है। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और सिक्किम के चालू साधारण निर्वाचन और कुछ राज्यों के उप निर्वाचनों में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का

रिटर्निंग अधिकारी जिसमें संसदीय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं, विज्ञापनों के प्रमाणन के लिए आवेदन स्वीकार करेगा।

3. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को विज्ञापनों के प्रमाणन के आवेदनों पर समिति के पदाभिहित अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्णय के सम्बन्ध में शिकायतों पर ध्यान देने के लिए इसके आगे एक और समिति के गठन की भी आवश्यकता है।
4. प्रमाणन के लिए प्रत्येक आवेदन को आदेश से संलग्न अनुलग्नक 'क' में निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार एक विवरण में, सम्बन्धित समिति या सम्बन्धित पदाभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। विज्ञापन के प्रसारण के लिए प्रमाण पत्र समिति/पदाभिहित अधिकारी द्वारा आदेश से संलग्न अनुलग्नक 'ख' में दिए गए प्रोफार्मा में दिया जाना होगा। आवेदकों से प्रस्तावित विज्ञापन को इसके सत्यापित प्रतिलेख के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
5. प्रमाणन के लिए प्राप्त सभी आवेदनों के समुचित रिकॉर्ड को एक रजिस्टर में व्यवस्थित रखना होगा। प्रत्येक आवेदन में क्रम संख्या दी जानी चाहिए और क्रम संख्या को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दो प्रतियों में इंगित किया जाना चाहिए तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रति प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद प्रसारण के लिए प्रमाणित विज्ञापन की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति समिति/पदाभिहित अधिकारी द्वारा सुरक्षित रखी जानी चाहिए।
6. सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी अविलम्ब टी वी, वी सी आर, वी सी डी इत्यादि जैसे आवश्यक आधारभूत उपकरण जिनकी आवश्यकता समितियों और नामित अधिकारियों को उनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विज्ञापनों के पूर्वदर्शन और संवीक्षण के लिए पड़ सकती है, उपलब्ध करवांएगे। किसी भी तरह की खरीद राज्य सरकार द्वारा उन्ही वस्तुओं की खरीद के लिए अनुमोदित दर और प्रक्रिया के अनुसार होगी।
7. आयोग के आदेश का व्यापक प्रचार किया जाए और इसे विशेष रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग अधिकारी, टी वी चैनल, केबल ऑपरेटर और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सभी राजनीतिक दलों के ध्यान में लाया जाए।
8. कृपया पावती भेजें।

भवदीय,

(के.एफ. विलफ्रेड)
सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं0 509/75/2004/न्या0अनु0-I, दिनांक 15 अप्रैल, 2004

आदेश

1. यतः केबल टेलीविजन (विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 6 में यह उपबंधित है कि कोई भी व्यक्ति केबल सेवा द्वारा किसी विज्ञापन का प्रसारण या पुनः प्रसारण नहीं करेगा जब तक कि ऐसे विज्ञापन विहित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न हो; एवं

2. यतः केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) नियम, 1994 के नियम 7 के उप-नियम (3) ऊपर लिखित धारा-6 के निबंधनों के अनुसार "विज्ञापन संहिता का निर्धारण करते हुए यह उपबंधित करता है कि कोई विज्ञापन जिसकी विषय वस्तु मुख्य रूप से धार्मिक या राजनैतिक प्रकृति की हो और जो धार्मिक या राजनीति की ओर प्रेरित हो ऐसे विज्ञापन के प्रसारण की अनुमति नहीं दी जाएगी"; और

3. यतः आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, दिनांक 23.3.2004 के आदेश के डब्ल्यू पी.एम.पी सं0 5214/2004(जेमिनी टी.वी प्राईवेट लिमिटेड बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य) ने अपने निर्णय एवं आदेश के द्वारा केबल टी.वी. नेटवर्क (विनियम) नियम, 1994 के नियम 7 (3) के ऊपर लिखित उपबंधों को आस्थगित कर दिया है; एवं

4. यतः माननीय उच्चतम न्यायालय ने चुनौती के अधीन आदेश , के प्रतिस्थापन में एस.एल.पी (सिविल) सं0 6679/2004 (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम मैसर्स जेमिनी टी.वी एवं अन्य) में दिनांक 2.4.2004 के अपने अंतरिम आदेश द्वारा निम्न निदेश दिए हैं :-

(i) **कोई भी केबल ऑपरेटर या दूरदर्शन चैनल किसी ऐसे विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा जो देश की विधि के अनुरूप न हो एवं जो नैतिकता, मर्यादा एंव भावनाओं या विचारों को ठेस पहुंचाता हो अथवा जो घृणित, भड़काऊ एवं विद्राही प्रकृति का है;**

(ii) भारत निर्वाचन आयुक्त द्वारा प्रसारण को मानीटर किया जाएगा;

(iii) यह प्रश्न कि क्या अभ्यर्थी द्वारा ऐसे विज्ञापन के अंतः स्थापन करने पर उपगत व्यय को शामिल किया जाना चहिए अथवा नहीं, इस पर 5 अप्रैल 2004 को विचार किया जाएगा; एवं

(iv)वह रीति कि क्या ऐसे विज्ञापन विधि के अनुरूप हैं, भारत के निर्वाचन आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाएगी।

5. यतः माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय ने एस.एल.पी. (सिविल) सं0 6679/2004 में दिनांक 13 अप्रैल, 2004 के अपने अगले आदेश द्वारा निम्न निदेश दिए हैं :-

"-इससे पहले कि हम आदेश पारित करें, समय-समय पर यथा संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (संक्षेप में "अधिनियम") तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों पर ध्यान दिया जाना उपयुक्त होगा। इस अधिनियम का उद्देश्य देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रचालन को विनियमित करना है। इस अधिनियम की धारा 6 में यह उपबंधित है कि कोई भी व्यक्ति केबल सेवा के माध्यम से ऐसे किसी विज्ञापन को प्रसारित अथवा पुनः प्रसारित नहीं करेगा, जब तक वह निर्धारित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न हो। अधिनियम की धारा 11 में यह उपबंध है कि यदि किसी प्राधिकृत अधिकारी के पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि किसी केबल ऑपरेटर द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है अथवा किया जा रहा है, तो वह केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रचालन के लिए ऐसे केबल ऑपरेटर द्वारा प्रयुक्त उपकरण को जब्त कर सकता है। अधिनियम के उपबंधों के किसी भी प्रकार से उल्लंघन की दशा में, इस अधिनियम की धारा 12 में उपकरण की जब्ती का उपबंध हैं। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 में भी उपकरण के अभिग्रहण अथवा जब्ती और दंड का उपबंध है। धारा 16 अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड का उपबंध करती हैं। धारा 19 यह अधिकथित करती है कि यदि कोई प्राधिकारी लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समाचीन समझता है कि वह आदेश द्वारा किसी भी केबल ऑपरेटर को ऐसे किसी विज्ञापन का प्रसारण या पुनः प्रसारण करने से निषेध कर सकता है, जो निर्धारित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के अनुरूप नहीं है तथा जिससे विभिन्न धर्म, प्रजाति, भाषायी या क्षेत्रीय समूहों जातियों या समुदायों के मध्य धर्म, प्रजाति, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर या किसी भी अन्य आधार पर शत्रुता या सामंजस्य या शत्रुता की भावना, घृणा या द्वेश उत्पन्न होने की संभावना हो, जिससे लोक शांति भंग हो। अधिनियम की धारा 22, अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु केन्द्र सरकार को सशक्त बनाती है। अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार नियम

बनाने में समर्थ है, जिन्हें केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 (संक्षिप्त में "नियमों") कहा जाता है। नियमों के नियम 7 में यह उपबंध है कि जब कोई विज्ञापन किसी केबल सर्विस द्वारा प्रसारित किया जाता है तो वह इस प्रकार अभिकल्पित होना चाहिए कि वह देश के कानून के अनुरूप हो तथा उसे ग्राहकों की नैतिकता, शालीनता और धार्मिक संवेदनशीलता को आघात नहीं पहुँचाना चाहिए। इसके साथ-साथ, उप नियम (2) यह उपबंध करता है कि ऐसे किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी जो कि किसी प्रजाति, जाति, रंग, पंथ और राष्ट्रीयता का उपहास करता हो, जो भारत के संविधान के किसी उपबंध के विरूद्ध हो और किसी भी प्रकार से लोगों को अपराध करने के लिए भड़काए, अव्यवस्था और हिंसा का कारण बने या कानून का उल्लंघन करे या हिंसा या अश्लीलता को महिमामंडित करे। पुनः उप नियम (3) में यह उपबंध है कि ऐसे किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसका विषय पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से धार्मिक या राजनीतिक प्रकृति का है, विज्ञापनों को किसी धार्मिक या राजनीतिक लक्ष्य की ओर निर्दिष्ट नहीं होना चाहिए । इस पृष्ठभूमि में अब हम निम्नलिखित आदेश पारित करने का प्रस्ताव करते हैं:-

प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दल तथा निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी जो टेलीविजन चैनल और/या केबल नेटवर्क पर विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव करता है, उसे ऐसे विज्ञापन के प्रसारण के प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व निर्वाचन आयोग अभिहित अधिकारी (निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अभिहित) के पास आवेदन करना होगा। किसी अन्य व्यक्ति या अरजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के मामले में, उन्हें प्रसारण की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व आवेदन करना होगा । ऐसे आवेदन के साथ, प्रस्तावित विज्ञापन की इलैक्ट्रानिक फार्म में दो प्रतियों के साथ उसके विधिवत रूप से अनुप्रमाणित प्रतिलेखन को संलग्न किया जाएगा। प्रथम चरण के निर्वाचनों के मामले में आवेदन का निपटान उसकी प्राप्ति के दो दिन के भीतर किया जाएगा और जब तक उस पर निर्णय नहीं ले लिया जाता, तब तक 2 अप्रैल, 2004 का हमारा आदेश लागू रहेगा। बाद के चरण के निर्वाचन के मामले में आवेदन का निपटान उसकी प्राप्ति के तीन दिन के भीतर किया जाएगा और जब तक उस पर निर्णय नहीं ले लिया जाता, 2 अप्रैल, 2004 का हमारा आदेश लागू होगा। ऐसे आवेदनों का निपटान करते समय निर्वाचन आयोग/पदाभिहित अधिकारी विज्ञापन के किसी भी भाग को हटाने/संशोधित करने का निदेश देने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

प्रमाणन के लिए आवेदन में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे :-

(क) विज्ञापन बनाने की लागत;

(ख) विज्ञापनों के अन्तर्वेशनों की संख्या के अंतराल और ऐसे प्रत्येक अन्तर्वेशन के लिए प्रभारित की जाने वाली प्रस्तावित दरों के साथ किसी टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रसारण की अनुमानित लागत;

(ग) इसके साथ यह कथन भी संलग्न होगा कि क्या शामिल किया गया विज्ञापन अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों)/दलों के निर्वाचन की संभावनाओं को लाभ पहुँचाने के लिए है ;

(घ) यदि विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है, तो उस व्यक्ति को यह शपथ लेनी होगी कि वह किसी राजनीतिक दल या किसी अभ्यर्थी के लाभ के लिए नहीं है तथा यह कि उक्त विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या किसी अभ्यर्थी द्वारा आयोजित या अधिकृत या खरीदा गया नहीं है; और

(ड.) एक कथन कि सभी भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाएंगे ।

हम पाते हैं कि अधिनियम की धारा 2 (क) "प्राधिकृत अधिकारी" को अधिकारिता क्षेत्र की उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर (क) जिला मजिस्ट्रेट, (ख) उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट, या (ग) पुलिस आयुक्त के रूप में परिभाषित करता है । इसी प्रकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28 क में यह उपबंधित है कि किसी निर्वाचन के संचालन के लिए इस भाग के अधीन रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी तथा राज्य सरकार अस्थाई रूप से अभिहित पुलिस अधिकारी, ऐसे निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना की तिथि से प्रांरभ होने वाली तथा ऐसे निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तिथि को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे, और तद्नुसार ऐसे अधिकारी इस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अध्यधीन रहेंगे।

चूंकि, विभिन्न केबल नेटवर्क और टेलीविजन चैनलों पर सभी विज्ञापनों को पहले से ही नियंत्रित (सेंसर) करना निर्वाचन आयोग के लिए प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है, अतः यह आवश्यक हो गया है कि निर्वाचन आयोग को यह प्राधिकार दिया जाए कि वह इस संबंध में अपनी शक्तियों को सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के सम्बन्धित जिला मजिस्टेट या राज्य प्रांतीय सिविल सेवा के सदस्य से कम श्रेणी के न हों। यह निर्वाचन आयोग द्वारा एक सामान्य आदेश जारी करके किया जा सकता है। ये अधिकारी निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन कार्य करेंगे। निर्वाचन आयोग

अपनी ओर से अपनी शक्तियों को प्रत्येक राज्य या संघ राज्य-क्षेत्रों, जो भी मामला हो, के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है।

प्रत्येक राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, किसी विज्ञापन को प्रमाणन प्रदान करने या न करने से सम्बन्धित किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी या किसी अन्य व्यक्ति की शिकायतों का निपटान करने के लिए एक समिति नियुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से नियुक्त समिति अपने निर्णय की सूचना निर्वाचन आयोग को देगी।

इस प्रकार गठित समिति, भारत निर्वाचन आयोग के पूर्ण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगी।

समिति द्वारा दिया गया निर्णय, उपरोक्त कथन के अध्यधीन इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन के लिए आवेदन करने वाले राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों या किसी अन्य व्यक्ति के लिए बाध्यकारी होगा और उनके द्वारा इसका अनुपालन किया जाएगा।

विलोपन या संशोधन, जो भी मामला हो, के लिए की गई टिप्पणियां और समुक्तियां, ऐसी संसूचना की प्राप्ति के 24 घण्टों के भीतर सम्बन्धित राजनीतिक दल या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या किसी अन्य व्यक्ति के लिए बाध्यकारी रहेंगी और उनके द्वारा इसका अनुपालन किया जाएगा तथा इस प्रकार संशोधित विज्ञापन समीक्षा और प्रमाणन के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।

हम स्पष्ट करते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के उपबंध, इस आदेश के अधीन शामिल विज्ञापन के लिए लागू होंगे।

यदि कोई राजनीतिक दल, अभ्यर्थी या कोई अन्य व्यक्ति समिति या अभिहित अधिकारी/निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय से यह समझता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो वे इसके लिए स्वतंत्र होंगे कि वे स्पष्टीकरण या उपयुक्त आदेश के लिए केवल इसी न्यायालय में आएं तथा कोई भी अन्य न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण ऐसे विज्ञापन के विरूद्ध शिकायत से सम्बन्धित किसी याचिका पर विचार नहीं करेगा। यह आदेश 16 अप्रैल, 2004 से प्रवृत्त होगा और 10 मई, 2004 तक प्रवृत्त रहेगा।

यह आदेश , भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है और यह उन सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, व्यक्तियों, व्यक्तियों के समूह या ट्रस्ट को सम्मिलित करेगा, जो केबल आपरेटरों के साथ-साथ केबल नेटवर्क और/या टेलीविजन सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव करते हैं।

निर्वाचन आयोग ऐसे कर्मचारियों की मांग करने के लिए स्वतंत्र है जो ऐसे विज्ञापनों के प्रसारण का अनुवीक्षण करने के लिए आवश्यक है। जहां निर्वाचन आयोग की संतुष्टि हो जाती है कि इस आदेश या अधिनियम के किसी उपबंध का अतिक्रमण किया गया है तो वह अतिक्रमण करने वाले को ऐसा अतिक्रमण तत्काल रोकने के लिए आदेश जारी करेगा और वह उपस्करों का प्रत्यक्ष अभिग्रहण करने के लिए भी स्वतंत्र होगा। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा प्रत्येक आदेश का तत्काल अनुपालन किया जाएगा, जिनके लिए ऐसा आदेश पारित किया गया है।

निर्वाचन आयोग को, विज्ञापनों के अनुवीक्षण की लागत की पूर्ति के लिए निधि भारत संघ द्वारा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भारत संघ द्वारा इस आदेश का पर्याप्त प्रचार किया जाएगा।

यह आदेश, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 2 अप्रैल, 2004 को पारित आदेश के क्रम में है तथा एक अतंरिम उपाय के रूप में 10 मई, 2004 तक प्रवर्तन में रहेगा।

उपर्युक्त आदेश के अध्यधीन आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 23 मार्च, 2004 के निर्णय पर रोक लगी रहेगी। यह आदेश, अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार की शक्तियों के अल्पीकरण के रूप में नहीं, बल्कि इसके अतिरिक्त पारित किया जा रहा है।"

6. अतः, अब माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निदेशों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग निम्नलिखित निदेश देता है :-

(i) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली को एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों को मिलाकर एक समिति गठित करें, जो इसमें पैरा (ii) में उल्लिखित राजनीतिक दलों और संगठनों के आवेदनों का निपटान करेगी :-

(क) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी - अध्यक्ष।

(ख) दिल्ली में किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर।

(ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से एक विशेषज्ञ मांगा जाए, जो प्रथम श्रेणी से कम स्तर का अधिकारी न हो।

(ii) उपर्युक्त समिति किसी टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क में प्रसारित किए जाने वाले किसी विज्ञापन के प्रमाणन के लिए निम्नलिखित द्वारा दिए गए आवेदन पर विचार करेगी :

(क) वे सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल, जिनका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में है।

(ख) वे सभी संगठन या संघ या व्यक्ति, जिनका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में है।

(iii) प्रत्येक अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन निर्वाचन अधिकारी को एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे नीचे पैरा (iv) में उल्लिखित राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा दिए गए आवेदनों के निपटान के लिए निम्नलिखित समिति गठित करें :-

(क) अपर/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी - अध्यक्ष

(ख) राज्य की राजधानी में स्थित किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर

(ग) एक विशेषज्ञ के रूप में कम से कम प्रथम श्रेणी के एक अधिकारी को सूचना व प्रसारण मंत्रालय से मांगा जाएगा।

(iv) उपर्युक्त पैरा (iii) में गठित समिति निम्नलिखित द्वारा टेलीविजन चैनल तथा केबल नेटवर्क पर विज्ञापन के लिए प्रमाणन हेतु आवेदनों पर विचार करेगी :-

(क) वे सभी पंजीकृत राजनैतिक दल, जिनका मुख्यालय उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में है।

(ख) उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालयों वाले सभी संगठन या व्यक्तियों के समूह या संघ।

(v) देश में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को एतद्द्वारा उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से ,जहाँ ऐसे पदाभिहित अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर हैं, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी जो उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं द्वारा केबल नेटवर्क या टेलीविजन चैनल पर जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदन पर विचार करने के उद्देश्य से पदाभिहित अधिकारियों के रूप में घोषित किया जाता है। कथित रिटर्निंग ऑफिसर आवेदनों के प्रमाणन के कार्य में अपनी सहायता के लिए राज्य प्रांतीय सिविल सेवा से संबंधित कम

से कम उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट श्रेणी के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को सहयोजित कर सकता है।

7. प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का मुख्य निर्वाचक अधिकारी किसी विज्ञापन को प्रमाणीकरण प्रदान करने या अस्वीकार करने के निर्णय के संबंध में किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी या किसी अन्य व्यक्ति की शिकायतों पर विचार करने के लिए निम्नलिखित समिति का गठन करेगा:

(i) मुख्य निर्वाचक अधिकारी - अध्यक्ष

(ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैनात प्रेक्षक

(iii) उपर्युक्त पैरा 6 (i) व 6 (iii) में उल्लिखित विशेषज्ञ के अलावा समिति द्वारा एक अन्य विशेषज्ञ को सहयोजित किया जाएगा।

8- पंजीकृत राजनीतिक दलों तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदन ऐसे विज्ञापन का प्रसारण प्रारंभ करने की तिथि से कम से कम तीन दिन पहले, उक्त पैरा 6(i) तथा 6(iii) में उल्लिखित समिति का पैरा 6(iv) में यथा उल्लिखित पदाभिहित अधिकारी को यथा स्थिति प्रस्तुत किया जाएगा। निर्वाचन के प्रथम चरण के मामले में ऐसे आवेदनों का निपटान उनकी प्राप्ति के दो दिनों के भीतर किया जाएगा तथा यदि इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय का दिनांक 02-04-2004 का आदेश लागू होगा।

9- जब किसी अन्य व्यक्ति या गैर पंजीकृत राजनीतिक दलों द्वारा विज्ञापन के प्रमाणन के लिए कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो इसे प्रसारण की तिथि से सात दिन पूर्व दिया जाना चाहिए।

10. ऐसा प्रत्येक आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ **संलग्नक'क'** में विहित आरूप में प्रस्तुत किया जाए:-

(i) इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तावित विज्ञापन की दो प्रतियाँ उसके विधिवत अनुप्रमाणित लिप्यंकन सहित

(ii) प्रमाणन के लिए आवेदन में निम्नलिखित विवरण होना चाहिए :-

(क) विज्ञापन की निर्माण लागत;

(ख) टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रसारण की अनुमानित लागत दिखाए जाने की अवधि के विवरण तथा प्रत्येक सन्निवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली प्रस्तावित दर सहित;

(ग) इसके साथ यह वक्तव्य दिया जाएगा कि क्या यह विज्ञापन अभ्यर्थियों/दलों के निर्वाचन की संभावना के हितों के लिए दिखाया गया है;

(घ) यदि यह विज्ञापन अभ्यर्थी या राजनीतिक दल को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी कराया गया है, तो वह व्यक्ति यह शपथ लेगा कि यह राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के हित लाभ के लिए नहीं है तथा यह कि कथित विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा प्रायोजित या जारी या भुगतान नहीं किया गया है;

(ङ) एक वक्तव्य कि सारा भुगतान चैक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा।

11. किसी विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय उपर्युक्त पैरा 6(i) तथा 6(iii) में यथागठित समितियां या उक्त पैरा 6(V) में पदाभिहित अधिकारी या उपर्युक्त पैरा 7 में यथागठित पुनरीक्षण समिति, उस विज्ञापन के किसी भाग के सीधे विलोपन/संशोधन का निदेश देने के लिए स्वतंत्र होगी। विलोपन तथा संशोधन के लिए टिप्पणियां व प्रेक्षण करने वाला ऐसा प्रत्येक आदेश बाध्यकर होगा और इसकी प्राप्ति के 24 घण्टों के भीतर संबंधित राजनीतिक दल या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या किसी अन्य व्यक्ति को इसका अनुपालन करना होगा। इस प्रकार संशोधित किया गया विज्ञापन पुनरीक्षण तथा प्रमाणन के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।

12. जहां उक्त पैरा 6(i) तथा 6(iii) में गठित समितियाँ या पदाभिहित अधिकारी या उपर्युक्त पैरा 7 में गठित पुनरीक्षण समिति, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि वह विज्ञापन विधि की अपेक्षाओं को पूरा करता है तथा उपर्युक्त पैरा 4 व 5 में यथा कथित उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार है, तो इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए कि संबंधित विज्ञापन प्रसारण के लिए उपयुक्त है। इस प्रमाण प्रत्र का आरूप **अनुलग्नक ख** में दिया गया है।

13. उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 अप्रैल, 2004 के आदेश में समाहित निदेशों का प्रत्येक संबंधित को सख्ती से पालन करना चाहिए तथा ये 10 मई, 2004 तक लागू रहेंगे और ये सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, व्यक्तियों के समूह या ट्रस्ट, जो केबल नेटवर्क तथा/या टेलीविजन चैनलों व साथ ही केबल संचालकों सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वह विज्ञापन दिखाए जाने का प्रस्ताव करते हैं, के लिए बाध्यकारी होंगे।

आदेश से,

(के.एफ.विलफ्रेड)
सचिव

अनुलग्नक-क

विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदन

I.

(i) आवेदक का नाम और पूरा पता

(ii) क्या यह विज्ञापन किसी राजनीतिक दल/निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी/किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/ संघ/संगठन/न्यास द्वारा दिया गया है (नाम लिखें)

(iii) (क) यदि राजनीतिक दल है, तो उसकी स्थिति (क्या यह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय /राज्य/गैर मान्यता प्राप्त दल है)।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी है, तो उस संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जहाँ से निर्वाचन लड़ रहा है।

(iv) राजनीतिक दल/समूह या व्यक्तियों के निकाय/संघ/संगठन/न्यास के मुख्यालयों का पता।

(v) चैनलों/केबल नेटवर्कों के नाम, जिन पर इस विज्ञापन का प्रसारण प्रस्तावित है।

(vi) (क) क्या यह विज्ञापन किसी अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के संभावित निर्वाचन लाभ के लिए है।

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का नाम, पूरा पता तथा निर्वाचन क्षेत्र (क्षेत्रों) का नाम (नामों) लिखें।

(vii) इस विज्ञापन के प्रस्तुतीकरण की तिथि।

(viii) इस विज्ञापन की भाषा (भाषाएं) (विधिवत् अनुप्रमाणित लिप्यंतरण के साथ विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक रूप में दो प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा)।

(ix) विज्ञापन का शीर्षक

(x) विज्ञापन निर्माण की लागत

(xi) प्रसारित किए जाने की बारंबारता का विवरण व प्रत्येक बार दिखाए जाने की प्रस्तावित दर के साथ प्रस्तावित प्रसारण की अनुमानित लागत

(xii) संपूर्ण व्यय (रूपए में)

II.

मैं, श्री/श्रीमती ....., सुपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....(पूरा पता) .....

वचन देता/देती हूँ कि इस विज्ञापन के निर्माण तथा प्रसारण से संबंधित सारे भुगतान चैक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाएंगे।

स्थान :

दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर

III.

(किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को छोड़कर किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापन के लिए लागू)

मैं, श्री/श्रीमती ....., सुपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....(पूरा पता) .....

एतद्द्वारा स्पष्ट करता/करती हूँ कि इसके साथ प्रस्तुत विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के लाभ के लिए नहीं है तथा यह विज्ञापन किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा प्रायोजित, कमीशन प्राप्त या प्रदत्त नहीं है।

स्थान :
दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-ख

टेलीप्रसारण के लिए विज्ञापन का प्रमाणीकरण

I

(i) आवेदक/राजनीतिक दल/अभ्यर्थी/व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह/संस्था/संघ/ट्रस्ट का नाम और पता :

(ii) विज्ञापन का शीर्षक

(iii) विज्ञापन की अवधि :

(iv) विज्ञापन में प्रयोग की गई भाषा/भाषाएं :

(v) विज्ञापन के प्रस्तुतीकरण की तिथि :

(vi) दूरदर्शन प्रसारण के लिए प्रमाणन की तिथि :

II प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विज्ञापन माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रसारण के लिए उपयुक्त है ।

समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण

पदाभिहित/अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांकः

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग का पत्र सं.509/75/2004/जे.एस.I, दिनांक 22 जुलाई, 2004

विषय : टी.वी. चैनलों एवं केबल नेटवर्कों पर राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापनों के संबंध में आयोग का दिनांक 15 अप्रैल, 2004 का आदेश तत्संबंधी।

मुझे, उपर्युक्त विषय पर आयोग के दिनांक 15 अप्रैल, 2004 के समसंख्यक पत्र और उसके साथ संलग्न इसी दिनांक के आदेश का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। उक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 6679/04 में 13 अप्रैल, 2004 को पारित अंतरिम आदेश के अनुसरण में जारी किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 5 जुलाई, 2004 के आदेश के तहत निदेश दिया है कि उसका 13 अप्रैल, 2004 का आदेश आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा। दिनांक 5.7.2004 के आदेश की प्रति संलग्न है।

2. तद्नुसार, आयोग का दिनांक 15 अप्रैल, 2004 का आदेश संख्या 509/75/2004/जे.एस.I आगामी अनुदेश तक प्रभावी रहेगा। उक्त आदेश में उल्लिखित निदेशों का इस संबंध में आगामी अनुदेश जारी होने तक भावी निर्वाचन में कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए।

3. कृपया इसकी पावती भेजें।

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित भारत निर्वाचन आयोग का पत्र संख्या 509/75/2004/जे.एस.II/वोल्यूम II/ आरसीसी, दिनांक 21 नवंबर, 2008.

विषय : रेडियो पर राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापन के संबंध में ।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 20 नवम्बर, 2008 के पत्र सं0 1/04/2004-बी.सी/iv के तहत यह सूचित किया है कि रेडियो पर भी स्पॉट एवं जिंगल के रूप में राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों/व्यक्तियों द्वारा विज्ञापन देने के लिए व्यावसायिक विज्ञापन की संहिता में संशोधन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, आयोग ने इस आशय का आदेश जारी किया है कि दूरदर्शन चैनलों/केबल नेटवर्कों पर राजनीतिक विज्ञापन की जांच के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय में गठित समितियां, ऐसे निर्वाचनों से संबंधित आदर्श आचार संहिता के लागू रहने की अवधि के दौरान, लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों से जुड़े राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों/अन्य व्यक्तियों के विज्ञापनों की पूर्व प्रसारण संवीक्षा से संबंधित आवेदनों का निपटान भी करेंगी। आदेश की प्रति संलग्न है।

आदेश की प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की राज्य इकाइयों सहित ऐसे प्रत्येक राजनीतिक दल को भेजी जानी चाहिए, जिनका मुख्यालय आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में हो। अन्य संबद्ध प्राधिकारियों तथा आम जनता के सूचनार्थ इसका व्यापक प्रचार किया जाए।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।

ऊपर निर्दिष्ट आदेश की प्रति सहित इसकी प्रति सभी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनीतिक दलों को सूचनार्थ।

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग का दिनांक : 21 नवम्बर, 2008 का पत्र संख्या 509/75/2004/जे0एस0-।/वॉल्यूम-।।/आर.सी.सी

आदेश

विषयः- टी.वी. चैनलों एवं केबल टी.वी. नेटवर्कों पर राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापन रेडियो तक विस्तार, के संबंध में आयोग का दिनांक 15 अप्रैल, 2004 का आदेश।

1- एस.एल.पी (सिविल) सं0 6679/2004 (सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय बनाम मैसर्स जेमिनी टी.वी एंव अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.04.2004 के

आदेश के अनुसरण में, आयोग ने दिनांक 15 अप्रैल, 2004 को अपने आदेश सं0 509/75/2004/जे0एस0-I के द्वारा टी.वी. चैनलों तथा केबल टी.वी. नेटवर्कों पर राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों से संबंधित निदेश जारी किया था।

2- सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 20 नवम्बर, 2008 के अपने पत्र संख्या 1/04/2004-बीसी-IV के द्वारा यह सूचित किया है कि आकाशवाणी पर व्यावसायिक विज्ञापन के लिए संहिता के खण्ड-II (4) में निम्नलिखित परन्तुक को जोड़ते हुए संशोधन किया गया है-

"परन्तु राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों/किसी अन्य व्यक्ति से निर्धारित शुल्क की अदायगी पर स्पॉट एवं जिंगल के रूप में विज्ञापनों को केवल लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचनों/राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन/स्थानीय निकायों के साधारण निर्वाचन के संबंध में उस अवधि में स्वीकार किया जाएगा जब आदर्श आचार संहिता लागू हो। लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के संबंध में ऐसे विज्ञापन प्रसारण से पूर्व भारत निर्वाचन आयोग/निर्वाचन आयोग के अधीन प्राधिकरणों तथा स्थानीय निकायों के मामले में राज्य निर्वाचन आयोगों की संवीक्षा के अध्यधीन होंगे।"

3- उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए आयोग ने यह निदेश दिया है कि टी.वी. चैनलों तथा केबल टी.वी. नेटवर्कों पर राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापन से संबंधित दिनांक 15 अप्रैल 2004 का उनका आदेश किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लोकसभा अथवा विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन से जुड़ी उस अवधि के दौरान जब आदर्श आचार संहिता लागू हो, तब निजी एफ.एम. चैनलों सहित रेडियों के विज्ञापनों पर भी लागू होगा। तद्नुसार, रेडियो पर राजनीतिक प्रकृति के किसी विज्ञापन के प्रसारण के लिए, प्रसारण के प्रमाणीकरण के लिए आवेदन, प्रसारण से पूर्व संवीक्षा एवं विज्ञापन के प्रसारण की अनुमति देने के लिए संबद्ध राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में गठित किसी समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन उसी फार्मेट में प्रस्तुत किया जाएगा जो टेप/सी.डी. एवं प्रस्तावित विज्ञापनों की सत्यापित प्रतिलेख सहित टी.वी. चैनल/केबल/नेटवर्क पर विज्ञापन के लिए दिनांक 15.4.2004 के आदेश में निर्धारित हैं। विज्ञापनों के प्रमाणीकरण का फार्मेट भी वही होगा जो दिनांक 15.4.2004 के आदेश में निर्धारित हैं। इन आरूपों में "टेलीप्रसारण" को रेडियो पर विज्ञापनों के प्रयोजन के लिए प्रसारण के रूप में पढ़ा जाएगा।

4- इसे स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 15 अप्रैल, 2004 के आदेश में विनिर्दिष्ट अन्य सभी निदेश तथा शर्तें एवं विषय पर उत्तरवर्ती अनुदेश रेडियो पर राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रसारण पर लागू होंगे।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 509/75/2004-जेएस-I/आरसीसी/खंड.II दिनांक : 18 मार्च, 2009

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: टीवी चैनलों और केबल नेटवर्क तथा रेडियो पर राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापन - स्पष्टीकरण

महोदय/महोदया,

1. कृपया टीवी चैनलों और केबल नेटवर्क पर प्रसारण हेतु आवेदन-पत्रों के प्रमाणन की संवीक्षा करने के संबंध में आयोग के आदेश सं. 509/75/2004/जे.एस-I, दिनांक 15.04.2004 का संदर्भ देखें। उक्त आदेश के निदेशों को इसके बाद के आदेश दिनांक 21.11.2008 के द्वारा साधारण निर्वाचन की अवधि के दौरान रेडियों पर विज्ञापन देने के लिए लागू किया गया है।

2. दिनांक 15.04.2004 के उपर्युक्त संदर्भित आदेश के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के कार्यालय में स्थापित समिति दिल्ली में स्थित मुख्यालय वाले समस्त राजनैतिक दलों के आवेदन पत्र निपटाएगी। सभी सातों राष्ट्रीय दलों और कुछ राज्य दलों के कार्यालय दिल्ली में हैं। यह संभव है कि इन दलों की राज्य इकाईयां अलग-अलग राज्यों में भी आवेदन-पत्र प्रायोजित करें। ऐसे मामलों में, यह स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रीय दलों की राज्य इकाईयों द्वारा आवेदन-पत्रों को संबंधित राज्यों की समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। यद्यपि दिल्ली में स्थित मुख्यालय वाले राष्ट्रीय और राज्य दलों के केंद्रीय कार्यालयों के आवेदन-पत्रों की दिल्ली में स्थित समिति द्वारा जांच करना जारी रहेगा। किन्तु, राज्य दलों के मामले में, राज्यों में जहां उनके मुख्यालय हैं उन्हें छोड़कर, दलों के एककों के आवेदन-पत्रों का निपटान भी उन संबंधित राज्यों में स्थित समिति द्वारा किया जाएगा जहां राज्य की इकाईयां आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर रही हैं।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि टीवी और रेडियो दोनों पर विज्ञापनों के लिए व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी की प्रमुखता वाली समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

4. आयोग ने यह भी निदेश दिया है कि समिति द्वारा जब टेलीविजन पर प्रसारण/प्रसारण हेतु प्रमाणपत्र जारी किया जाए तो समिति द्वारा अनुमोदित प्रतिलेखन (लिप्यंतरण) की अभिप्रमाणित प्रति भी आवेदक को दी जानी चाहिए, और साथ ही साथ समिति को भी उस अनुमोदित प्रतिलेखन की एक प्रति और टेलीविजन पर प्रसारण/प्रसारण हेतु सामग्री की प्रमाणित प्रति की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति भी रखनी चाहिए।

5. इन अनुदेशों को सभी संबंधितों और आपके राज्य के राजनैतिक दलों, और मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दलों की राज्य इकाईयों की जानकारी में लाया जाए।

भवदीय,

(आर.के.श्रीवास्तव)
सचिव

सभी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दलों के अध्यक्ष और सचिवों को एक प्रति।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं.3/ईआर/2009/एसडीआर दिनांक : 19 मार्च, 2009

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचक अधिकारी

विषय : टीवी चैनलों, केबल नेटवर्क और रेडियो पर राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापन

महोदय/महोदया,

दिनांक 18 मार्च, 2009 के समसंख्यक पत्र के क्रम में आयोग टीवी चैनलों/केबल नेटवर्क/रेडियो पर राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणन के आवेदन-पत्रों के मामले में आयोग द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिए गए हैं:-

(i) यदि दिल्ली में स्थित मुख्यालय वाले राष्ट्रीय दल अथवा राज्य दल का कोई केंद्रीय कार्यालय बहु भाषाओं (हिंदी/अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाएं) में उसी विज्ञापन का प्रमाणन कराना चाहता है तो प्रमाणित प्रतिलेखन (अनुलेखन) सहित प्रत्येक भाषा में विज्ञापन की सामग्री मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के कार्यालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में आवेदक को विधिवत शपथ ग्रहण करने का घोषणा-पत्र, जैसा न्यायालयों में दिया जाता है, प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह उल्लिखित हो कि विज्ञापन का क्षेत्रीय भाषा में विवरण हिन्दी/अंग्रेजी के विज्ञापन का सही अनुवाद है और इसमें किसी भी त्रुटि के लिए आवेदक जिम्मेवार होगा।

(ii) यदि केवल दिल्ली में स्थित मुख्यालय वाले राष्ट्रीय दल अथवा राज्य दल का कोई केंद्रीय कार्यालय किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा(जिसके साथ संबंधित विज्ञापन का हिंदी/अंग्रेजी अनुवाद नहीं है) में विज्ञापन का प्रमाणन कराना चाहता है, तो इस आशय के आवेदन - पत्र को संबंधित राज्य (अर्थात वह राज्य जिसकी यह क्षेत्रीय भाषा है) के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(iii) राष्ट्रीय दलों और राज्य दलों, जिनके मुख्यालय दिल्ली में हैं, के केंद्रीय कार्यालयों के आवेदनों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के कार्यालय की समिति द्वारा प्रमाणित कोई भी विज्ञापन भारत के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में

टेलीकास्ट/प्रसारण हेतु मान्य होगा। ऐसे मामलों के लिए अन्य राज्यों की समितियों से अलग से कोई प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यद्यपि, दलों को दिल्ली की समिति से प्राप्त प्रमाण-पत्र की एक प्रति उन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को प्रस्तुत करनी होगी, जिन राज्यों में ऐसे विज्ञापनों को टेलीकास्ट/प्रसारित किया जाना प्रस्तावित है, एक प्रति इस आशय की घोषणा के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए कि यह दिल्ली की समिति द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सत्य प्रति है और इसे विज्ञापन के टेलीकास्ट/प्रसारण किए जाने से पहले संबंधित राज्य में मुख्य निर्वाचक अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

2.उपर्युक्त स्पष्टीकरण को राज्य के सभी प्राधिकारियों की सूचना में लाया जाए। इसकी एक प्रति मुख्य निर्वाचक अधिकारी के कार्यालय में इस प्रयोजन हेतु क्रियाशील स्क्रीनिंग समिति को भी दी जानी चाहिए।

भवदीय,

(के.एफ. विल्फ्रेड)
सचिव

प्रति: सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों एव समाजवादी पाटी, जे एण्ड के नेशनल पैन्थर्स पार्टी, जनता दल(सेक्यूलर) और जनता दल (यूनाइटिड), लोक जन शक्ति पार्टी, और ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0 491/मीडिया/2010 दिनांकः 08 जून, 2010

सेवा में,

सभी राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषयः- निर्वाचन के दौरान "पेड न्यूज" अर्थात मीडिया में खबरों के रूप में विज्ञापन पर रोक लगाने के उपाय।

महोदय/महोदया,

1. मुझे उपर्युक्त विषय तथा हाल ही में "पेड न्यूज" की घटनाओं, जिनके गंभीर निर्वाचन अनाचार के रूप में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं तथा जो स्वतंत्र एंव निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन के संदर्भ में आयोग के लिए चिंता का विषय बन गया है, पर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है। विभिन्न राजनीतिक दलों तथा मीडिया समूहों ने भी आयोग को इसी प्रकार की चिंता व्यक्त की है। आयोग के साथ विभिन्न दावा धारकों के साथ भिन्न-भिन्न स्तरों पर हुई वार्तालाप में इस प्रकार के अनाचार, जो कि मतदाताओं की स्वतंत्र इच्छाओं को अनुचित रूप में प्रभावित करने, धन के दुरूपयोग को बढ़ावा देने तथा निर्वाचनों में समान अवसरों को कम करने के संबंध में है, उन पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सर्वसम्मति दी है। पेड न्यूज की इस प्रक्रिया को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 तथा 123 (6) के प्रावधानों को, जो कि निर्वाचन व्ययों के लेखों की सीमा निर्धारित करते हैं और इस निर्धारित सीमा से अधिक व्यय को निर्वाचनों में भ्रष्ट आचरण बनाते हैं, इन्हें रोकने के प्रयत्न के रूप में देखा जा सकता है ।
2. आयोग ने विद्यमान प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अधिकतम निगरानी रखने के निदेश दिए हैं ताकि निर्वाचनों के संबंध में प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया में खरीदी गई खबरों या सेरोगेट (किराये के) विज्ञापन की घटनाओं को रोका जा सके। पेड-न्यूज की घटनाएं सामान्यतः किसी पार्टी या अभ्यर्थी विशेष की प्रशस्ति करते हुए अन्यथा विपक्षी दलों की निंदा करते हुए, न्यूज आर्टिकल अथवा रिपोर्ट के रूप में देखने को ही नहीं मिलती हैं, किंतु दोनों ही प्रकार से यह मतदाताओं को प्रभावित करने के अभिप्राय से किया जाता

है। एक से अधिक अखबारों/पत्रिकाओं में इसी प्रकार के न्यूज आर्टिकल/रिपोर्टिंग (कृत्रिम संशोधन) सामने आने पर परिस्थितिक साक्ष्य के रूप में इसे और अधिक बढावा मिलेगा, चूंकि इस प्रकार के समाचार प्रकाशन अभ्यर्थी/पार्टी के समाचार-पत्र के संपादक, प्रकाशक, वित्तपोषक इत्यादि के अधीन सांठ-गांठ के लिए हुई सौदेबाजी के नकद या अन्य किसी तरह के भुगतान के कोई सबूत नहीं होते।

3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 (क) के अधीन कानूनी प्रावधान के अंतर्गत किसी भी निर्वाचन विज्ञापन, पैम्फलेट इत्यादि के प्रकाशक के लिए प्रकाशक या मुद्रक का नाम व पता छापना आवश्यक होता है तथा ऐसा न करने पर दो वर्ष की सजा और या 2000/-रु0 तक का जुर्माना हो सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच के अनुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अनुमति के बिना, विज्ञापनों पर किया जाने वाला व्यय निषेध है । इस संबंध में दिनांक 16 अक्तूबर 2007 के आयोग के विस्तृत अनुदेश संख्या 3/9/2007/जे0एस0-।। देखे जाएं (प्रति संलग्न) । कथित अनुदेश अखबारों इत्यादि में सन्निविष्ट विज्ञापन के रूप में घोषित या विशिष्ट विज्ञापन कवर करते हैं तथा इस प्रकार के प्रकाशनों के लिए अदा की गई राशि का उल्लेख भी करते हैं परंतु पेड-न्यूज/सरोगेट खबरों के संबंध में इसका छदावरण खबर के रूप में किया जाता हैं चाहे यह विज्ञापन का प्रयोजन पूरा कर रहा हो तथा इस प्रकार के भुगतानों का कभी कभार ही उल्लेख किया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क (1) के प्रयोजनार्थ, 'निर्वाचन पैंफलेट या पोस्टर' का अर्थ किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को प्रोत्साहित करने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के प्रयोजनार्थ वितरित किए जाने वाले किसी भी प्रकार के प्रिंटेड पैंफ्लेट, हैंड बिल या अन्य दस्तावेज होते हैं । इस प्रकार से पेड-न्यूज भी 'अन्य दस्तावेजों' की श्रेणी में आते हैं तथा निर्वाचन पैंफ्लेट और पोस्टर में शामिल किए जाने के अधीन हैं तथा इस पर तदनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। अतः प्रिंट मीडिया में न्यूज रिपोर्टिंग के प्रत्यक्ष मामले में किसी विशेष अभ्यर्थी या पार्टी को समर्पित होने/लाभ पहुंचाने या अन्य अभ्यर्थियों/पार्टियों को अनदेखा करने/पक्षपात करने के मामले में जांच की जानी अपेक्षित है।

4. उपर्युक्त जांच के प्रयोजनार्थ आयोग ने निदेश दिए हैं कि निर्वाचनों की घोषणा होते ही सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर समितियों का गठन किया जाए, ताकि वे उन सभी प्रकाशित या जिले में परिचालित सभी समाचार पत्रों की ध्यानपूर्वक संवीक्षा कर सकें और निर्वाचन अवधि के दौरान छपने वाले न्यूज कवरेज के रूप में राजनीतिक विज्ञापनों का पता लगा सके। जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रिंट मीडिया में किसी भी रूप में प्रकाशित विज्ञापनों, जिसमें खबरों के रूप में सरोगेट विज्ञापन भी शामिल हैं, का ध्यानपूर्वक अनुवीक्षण करना चाहिए तथा जहाँ कही भी

आवश्यकता हो, अभ्यर्थियों/राजनीतिक पार्टियों को नोटिस दिए जाएं ताकि उन पर किए गए व्यय को संबंधित अभ्यर्थी/पार्टी के लेखों में विधिवत रूप से दिखाया जा सके।

5. इसी प्रकार से जिला समिति को जिले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आने वाली निर्वाचन खबरों/विशिष्टताओं इत्यादि पर नजर रखनी चाहिए। जब टेलीविजन/रेडियों चैनलों पर अभ्यर्थी के भाषण/गतिविधियों की असंगत कवरेज की जाती है तथा जो मतदाताओं को प्रभावित कर किसी विशेष अभ्यर्थी को निर्वाचक लाभ दिला सकती है और वही कवरेज कई चैनलों पर प्रदर्शित होती है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को एक नोटिस भेजना चाहिए कि वह यह स्पष्ट करे कि कवरेज को विज्ञापन क्यों नहीं माना जाए, तथा इस मामले को आयोग में रिपोर्ट करना चाहिए।

6. निर्वाचन लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा राजनीतिक दलों द्वारा विज्ञापनों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिए जाने से पूर्व इन सभी विज्ञापनों की समीक्षा, संवीक्षा और सत्यापन करने के लिए एस एल पी सी सं0 6679/2004 (सूचना और प्रसारण मंत्रालय बनाम मैसर्स जेमिनी टी वी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य) में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिणाम स्वरूप, आयोग ने पहले ही आदेश सं0 509/75/2004/न्या0अनु0-I, दिनांक 15 अप्रैल, 2004 जारी कर दिया है। पेड-न्यूज की उपर्युक्त परिघटनाएं समिति की जांच से बच निकलती हैं, यद्यपि यह अक्षरक्षः राजनैतिक विज्ञापन होता है और इसका उल्लेख अभ्यर्थियों की व्यय पुस्तकों के लेखाओं में भी नहीं होता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उन न्यूज रिपोर्टों, जिनकी प्रकृति राजनीतिक है, परन्तु जिन्हें राजनीतिक घोषित नहीं किया गया है, की भी संवीक्षा करने के लिए इन समितियों को सुदृढ़ करें। ऐसी समितियों की संस्तुति के आधार पर मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों/दलों को नोटिस जारी किया जा सकता है।

7. आयोग को ऐसे सभी मामलों की सूचना दी जानी चाहिए, जहां दलों/अभ्यर्थियों को पूर्वोक्त नोटिस जारी किए जाते हैं।

8. इस पत्र की पावती भेजी जाए तथा की गई कार्रवाई की सूचना आयोग को दी जाए।

भवदीय,

ह0/-
(तपस कुमार)
प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 491/मीडिया पॉलिसी/2010 दिनांक 23 सितम्बर, 2010

सेवा में,

सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषयः-निर्वाचनों के दौरान 'पेड न्यूज' अर्थात मीडिया में खबरों के रूप में विज्ञापन पर रोक लगाने के उपाय।

महोदय,

1. उपरोक्त विषय पर आयोग के दिनांक 08 जून 2010 के पत्र सं0 491/मीडिया/2009 के क्रम में, मैं दिनांक 30 जुलाई, 2010 के प्रेस कांउसिल ऑफ इंडिया संख्या पी आर/2/1011 की रिपोर्ट की प्रति एतद्द्वारा भेज रहा हूँ।

2. रिपोर्ट के निम्नलिखित अंशों पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा आवश्यक कार्रवाई की जाए :

(क) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने 'पेड न्यूज़' को "प्रतिफल के रूप में नकदी या किसी वस्तु के रूप में मूल्य चुकाने के लिए किसी मीडिया (प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक) में आने वाली कोई खबर या विश्लेषण" के रूप में परिभाषित किया है।

(ख) कांउसिल ने इस पत्र के साथ संलग्न रिपोर्ट के पृष्ठ 8 से 10 पर 1996 के अपने दिशा-निर्देशों पर विशेष बल दिया है । दिशा-निर्देशों के पैरा-1 में उल्लेख है कि " समाचार पत्रों से दूषित निर्वाचन प्रचार में शामिल होने, निर्वाचनों के दौरान किसी अभ्यर्थी/पार्टी या घटना के बारे में अतिश्योक्तिपूर्ण रिपोर्टों की अपेक्षा नहीं की जाती है। समाचार पत्र को, वास्तविक प्रचार पर रिपोर्ट करते समय किसी भी अभ्यर्थी द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोड़ना नहीं चाहिए और उसके या उसके प्रतिद्वंद्वी पर प्रहार नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार से पैरा -5 इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करता है कि प्रेस से किसी विशेष अभ्यर्थी / पार्टी के पक्ष में प्रचार करने की अपेक्षा नहीं की जाती। यदि यह ऐसा करता है, तो वह अन्य अभ्यर्थी / पार्टी को

जवाब देने के लिए उत्तरदायी होगा। "अतः उपर्युक्त दिशा - निर्देशों का पालन न करने से 'पेड न्यूज' की प्रथम दृष्टया जांच - पड़ताल का मामला बनना चाहिए।

3. रिपोर्ट के अन्य अंश सूचनार्थ है। आयोग द्वारा विशेष कार्रवाई, यदि कोई है, की जा रही है।

4. निर्वाचन अवधि के दौरान 'पेड न्यूज' की संवीक्षा के लिए जिला स्तरीय समिति की संरचना की जा रही है, इस समिति में निम्नलिखित अधिकारी होंगे :

(i) जिला निर्वाचन अधिकारी/उप-जिला निर्वाचन अधिकारी
(ii) डी पी आर ओ
(iii) केंद्रीय सरकार, सूचना एवं प्रसारण कर्मचारी (यदि जिले में कोई है तो)
(iv) प्रैस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुशंसित स्वतंत्र नागरिक/पत्रकार

5- उपर्युक्त को दिनांक 08 जून, 2010 द्वारा जारी अनुदेशों के क्रम में अतिरिक्त दिशा-निर्देश माना जाए तथा तदनुसार कार्रवाई की जाए।

भवदीय

(तपस कुमार)
सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं.3/1/2011/एसडीआर दिनांक : 03 फरवरी, 2011

सचिव,

विधि एवं न्याय मंत्रालय,

विधायी विभाग,

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

विषय : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन संचालन नियम 1961 के संशोधन हेतु प्रस्ताव

महोदय,

यह विधि में संशोधन हेतु समय-समय पर आयोग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के क्रम में है। आयोग की इच्छा है कि निम्नलिखित मुद्दों पर भी संशोधन करने की आवश्यकता है:

(i) अभ्यर्थियों द्वारा झूठा शपथ-पत्र दायर करने की शिकायत के संबंध में अधिनियम 1951 की धारा 125क में संशोधन ;

(ii) ''पेड-न्यूज़'' को भ्रष्ट आचरण अथवा निर्वाचन अपराध की श्रेणी में सम्मिलित किया जाए;

(iii) निर्वाचन व्यय की सीमा बढ़ाना;

<u>धारा 125क में संशोधन:</u>

धारा 125क नाम-निर्देशन पत्र दायर करने के संबंध में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थियों द्वारा झूठा शपथ-पत्र दायर करने के लिए दण्ड देने का उप-बंध करती है। यह धारा छह महीने का कारावास अथवा अर्थ दण्ड अथवा दोनों दण्डों का उपबंध करती है। एक लोक सेवक के समक्ष झूठी सूचना दायर करना भी भारतीय दंड संहिता की धारा 177 के अंतर्गत छह महीने तक के कारावास अथवा एक हजार रूपये का दंडनीय अपराध है। लोक प्रतिनिधित्व

अधिनियम में विशिष्ट रूप से यह उल्लिखित नहीं है कि झूठे शपथ-पत्र की शिकायत किस प्राधिकारी(प्राधिकरण) के द्वारा और किसके समक्ष दायर की जानी है। आपराधिक दंड संहिता की धारा 195 के अंतर्गत न्यायालय केवल संबंधित लोक सेवक अथवा किसी ऐसे लोक सेवक, जिसके अधीन वह प्रशासनिक रूप से कार्य कर रहा है, की लिखित शिकायत पर धारा 177(झूठी सूचना दायर करना) के अंतर्गत ऐसे अपराध का संज्ञान लेगा। इन उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने 02.06.2004 को एक परिपत्र (प्रति संलग्न) जारी करके निदेश दिया है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा दायर झूठे शपथ-पत्र के बारे में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष यदि कोई शिकायत दर्ज की गई है तो निर्वाचन अधिकारी को प्रथम दृष्टता शिकायत की सत्यता के बारे में संतुष्ट होने पर संबंधित अभ्यर्थी पर अभियोजन चलाने के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करनी चाहिए।

2.2 इलाहाबाद उच्च न्यायाल, लखनऊ बेंच में दायर एक याचिका (2005 की रिट याचिका सं. 3969-डा. सुब्रहम्णियम स्वामी बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य) में उच्च न्यायालय ने यचिका को रद्द करते हुए एक टिप्पणी की थी कि निर्वाचन के पश्चात निर्वाचन अधिकारी उस निर्वाचन हेतु अधिकारहीन अधिकारी बन जाता है। झूठे शपथ-पत्रों की कुछ शिकायतों के बारे में संबंधित अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय की उक्त टिप्पणियों पर विश्वास किया और निर्वाचन अधिकारियों ने भी अभ्यर्थियों के इस दावे को स्वीकार किया और इसके परिणामस्वरूप शिकायतें समाप्त की जाती हैं।

2.3 आयोग ने सिफारिश की है कि धारा 125क के अधीन इस आशाय की एक उप-धारा जोड़ी जाए कि अभ्यर्थी के नाम-निर्देशन के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा दायर शपथ-पत्र में झूठे विवरण के संबंध में यदि कोई शिकायत दर्ज करानी है तो शिकायतकर्ता को निर्वाचन की घोषणा की तिथि से 30 दिन के भीतर संबंधित निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उस शिकायत के साथ समर्थक दस्तावेज लगाने होंगे और निर्वाचन अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह समुचित अनुवर्ती कार्रवाई करे। यहां यह स्मरण किया जा सकता है कि वर्ष 2004 में भेजे गए प्रस्तावों में से आयोग का एक प्रस्ताव था झूठा घोषणा पत्र दायर करने के लिए दंड को बढ़ाकर न्यूनतम दो वर्ष का कारावास किया जाए।

<u>पेड-न्यूज़:</u>

3.1 प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने पिछले वर्ष के निर्वाचनों में पेड-न्यूज के मामलों की रिपोर्ट में सिफारिश की है कि पेड-न्यूज़ को भ्रष्ट कार्य माना जाए। रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है।

3.2 आयोग का मानना है कि 'पेड-न्यूज़' स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के संदर्भ में अत्यधिक दूषित भूमिका निभाता है। सामान्य रूप से लोग राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा दिए

जाने वाले विज्ञापनों से अलग समाचार संबंधी रिपोर्ट को अधिक महत्व देते हैं। पेड-न्यूज़ समाचारों की आड़ में होते हैं और निर्वाचकों को पूरी तरह से भ्रम में डालते हैं। समाचारों की आड़ में विज्ञापन प्रकाशित कराए जाते हैं। स्थिति को बदतर बनाने के लिए, इस संपूर्ण पद्धति में बेहिसाबी धन का प्रयोग होता है और कदाचार में लिप्त अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों के लेखाओं में कम निर्वाचन व्यय का उल्लेख किया जाता है। आयोग 'पेड-न्यूज़' को एक छलकपट के रूप में देखता है जो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और निर्वाचकीय प्रणाली पर विपरीत प्रभाव डालता है। इससे कड़ाई से निपटने की आवश्यकता है।

3.3 अत:, आयोग यह सिफारिश करता है कि किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अथवा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं पर पक्षपातपूर्ण ढंग से प्रभाव डालने के लिए 'पेड-न्यूज़' प्रकाशित करने और प्रकाशित करने में सहयोग देने को न्यूनतम दो वर्ष के कारावास के कड़े दंड सहित 1951 के अधिनियम के भाग vII के अध्याय III में एक निर्वाचन अपराध के रूप में सम्मिलित करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में उपबंध किए जाने चाहिएं।

<u>निर्वाचन व्यय की सीमा:</u>

4.1 निर्वाचन व्यय की विंद्यमान सीमा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 25 लाख रू. और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 10 लाख रू. के है। कुछ छोटे राज्यों के मामलों में यह सीमा थोड़ी सी कम है। यह सीमा वर्ष 2003 में नियत की गई थी। 4 अक्तूबर, 2010 को मान्यता-प्राप्त दलों के साथ आयोग द्वारा आयोजित बैठक में बहुत से दलों ने अपना मत दिया कि व्यय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए।

4.2 अब, सीमा को संशोधित किए हुए सात वर्ष से अधिक हो चुके हैं, अत: आयोग का विचार है कि व्यय सीमा की राशि को बढ़ाया जाए। वर्ष 2003 में व्यय सीमा के पिछले संशोधन के समय निर्वाचकों की संख्या लगभग 64.65 करोड़ थी। वर्ष 2010 की अंतिम नामावली के अनुसार निर्वाचकों की संख्या 73 करोड़ से अधिक है। अर्हक तिथि के रूप में 01.01.2011 के संदर्भ से नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात निर्वाचकों की संख्या 74 करोड़ को पार कर लेने का अनुमान है। इस प्रकार वर्ष 2003 से निर्वाचकों की संख्या लगभग 10 करोड़ तक बढ़ चुकी है। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान मूल्य सूचकांक में भी 1.6 गुणा वृद्धि हो चुकी है।

4.3 अत:, आयोग का प्रस्ताव है कि निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 90 के अंतर्गत निर्धारित व्यय सीमा को मूल्य मुद्रा-स्फीति सूचकांक की तद्नुरूपी वृद्धि के अनुसार बढ़ाया जाए। भिन्न राज्यों के लिए प्रस्तावित व्यय सीमा की राशि को इस पत्र के साथ संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

भवदीय,

(के.एफ.विल्फ्रेड)
सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0 491/मीडिया/2009 दिनांक 18 मार्च, 2011

सेवा में,

सभी राज्य एवं संघ
राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी
(ध्यानार्थ - असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल)

विषयः- निर्वाचनों के दौरान 'पेड न्यूज' की रोकथाम के उपाय अर्थात् मीडिया में खबरों की आड़ में विज्ञापन।

महोदय,

मुझे उक्त विषय पर आयोग के क्रमश: दिनांक 8 जून, 2010 और 23 सितम्बर, 2010 के पत्र सं0 491/मीडिया/2009 का संदर्भ लेने एवं यह कहने का निदेश हुआ है कि नीचे (ग) में दिए गए सदस्य के अतिरिक्त भारत सरकार के पृथक मीडिया विभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में तैनात भारतीय सूचना सेवा (आई आई एस) के एक अधिकारी को, पेड न्यूज पर जिला स्तर की मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के आदेशों के विरूद्ध अपीलों से संबंधित मामलों के निपटान के लिए राज्य स्तरीय समिति का सदस्य बनाया जाए।

अतः, राज्य स्तरीय समिति (टेलीविजन चैनल और केबल नेटवर्क पर विज्ञापन के प्रमाणन के लिए राजनीतिक पार्टियों और संगठनों द्वारा किए गए आवेदनों पर विचार के लिए) अब से निम्नलिखित संयोजन/गठन के साथ राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समिति कहलाएगी।

(क) अपर/संयुक्त मुख्य निर्वाचक अधिकारी - अध्यक्ष
(ख) राज्य की राजधानी में स्थित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का कोई रिटर्निंग अधिकारी ।
(ग) एक विशेषज्ञ, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अधिगृहीत कोई अधिकारी हो ।
(घ) ऊपर (ग) के विशेषज्ञ के अलावा भारत सरकार के मीडिया विभाग का प्रतिनिधित्व करता हुआ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में तैनात भारतीय सूचना सेवा का एक अधिकारी (अवर सचिव/उप सचिव के स्तर का) ।

भवदीय,

ह0/-
(यशवीर सिंह)
निदेशक

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0 491/मीडिया/2011(विज्ञापन) दिनांक 16 अगस्त, 2011

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ
राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषयः निर्वाचनों के दौरान राजनीतिक पार्टियों या उनके कार्यकर्ता/कार्यालय धारकों के स्वामित्व वाले टी वी/केबल चैनलों पर अभ्यर्थी के विज्ञापनों के बारे में दिशा-निर्देश।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग को राजनीतिक पार्टियों या उनके कार्यकर्ताओं/कार्यालय धारकों के स्वामित्व वाले टी वी/केबल चैनल नेटवर्क पर पेड-न्यूज या विज्ञापनों के सम्बन्ध में विभिन्न प्रसंग प्राप्त हुए हैं। ये शिकायतें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, जर्नलिस्टों या अन्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त हुई है। ऐसे दृष्टान्तों को निपटाने में एकरूपता लाने के लिए आयोग ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी करने के अनुदेश दिए हैं :-

लोक सभा या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, विधान सभा, जैसा भी मामला हो, की समाप्ति की तिथि से छह महीने पहले, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रसारित/परिचालित टी वी चैनलों/रेडियों चैनलों/समाचार पत्रों की सूची और उनके मानक दर कार्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जाने चाहिए और आयोग को अग्रेषित किए जाने चाहिए।

जिला और राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति अभ्यर्थी से संबंधित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सभी राजनीतिक विज्ञापनों का अनुवीक्षण करेगी और रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करेगी, जिससे वे अपने निर्वाचन व्यय के लेखों में मानक दर कार्ड पर आधारित अनुमानित व्यय शामिल करने के लिए अभ्यर्थी को नोटिस जारी करे, भले ही उन्होंने वास्तव में चैनल/समाचार पत्रों को किसी राशि का भुगतान न किया हो अर्थात् अन्यथा मामला 'पेड-न्यूज' का हो। इसमें उसकी निर्वाचकीय संभावना को प्रभावित करने के लिए अभ्यर्थी की ओर से किसी स्टार अभियानकर्ता या अन्यों द्वारा प्रचार भी शामिल है । नोटिस की एक प्रति निर्वाचन व्यय प्रेक्षक को भी चिह्नित की जाएगी।

संसदीय या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन होने पर उप निर्वाचनों की घोषणा होते ही संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मानक दर कार्ड प्राप्त किया जाएगा और उसके तुरन्त बाद मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति द्वारा समुचित कार्यवाही की जाएगी।

'पेड न्यूज' के मामले की तरह मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अभियान प्रारम्भ होने से पहले राजनीतिक दलों और मीडिया सदनों को उपरोक्त दिशा-निर्देशों के विषय में जानकारी देंगे।

मानक दर कार्ड के उपयोग से संबंधित कोई तकनीकी संदेह होने पर मामले को सलाह के लिए डी ए वी पी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार को निर्दिष्ट कर दिया जाएगा। इन अनुदेशों को पेड-न्यूज के दिनांक 8 जून, 2010, 23 सितम्बर, 2010 और 18 मार्च, 2011 के आयोग के पहले के परिपत्रों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

इसे शीघ्र सभी सम्बन्धित लोगों की जानकारी में लाया जाना चाहिए।

भवदीय,
ह0/-
(यशवीर सिंह)
निदेशक

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं.491/पेड-न्यूज़/2012/मीडिया दिनांक : 15 मार्च, 2012

आदेश

आयोग को, अन्य लोगों के अतिरिक्त, उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से 'पेड-न्यूज़' की शिकायतें और संदर्भ मिल रहे हैं जहां संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के विधान सभा निर्वाचन अथवा उप-निर्वाचन हुए थे। इस संबंध में राजनैतिक दलों, पत्रकारो और आम नागरिकों से भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

आयोग ने अपने पत्र सं. 491/मीडिया/2009, दिनांक 8 जून, 2010 और सं. 491/मीडिया पालिसी/2010 दिनांक 23 सितंबर, 2010 के द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियां(एमसीएमसी) गठित करने का निदेश दिया था। इसके पश्चात, दिनांक 18 मार्च, 2011 के पत्र के द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियां बनाने का भी निदेश दिया गया था। इस क्रम में आयोग ने दिनांक 16 जून, 2011 के आदेश के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग में एक समिति का गठन किया था। इस समिति को, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों/मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियों से प्राप्त 'पेड-न्यूज़' की शिकायतों/संदर्भों की जांच करने के लिए सुदृढ़ किया गया है, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैं:-

1. अपर महा निदेशक (न्यूज़), न्यूज़ सर्विस डिवीजन: ऑल इंडिया रेडियो, नई दिल्ली
2. अपर महानिदेशक, डीएवीपी, नई दिल्ली
3. प्रधान सचिव/सचिव(निर्वाचन व्यय के प्रभारी)
4. प्रधान सचिव (विधि)
5. प्रधान सचिव (राज्य/संघ राज्यों क्षेत्रों के प्रभारी जहां से संदर्भ प्राप्त हुआ है)
6. प्रधान सचिव (सीसी एंड बीई डिवीजन के प्रभारी)
7. निदेशक/प्रधान सचिव/उप-सचिव(मीडिया प्रभाग)-क्र. सं. 1 और क्रम सं. 2 पर संयोजक सदस्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के द्वारा किए गए नामांकन पर आधारित हैं।

उपर्युक्त समिति की भूमिका निम्नलिखित होगी :-

1. राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समितियों से प्राप्त संदर्भों(मामलों) की जांच करना।
2. आयोग में सीधे प्राप्त 'पेड-न्यूज़' के उन संदर्भों की जांच और संस्तुति करना जो किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित नहीं हैं।
3. भारत निर्वाचन आयोग में

   क) पेड-न्यूज, ख) दलों और अभ्यर्थियों के प्रस्तावित अभियान हेतु इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के प्रयोग से संबंधित मुद्दे, ग) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादि दोनों के द्वारा अनुसरण किए जाने हेतु 'क्या करें और क्या न करें' जैसे मुद्दों पर नीति निर्माण का समर्थन करना।
4. मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, संघ/राज्य सरकारों द्वारा आयोग को भेजा गया ऐसा कोई मामला जिसके लिए मीडिया के अनुवीक्षण करने का अनुरोध किया गया है।

आदेश से,

(यशवीर सिंह)
निदेशक

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0: 491/पेड न्यूज/2012/मीडिया दिनांक : 27 अगस्त, 2012

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

विषयः- निर्वाचनों के दौरान 'पेड न्यूज' अर्थात् मीडिया में खबरों की आड़ में विज्ञापन और संबंधित मामलों पर रोक लगाने के उपाय-संशोधित दिशा-निर्देश-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि एसएलपी (सी) सं0 6679/2004 (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम मै0 जैमिनी टीवी प्रा0 लि0 तथा अन्य) में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप आयोग ने दिनांक 15 अप्रैल, 2004 को आदेश संख्या 509/75/2004/जेएस-1 जारी किया है जिसमें राजनैतिक दलों या व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा सभी विज्ञापनों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शामिल किए जाने से पहले अग्र प्रदर्शन, संवीक्षण तथा सत्यापन के लिए समिति के गठन की अपेक्षा की गई है। आयोग ने अपने दिनांक 08 जून, 2010, 23 सितंबर, 2010, 18 मार्च, 2011 तथा 16 अगस्त, 2011 के समसंख्यक पत्रों द्वारा पेड न्यूज के मामलों पर रोक लगाने के अतिरिक्त कार्य को देखने के लिए निर्वाचन अवधि के दौरान प्रत्येक जिले में मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) गठित करने संबंधी और दिशा-निर्देश जारी किए थे।

दिनांक 08 जून, 2010 तथा उसके पश्चात् 'पेड न्यूज' पर आदेशों के आशोधन में, मुझे निम्नलिखित कहने का निदेश हुआ हैः-

1. जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी)

1.1 प्रत्येक जिले में निम्नलिखित सदस्यों के साथ जिला स्तरीय एमसीएमसी गठित की जाएगीः-

(क) जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के)

(ख) सहायक रिटर्निंग अधिकारी (कम से कम एसडीएम)

(ग) केंद्र सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी (यदि जिले में कोई है)

(घ) भारतीय प्रेस परिषद द्वारा यथा संस्तुत निर्दलीय नागरिक/पत्रकार

(ङ) डीपीआरओ/जिला सूचना अधिकारी/समकक्ष-सदस्य सचिव

1.1.1 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसार विज्ञापनों के प्रमाणन के प्रयोजनार्थ, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी (कम से कम एसडीएम के स्तर के) जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) के सदस्य होंगे। तथापि, 'पेड न्यूज' इत्यादि के मामलों की संवीक्षा के लिए जिला एमसीएमसी में 'ग' 'घ' और 'ङ' पर उल्लिखित तीन अतिरिक्त सदस्य होंगे।

1.1.2 यदि केंद्र सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी जिले में तैनात नहीं हैं तो जिला निर्वाचन अधिकारी अधिमानतः केंद्र सरकार के अधिकारी या राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी को जिले में तैनात कर सकते हैं।

1.1.2 यदि एमसीएमसी में शामिल करने के लिए पीसीआई नाम उपलब्ध नहीं करवा रही है तो जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं ही निर्दलीय वरिष्ठ नागरिक या पत्रकार, जो इच्छुक हों तथा जो पृष्ठभूमि और तटस्थता के रिकार्ड के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में उपयुक्त पात्र है, को नियुक्त कर सकता है।

1.1.3 सदस्य सचिव (डीपीआरओ/डीआईओ या समतुल्य) प्रांतीय राज्य सिविल सेवाओं से होना चाहिए।

1.2 समिति को दो भिन्न कार्य करने होंगेः-

(i) **विज्ञापनों का प्रमाणन,** जिसके लिए एमसीएमसी के दो विशिष्ट सदस्यों अर्थात् रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी को प्रमाणन हेतु ऐसे विज्ञापनों पर विचार कर उन पर निर्णय लेना होगा।

(ii) **शिकायतों/पेड न्यूज के मामले इत्यादि** की सभी सदस्यों द्वारा अनुवीक्षण व्यवस्था के जरिए **जांच करना।**

1.3 विज्ञापनों के प्रमाणन तथा पेड न्यूज पर रोक लगाने के कार्यों के निर्वहन के अतिरिक्त, मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन मीडिया संबंधी विनियमनों के प्रवर्तन में भी सहायता करेगी। अतः समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होगाः-

1.3.1 एमसीएमसी सभी प्रकार के मीडिया (उदाहरणार्थ, समाचार-पत्र, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, केबल नेटवर्क, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क इत्यादि) की निम्नलिखित हेतु बारीकी से जांच करेगी :-

(क) <u>पेड न्यूज के संदेहास्पद मामले</u> (यह पेड न्यूज के उन मामलों पर भी सक्रियतापूर्वक विचार करेगी, जो इसे व्यय प्रेक्षक द्वारा भेजे जाएंगें। यह रिटर्निंग अधिकारी को उनके निर्वाचन व्यय लेखों में डीआईपीआर दरों पर आधारित काल्पनिक व्यय या प्रकाशित सामग्री पर वास्तविक व्यय को शामिल करने (डीआईपीआर दरों के न होने पर, डीएवीपी दरों का प्रयोग किया जा सकता है) के लिए अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करने की सूचना देगी चाहे अभ्यर्थी ने चैनल/समाचार-पत्र को वह राशि दी हो या नहीं दी हो। नोटिस की एक प्रति व्यय प्रेक्षक को भी चिह्नित की जाएगी)।

(ख) <u>इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का अनुवीक्षण</u> (यह देखने के लिए कि क्या समिति द्वारा प्रमाणन के पश्चात् ही प्रसारण किया गया है)।

(ग) <u>निर्वाचन अनुवीक्षण दृष्टिकोण से अभ्यर्थियों के संबंध में अन्य मीडिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनैतिक विज्ञापनों का अनुवीक्षण,</u> (इसमें अभ्यर्थी की ओर से, स्टार प्रचारक(कों) द्वारा या अन्यों द्वारा अभ्यर्थियों की निर्वाचन संभावनाओं को प्रभावित करने के लिए अपील या विज्ञापन या प्रचार भी शामिल होगा।)

(घ) <u>प्रिंट मीडिया में विज्ञापन</u> (एमसीएमसी) यह जांच करेगी कि क्या विज्ञापन अभ्यर्थी की जानकारी में है या सहमति से दिए गए हैः किस मामले में यह अभ्यर्थी(र्थियों) के निर्वाचन व्ययों में डाला जाएगा; तथापि, यदि विज्ञापन अभ्यर्थी के आदेश के बिना दिया गया है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 171ज के उल्लंघन के लिए प्रकाशक के अभियोजन के लिए कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) यह जांच करना कि क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के अधीन यथा अपेक्षित किसी निर्वाचन पैंफ्लेट, पोस्टर, हैंड बिल तथा अन्य दस्तावेजों पर प्रकाशक तथा मुद्रक का नाम और पता लिखा गया है (यदि किसी मुद्रित सामग्री पर मुद्रक या प्रकाशक के नाम का उल्लेख नहीं है, तो एमसीएमसी आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस में लाएगी; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 के प्रयोजनार्थ **'पेड न्यूज' को भी 'अन्य दस्तावेजों' की श्रेणी में रखा जाएगा)**।

1.3.2 निर्वाचन विज्ञापनों के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा वहन व्यय या उस 'न्यूज' को प्रकाशित करने के लिए वहन वास्तविक व्यय, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणस्वरूप आवश्यक दस्तावेज लगाए जाते हैं, या 'पेड न्यूज' के मूल्यांकित मामलों में समिति द्वारा यथा आकलित काल्पनिक व्यय के संबंध में यह प्रत्येक अभ्यर्थी के बारे में निर्धारित फार्मेट (निर्धारित व्यय संबंधी दिशा निर्देशों के संलग्नक 12 के अनुसार) में लेखांकन दल को दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा इसकी प्रति रिटर्निंग अधिकारी एवं व्यय प्रेक्षक को भी भेजेगा।

1.3.3 एमसीएमसी, मीडिया अनुवीक्षण के लिए उचित तंत्र का सृजन करेगी और उसके लिए पर्याप्त जनशक्ति तथा मौलिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

2. राज्य स्तरीय एमसीएमसी

2.1 राज्य स्तरीय एमसीएमसी में निम्नलिखित अधिकारी होंगेः-

(क) मुख्य निर्वाचक अधिकारी, अध्यक्ष

(ख) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त कोई प्रेक्षक

(ग) समिति द्वारा सहयोजित एक विशेषज्ञ

(घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में तैनात भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के अधिकारी (अवर सचिव/उप सचिव के स्तर पर), जो कि उपर्युक्त (ग) पर उल्लिखित विशेषज्ञ से पृथक भारत सरकार के मीडिया विभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे।

(ङ) पीसीआई (यदि कोई है) द्वारा नामित निर्दलीय नागरिक या पत्रकार

(च) अपर/संयुक्त सीईओ, मीडिया प्रभारी (सदस्य सचिव)

2.1.1 यदि एमसीएमसी में शामिल करने के लिए पीसीआई नाम उपलब्ध नहीं करवा रही है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्वयं ही निर्दलीय वरिष्ठ नागरिक या पत्रकार, जो इच्छुक हों तथा जो पृष्ठभूमि और तटस्थता के रिकार्ड के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की राय में उपयुक्त पात्र हैं, को नियुक्त कर सकता है।

2.2 राज्य स्तरीय एमसीएमसी दो तरह के कार्य करेगीः-

(i) आयोग के दिनांक 15 अप्रैल, 2004 के उपरोक्त आदेश के अनुसार <u>विज्ञापनों के प्रमाणन</u> पर जिला तथा अपर/संयुक्त सीईओ दोनों से अपील पर निर्णय लेना।

(ii) जिला स्तरीय एमसीएमसी के निर्णय के विरुद्ध अपील पर <u>पेड न्यूज के सभी मामलों</u> या अपने आप से (स्वयं) उठाए गए मामलों की जांच करना, जिस मामले में यह संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करने का निदेश देंगे।

2.2.1 **विज्ञापनों के प्रमाणन पर अपील** को दिनांक 15 अप्रैल, 2004, के उपरोक्त आदेश में विनिर्दिष्ट तरीके से (क), (ख) तथा (ग) पर उल्लिखित सदस्यों द्वारा देखा जाना चाहिए, जबकि (घ), (ङ) तथा (च) पर दिए गए सदस्यों को पेड न्यूज के मामलों पर विचार करना चाहिए।

2.2.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग के आदेश दिनांक 15 अप्रैल, 2004 के अनुसार, जहां तक प्रमाणन का संबंध है, जिला एवं अपर/संयुक्त सीईओ समिति, दोनों की अपील केवल सीईओ की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय एमसीएमसी के समक्ष की जाएगी और उन्हीं के द्वारा निपटाई जाएगी, और इस संबंध में आयोग को कोई संदर्भ भेजने की जरूरत नहीं है।

3. **प्रमाणन पर अपर/संयुक्त सीईओ की समितिः**- विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आयोग के 15 अप्रैल, 2004 के आदेश के अनुसार गठित अपर/संयुक्त सीईओ की अध्यक्षता वाली समिति कार्य करती रहेगी, जैसा कि पूर्वोक्त आदेश में कहा गया है और 'पेड न्यूज' के मामलें उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आएंगें।

4. **पेड न्यूज पर राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समिति के निर्णय के विरुद्ध अपीलः-**

4.1 पेड न्यूज के मामले में राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समिति के निर्णय के विरूद्ध कोई भी अपील भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष की जाएगी। राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समिति, यदि आवश्यक समझे तो सलाह लेने के लिए आयोग को भी संदर्भ भेज सकती है। जब कभी भी पेड न्यूज मामले संबंधी शिकायतें आयोग को सीधी भेजी जाएंगी, आयोग ऐसे मामलों पर प्रारंभिक विचार-विमर्श करने के लिए उन्हें राज्य स्तरीय एमसीएमसी को अग्रेषित करेगा।

5. **पेड न्यूज संबंधी दिशा-निर्देश :-** पेड न्यूज के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जाए:

5.1 लोक सभा या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान सभा, जैसा भी मामला हो, के सामान्य अवसान की नियत तारीख से छह महीने पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में टेलीविजन चैनलों/रेडियो चैनलों/समाचार-पत्रों की सूची प्रसारित/परिचालित की जाएगी और उनके मानक रेट कार्ड हासिल किए जाएंगे और विज्ञापनों की दरें नियत करने के लिए सभी जिला स्तरीय एमसीएमसी को उपलब्ध करवाएं जाएंगें।

5.2 संसदीय या विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के उप-निर्वाचन के मामले में, उप-निर्वाचन की घोषणा होने के तुरंत बाद संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मानक रेट कार्ड हासिल किए जाएंगे।

5.3 यदि मानक रेट कार्ड को लागू रखने के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो उस मामले को डीआईपीआर अथवा डीएवीपी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार को सलाह हेतु भेज दिया जाएगा।

5.4 मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन अभियान प्रारंभ होने से पहले इन दिशा-निर्देशों की जानकारी सभी राजनैतिक दलों और मीडिया हाउस को देंगे। इस संबंध में मीडिया को आत्म-नियंत्रण अपनाने के लिए कहा जाएगा। आम जन को इन दिशा - निदेशों से अवगत कराने हेतु इस आदेश का व्यापक प्रचार किया जाएगा। ब्रीफिंग का जोर आत्म-नियंत्रण की आवश्यकता पर होना चाहिए।

5.5 संदिग्ध पेड-न्यूज अथवा विज्ञापन अथवा अपील के मामलों पर निम्नलिखित प्रकार से कड़ी समय-सीमा के भीतर निम्नानुसार विचार किया जाएगा :

5.5.1 जिला एमसीएमसी से संदर्भ मिलने पर, आरओ अभ्यर्थी को प्रकाशन/प्रसारण/टेलीकास्ट/शिकायत प्राप्त होने से 96 घंटे के भीतर नोटिस देगा कि वह 'न्यूज' अथवा उसी प्रकार की सामग्री के प्रकाशन हेतु किए गए व्यय का स्पष्टीकरण/खुलासा करे अथवा यह बताए कि मानक दर के अनुसार व्यय का परिकलन क्यों न किया जाए और अभ्यर्थी के व्यय में क्यों न जोड़ दिया जाए। एमसीएमसी द्वारा स्वयंमेव अथवा शिकायतों के आधार पर मामला लेने पर भी यही समय-सीमा लागू होगी।

5.5.2 जिला/राज्य स्तरीय एमसीएमसी उत्तर पर शीघ्र निर्णय लेगी और अपना निर्णय अभ्यर्थी/दल को भेज देगी। यदि नोटिस देने के 48 घंटे के भीतर अभ्यर्थी से जिला एमसीएमसी को कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो एमसीएमसी का निर्णय अंतिम होगा।

5.5.3 यदि जिला स्तरीय एमसीएमसी का निर्णय अभ्यर्थी को स्वीकार्य नहीं है, तो वह निर्णय प्राप्त करने के 48 घंटे के भीतर जिला स्तरीय एमसीएमसी को इसकी सूचना देते हुए, राज्य स्तरीय एमसीएमसी के समक्ष अपील कर सकता/सकती है।

5.5.4 राज्य स्तरीय एमसीएमसी अपील प्राप्त होने के 96 घंटे के भीतर मामले का निपटान करेगी और अपना निर्णय अभ्यर्थी को तथा इसकी एक प्रति राज्य स्तरीय एमसीएमसी को भेज देगी।

5.5.5 अभ्यर्थी इस समिति से आदेश प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर राज्य स्तरीय एमसीएमसी के निर्णय के विरूद्ध भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष अपील कर सकता है। भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

5.6 सम्पूर्ण प्रक्रिया, सामान्य तौर पर, निर्वाचन अवधि के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

6. यह पाया गया है कि कि कतिपय मामलों में पेड न्यूज के संबंध में बड़ी संख्या में नोटिस जारी कर दिए जाते हैं जबकि उन पर आगे की कार्रवाई लंबित पड़ी रहती है। एमसीएमसी यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक मामले पर समुचित विचार-विर्मश किया जाए और आरओ को अभ्यर्थी को नोटिस देने के लिए केवल ऐसे मामले भेजे जाएं, जो 'पेड न्यूज' के संदिग्ध मामले प्रतीत होते हों। एमसीएमसी को सुनिश्चित करना चाहिए कि छोटी-मोटी शिकायतों पर कार्यवाही न की जाए परंतु वास्तविक 'पेड न्यूज' की जांच करने में कोई कोताही न बरती जाए।

7. जहां "पेड न्यूज" के संदेहास्पद मामलों पर जिला स्तर/सीईओ स्तर/आयोग स्तर, जैसा भी मामला हो, पर "पेड न्यूज" के रूप में निर्णय हो जाता है तो वास्तविक/कल्पित व्यय संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के भाग के रूप में माना जाएगा और इसकी सूचना उसे अभ्यर्थी/उसके एजेंटों को विधिवत रूप से दी जाएगी।

8. जहां जिला/राज्य स्तरीय समिति या भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय हो जाता है कि यह एक पेड न्यूज का मामला है, तो ऐसे मामले की सूचना संबंधित मीडिया के संबंध में अग्रिम कार्रवाई के लिए भारत प्रेस परिषद को दी जाएगी।

भवदीय,

(राहुल शर्मा)
अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं0: 491/पेड न्यूज/2012/मीडिया दिनांक :9 अक्तूबर, 2012

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषयः- निर्वाचनों के दौरान 'पेड न्यूज' अर्थात् मीडिया में खबरों की आड़ में विज्ञापन और संबंधित मामलों पर रोक लगाने के उपाय-संशोधित दिशा-निर्देश-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे उपरोक्त विषय पर आयोग के दिनांक 27 अगस्त, 2012 के पत्र के अनुक्रम में यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त पत्र के पैरा 5.5.2 को आंशिक संशोधन के साथ अब इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए, "अभ्यर्थी जिला/राज्य स्तरीय एम सी एम सी से प्राप्त नोटिस का उत्तर नोटिस के प्राप्त होने से 48 घण्टे के अन्दर देगा। यदि निर्धारित समय के अंदर अभ्यर्थी से उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो एम सी एम सी का निर्णय अंतिम होगा। जिला/राज्य स्तरीय एम सी एम सी उत्तर प्राप्त होने पर शीघ्रातिशीघ्र और अधिमानतः 48 घण्टे के अन्दर अपना निर्णय देगी और अभ्यर्थी/दल को अपना अंतिम निर्णय सूचित करेगी।"

भवदीय,

(राहुल शर्मा)
अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 491/पेड-न्यूज़/2012/मीडिया 15 अक्तूबर, 2012

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : निर्वाचनों के दौरान 'पेड-न्यूज' अर्थात मीडिया में समाचारों की आड़ में विज्ञापनों और संबंधित मामलों के प्रकाशन पर रोक लगाने के उपाय-आशोधित दिशा-निदेश-संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे आयोग के दिनांक 27 अगस्त, 2012 के पत्र का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग के दिनांक 21 नवंबर, 2008(प्रति संलग्न) के आदेश में संदर्भित विज्ञापनों के प्रमाणन में टी.वी. चैनलों/केबल नेटवर्क और निजी एफएम चैनलों सहित रेडियों, जैसे पहले निदेश दिए जा चुके हैं, के अतिरिक्त **सिनेमा हॉल** में प्रदर्शित किए जाने वाले विज्ञापन भी सम्मिलित होंगे।

भवदीय,

(राहुल शर्मा)
अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 491/पी.एन./मीडिया/2013 दिनांक : 12 फरवरी, 2013

सेवा में,

सुश्री ऐन्नी जोसेफ,
महा-सचिव,
न्यूज़ ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन,
जूरीज हाउस, भूतल
22-इन्दर एन्कलेव, पश्चिम विहार,
नई दिल्ली - 110087

विषय : निर्वाचनों के दौरान 'पेड-न्यूज़' अर्थात मीडिया में समाचारों की आड़ में विज्ञापनों पर रोक लगाने के उपाय-संबंधी।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान हाल ही में 'पेड-न्यूज़' की घटनाओं की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जो कि एक गंभीर निर्वाचकीय कदाचार के रूप में सामने आया है। पेड-न्यूज़ को नकद भुगतान करके अथवा प्रतिफल के रूप में मीड़िया (प्रिंट एवं इलेक्टॉनिक) में कोई समाचार अथवा विश्लेषण प्रकाशित करने के रूप में परिभाषित किया गया है।'' स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के आयोजन के संदर्भ में आयोग हेतु यह चिंताजनक मुद्दा है। प्रसारण मीड़िया के बड़े वर्ग सहित कई राजनैतिक दलों और मीडिया समूहों ने भी इसी प्रकार की अपनी चिंता प्रकट की है। कई हितधारियों के द्वारा आयोग से विभिन्न प्लेटफार्मों पर वार्तालाप हुई और ऐसे कदाचार पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए सभी एकमत थे, क्योंकि यह कदाचार मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालता है, धन, बाहुबल को बढ़ावा देता है और निर्वाचनों में सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने में विध्न डालता है। इस कदाचार को रोकने के लिए आयोग ने विभिन्न उपाय किए हैं। पेड-न्यूज़ पर आयोग द्वारा जारी दिनांक 27 अगस्त, 2012 के विस्तृत दिशानिर्देशआपके तत्काल संदर्भ हेतु एतद्द्वारा संलग्न हैं।

यह भी अनिवार्य है कि इस निर्वाचकीय कदाचार में मीडिया हाउसिस(प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक दोनों) को शामिल होने से रोका जाए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया आयोग का एक महत्वपूर्ण हितधारक है और प्रिंट मीडिया पर नियंत्रण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पेड-न्यूज़ के स्थापित/सिद्ध मामलों में आयोग अभ्यर्थी के विरूद्ध समुचित कार्रवाई करता है और संलिप्त प्रिंट मीडिया हाउसिस के नाम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज देता है।

आयोग का विचार है कि पेड-न्यूज़ में संलिप्त प्रसारण मीडिया के मामलों को भी हमारी जांच समिति द्वारा पुष्टि करने के पश्चात आपके संघ को आगे आवश्यक कार्रवाई करने हेतु भेजा जाए। प्रसारण मीडिया से संबंधित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जैसा कोई अन्य प्राधिकरण न होने के कारण ऐसा किया जा रहा है।

आयोग आशा करता है कि एनबीए के सहयोग से प्रसारण मीडिया में पेड-न्यूज़ की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकेगी। इस मामले में आगे विचार करने से पहले आपसे शीघ्र उत्तर देने का अनुरोध है।

भवदीय,

(पद्मा आंगमों)
उप-सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 491/मीडिया नीति/2013 10 अक्तूबर, 2013

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
दिल्ली

विषयों: राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापनों के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपके दिनांक 09.10.2013 के पत्र का संदर्भ देने और आपके प्रश्नों का पैरा-वार निम्नलिखित उत्तर देने का निदेश हुआ है:

मद संख्या 1 और 2 पर स्पष्टीकरण

सार्वजनिक स्थानों पर राजनैतिक विज्ञापनों/अभियानों की सामग्री का श्रव्य-दृश्य प्रदर्शन करने के लिए आयोग के विद्यमान आदेशों के अंतर्गत प्रमाणन कराना आवश्यक होना चाहिए, जो नामित समिति द्वारा किया जाएगा।

मद संख्या 3 पर स्पष्टीकरण

ऐसे मामलों में जहां पंजीकृत दलों/समूहों/संस्थानों/संघों का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में नहीं है, किन्तु, वे दिल्ली में अपना टेली प्रसारण/ रेडियो प्रसारण करना चाहते हैं, ऐसे विज्ञापनों का प्रमाणन उस राज्य की मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति द्वारा किया जाना चाहिए, जहां दल निर्वाचनों में भाग ले रहा हो, जो मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है।

आपके पत्र से संबंधित अन्य मुद्दों पर स्पष्टीकरण आपको शीघ्र भेज दिया जाएगा।

भवदीय,

(राहुल शर्मा)
अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 491/पेड-न्यूज़/2014 07 फरवरी, 2014

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: निर्वाचनों के दौरान राजनैतिक विज्ञापनों का मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति द्वारा प्रमाणन- स्पष्टीकरण।

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय का संदर्भ देने और निर्वाचनों के दौरान राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणन के संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण देने का निदेश हुआ है:

1. सार्वजनिक स्थानों पर राजनैतिक विज्ञापनों/अभियानों की सामग्री का श्रव्य-दृश्य प्रदर्शन करने के लिए आयोग के विद्यमान आदेशों के अंतर्गत प्रमाणन कराना आवश्यक होना चाहिए, जो पद नामित समिति द्वारा किया जाए।
2. ऐसे मामलों में, जहां पंजीकृत दलों/समूहों/संस्थानों/संघों का उस राज्य में उनका मुख्यालय नहीं है, जहां वे अपना विज्ञापन टेलीकास्ट/प्रसारित करना चाहते हैं, उस विज्ञापन को राज्य की मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति द्वारा प्रमाणित कराया जाना चाहिए, जहां संबंधित दल निर्वाचन लड़ रहा है और अभियान सामग्री का प्रयोग करना चाहता है।
3. जहां तक आयोग के दिनांक 15.04.2004 का संबंध है, यह आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 अप्रैल, 2004 के आदेश, जिसमें यह निदेश दिया गया है कि टीवी चैनल का कोई भी केबल आपरेटर ऐसे किसी विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा जो देश की विधि के अनुरूप नहीं है, और किसी के विचारों की नैतिकता, शिष्टता और भावनाओं को ठेस पहुंचाता है अथवा शर्मनाक, घृणित और विद्रोही प्रकृति का है, के अनुसरण में आयोग द्वारा पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, किसी भी ऐसे विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी जो किसी वंश, जाति, रंग, धर्म, संप्रदाय और राष्ट्रीयता का उपहास उड़ाए तथा भारत के संविधान के किसी उपबंध के विरूद्ध हो, और

लोगों को अपराध के प्रति उकसाए, अव्यवस्था अथवा हिंसा फैलाए अथवा कानून का उल्लंघन करवाए अथवा किसी भी प्रकार से हिंसा अथवा अश्लीलता को बढ़ावा दे।

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखतें हुए प्रमाणन समिति (एमसीएमसी) ऐसे मामलों पर कार्रवाई कर सकती है। यद्यपि प्रमाणन कराने वाले सभी अभ्यर्थी/राजनैतिक दलों की जानकारी में यह भी लाया जाना चाहिए कि उनके विज्ञापन आदर्श आचार संहिता का भी पालन करें।

4. समिति, आवेदक को प्रमाण-पत्र जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (डिस्क्लेमर) भी शामिल करे - विज्ञापन में किए गए दावों और लगाए गए आरोपों की वास्तविकता और सत्यता के लिए संपूर्ण रूप से प्रकाशक/विज्ञापनदाता जिम्मेवार होगा। प्रमाणन समिति ऐसे विज्ञापन से होने वाली किसी नागरिक अथवा आपराधिक क्षति अथवा हानि अथवा नुकसान के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी अथवा जिम्मेवार नहीं होगी।
5. टीवी चैनलों और केबल नेटवर्क्स पर प्रसारण हेतु प्रमाणन के लिए आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करने से संबंधित आयोग के दिनांक 15 अप्रैल, 2004 के पत्र के संबंध में आयोग ने निर्णय लिया है कि राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन के आवेदन-पत्रों से निपटने के लिए गठित समितियां ऐसे सभी आवेदन-पत्रों का आवेदन की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर और यदि आवेदन-पत्र दोपहर 12 बजे से पहले प्राप्त हुआ है तो उसी दिन निपटान करेंगी और आवेदक को निर्णय की सूचना देने का पूरा प्रयास करेगी, जब तक कि ऐसा न कर पाने का कोई अपरिहार्य कारण न हो।
6. आयोग के दिनांक 27 अगस्त, 2012 के पत्र के पैरा 1.1.1 को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए-

''उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुसार विज्ञापनों के प्रमाणन के प्रयोजन हेतु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी(एसडीएम की श्रेणी से कम नहीं) मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति के सदस्य होंगे।''

भवदीय,

(राहुल शर्मा)
अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 491/पेड-न्यूज़/2014 26 फरवरी, 2014

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: प्रमाणन और पेड-न्यूज़ पर मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति का गठन - स्पष्टीकरण।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर आयोग के दिनांक 27 अगस्त, 2012 की ओर आकृष्ट करने और निम्नलिखित को स्पष्ट करने का निदेश हुआ हैं:-

(1) मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति का गठन/कर्तव्य निम्नलिखित होंगे:-

(i) पेड-न्यूज़ संबंधी मामलों की जांच के लिए, जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाता है जिसमें निम्नलिखित अधिकारी होते हैं:-

(क) जिला निर्वाचन अधिकारी

(ख) सहायक निर्वाचन अधिकारी (एसडीएम से कम नहीं)

(ग) केंद्रीय सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का अधिकारी(यदि जिले में कोई हो)

(घ) स्वतंत्र नागरिक/पत्रकार, जैसी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया द्वारा सिफारिश की जाए जिला निर्वाचन अधिकारी का नामिति (यदि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का नामांकन उपलब्ध नहीं है)।

(ड) डीपीआरओ/जिला सूचना अधिकारी/समतुल्य -सदस्य सचिव

(ii) राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणन हेतु, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे:-

(क) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी

(ख) सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम से कम नहीं)

उपर्युक्त (ii) पर उल्लिखित समिति के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणन के कार्य में उसे सहायता प्रदान करने के लिए उतनी संख्या में सदस्यों को

सहयोजित कर सकता है, जितनी संख्या उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में जिलों की है, ताकि प्रमाणन के मामले में सभी जिलों से विस्तृत विचार प्राप्त किए जा सके और उन्हें समान प्रतिनिधित्व भी मिल सके।

(2) सोशल मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापनों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी समाचार-पत्र के ई-पेपरों में जारी किए जाने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को भी उपर्युक्त (ii) पर उल्लिखित प्रमाणन समिति से पूर्व-प्रमाणन कराना आवश्यक होगा।

भवदीय,

(राहुल शर्मा)
अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 491/मीडिया पॉलिसी/2013 दिनांक : 07 मार्च, 2014

सेवा में,

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: निर्वाचनों के दौरान 'पेड-न्यूज़' अर्थात मीडिया में समाचारों की आड़ में विज्ञापनों पर रोक लगाने और संबंधित मामलों के उपाय-संशोधित दिशा-निर्देश-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आयोग के दिनांक 27.08.2012 के पत्र सं. 491/पेड-न्यूज़/2012/मीडिया का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि पेड-न्यूज़ के दिशानिर्देशोंमें आंशिक आशोधन किया गया है और संदर्भित पत्र के बिंदु सं.5.5.2 को अब निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा:-

'5.5.2-कारण बताओ नोटिस का उत्तर रिटर्निंग अधिकारी को भेजा जाएगा और यदि नोटिस देने के 48 घंटे के भीतर अभ्यर्थी से रिटर्निंग अधिकारी को कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति का निर्णय अंतिम होगा। जिला/राज्य स्तर की मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियां उस उत्तर पर अविलम्ब निर्णय लेंगी और रिटर्निंग अधिकारी ऐसे अंतिम निर्णय को अभ्यर्थी/दल को भेज देगा।'

भवदीय,

(राहुल शर्मा)
अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 491/मीडिया पॉलिसी/2013 दिनांक : 07 मार्च, 2014

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: निर्वाचनों के दौरान प्रसारण मीडिया द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे इसके साथ निर्वाचनों के दौरान प्रसारण मीडिया द्वारा पालन किए जाने के लिए न्यूज़ ब्राड कास्टिंग स्टैण्डर्डस अथारिटी द्वारा जारी दिनांक 3 मार्च, 2014 के दिशानिर्देशों की एक प्रति भेजने का निदेश हुआ है। इन दिशानिर्देशोंको तत्काल राज्यों/जिलों में सभी टीवी/रेडियो/केबल चैनलों की जानकारी में लाया जाए। ये निदेश राज्य/जिले की मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियों को भी उनके मार्गदर्शन और सूचनार्थ भेजी जाएं।

भवदीय,

(राहुल शर्मा)
अवर सचिव

(नोट: न्यूज़ ब्राडकास्टिंग स्टैण्डर्डस अथारिटी के दिनांक 3 मार्च, 2014 के विस्तृत दिशा-निदेश पृष्ठ 175 पर हैं।)

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 491/एमसीएमसी/2014(संचार) दिनांक : 15 मार्च, 2014

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : लोक सभा 2014 के साधारण निर्वाचन-राजनैतिक विज्ञापन का प्रमाणन।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त उदधृत विषय का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में, आयोग ने अपने दिनांक 15 अप्रैल, 2014 के आदेश के द्वारा राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणन के लिए सभी राज्यों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों में समितियों का गठन किया है। उस आदेश के अनुसार :-

1. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में दिल्ली में गठित समिति, उन सभी रजिस्टर्ड राजनैतिक दलों/समूहों/संस्थानों/संघों के राजनैतिक विज्ञापनों के आवेदन-पत्रों पर विचार करेगी, जिनके मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में हैं।
2. अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गठित समितियां, उन सभी रजिस्टर्ड राजनैतिक दलों/संस्थानों/समूहों संघों के राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणन के आवेदन-पत्रों पर विचार करेंगी, जिनके मुख्यालय उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, आयोग के दिनांक 19 मार्च, 2009 के पत्र के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि:
   (i) यदि दिल्ली में स्थित मुख्यालय वाले राष्ट्रीय दल अथवा राज्यीय दल का कोई केंद्रीय कार्यालय बहु भाषाओं (हिंदी/अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में) में उसी विज्ञापन का प्रमाणन कराना चाहता है, तो प्रमाणित प्रतिलेखन सहित प्रत्येक भाषा में विज्ञापन की सामग्री मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के कार्यालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
   (ii) यदि दिल्ली में स्थित मुख्यालय वाले राष्ट्रीय दल अथवा राज्यीय दल का कोई केंद्रीय कार्यालय किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा(जिसके साथ संबंधित विज्ञापन का हिंदी/अंग्रेजी अनुवाद नहीं है) में विज्ञापन का प्रमाणन कराना चाहता है, तो प्रमाणन की अपेक्षा के आवेदन - पत्र को संबंधित राज्य (अर्थात वह राज्य जिसकी यह क्षेत्रीय भाषा है) के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(iii) राष्ट्रीय दलों और राज्य दलों, जिनके मुख्यालय दिल्ली में हैं, के केंद्रीय कार्यालयों के आवेदनों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के कार्यालय की समिति द्वारा प्रमाणित कोई भी विज्ञापन भारत के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में टेलीकास्ट/प्रसारण हेतु मान्य होगा। ऐसे मामलों के लिए अन्य राज्यों की समितियों से अलग से कोई प्रमाणन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, आयोग ने अपने दिनांक 10.10.2013 के पत्र के द्वारा स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में जहां रजिस्टर्ड दलों/समूहों/संस्थानों/संघों के अपने मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में स्थित नहीं हैं, किंतु, अपने विज्ञापन दिल्ली में टेलीकास्ट/प्रसारित करना चाहते हैं, उनके विज्ञापनों के प्रमाणन पर उस राज्य की समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए, जहां पार्टी निर्वाचनों में भाग ले रही है।

अब, उपर्युक्त संदर्भ में, आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि विभिन्न राज्य दल जो उस राज्य से बाहर निर्वाचनों में भाग लेते हैं, जहां उनका मुख्यालय है और वे टीवी/रेडियो विज्ञापनों के लिए भिन्न भाषाओं का प्रयोग करना चाहते हैं, वे उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 2004 और आयोग के दिनांक 19 मार्च, 2009 के पत्र के संपूर्ण कार्यक्षेत्र के भीतर दिल्ली की उपर्युक्त समिति से ऐसे विज्ञापनों का प्रमाणन करा सकते हैं।

सभी संबंधितों की सूचना हेतु कृपया इसका व्यापक प्रचार किया जाए।

भवदीय,

(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 491/एमसीएमसी/2014(संचार) दिनांक: 11 अप्रैल, 2014

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

(दिनांक 05.04.2014 के पत्र सं. ईएलसी/102014-385-सीएचएच के संदर्भ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात के विशेष ध्यानाकर्षण हेतु)

विषय : राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन- तत्संबंधी

महोदय/महोदया,

आयोग के दिनांक 15 मार्च, 2014 के समसंख्यक पत्र (प्रति संलग्न) के आंशिक आशोधन में यह कहना है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसी भी राजनैतिक दल के मुख्यालय के स्थान पर ध्यान किए बिना उनके विज्ञापनों को स्वीकार करें और उनका पूर्व-प्रमाणन करें, बशर्ते कि वे विज्ञापन की भाषा को समझने में सक्षम हों।

भवदीय,

(राहुल शर्मा)
अवर सचिव

सं.491/एमसीएमसी/2014/संचार दिनांक: 24 मार्च, 2014

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापन का प्रमाणन-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

उद्धृत विषय पर मुझे आयोग के दिनांक 15.04.2004(प्रतिलिपि संलग्न) के पत्र द्वारा जारी आदेश को संदर्भित करने का निदेश हुआ है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.04.2004 के आदेश के परिणामस्वरूप जारी किया गया था। आयोग के उक्त आदेश के पैरा 5 में यह निदेशित किया गया था कि प्रत्येक पंजीकृत राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनीतिक दल एवं निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, जो टेलीविजन चैनल तथा/अथवा केबल नेटवर्क पर विज्ञापन जारी करना चाहते हैं, उन्हें निर्वाचन आयोग/ निर्वाचन आयोग द्वारा नामोद्दिष्ट अधिकारी को ऐसे विज्ञापन के प्रसारण के प्रस्तावित आरंभ किए जाने की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले आवेदन करना होगा और ऐसे आवेदन के साथ इसकी सम्यक रूप से अभिप्रमाणित प्रति सहित प्रस्तावित विज्ञापन की दो प्रतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में संलग्न की जाएंगी।

तद्नुसार आयोग ने जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समितियों (एमसीएमसी) की नियुक्ति की तथा सभी पंजीकृत राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दल, ऊपर निर्दिष्ट आयोग के उक्त आदेश का अनुसरण करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया(जिसमें टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, रेडियो तथा निजी एफएम चैनल, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो वीडियो डिस्प्ले तथा इंटरनेट) पर जारी किए जाने हेतु प्रस्तावित अपने राजनीतिक विज्ञापनों के प्रमाणन के लिए इन एमसीएमसी, जैसी भी स्थिति हो, से सम्पर्क करते हैं।

अब, राजनीतिक दलों/ अभ्यर्थियों को और अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, आयोग ने उक्त आदेश के पैरा-10(झ) में शिथिलता प्रदान करते हुए यह निर्णय लिया है कि विद्यमान प्रक्रिया को अपनाए जाने के अतिरिक्त, राजनीतिक दल/अभ्यर्थी, यदि वे ऐसा चाहें तो, वैकल्पिक प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं और प्रमाणन के लिए प्रस्तावित विज्ञापन की प्रतिलिपि पहले प्रस्तुत कर सकते हैं और समिति द्वारा प्रतिलिपि की जांच कर लिए जाने/अनुमोदित कर दिए जाने के पश्चात, पार्टी/अभ्यर्थी अंतिम रूप से प्रमाणन के लिए दूसरी बार इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइनल प्रोडक्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में, प्रत्येक स्तर के लिए समय-सीमा विद्यमान आदेश के अनुसार होगी।

इसे जिले तथा राज्यों में सभी एमसीएमसी के नोटिस में लाया जाए। इस बात पर विचार करते हुए कि एमसीएमसी का कार्य बढ़ने की संभावना है, इसीलिए समिति में आनुपातिक रूप से अतिरिक्त सहायक स्टॉफ की तैनाती की जाए।

भवदीय,

(राहुल शर्मा)
अवर सचिव

प्रतिलिपि: सभी मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल(संलग्न सूची के अनुसार)।

सं. 491/एमसीएमसी/2014(संचार) दिनांक : 12 अप्रैल, 2014

सेवा में,

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: टीवी चैनलों/केबल नेटवर्क/रेडियो पर राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापनों का पूर्व-सत्यापन कराने वाले व्यक्तियों के आवेदन-पत्रों के संबंध में दिशानिर्देश- स्पष्टीकरण।

महोदय/महोदया,

मुझे आपका ध्यान उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.04.2014 के आदेश के अनुसरण में जारी आयोग के दिनांक 15.04.2014 के आदेश की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है। इसमें एक स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति टीवी चैनलों/केबल नेटवर्क और रेडियो पर किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध विज्ञापन दे सकता है। इस संबंध में, मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.04.2014 (वर्ष 2004 की एसएलपी (सी)सं.6679 में) का आदेश, राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी के अतिरिक्त, किसी अन्य व्यक्ति को विज्ञापन देने से विशिष्ट रूप से निषेध नहीं करता है। तथापि, आदेश में यह अवश्य उल्लिखित है कि ऐसे व्यक्ति किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी के हित में विज्ञापन नहीं दे सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि किसी दल अथवा अभ्यर्थी के विरूद्ध भी विज्ञापन देने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करने पर अन्य दलों/अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। इस स्पष्टीकरण को सभी संबंधितों की सूचना में लाया जाए।

इससे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के दिनांक 04.04.2014 के पत्र सं. एफपीए/अपर.मु.नि.अ.(एनबी)/एमसीएम/2014/22248 द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का निपटान कर दिया गया है।

भवदीय,

(राहुल शर्मा)
अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 491/पेड-न्यूज़/2014 दिनांक : 22 अप्रैल, 2014

सेवा में,

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: निर्वाचनों के दौरान पेड.न्यूज़ पर रोक लगाने के उपाय - किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध पेड-न्यूज़ को निर्धारित करने की समय - अवधि - तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

आयोग के दिनांक 27.08.2012 के क्रम में, मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन दायर करने की तारीख से पेड-न्यूज़ के मामलों पर विचार किया जाए। इसे समस्त मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियों की सूचना में लाया जाए।

भवदीय,

(राहुल शर्मा)
अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 491/एमसीएमसी/2014(संचार) दिनांक : 25 अप्रैल, 2014

सेवा में

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: राजनैतिक विज्ञापन का प्रमाणन- तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त उद्धृत विषय पर आयोग के पत्र सं. 491/मीडिया पालिसी/2013 दिनांक 8 नवंबर, 2013 (प्रति संलग्न) के क्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यान्वयन संबंधी सभी मुद्दों और कुछ राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया है कि उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 अप्रैल, 2004 के आदेश के अनुसरण में जारी आयोग के दिनांक 15.04.2004 के मूल आदेश सं. 509/75/2004/जे.एस । द्वारा राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों के निपटान की समय सीमा के संबंध में आयोग द्वारा दिए गए निदेश प्रभावी रहेंगे। उसी के अनुसरण में, निर्वाचनों के पहले चरण में, वही समितियां, जिनका गठन राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों के निपटान के लिए किया गया था, ऐसे आवेदन-पत्रों का निपटान इनकी प्राप्ति के दो दिन के भीतर करेंगी और इसके बाद के निर्वाचनों के चरण के मामले में, आवेदन-पत्र का निपटान इनकी प्राप्ति से तीन दिन के भीतर किया जाएगा।

तथापि, राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु एवं विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन की प्रक्रिया में तेजी लाना सुनिश्चित करने हेतु मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियां सभी आवेदन-पत्रों का निपटान उसी दिन करने का प्रयास करेंगी, जैसा आयोग के दिनांक 8 नवंबर, 2013 पत्र सं. 491/मीडिया पालिसी/2013 के पत्र में परामर्श दिया गया था।

इसे सभी मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियों की सूचना में लाया जाए।

इस स्पष्टीकरण के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल के पत्र सं.3863/होम(इलेक्.) दिनांक 20.04.2014 के द्वारा भेजे गए अनुरोध का निपटान किया जाता है।

भवदीय,

(राहुल शर्मा)
अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं0 491/मीडिया नीति/2015/संचार दिनांक : 28 मई, 2015

आदेश

विषय : राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन-राजनैतिक प्रचार अभियान में बड़ी संख्या (बल्क) में एसएमएस/वॉयल मैसेज का प्रयोग-तत्संबंधी।

आयोग ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि राजनैतिक दल/अभ्यर्थी अपने निर्वाचन प्रचार अभियान में प्राय: बड़ी संख्या (बल्क) में एसएमएस/रिकार्ड वॉयस मैसेज का प्रयोग करते हैं। इसी तरह, उनके समर्थक/कार्यकर्ता एवं उनका समर्थन करने वाले अन्य संगठन भी उनकी ओर से निर्वाचन प्रचार अभियान करने के लिए उक्त तरीके का सहारा लेते हैं। मोबाइल के माध्यम से सामान्य एसएमएस गेटवे का प्रयोग करने के अलावा, एसएमएस एवं रिकार्ड मैसेज भेजने के लिए इंटरनेट को भी मोबाइल गेटवे से जोड़ा जाता है। राजनैतिक प्रचार अभियान में दुर्भावनापूर्ण एवं निन्दापरक सामग्रियों को भेजने के लिए कभी-कभी इस सुविधा का दुरूपयोग भी किया जा सकता है और इस प्रकार निर्वाचनों से संबंधित निर्वाचन एवं दंड विधि और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है। आयोग ने ऐसे बल्क एसएमएस का अनुवीक्षण पुलिस प्राधिकारियों द्वारा करने एवं अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखों में ऐसे बल्क एसएमएस का व्यय शामिल करने के संबंध में दिनांक 5/11/2008 के अपने पत्र सं. 464/अनुदेश/2008/ईपीएस के द्वारा पहले ही अनुदेश जारी कर दिए हैं (प्रति संलग्न)।

2. आयोग ने अब यह निर्णय लिया है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचकों को भेजे जाने वाले ऐसे बल्क एसएमएस की सामग्रियों का अनुवीक्षण किया जाना आवश्यक है ताकि इस माध्यम से आपत्तिजनक सामग्रियां प्रसारित न की जा सकें। विधि के अनुसार, एसएमएस के माध्यम से संचार का उक्त माध्यम परिभाषिक तौर पर 'इलेक्ट्रॉनिक

मीडिया' का ही एक भाग है। आयोग ने दिनांक 15/4/2004 के अपने आदेश सं. 509/75/ 2004/जेएस-I एवं दिनांक 18/3/2009 के उत्तरवर्ती आदेश के द्वारा टी वी चैनलों, केबल नेटवर्क और रेडियो पर राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणन करने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर एक तंत्र स्थापित किया है। आयोग ने यह निर्णय लिया है कि

उक्त आदेश में निहित निदेश, इसके पश्चात, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक प्रचार अभियान करने के लिए फोन पर बल्क एसएमएस/वॉयस मैसेज का प्रयोग करने पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

3. तद्नुसार, सोशल मीडिया सहित निर्वाचन मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापन के प्रमाणन के संबंध में आयोग के दिनांक 27 अगस्त, 2012 एवं 25 अक्तूबर, 2013 के पूर्व पत्रों के क्रम में, आयोग ने निदेश दिया है कि निर्वाचन प्रचार अभियान में फोन पर बल्क एसएमएस/वॉयस मैसेज भी निर्वाचन विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन के दायरे में आएंगे जैसा कि टी.वी. चैनलों/केबल नेटवर्क, निजी एफएम चैनेलों सहित रेडियो, सिनेमा हाल, सार्वजनिक स्थानों एवं सोशल मीडिया में प्रदर्शित ऑडियो-वीडियो के मामले में है। विधिक प्रावधान, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अन्य माध्यमों पर लागू होते हैं वैसे ही बल्क एसएमएस/वॉयस मैसेज पर भी लागू होंगे। दिनांक 15.04.2004 के आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का इस प्रयोजनार्थ अनुसरण किया जाएगा।

4. उपर्युक्त को राज्य/जिला एमसीएमसी, राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों, मोबाइल सेवा प्रदाता एवं अन्य संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

आदेश से,

धीरेन्द्र ओझा
(निदेशक)

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 491/मीडिया पालिसी/2016 दिनांक : 03 जनवरी, 2016

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: निर्वाचनों के दौरान राजनैतिक दलों अथवा उनके पदधारकों/पदाधिकारियों के स्वामित्व वाले टीवी/केबल चैनलों/समचार-पत्रों में अभ्यर्थियों के विज्ञापनों के संबंध में दिशा-निर्देश-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर आयोग के पत्र सं. 491/मीडिया/2011(विज्ञापन) दिनांक 16 अगस्त, 2011 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करें। इस पत्र के क्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने उपर्युक्त मामले में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त भिन्न संदर्भों/शिकायतों पर विचार करने के पश्चात आगे निदेश दिया है कि यदि अभ्यर्थी अथवा उसका(उनके) प्रायोजित दल अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए उनके स्वामित्व वाले टीवी/केबल चैनलों/समाचार पत्रों का प्रयोग करता है तो ऐसा करने के लिए चैनल/समाचार पत्र के मानक रेट कार्ड के अनुसार व्यय संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय विवरण में इस आशय के लिए बनाए गए कॉलम में शामिल किया जाए, (निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों के सार-संग्रह के अनुबंध-15 की अनुसूची 4क), चाहे उन्होंने वास्तव में उस चैनल/समाचार-पत्र को कोई भुगतान न किया हो।

2.मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित प्रकृति की विषय-वस्तु की पहचान करने के लिए ऐसे चैनलों पर प्रसारित किए जाने वाली विषय-वस्तु पर कड़ी निगरानी रखेगी और समुचित पद्धति का पालन करने के पश्चात चैनल के मानक दर कार्ड के अनुसार अनुमानित व्यय अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय खाते में उपयुक्त ढंग से शामिल कर लिया जाएगा।

3. यह अनुदेश आयोग के दिनांक 16 अगस्त, 2011 के पूर्ववर्ती निदेश सं. 491/मीडिया/2011(विज्ञापन) के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

4. आशोधित अनुसूची 4 और 4क भी इसके साथ संलग्न है। इसे सभी संबंधितों की जानकारी में तत्काल लाया जाए। इसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूचना में भी लाया जाए जब वे अपना नाम-निर्देशन दायर करें।

भवदीय,

(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति: व्यय प्रभाग, भारत निर्वाचन आयोग ।

अनुसूची-4

एमसीएमसी द्वारा यथा निर्णीत अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वैच्छिक रूप से स्वीकृत पेड न्यूज़ सहित प्रिंट और केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस अथवा इंटरनेट अथवा सोशल मीडिया, न्यूज़ आइटम/टी.वी/रेडियो चैनल इत्यादि सहित इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से अभियान पर किए गए व्यय का विवरण।

इस विवरण में निजी स्वामित्व वाले समाचार पत्रों/टी.वी./रेडियो चैनलों इत्यादि में प्रदर्शित की जाने वाली ऐसी सभी न्यूज़ आइटम्स पर किया गया व्यय शामिल किया जाना चाहिए।

क्र.सं.	माध्यम का प्रकार (इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट) और अवधि	मीडिया प्रदायक (प्रिंट/इलेक्ट्रानिक्स/एसएमएस/वॉयस/केबल टीवी, सोशल मीडिया आदि) का नाम व पता	एजेंसी, रिपोर्टर, स्ट्रिन्जर, कम्पनी अथवा ऐसा व्यक्ति, जिसे प्रभार/ कमीशन, यदि कोई है, इत्यादि का भुगतान/ देय किया गया है, का नाम और पता	कुल राशि रू. में कॉलम (3) +(4)	व्यय के स्रोत		
					अभ्यर्थी/एजेंट द्वारा राशि	राजनैतिक दल द्वारा राशि	अन्य के द्वारा राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
2							
3							
4							

कुल							

अनुसूची - 4ए

एमसीएमसी द्वारा निर्णीत अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वैच्छिक रूप से स्वीकृत पेड न्यूज़ सहित प्रिंट और केबल नेटवर्क बल्क एसएमएस अथवा इंटरनेट अथवा सोशल मीडिया, न्यूज़ आइटम/टी.वी/रेडियो चैनल इत्यादि सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभियान पर किए गए व्यय का विवरण। इस विवरण में अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी को प्रायोजित करने वाले राजनैतिक दल के स्वामित्व वाले समाचार-पत्रों/टी.वी./रेडियो चैनलों में प्रदर्शित की जाने वाली ऐसी सभी न्यूज़ आइटम्स पर किया गया व्यय शामिल किया जाना चाहिए।

क्र.सं.	माध्यम का प्रकार (इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट) और अवधि	मीडिया प्रदायक (प्रिंट/इलेक्ट्रानिक्स/ एसएमएस/ वॉयस /केबल टीवी, सोशल मीडिया आदि) का नाम व पता	एजेंसी, रिपोर्टर, स्ट्रिन्जर, कम्पनी अथवा ऐसा व्यक्ति जिसे प्रभार/ कमीशन, यदि कोई है, इत्यादि का भुगतान/ देय किया गया है, का नाम और पता	कुल राशि रू. में कॉलम (3) +(4)	व्यय के स्रोत		
					अभ्यर्थी/एजेंट द्वारा राशि	राजनैतिक दल द्वारा राशि	अन्य के द्वारा राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
2							
3							
4							
कुल							

फार्मेट-1

निर्वाचन के दौरान प्रत्येक सप्ताह के अंतिम दिन पेड-न्यूज के प्रस्तुत किए जाने वाले मामलों का रिपोर्टिंग फार्मेट

राज्य की एमसीएमसी/ व्यय प्रेक्षकों इत्यादि के द्वारा जिले की एमसीएमसी को भेजी गई शिकायतें/मामलें	जिले की एमसीएमसी द्वारा ऐसे निर्णीत मामले, जिन्हें पेड-न्यूज़ के संदिग्ध मामले माना गया और अभ्यर्थी को नोटिस भेजने की सिफारिश की गई	ऐसे मामले/ शिकायतें, जो पेड-न्यूज़ के रूप में नहीं पाई गई	ऐसे मामले, जिनमें आर.ओ. द्वारा अभ्यर्थी को नोटिस जारी किए गए	मामले, जिनमें अभ्यर्थियों ने धन व्यय करने को माना और अपने लेखा में दर्शाया	मामले, जिनमें अभ्यर्थी ने निर्धारित अवधि के भीतर नोटिस का उत्तर नहीं दिया	मामले, जिनमें अभ्यर्थी ने स्वीकार करने से इंकार कर दिया और अपना स्पष्टीकरण दिया	जिले की एमसीएमसी के द्वारा निर्णीत मामले, जिन्हें नोटिस के स्पष्टीकरण/उत्तर पर विचार करने के पश्चात पेड-न्यूज़ के रूप में नहीं पाया गया	जिले की एमसीएमसी द्वारा पेड-न्यूज़ के रूप में निर्णीत मामले, (नोटिस पर बहस/ उत्तर पर विचार करने के पश्चात/ अथवा उत्तर प्राप्त न होने के पश्चात)	निर्धारित अवधि के भीतर जिला एमसीएमसी के अंतिम निर्णय पर अभ्यर्थी द्वारा राज्य की एमसीएमसी को की गई अपील	राज्य की एमसीएमसी द्वारा पेड न्यूज़ के रूप में निर्णीत मामले	राज्य की एमसीएमसी द्वारा ऐसे मामले, जिन्हें पेड-न्यूज़ के मामले नहीं माना गया	पेड-न्यूज़ के अभिपुष्ट मामले (5)+(9) - 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

संदिग्ध पेड-न्यूज़/अभिपुष्ट पेड-न्यूज़ का रिपोर्टिंग फार्मेट **(प्रत्येक सप्ताह के अंतिम दिन को प्रस्तुत किया जाए)**

नोट:

(1) =(2)+(3)

(2) सामान्यत: वैसा होना चाहिए जैसा (4) [कभी-कभी अभ्यर्थी से संबंधित 'पेड-न्यूज' के कई मामलों के लिए अभ्यर्थी को एकल नोटिस जारी किया जाता है, कॉलम (4) में नोटिसों की संख्या के अंतर्गत उन मामलों की संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए, जिनमें नोटिस जारी किए गए हैं, न कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या, जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं]

(3) = (5)+(6)+(7)

यदि कुछ मामलों में, अभ्यर्थी निर्धारित अवधि के भीतर नोटिस का उत्तर नहीं देता है (6), तो जिला एमसीएमसी का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थी के लेखा में व्यय को सम्मिलित करने के संबंध में आरओ द्वारा आग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

इसी प्रकार से, यदि अभ्यर्थी जिला एमसीएमसी(9) के निर्णय के विरूद्ध राज्य की एमसीएमसी(10) के समक्ष निर्धारित अवधि में अपील नहीं करता है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने जिला एमसीएमसी का निर्णय मान लिया है और इस राशि को उसके लेखा में दिखा दिया जाएगा।

(6)+(7)=(8)+(9)

(10) = (11)+(12)

(1) = (3)+(5)+(6)+(8)+(9)

(2) पेड-न्यूज़ के कुल अभिपुष्ट मामले = (5)+(9)-(12)

फार्मेट-2

निर्वाचन पूरा होने के तुरंत पश्चात पेड-न्यूज़ मामलों की प्रस्तुत की जाने वाली अंतिम रिपोर्ट

	अभ्यर्थी और सम्बद्ध दल का नाम जिन्हें पेड-न्यूज़ के मामले में नोटिस जारी किया गया	न्यूज़ आइटमों के शीर्षक	समाचार पत्र/प्रसारण मीडिया का नाम और प्रकाशन की तिथि तथा उस समाचार-पत्र की पृष्ठ संख्या/कार्यक्रम का समय जहां खबर प्रदर्शित हुई	डीआईपीआर/डीएवीपी के अनुसार कथित न्यूज़ आइटम की लागत (दर), जो लेखाबद्ध की गई

स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं.491/मीडिया नीति/2016 दिनांक : 10 मार्च, 2016

सेवा में,

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : राजनैतिक विज्ञापन के प्रमाणन के संबंध में।

महोदय/महोदया

राजनैतिक विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदनों की संवीक्षा करने के संबंध में आयोग के दिनांक 15 अप्रैल, 2004 के आदेश सं.509/75/2004/जेएस-I तथा दिनांक 08 नवंबर, 2013 के पत्र के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने जिला तथा राज्य एमसीएमसी द्वारा ऐसे आवेदनों का निपटान किए जाने की समय-सीमा को बढ़ाने के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल के अनुरोध पर विचार किया है तथा समय-सीमा को दो दिन तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब, राजनैतिक विज्ञापन के पूर्व-प्रमाणन के लिए आवेदन पर कार्रवाई करने हेतु गठित समितियां आवेदन की प्राप्ति के 2 दिनों के भीतर ऐसे सभी आवेदनों का निपटान करेंगी और आवेदक को निर्णय की सूचना देंगी। अत:, आपसे अनुरोध है कि सभी एमसीएमसी तथा सभी संबंधितों को तत्काल ही इसके बारे में संसूचित करें।

भवदीय,

(एस.के.दास)
अवर सचिव
फोन : 011-23052082
Email:sumands34@gmail.com

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं.491-एमसीएमसी/2018/संचार दिनांक : 13 सितंबर, 2018

सेवा में

(1) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव,

(2) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : उच्चतम न्यायालय का दिनांक 13 अप्रैल, 2004 का आदेश-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापन का पूर्व-प्रमाणीकरण।

महोदय/महोदया,

मुझे आपका ध्यान आयोग के दिनांक 15 अप्रैल, 2004 के पत्र सं. 509/75/2004-जेएस-I की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसके साथ दिनांक 15 अप्रैल, 2004 का समसंख्यक आदेश, दिनांक 26 सितंबर, 2007 का इसके बाद का पत्र सं.509/75/2004/जे.एस-I/खण्ड-II(प्रति संलग्न) तथा दिनांक 27 अगस्त, 2012 का पत्र सं. 491/पेड न्यूज/2012/मीडिया भी प्रेषित किए गए थे।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 13.04.2004 के निदेशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, इस विशिष्ट और स्पष्ट शर्त का भी प्रावधान है:

"यह आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है, और यह उन सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, व्यक्तियों, न्यासों के व्यक्तियों के समूह पर लागू होगा, जो इलेक्ट्रानिक मीडिया पर विज्ञापन देना चाहते हैं, जिसमें केबल नेटवर्क और/अथवा टेलीविजन चैनल और केबल आपरेटर्स शामिल हैं।"

3. संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.04.2004 के उपरोक्त संदर्भित निदेशों का कार्यक्षेत्र और दायरा, **भारत के समस्त क्षेत्रों पर <u>हर समय लागू रहेगा</u>** और केवल किसी विशिष्ट नियत अवधि के लिए लागू नहीं होगा, जैसा कि

आयोग के उपरोक्त संदर्भित दिनांक 26 सितंबर, 2007 के पत्र में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है।

4. अत:, मेरा अनुरोध है कि ये अनुदेश/स्पष्टीकरण समस्त मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियों(एमसीएमसी)/जिला निर्वाचन अधिकारियों/रिटर्निंग अधिकारियों/मीडिया/राजनैतिक पार्टियों और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों में अन्य सभी हितधारियों की जानकारी में लाए जाएं, ताकि इनका कड़ाई से पालन किया जा सके।

5. इस संबंध में आपके द्वारा प्रेषित अनुदेशों की एक प्रति सूचना एवं रिकार्ड हेतु भेजी जाए।

6. कृपया पावती भेजें।

भवदीय,

हस्ता./-
(पवन दीवान)
अपर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 509/75/2004/जे.एस.I/खंड.II दिनांक : 26 सितंबर, 2007

सेवा में

(1) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव

(2) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : उच्चतम न्यायालय का टीवी चैनलों और केबल नेटवर्क्स के संबंध में राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापन से संबंधित दिनांक 13 अप्रैल, 2004 का आदेश।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान आयोग के दिनांक 15 अप्रैल, 2004 के पत्र सं. 509/75/2004-जे.एस.-I की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसके साथ उपर्युक्त विषय पर दिनांक 15 अप्रैल, 2004 का इसका समसंख्यक आदेश, तत्पश्चात क्रमश: दिनांक 22 जुलाई, 2004 और 20 सितंबर, 2004 के इसके समसंख्यक पत्र और आदेश **(तत्काल संदर्भ हेतु प्रतियां संलग्न)** प्रेषित किए गए थे। इसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 05.07.2004 के आदेश के द्वारा निदेश दिया है कि उसका दिनाक 13.04.2004 का आदेश अगले आदेशों तक लागू रहेगा।

2. इस संबंध में, मुझे आगे यह कहना है कि उपर्युक्त संदर्भित निर्वाचन आयोग के आदेश केबल टेलीविजन नेटवर्क्स(विनियमन) अधिनियम, 1995 के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.04.2004 के निदेशों के अनुसरण में जारी किए गए थे।

3. माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 13.04.2004 के निदेशों में, *अन्य बातों के साथ-साथ,* इस विशिष्ट और स्पष्ट शर्त का भी प्रावधान है:

''यह आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है, और यह उन सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, व्यक्तियों, न्यासों के

व्यक्तियों के समूह पर लागू होगा जो इलेक्ट्रानिक मीडिया पर विज्ञापन देना चाहते हैं, जिसमें केबल नेटवर्क और/अथवा टेलीविजन चैनल और केबल आपरेटर्स शामिल हैं।''

4. आप भली भांति जानते हैं कि राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहते हैं।

5. इस संबंध में मुझे आगे यह कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.04.2004 के उपर्युक्त संदर्भित निदेश **भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत जारी किए गए हैं जिनका कार्य क्षेत्र और दायरा भारत में सभी क्षेत्रों पर <u>हर समय</u> लागू रहता है <u>न कि</u> केवल** आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने तक की अवधि तक सीमित रहता है।

6. आयोग की जानकारी में यह लाया गया है कि इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में जारी किए गए अनुदेशों/निदेशों का राजनैतिक दलों इत्यादि द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है जैसा कि केबल नेटवर्क और/अथवा टेलीविजन चैनल एवं केबल आपरेटर सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापनों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में प्रावधान किया गया है। राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापनों का प्रसारण **सक्षम प्राधिकारी से विज्ञापन(नों) को प्रसारण हेतु प्रमाणित कराए बिना** टी.वी चैनलों और केबल नेटवर्क्स पर किया जा रहा है।

7. अत:, मैं अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में जारी आयोग के आदेशों, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और विशेष रूप से इसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों/रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य सभी संबंधित अधिकारियों, टी.वी. चैनलों और केबल आपरेटर्स तथा राजनैतिक दलों के द्वारा कड़ाई से अनुपालन करने हेतु उनकी जानकारी में लाया जाए। **उनकी जानकारी में यह भी लाया जाए कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करने में विफल रहने को न्यायालय की अवमानना माना जाएगा।** इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी एक प्रेस नोट जारी कर सकता है**।**

8. इस मामले में आपके द्वारा जारी अनुदेशों की एक प्रति आयोग की जानकारी एवं रिकार्ड हेतु प्रेषित की जाए।

9. कृपया पावती भेजें।

भवदीय

(ए.के.मजुमदार)
प्रधान सचिव

मानक वितरण

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 491/पेड न्यूज/2019/मीडिया/1168-1102 दिनांक: 25 फरवरी, 2019

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

विषयः- मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति का पुनर्गठन-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग के दिनांक 27 अगस्त, 2012 के दिशानिर्देशों के आंशिक आशोधन में जिला और राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियां का आईटी अधिनियम के मध्यस्थ विशेषज्ञ/सोशल मीडिया विशेषज्ञ को शामिल करके एतद्द्वारा पुनर्गठन किया जाता है। पुनर्गठित एमसीएमसी निम्नानुसार होगी:

1. **जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी)**
   1.1 प्रत्येक जिले में निम्नलिखित सदस्यों के साथ जिला स्तरीय एमसीएमसी गठित की जाएगीः-
      (क) जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी
      (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के)
      (ख) सहायक रिटर्निंग अधिकारी
      (कम से कम एसडीएम)
      (ग) एक मध्यस्थ विशेषज्ञ/सोशल मीडिया विशेषज्ञ (अर्हता मानदंडों के अध्यधीन आरओ द्वारा चयनित किया जाना)
      (घ) केंद्र सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अधिकारी

(यदि जिले में कोई है)

(ङ) भारतीय प्रेस परिषद द्वारा संस्तुत निर्दलीय नागरिक/पत्रकार

(च) डीपीआरओ/जिला सूचना अधिकारी/समकक्ष-सदस्य सचिव

1.2 उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.04.2004 के आदेश के अनुसार विज्ञापनों के प्रमाणन के प्रयोजनार्थ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी (कम से कम एसडीएम) एवम् एक मध्यस्थ विशेषज्ञ/जिला निर्वाचन अधिकारी जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) के सदस्य होंगे।

2. राज्य स्तरीय एमसीएमसी

2.1 राज्य स्तरीय एमसीएमसी में निम्नलिखित अधिकारी होंगेः-

(क) मुख्य निर्वाचक अधिकारी, अध्यक्ष

(ख) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त कोई प्रेक्षक

(ग) समिति द्वारा सहयोजित एक विशेषज्ञ

(घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में तैनात भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के अधिकारी (अवर सचिव/उप सचिव के स्तर पर) जो कि उपर्युक्त (ग) पर उल्लिखित विशेषज्ञ से पृथक भारत सरकार के मीडिया विभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे।

(ङ) पीसीआई (यदि कोई है) द्वारा नामित निर्दलीय नागरिक या पत्रकार

(च) अपर/संयुक्त सीईओ, मीडिया प्रभारी (सदस्य सचिव)

(छ) एक मध्यस्थ विशेषज्ञ/सोशल मीडिया विशेषज्ञ (अर्हता मानदंडों के अध्यधीन सीईओ द्वारा चयनित)

2.2 राज्य स्तरीय एमसीएमसी दो तरह के कार्य करेगीः-

(i) आयोग के दिनांक 15 अप्रैल, 2004 के उपरोक्त आदेश के अनुसार विज्ञापनों के प्रमाणन के संबंध में जिला तथा अपर/संयुक्त सीईओ, दोनों से प्राप्त अपील पर निर्णय लेना।

(ii) जिला स्तरीय एमसीएमसी के निर्णय के विरुद्ध अपील पर पेड न्यूज के सभी मामलों या स्वप्रेरणा से लिए गए मामलों की जांच करना, जिस मामले में यह संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करने का निदेश देंगे।

3. **प्रमाणन के संबंध में अपर/संयुक्त सीईओ की समितिः-** विज्ञापन के प्रमाणन के लिए अपर/संयुक्त सीईओ की अध्यक्षता वाली समिति में पात्रता मानदंड के अध्यक्ष समिति के अध्ययन द्वारा यथा चयनित एक मध्यस्थ विशेषज्ञ/सोशल मीडिया विशेषज्ञ भी होगा।

4. यह भी बताया जाता है कि जिला तथा राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियों द्वारा निष्पादित ड्यूटी आयोग के दिनांक 27 अगस्त, 2012 के दिशानिर्देशों में यथा उल्लिखित रहेगी ।

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एमसीएमसी में शामिल किए जाने वाले मध्यस्थ विशेषज्ञ/सोशल मीडिया विशेषज्ञ को निम्नलिखित पात्रता मानदण्डों के अध्यधीन अधिमानत: सरकारी अधिकारी होना चाहिए:

क. यदि वह सरकारी अधिकारी है, तो –

i. उन्हें एसडीएम के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए ।

ii. उन्हें सरकार के आईटी विभाग/प्रकोष्ठ/सोशल मीडिया प्रकोष्ठ में कार्य करने का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

ख. यदि वह सरकारी अधिकारी नहीं हैं (अर्थात गैर-सरकारी व्यक्ति है) तो-

i.उनके पास आईटी के क्षेत्र में मास्टर डिग्री होनी चाहिए ।

ii.उनके पास कोई या राज्य स्तर पर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों तथा उनके काम-काज की अच्छी समझ सहित सरकार के आईटी विभाग/प्रकोष्ठ/सोशल मीडिया प्रकोष्ठ में कार्य करने का कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

iii. उन्हें पृष्ठभूमि तथा तटस्थता के संदर्भ में भी पात्र होना चाहिए।

6. उस कार्य की रूपरेखा जिसका मध्यस्थ विशेषज्ञ/सोशल मीडिया विशेषज्ञ निपटान करेगा, के संबंध में बताया जाता है कि वह -

i. सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रकाशन हेतु प्रस्तावित राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणन के मामले में एमसीएमसी की सहायता करेंगे/करेंगी।

ii. पेड न्यूज़ के संदिग्ध मामलों के लिए सोशल मीडिया की जांच करने में एमसीएमसी की जांच/मदद करेंगे/करेंगी।

iii. सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर निर्वाचन के विज्ञापन पर अभ्यर्थी द्वारा उपगत व्यय के संबंध में आरओ तथा व्यय प्रेक्षक को प्रतिलिपि दिए जाने सहित एमसीएमसी द्वारा लेखा दल को दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सहायता करेंगे/करेंगी।

iv. सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर विज्ञापनों से संबंधित प्रश्नों/शिकायतों के मामलों में एमसीएमसी की सहायता करेंगे/करेंगी।

v.एमसीएमसी तथा मध्यस्थ विशेषज्ञों/सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के बीच समग्र समन्वय की देखभाल करेंगे/करेंगी।

vi. सुनिश्चित करेंगे/करेंगी कि निर्वाचन विधियों का सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर विज्ञापनों से संबंधित मामलों में सख्ती से पालन किया जाता है।

vii. सोशल मीडिया पर उल्लंघन के मामलों का निराकरण करने में एमसीएमसी की सहायता करेंगे/करेंगी।

viii. राज्य स्तरीय एमसीएमसी का भाग होने के नाते वह सोशल मीडिया पर विज्ञापन के प्रमाणन के संबंध में जिला तथा अपर/संयुक्त पीईओ समिति की अपील पर निर्णय लेने तथा जिला एमसीएमसी के निर्णय के विरूद्ध अपील पर पेड न्यूज़ के सभी मामलों तथा उन मामलों, जिन्हें वे स्वत: प्रेरणा से उठा सकते हैं, की जांच करने में सहायता करेंगे/करेंगी।

भवदीय

(पवन दीवान)
अवर सचिव
फोन – 011-23052133
ई-मेल-diwaneci@yahoo.com

संदिग्ध पेड-न्यूज़ के मामलों के उदाहरण

- एक ही समय में भिन्न-भिन्न लेखकों के नामों के साथ प्रतियोगी प्रकाशनों में प्रदर्शित फोटो और शीर्षकों सहित समरूपी लेख प्रकाशित करना।
- विशिष्ट समाचार-पत्रों के उसी पृष्ठ पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की प्रशंसा करने वाले लेख प्रकाशित करना, जिसमें दावा किया गया हो कि उसी निर्वाचन में दोनों के विजयी होने की संभावना है।
- ऐसी न्यूज़ आइटम जिनमें कहा गया हो कि अभ्यर्थी को समाज के प्रत्येक वर्ग का समर्थन मिल रहा है और वह निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन में विजयी होगा।
- ऐसी न्यूज़ आइटम, जिनमें बिना नाम प्रदर्शित किए अभ्यर्थी का समर्थन किया गया हो।
- एक बैनर शीर्षक को प्रकाशित करने वाला समाचार पत्र, जिसमें कहा जाए कि दल/अभ्यर्थी, राज्य/निर्वाचन क्षेत्र में इतिहास रचने को तैयार है, किंतु, इस शीर्षक से संबंधित कोई खबर नहीं छापे।
- ऐसी खबर, जिसमें यह कहा जाए कि एक दल/अभ्यर्थी द्वारा किए गए अच्छे कार्यों ने राज्य में अन्य दल/अभ्यर्थी की निर्वाचकीय संभावनाओं को कम कर दिया है और खबर के प्रत्येक वाक्य में दल/अभ्यर्थी को समर्थन दिया गया हो।
- निर्धारित आकार की खबरों के दृष्टांत हैं, उदाहरणार्थ डबल-कॉलम फोटो सहित 125-150 शब्दों की सीमा। खबरें इस प्रकार के जटिल फार्मेट और आकार में कभी-कभी ही प्रकाशित की जाती हैं, जबकि विज्ञापनों का प्रकाशन अधिकतर इस फार्मेट और आकार में होता है।
- विशिष्ट समाचार-पत्रों में यह देखा गया है कि एक ही अखबार के उसी पृष्ठ पर बहुविध फोंट और बहुविध ड्राप केस स्टाइल देखने को मिलते हैं। ऐसा होने का कारण है कि समाचार-पत्रों के पृष्ठों में निर्धारित स्थान (स्लॉट) में प्रकाशित होने वाली विषय-वस्तु, फोंट, प्रिंट आउट, फोटो इत्यादि उन अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराई गई थी जिन्होंने उन स्लॉटों के लिए भुगतान किया था।

विज्ञापनों के प्रमाणन के संबंध में प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र. विज्ञापन का प्रमाणन क्या है ?

उ. निर्वाचनों के दौरान किसी रजिस्टर्ड राजनैतिक दल अथवा संस्थानों/संघों के समूह अथवा निर्वाचन लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी द्वारा टेलीविजन चैनलों और केबल नेटवर्क्स तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने से पहले किसी समिति द्वारा राजनैतिक विज्ञापन को स्वीकृति प्रदान करना। यह भारत के संपूर्ण भू-भाग पर सर्वदा लागू होता है।

प्र. प्रमाणन की समितियां कितने प्रकार की हैं और उनके कार्य क्या हैं ?

उ. 1.व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणन के लिए समिति में निम्नलिखित शामिल होते हैं :

(i) रिटर्निंग अधिकारी (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का)

(ii) सहायक रिटर्निंग अधिकारी (उप जिलाधीश से कम श्रेणी के नहीं)

(iii) एक मध्यवर्ती विशेषज्ञ/सोशल मीडिया विशेषज्ञ (पात्रता संबंधी मानदंडों के अंतर्गत आरओ द्वारा चुना जाना)।

यह समिति संबंधित संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अथवा उसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधान-सभा के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले व्यक्तिगत अभ्यर्थी द्वारा केबल नेटवर्क अथवा टेलीविजन चैनल पर दिखाए जाने वाले प्रस्तावित विज्ञापन के प्रमाणन के आवेदन-पत्रों की जांच करती है। उपर्युक्त दोनों अधिकारी पहले से ही जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति के सदस्य होते हैं और इनके साथ कुछ अन्य सदस्य ऐसे भी होते हैं जिनकी ऐसे प्रमाणन में कोई भूमिका नहीं होती है।

2.राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति, जिसकी सरंचना निम्नलिखित होती है:

(i) अपर/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी-अध्यक्ष

(ii) राज्य की राजधानी में अवस्थित किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी।

(iii) सूचना एवं प्रसार मंत्रालय से बुलाए जाने वाले एक विशेषज्ञ, जो प्रथम श्रेणी पद के अधिकारी से कम नहीं होगा।

(iv) पात्रता संबंधी मानदंडों के अध्यधीन समिति के अध्यक्ष द्वारा यथा चयनित एक मध्यवर्ती विशेषज्ञ/सोशल मीडिया विशेषज्ञ ।

यह समिति, उन सभी मान्यता-प्राप्त और पंजीकृत राजनैतिक दलों, जिनके मुख्यालय उसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित हैं, से प्राप्त और उन्हीं संगठनों, संघों, जिनके रजिस्टर्ड

कार्यालय उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित हैं, से प्राप्त आवेदन-पत्रों के प्रमाणन की जांच करती है।

3.निम्नलिखित सदस्यों से युक्त राज्य स्तरीय अपीलीय समिति:

(i) मुख्य निर्वाचन अधिकारी - अध्यक्ष

(ii) भारत निर्वाचन आयुक्त द्वारा नियुक्त कोई प्रेक्षक

(iii) समिति द्वारा सह-योजित एक विशेषज्ञ

(iv) एक मध्यवर्ती विशेषज्ञ/सोशल मीडिया विशेषज्ञ (पात्रता संबंधी मानदंडों के अंतर्गत आरओ द्वारा चुना जाना)

राज्य स्तरीय अपीलीय समिति निर्वाचन क्षेत्र के स्तर की समिति और अपर/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की प्रमुखता वाली राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रमाणन प्रदान करने अथवा मना करने के निर्णय के संबंध में किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी अथवा किसी अन्य व्यक्ति की शिकायत/अपील पर विचार करती है।

4. निम्नलिखित संरचना सहित दिल्ली में स्थित समिति:

(i) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी - अध्यक्ष

(ii) दिल्ली में किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी

(iii) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से बुलाए जाने वाले एक विशेषज्ञ, जो प्रथम श्रेणी पद के अधिकारी से कम नहीं होगा।

(iv) पात्रता संबंधी मानदंडों के अध्यधीन समिति के अध्यक्ष द्वारा यथा चयनित एक मध्यवर्ती विशेषज्ञ/सोशल मीडिया विशेषज्ञ ।

यह समिति उन सभी मान्यता प्राप्त और पंजीकृत राजनैतिक दलों, संस्थानों अथवा संगठनों अथवा संघों से प्राप्त प्रमाणन के आवेदन-पत्रों की जांच करती है जिनके मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित हैं।

प्र. प्रमाणन के लिए आवेदन-पत्र के की समय सीमा ?

उ. मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दल, पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत दल तथा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए विज्ञापन के प्रसारण के प्रस्तावित प्रारंभ की तिथि से पहले अधिकतम तीन दिन का समय। किसी अन्य संगठन/संघ के मामले में, यह प्रसारण की तिथि से पहले अधिकतम सात दिन की समय-सीमा से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

प्र. प्रमाणन हेतु आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज क्या हैं ?

उ. आवेदन-पत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक फार्म में प्रस्तावित विज्ञापन की दो प्रतियां और विज्ञापन की विधिवत सत्यापित सामग्री (लिप्यंकन) संलग्न होनी चाहिए।

उपरोक्त के अतिरिक्त, प्रमाणन संबंधी आवेदन-पत्र में निम्नलिखित विवरण भी होना चाहिए:

1. विज्ञापन तैयार करने की लागत।

2. ऐसे विज्ञापनों की संख्या और ऐसे प्रत्येक विज्ञापन के लिए प्रभारित की जाने वाली प्रस्तावित दर के विवरण सहित टेलीविजन चैनलों अथवा केबल नेटवर्क पर ऐसे विज्ञापनों के प्रस्तावित प्रसारण की अनुमानित लागत। यह वक्तव्य कि क्या दिया गया विज्ञापन अभ्यर्थी(यों)/दलों के निर्वाचन कीसंभावनाओं को बढ़ाने के लिए है या नहीं ?

3 .यदि विज्ञापन किसी राजनैतिक दल अथवा किसी अभ्यर्थी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति ने दिया है, तो वह व्यक्ति शपथ-पत्र देगा कि यह किसी राजनैतिक दल अथवा किसी अभ्यर्थी के लाभ के लिए नहीं है और उक्त विज्ञापन को किसी राजनैतिक दल अथवा किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रायोजित अथवा अधिकृत अथवा इसका भुगतान नहीं किया गया है।

4. यह कथन कि विज्ञापनों का समस्त भुगतान चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट से किया जाएगा।

प्र. जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति के क्या कर्तव्य हैं ?

उ. **(क)** जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति के कर्तव्य निम्नलिखित हैं:

1. यह पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों की सूक्ष्म छानबीन करना कि क्या प्रसारण/ब्राडकास्ट समिति द्वारा प्रमाणन कराने के पश्चात ही किया गया है।
2. अन्य मीडिया साधनों में अभ्यर्थी के संबंध में प्रत्यक्ष एवं छिपे हुए राजनैतिक विज्ञापनों के व्यय का अनुवीक्षण करना, इसमें अभ्यर्थी की निर्वाचन संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अभ्यर्थी अथवा स्टार प्रचारक(कों) अथवा अन्य व्यक्तियों की ओर से अथवा द्वारा किया गया प्रचार अथवा विज्ञापन अथवा अपील भी शामिल होगी।
3. यह अनुवीक्षण करना कि क्या अभ्यर्थी की सहमति एवं जानकारी से प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है, ऐसी स्थिति में यह खर्च अभ्यर्थी(यों) के निर्वाचन व्यय में लिखा (लेखाबद्ध) जाएगा। किन्तु, यदि विज्ञापन अभ्यर्थी के प्राधिकार से नहीं है, तो भारतीय दंड संहिता के 171ज का उल्लंघन करने के लिए प्रकाशक के विरूद्ध अभियोजन हेतु कार्रवाई की जाएगी।
4. यह जांच करना कि प्रत्येक निर्वाचन संबंधी पैम्फ्लेट, पोस्टर, पर्चे और अन्य दस्तावेजों पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम और पता मुद्रित है या नहीं, जैसाकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के अंतर्गत अपेक्षित है।
5. निर्वाचन विज्ञापनों पर अभ्यर्थी द्वारा किए गए व्यय अथवा समाचारों को प्रकाशित कराने के लिए किए गए वास्तविक व्यय के संदर्भ से निर्दिष्ट प्ररूप में प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में व्यय लेखा दल को दैनिक रिपोर्ट भेजना और इसकी एक-एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी और व्यय प्रेक्षक को भेजना।

प्र. यदि निर्वाचन क्षेत्र/ जिला या राज्य स्तर पर कोई मीडिया प्रमाणन समिति, विज्ञापन को प्रसारित करने के लिए उपयुक्त नहीं पाती है, तो क्या उसे इस विज्ञापन को प्रमाणन देने से इंकार करने का अधिकार है?

उ. हां, उपर्युक्त समिति को अधिकार है कि यदि किसी विज्ञापन को प्रसारण हेतु उपयुक्त नहीं पाती है, तो उसे प्रमाणन देने से इंकार करने का अधिकार है।

प्र. कौन सी समिति राष्ट्रीय दल के क्षेत्रीय भाषाओं वाले विज्ञापनों को प्रमाणित करेगी ?

उ. यदि कोई राष्ट्रीय दल अथवा राज्य दल, जिसका मुख्यालय दिल्ली में अवस्थित है, किसी क्षेत्रीय भाषा में विज्ञापन का प्रमाणन कराना चाहता है, तो आवेदन-पत्र संबंधित राज्य(जिसकी क्षेत्रीय भाषा है) की राज्य स्तर की समिति को प्रस्तुत किए जाएंगे।

प्र. किसी राष्ट्रीय दल के बहु-भाषाओं वाले उसी विज्ञापन को कौन सी समिति प्रमाणित करेगी ?

उ. यदि कोई राष्ट्रीय दल उसी विज्ञापन को हिंदी/अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रमाणित कराना चाहता है, तो प्रत्येक विज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपि(सामग्री) सहित प्रत्येक भाषा में समस्त विज्ञापन सामग्री दिल्ली में स्थित समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए और इसके साथ एक शपथ-पत्र इस प्रतिज्ञान के साथ प्रस्तुत किया जाएगा कि क्षेत्रीय भाषा के संस्करणों का अनुवाद, विज्ञापन का हिंदी/अंग्रेजी में सही अनुवाद है और इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक जिम्मेवार होगा। दिल्ली में स्थित समिति द्वारा जारी प्रमाण-पत्र क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापनों के लिए पर्याप्त होगा। दल को दिल्ली में स्थित समिति द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की एक प्रति अन्य संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस घोषणा के साथ प्रस्तुत करनी होगी कि प्रमाण-पत्र की प्रति दिल्ली में स्थित समिति द्वारा जारी मूल प्रमाण-पत्र की सत्य प्रतिलिपि है।

प्र. उपर्युक्त समिति के आदेश के विरूद्ध कहां अपील की जा सकती है ?

उ. कोई भी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी उपर्युक्त समिति के आदेश के विरूद्ध राज्य स्तरीय अपीलीय समिति के समक्ष अपील कर सकता है।

प्र. क्या उपर्युक्त समिति के निर्णय विधिक रूप से बाध्यकारी हैं ?

उ. हां, उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 13 अप्रैल, 2004 के आदेश के द्वारा राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणन हेतु समितियां गठित करने के लिए आयोग को प्राधिकृत किया था।

प्र. क्या राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध टीवी चैनलों, केबल नेटवर्क और रेडियो पर विज्ञापन दे सकता है ?

उ. माननीय उच्चतम न्यायालय [वर्ष 2004 की एसएलपी(सी) सं.6679] राजनैतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा विज्ञापन देने पर कोई विशेष रोक नहीं लगाता है। यद्यपि, इस आदेश में यह अवश्य कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति किसी राजनैतिक दल अथवा

अभ्यर्थी के हित में कोई विज्ञापन नहीं दे सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है किसी दल अथवा अभ्यर्थी के विरूद्ध विज्ञापन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उससे अन्य दलों/अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा।

प्र. क्या सोशल नेटवर्किंग साइटस पर और ई-पेपर्स में राजनैतिक विषय-वस्तु के लिए पूर्व-प्रमाणन की आवश्यकता होगी ?

उ. वेबसाइटस/सोशल मीडिया वेबसाइटस के 'ब्लॉग/सेल्फ अकाउंटस' पर पोस्ट/अपलोड किए जा रहे संदेशों/टिप्पणियों/फोटोज/विडीओज के रूप में किसी राजनैतिक विषय-वस्तु को राजनैतिक विज्ञापन नहीं माना जाएगा और अत: इसके लिए पूर्व-प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी। यद्यपि, आयोग के दिनांक 26.02.2014 के पत्र सं. 491/पेड-न्यूज़/2014 अनुसार, किसी समाचार-पत्र के ई-पेपर्स में जारी राजनैतिक विज्ञापनों के लिए संबंधित समिति से पूर्व-प्रमाणन कराना निरपवाद रूप से अनिवार्य होगा।

प्र. क्या बड़ी संख्या (बल्क) में एसएमएस/वॉयस संदेशों का प्रयोग राजनैतिक अभियानों में करने के लिए इनका राजनैतिक विज्ञापनों के रूप में पूर्व-प्रमाणन कराना आवश्यक है ?

उ. हां, आयोग ने निर्णय लिया है कि टीवी चैनलों, केबल नेटवर्क और रेडियो पर राजनैतिक विज्ञापनों को प्रमाणीकृत करने के लिए जारी अनुदेश और जिला एवं राज्य स्तर पर उपलब्ध कार्य-प्रणाली निर्वाचनों के दौरान राजनैतिक अभियानों में बल्क एसएमएस/वॉयस संदेशों के प्रयोग पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे। अत: यह आवश्यक है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचकों को भेजे जाने वाले ऐसे बल्क एसएमएस/वॉयस संदेशों की विषय-वस्तु का अनुवीक्षण किया जाए, ताकि इस माध्यम से आपत्तिजनक विषय-वस्तु प्रेषित न की जा सके।

प्र. सोशल मीडिया विशेषज्ञ की क्या भूमिका और उत्तरदायित्व होगा ?

उ. सोशल मीडया विशेषज्ञ निम्नांकित कार्य करेंगे।:-

(ix) सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रकाशित किए जाने हेतु प्रस्तावित राजनीतिक विज्ञापनों के प्रमाणन के मामले में एमसीएमसी को सहायता।
(x) पेड न्यूज़ के संदिग्ध मामलों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की स्कैनिंग में एमसीएमसी को सहायता।

(xi) सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर निर्वाचन विज्ञापन से संबंधित किए गए व्यय के संबंध में लेखा परीक्षण दल को दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा इसकी प्रति आरओ एवं व्यय प्रर्यवेक्षक को प्रस्तुत करने में एमसीएमसी की सहायता।
(xii) सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर विज्ञापनों के संबंध में प्रश्नों/शिकायतों के विषय में एमसीएमसी को सहायता।

(xiii) एमसीएमसी तथा मध्यवर्तियों/सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के बीच समग्र समन्वय की निगरानी।

(xiv) सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर विज्ञापनों के संबंध में निर्वाचन विधियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना।

(xv) सोशल मीडिया पर उल्लंघनों के मामलों के निपटान हेतु एमसीएमसी की सहायता।

(xvi) राज्य स्तरीय एमसीएमसी के भार के रूप में वे सोशल मीडिया पर विज्ञापनों के प्रमाणन के संबंध में जिला तथा अपर/संयुक्त सीईओ समिति से अपील के निर्णय में सहायता करेंगे तथा जिला एमसीएमसी के निर्णयो के विरूद्ध अपील के संबंध में पेड न्यूज़ या ऐसे मामले जो वे स्वत संज्ञान से ले सकते हैं, की जांच में भी सहायता करेंगे।

पेड-न्यूज़ के संबंध में अक्सर प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न पेड-न्यूज का अर्थ क्या होता है?

उ. पेड-न्यूज़ को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने - ''किसी भी मीडिया (प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक) में प्रतिफल के रूप में नकद राशि अथवा वस्तु देकर कोई समाचार अथवा विश्लेषण प्रदर्शित करने के रूप में'' परिभाषित किया है। आयोग ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया द्वारा दी गई परिभाषा को ही सामान्य रूप से स्वीकार किया है।

प्र. विज्ञापन और समाचार के बीच क्या अंतर है?

उ. प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के दिशानिर्देशों में यह उल्लिखित है कि दावा त्यागकर्ता (डिस्क्लेमर) मुद्रित करके समाचारों को विज्ञापनों से स्पष्ट रूप से अलग रखना चाहिए, सभी प्रकाशनों द्वारा इसे कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। जहां तक समाचारों का प्रश्न है, इसकी सदैव एक क्रेडिट लाइन होनी चाहिए और ये ऐसे टाइपफेस में सेट होनी चाहिए, जो इसे विज्ञापनों से अलग करती है। इसके अतिरिक्त, विज्ञापन प्रचार हेतु दिए जाते हैं जबकि समाचार सूचना देने के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

प्र. भारत निर्वाचन आयोग को पेड-न्यूज़ पर रोक क्यों लगानी पड़ी ?

उ. आयोग को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पेड-न्यूज़ की समस्याओं का सामना करना पड़ा। राजनैतिक दलों और मीडिया समूहों ने भी आयोग से पेड़-न्यूज़ के विरूद्ध कड़े कदम उठाने का अनुरोध किया। संसद में भी इस विषय पर चर्चा हुई। आयोग के साथ 4 अक्तूबर, 2010 को और 9 मार्च, 2011 को दोबारा की गई बैठक में सभी राजनैतिक दलों में मतैक्य था कि पेड-न्यूज़ के विरूद्ध कड़े कदम उठाए जाने चाहिएं।

प्र. पेड-न्यूज़ के कुप्रभाव क्या क्या हैं ?

उ. 1. निर्वाचन के कार्य क्षेत्र में, पेड-न्यूज़ जनता को गुमराह करती है, मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालती है और उनके सूचना के अधिकार को प्रभावित करती है।

2. यह गुप्त व्यय के माध्यम से निर्वाचन व्यय के कानूनों/अधिक-सीमा का भी उल्लंघन करती है।

3. यह राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को समान अवसर देने में बाधा उत्पन्न करती है।

प्र. पेड-न्यूज़ पर कैसे रोक लगाई जाए ?

उ. 1. मीडिया और राजनैतिक पदधारियों द्वारा आत्म नियंत्रण।

2. निर्वाचकीय क्षेत्र में भय के वातावरण को दूर करने के लिए विद्यमान तंत्र का कड़ाई से उपयोग करके।

3. इस विषय पर लोगों और हितधारियों को जागरूक बनाकर।

प्र. पेड-न्यूज़ को निर्वाचकीय अपराध बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने क्या कदम उठाए हैं ?

उ. आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन हेतु यह उपबंध करने का प्रस्ताव किया है कि किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन में उसकी संभावना को बढ़ाने अथवा किसी अभ्यर्थी की निर्वाचन संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की मंशा से 'पेड-न्यूज़' को प्रकाशित करने अथवा इसके लिए उकसाने को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग VII के अध्याय III के अंतर्गत एक निर्वाचन अपराध बनाया जाए, जिसके लिए न्यूनतम दो वर्ष के कारावास का दंड हो।

प्र. पेड-न्यूज़ पर रोक लगाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित किया गया तंत्र क्या है ?

उ. आयोग ने पेड-न्यूज़ के लिए मीडिया पर निगरानी रखने हेतु जिला और राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियों का गठन किया है। ये समाचारों के कवरेज की आड़ में राजनैतिक विज्ञापनों का पता लगाने के लिए सभी समाचार-पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की संवीक्षा करती हैं और संबंधित अभ्यर्थियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करती हैं।

प्र. जिला एवं राज्य स्तरीय एमसीएमसी की क्या सदस्यता है ?

उ. जिला एमसीएमसी की सदस्यता इस प्रकार है:

1.1 जिला स्तरीय एमसीएमसी निम्नांकित सदस्यो के साथ गठित की जाएगी:

(क) डीईओ/आरओ (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का)

(ख) एआरओ (एसडीएम के रैंक से नीचे नहीं)

(ग) इन्टरमीडियरी विशेषज्ञ/सोशल मीडया विशेषज्ञ (पात्रता मानदंडों के अध्यधीन आरओ द्वारा चयन किया जाएगा।

(घ) केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्मिक(यदि जिला में कोई हो तो)

(ड़) पीसीआई द्वारा यथा संस्तुत स्वतंत्र नागरिक/पत्रकार।

(च) डीपीआरओ/जिला सूचना अधिकारी/समतुल्य-सदस्य सचिव।

राज्य एमसीएमसी की सदस्यता इस प्रकार है:

(क) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अध्यक्ष

(ख) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त कोई पर्यवेक्षक

(ग) समिति द्वारा सहयोजित कोई विशेषज्ञ

(घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में तैनात (अवर सचिव/उप सचिव के स्तर के) भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के ऐसे अधिकारी जो भारत सरकार के किसी मीडिया विभाग का प्रतिनिधित्व करते हों तथा उपरोक्त (ग) में उल्लिखित विशेषज्ञ से अलग

(ड़) पीसीआई द्वारा यथा नामित स्वतंत्र नागरिक/पत्रकार (यदि कोई है)।

(च) मीडिया के प्रभारी अपर/संयुक्त सीईओ (सदस्य सचिव)

(छ) मध्यस्थ विशेषज्ञ/सोशल मीडया विशेषज्ञ (पात्रता मानदंडों के अध्यधीन सीईओ द्वारा चयन किया जाएगा।)

प्र. जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति के क्या कार्य हैं ?

उ. जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति, अनुवीक्षण व्यवस्था के माध्यम से पेड-न्यूज़ की शिकायतों और मुद्दों की जांच करती है। यह समस्त मीडिया अर्थात प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल नेटवर्क इत्यादि की जांच करती है। पेड-न्यूज़ के संदिग्ध मामलों में, यह अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करती है जिससे उनके निर्वाचन व्यय के खाते में प्रकाशित सामग्री के वास्तविक व्यय को शामिल किया जा सके अथवा उनके निर्वाचन व्यय के खाते में डीआईपीआर/डीएवीपी की दरों पर आधारित अनुमानित व्यय को शामिल किया जा सके।

प्र. राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के क्या कार्य हैं ?

उ. राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति जिला स्तर की मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति के निर्णय के विरूद्ध की गई अपील और स्वत: संज्ञान में लिए गए मामलों के संबंध में पेड-न्यूज़ के सभी मामलों की जांच करती है जिसके अंतर्गत यह अभ्यर्थी को नोटिस जारी करने के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को निदेश देती है। राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति अपील के प्राप्त होने के 96 घंटे के भीतर मामले का निपटान करेगी और जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति को इसकी प्रति भेजते हुए अभ्यर्थी को निर्णय की सूचना देगी।

प्र. राष्ट्रीय स्तर (भारत निर्वाचन आयोग के स्तर की) की समिति क्या है और इसके क्या कार्य हैं ?

उ. पेड-न्यूज़ के मामलों से निपटने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति के निर्णय के विरूद्ध की गई अपील और राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति से प्राप्त संदर्भों के संबंध में पेड.न्यूज़ के मामलों की जांच करती है। अभ्यर्थी राज्य स्तर की समिति से आदेश प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति के निर्णय के

विरूद्ध इस समिति के समक्ष अपील कर सकता है। पेड-न्यूज़ से संबंधित राष्ट्रीय स्तरीय समिति में आल इंडिया रेडियो, डीएवीपी और भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं।

प्र. यदि राज्य/जिला स्तर की मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति सिफारिश करे, तो अभ्यर्थी को नोटिस कौन जारी कर सकता है ?

उ. मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति की सिफारिश पर अभ्यर्थी को केवल संबंधित निर्वाचन का रिटर्निंग अधिकारी ही नोटिस जारी कर सकता है।

प्र. राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति के निर्णय के विरूद्ध अपील कहां की जा सकती है ?

उ. अभ्यर्थी द्वारा जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति के निर्णय के विरूद्ध अपील राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति को की जा सकती है और राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति के निर्णय के विरूद्ध अपील भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष की जा सकती है। आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

प्र. जिला स्तर और राज्य स्तर की मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियों के निर्णय के विरूद्ध अपील करने की समय सीमा क्या है ?

उ. यदि अभ्यर्थी को जिला स्तर की मीडिया प्रमाणनऔर अनुवीक्षण का निर्णय स्वीकार्य नहीं है, तो वह निर्णय प्राप्त होने के 48 घंटें के भीतर जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति को सूचना देते हुए राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति के समक्ष अपील कर सकता है । अभ्यर्थी राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति के निर्णय के विरूद्ध इस समिति का आदेश प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर निर्वाचन आयोग के समक्ष अपील कर सकता हैं। आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

प्र. पेड-न्यूज के निर्णीत मामलों में मीडिया हाउस के विरूद्ध क्या कार्रवाई हो सकती है ?

उ. जैसे ही मामलों के संबंध में यह निर्णय होता है कि ये पेड-न्यूज़ के मामले हैं, तो आयोग प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मामले क्रमश: प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और नेशनल ब्राडकास्टिंग स्टैण्डर्डस अथारिटी को उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेज देता है।

प्र. पेड न्यूज़ घोषित करने के मानदण्ड क्या हैं ?

उ. पेड.न्यूज़ के केवल उदाहरण हो सकते हैं, किंतु किसी अधिप्रमाणित स्रोत की कोई नियत अथवा सुविस्तृत सूची उपलब्ध नहीं हैं:-

क. प्रतियोगी प्रकाशनों में एक ही समय पर या तो भिन्न लेखकों के नाम सहित अथवा किसी लेखक के नाम के बिना फोटोग्राफ और शीर्षकों सहित प्रकाशित एक जैसे (समरूपी) लेख।

ख. विशिष्ट समाचार-पत्रों के उसी पृष्ठ पर, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की प्रशंसा करने वाले लेख प्रकाशित करना, जिसमें यह दावा किया गया हो कि उसी निर्वाचन में दोनों के विजयी होने की संभावना है।

ग. ऐसी खबरें, जिनमें कहा गया हो कि अभ्यर्थी को समाज के प्रत्येक वर्ग का समर्थन और अत्यंत सराहना मिल रही है और वह संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन में विजयी होगा।

घ. छोटे-छोटे कार्यक्रम, जिनमें अभ्यर्थी का समर्थन/प्रचार बढ़ा-चढ़ा कर/बार-बार किया जाए और/अथवा विरोधियों के समाचारों को बिल्कुल स्थान न दिया जाए।

ड. पेड-न्यूज़ के संबंध में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के निर्णय और भारत निर्वाचन आयोग की मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति द्वारा लिए गए पूर्ववर्ती निर्णय भी मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

प्र. निर्वाचनों के दौरान अभ्यर्थियों के विरूद्ध पेड-न्यूज़ के मामलों का किस समय से लेखा-जोखा रखा जा सकता है ?

उ. निर्वाचन लड़ने के लिए अभ्यर्थी द्वारा उसका नाम-निर्देशन दायर करने की तिथि से पेड-न्यूज़ का लेखा-जोखा रखा जा सकता है।

ख.

निर्वाचन अभियान में
सोशल मीडिया का प्रयोग
और
भारत निर्वाचन आयोग की
सोशल मीडिया नीति

अनुदेशों का सार

(i) निर्वाचन प्रचार में सोशल मीडिया के प्रयोग के संबंध में आयोग के अनुदेश

आयोग ने 25 अक्टूबर, 2013 को सोशल मीडिया के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देशजारी किए हैं, जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन दायर करने के दौरान सोशल मीडिया संबंधी लेखा प्रस्तुत करने के बारे में उल्लेख किया गया है। आयोग द्वारा सोशल मीडिया साइट को भी प्रमाणन के अंतर्गत लाया गया है जैसाकि आयोग के दिनांक 15.04.2004 के आदेश सं. 509/75/2004/जेएस-1/4572 में उल्लिखित है। आयोग ने आगे अनुदेश दिए कि अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दल सोशल मीडिया पर विज्ञापनों पर होने वाले व्यय, जिसमें व्यय का सटीक लेखा रखना और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना, दोनों शामिल हैं, के लिए प्रचार संबंधी सभी व्ययों को सम्मिलित करेंगे। (पृष्ठ सं. 88-91)

(ii) आयोग ने आगे यह स्पष्ट किया है कि ब्लॉग्स/वेबसाइट पर स्वयं के एकाउंट/सोशल मीडिया पर किसी भी राजनैतिक विषय-वस्तु के रूप में अपलोड/डाले गए संदेशों/ टिप्पणियों/फोटो/वीडियो को राजनैतिक विज्ञापनों के रूप में नहीं माना जाएगा और इसीलिए पूर्व-प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि, ई-पेपर में जारी किए गए विज्ञापनों के लिए संबंधित समिति द्वारा आवश्यक रूप से पूर्व प्रमाणन की आवश्यकता होगी। (पृष्ठ सं.92)

(iii) सोशल मीडिया विशेषज्ञ की नियुक्ति

सोशल मीडिया का अनुवीक्षण करने तथा उल्लंघन के मामलों की सूचना देने के लिए एमसीएमसी में एक विशेष सोशल मीडिया विशेषज्ञ को शामिल किया गया है (पृष्ठ 80) ।

(iv) सोशल मीडिया का इस्तेमाल

आयोग द्वारा राज्य तथा जिला स्तर पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल को शामिल करके निर्वाचन प्रक्रिया में सभी हितधारकों के साथ अपना तालमेल और सहभागिता बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में दिनांक 6 सितंबर, 2016 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन

अधिकारियों को अनुदेश जारी किया गया था। अधिकाधिक अंत: क्रियात्मक प्रणाली स्थापित करने के लिए अब सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे कि फेसबुक, टिवटर, यू-ट्यूब इत्यादि पर अपने आधिकारिक एकाउंट हैं। सीईओ ने इन सोशल मीडिया एकाउंटों को पेशेवर ढंग से हैंडल करने तथा सभी आवश्यक सूचनाओं को प्रसारित करने हेतु सोशल मीडिया प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। इन प्लेटफार्मों पर प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। भारत निर्वाचन आयोग स्तर पर मतदाताओं की जागरूकता तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और जिला के कार्य निष्पादन का अनुवीक्षण करने और सोशल मीडिया को सर्वसाधारण के लिए अधिक अंत: क्रियात्मक तथा रोचक बनाते हुए इसके इस्तेमाल को अधिकतम करने हेतु उन्हें मार्गदर्शित और प्रशिक्षित करने के लिए एक सोशल मीडिया प्रकोष्ठ भी स्थापित किया गया है। सोशल मीडिया प्रकोष्ठ निर्वाचन से संबंधित समाचार और घटनाक्रमों का ध्यानपूर्वक अनुवीक्षण भी करता है और आयोग को नियमित रूप में सूचनाएं देता है। (पृष्ठ सं. 104-105)

(v) 2019 के साधारण निर्वाचन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म हेतु स्वैच्छिक नैतिक आचार-संहिता

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (आईएएमएआई) ने निर्वाचन आयोग के समक्ष परामर्श करके लोक सभा तथा विधान सभाओं के लिए 2019 के साधारण निर्वाचन तथा लोक सभा निर्वाचन के साथ नियत उप-निर्वाचनों के लिए ''स्वैच्छिक नैतिक आचार-संहिता का एक सेट तैयार किया है (पृष्ठ सं. 199)। यह संहिता सोशल मीडिया प्लेटफार्म का स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा नीतिपरक इस्तेमाल सुनिश्चित करने तथा निर्वाचन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए तैयार की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म ने आयोग को आश्वस्त किया है कि वे निर्वाचन मामलों से संबंधित सूचना तक पहुंच को सुकर बनाएंगें और निर्वाचन विधियों तथा निर्वाचन संबंधी अन्य अनुदेशों के संबंध में जागरूकता अभियान स्वेच्छापूर्वक चलाएंगें। शीघ्र कार्रवाई हेतु प्रतिपुष्टियों के बीच संबंध स्थापित करने तथा इनका आदान-प्रदान करने के लिए इन निर्वाचनों हेतु उच्च प्राथमिकता वाला एक समर्पित रिर्पोटिंग तंत्र होगा। इन प्लेटफार्मों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 तथा अन्य प्रयोज्य निर्वाचन विधियों के उल्लंघनों को अधिसूचित करने के लिए एक अधिसूचना तंत्र तैयार किया गया है। इन प्लेटफार्मों द्वारा धारा 126 के सूचित उल्लंघनों के लिए तीन घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी और अन्य मामलों पर भी शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई की जाएगी।

इन प्लेटफार्मों ने पेड राजनैतिक विज्ञापनों में पारदर्शिता को सुसाध्य करने की प्रतिबद्धता की है तथा वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सभी राजनैतिक विज्ञापनों को एमसीएमसी द्वारा पूर्वप्रमाणित किया जाता है। आईएएमएआई निर्वाचन के दौरान सोशल मीडिया तथा भारत निर्वाचन आयोग के साथ समग्र समन्वय करेगा।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

सं.491/एसएम/2013/संचार दिनांक: 25 अक्तूबर, 2013

सेवा में,

1. सभी राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी
2. सभी राष्ट्रीय/राज्यीय मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/महासचिव

विषय: निर्वाचन अभियान में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के संदर्भ में आयोग के अनुदेश।

महोदय,

निर्वाचन प्रचार के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर और सोशल मीडिया में निर्वाचन विधि के ऐसे कतिपय उल्लंघनों, जिनका निर्वाचनों में पारदर्शिता और समान अवसर दिए जाने के हित में विनियमन करना जरूरी है, पर भी आयोग का ध्यान आकर्षित किया गया था।

सोशल मीडिया लोगों के बीच परस्पर संवाद के ऐसे साधन कहे जाते हैं जिनमें वे वर्चुअल समुदायों और नेटवर्कों में सूचना और विचारों का सृजन करते हैं, आपस में बांटते हैं और/या आदान-प्रदान करते हैं। यह कई पहलुओं जैसे गुणवत्ता, पहुंच, बारम्बारता, प्रयोज्यता, तात्कालिकता, और स्थायित्व में पारम्परिक/इंडस्ट्रियल मीडिया से भिन्न होता है। वेब एवं सोशल मीडिया की विद्यमानता में समय के साथ-साथ बढ़ोतरी हुई है और राजनीतिक एवं सामाजिक समूहों से ऐसी मांगें आई हैं कि निर्वाचनों के दौरान सोशल मीडिया का विनियमन किया जाए जैसे कि अन्य मीडिया का विनियमन किया जाता है।

सोशल मीडिया के मोटे तौर पर पांच भिन्न-भिन्न प्रकार हैं -

क) सहयोगपरक (यथा विकीपीडिया)

ख) ब्लॉग एवं माइक्रोब्लॉग (यथा ट्विटर)

ग) विषय-वस्तु (कन्टेंट) समुदाय (यथा यू ट्यूब)

घ) सोशल नेटवर्किंग साइट (यथा फेसबुक)

ड) वर्चुअल गेम-वर्ल्ड्स (यथा ऐप्स)

निर्वाचन प्रचार से संबंधित विधिक उपबंध सोशल मीडिया पर उसी तरह लागू होते हैं जैसे वे किसी अन्य मीडिया का इस्तेमाल करके किए जाने वाले निर्वाचन प्रचार के किसी अन्य रूप पर लागू होते हैं। चूंकि, सोशल मीडिया, मीडिया का अपेक्षाकृत नया रूप है इसलिए,सभी संबंधितों को निम्नलिखित अनुदेशों के द्वारा सुस्पष्ट कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता हैः-

क. अभ्यर्थियों द्वारा अपने सोशल मीडिया खातों के बारे में दी जाने वाली सूचना

अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित है कि वे नाम- निर्देशन दाखिल करते समय प्रपत्र - 26 में शपथ-पत्र दाखिल करें। विस्तृत अनुदेश और वह फार्मेट, जिसमें शपथ-पत्र भरे जाने हैं, आयोग के पत्र सं. 3/4/2012/एसडीआर दिनांक 24 अगस्त, 2012 के जरिए जारी किए गए थे। इस प्रपत्र के पैरा 3 में यह अपेक्षा की गई है कि अभ्यर्थी की ई-मेल आईडी, यदि कोई हो, के बारे में आयोग को इस प्रपत्र में सूचित किया जाना चाहिए। आयोग यह आवश्यक समझता है कि अभ्यर्थियों के प्रामाणिक सोशल मीडिया खातों के बारे में भी आयोग को सूचित किया जाना चाहिए। यह सूचना उक्त पैरा 3 में उपलब्ध कराई जानी चाहिए जो नीचे दी गई हैः-

"मेरा/मेरे टेलीफोन नंबर ..... है/हैं

मेरा/ मेरे ई-मेल आईडी (यदि कोई हो) ..... है/हैं,

और मेरा/मेरे सोशल मीडिया एकाउंट ..... है/हैं।''

ख. राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 13 अप्रैल, 2004 के एसएलपी (सिविल) एन. 6679/2004 के आदेश के अनुसरण में आयोग ने अपने आदेश सं. 509/75/2004/जेएस-

।/4572 दिनांक 15.04.2004 के जरिए इस विषय पर विस्तृत अनुदेश जारी किया था। इस आदेश में यह कहा गया था कि टेलीविजन चैनलों पर और/या केबल नेटवर्क पर विज्ञापनों को जारी करने का इरादा रखने वाली प्रत्येक पंजीकृत/राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक पार्टी और निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशन से पहले पूर्व-प्रमाणन के लिए भारत निर्वाचन आयोग/नामोद्दिष्ट अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा। यह आदेश आयोग के आदेश दिनांक 27.08.2012 के जरिए आगे संशोधित और समेकित किया गया था जिसमें जिला एवं राज्य स्तरों की मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समितियों को अन्य प्रकार्यों यथा पेड न्यूज के विरूद्ध कार्रवाई करना आदि के साथ ऐसे विज्ञापन के पूर्व-प्रमाणन का उत्तरदायित्व दिया गया था। चूंकि, ऐसी सोशल मीडिया वेबसाइटें भी परिभाषा के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसलिए, आयोग के अपने आदेश सं. 509/75/2004/जेएस-।/4572 दिनांक 15.04.2004 में निहित अनुदेश भी, आवश्यक परिवर्तनों सहित सोशल मीडिया वेबसाइटों के सहित वेबसाइट पर लागू होंगे और पूर्व-प्रमाणन की परिधि में आएंगे।

इसलिए, आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों द्वारा सोशल मीडिया वेबसाइटों सहित इंटरनेट आधारित कोई भी मीडिया/वेबसाइटों के लिए कोई भी राजनीतिक विज्ञापन, उसी फार्मेट और उन्हीं प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए सक्षम प्राधिकारियों से पूर्व-प्रमाणन कराए बिना रिलीज नहीं किए जाएं,जैसाकि पूर्वोक्त आदेशों में संदर्भित है।

ग. सोशल मीडिया वेबसाइटों सहित इंटरनेट के माध्यम से प्रचार पर व्यय

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77, उप-धारा (1) के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अपेक्षित है कि वे उस तारीख, जिस दिन उन्होंने नाम-निर्देशन दाखिल किया है और वह तारीख, जब उसके परिणाम की घोषणा हुई है, दोनों ही दिन सम्मिलित, के बीच अपने या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन से संबंधित सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखे। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में कॉमन क्रॉज बनाम भारत संघ में निर्देश दिया गया था कि राजनीतिक दलों को भी निर्वाचनों के खर्च का एक विवरण भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करना चाहिए और ऐसे विवरण विधान सभा निर्वाचनों के 75 दिनों और लोक सभा निर्वाचनों के 90 दिनों के भीतर प्ररस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं । यह स्पष्ट है कि सोशल मीडिया में कोई विज्ञापन के माध्यम से निर्वाचन प्रचार पर होने वाला व्यय निर्वाचनों से संबंधित सभी व्यय का हिस्सा है।

कोई भी अस्पष्टता दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है कि अभ्यर्थी व्यय का सही लेखा अनुरक्षित करने और व्यय का विवरण प्रस्तुत करने, दोनों, के लिए प्रचार के सभी व्ययों में सोशल मीडिया के विज्ञापनों के व्यय भी सम्मिलित होंगे। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, विज्ञापनों को देने के लिए इंटरनेट कंपनियों और वेबसाइटों को किए गए भुगतान के साथ-साथ विषय-वस्तु के रचनात्मक विकास पर होने वाले प्रचार संबंधी प्रचालनात्मक व्यय, ऐसे अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों द्वारा अपने सोशल मीडिया एकाउन्ट्स को बनाए रखने के लिए नियोजित कामगारों की टीम को दिए गए वेतनों और पारिश्रमिकों पर प्रचालनात्मक व्यय, आदि सम्मिलित होंगे।

घ. सोशल मीडिया सहित इंटरनेट पर विषय-वस्तु पर आदर्श आचार संहिता का लागू होना

आयोग ने निर्वाचनों के दौरान राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता बनाई हुई है जो आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा करने की तिथि से लेकर निर्वाचनों के सम्पन्न होने तक लागू रहती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि आदर्श आचार संहिता के उपबंध और आयोग के समय-समय पर जारी सम्बद्ध अनुदेश अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया वेबसाइट सहित इंटरनेट पर डाले जाने वाली विषय-वस्तु पर भी लागू होंगे ।

ड. जहां तक अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों से इतर व्यक्तियों द्वारा डाली गई विषय-वस्तु का संबंध है, आयोग इस मुद्दे से निपटने के व्यावहारिक तरीकों, जहां तक कि वे राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के निर्वाचन प्रचार से जुड़ी हैं, या उनसे तर्कसंगत रूप से जोड़ा जा सकता है, पर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परामर्श से इस मामले पर विचार कर रहा है।

कृपया ये अनुदेश तत्काल आवश्यक कार्रवाई के लिए अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों, मीडिया और निर्वाचन प्रेक्षकों सहित सभी संबंधितों के ध्यान में लाए जाएं ।

भवदीय,

ह0/-

(राहुल शर्मा)

अवर सचिव

टेलीफोन: 011-23052070

ई.मेल-rahulsharma. eci@gmail.com

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.: 491/एस एम/संचार/2013 दिनांक: 16 अप्रैल, 2014

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: सोशल नेटवर्किंग साइटों एवं ई-पेपर्स के संबंध में स्पष्टीकरण - तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे सभी संबंधितों को सूचना एवं अनुपालन के लिए निम्नलिखित के बारे में स्पष्टीकरण देने का निदेश हुआ है।

i) संदेशों/टिप्पणियों/चित्रों/वीडियो के रूप में वेबसाइट/सोशल मीडिया वेबसाइटों पर ब्लॉगों/'सेल्फ एकाउंटस' में डाली/अपलोड की गई किसी भी राजनैतिक सामग्री को राजनैतिक विज्ञापन के रूप में नहीं समझा जाएगा और इसलिए इसके पूर्व-प्रमाणन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भले ही इसे राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों द्वारा ही डाला/अपलोड किया जाए, तब भी यह राजनैतिक विज्ञापन के अभिप्राय के अंतर्गत नहीं आएगा और आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों/मार्गनिर्देशनों के अध्यधीन नहीं होगा।

ii) आयोग के दिनांक 26.02.2014 के पत्र सं. 491/पेड-न्यूज़/2014 में अंतर्निहित उपबंधों के अनुसार किसी भी समाचार पत्र के ई-पेपर्स में जारी किए गए राजनैतिक विज्ञापनों के लिए निरपवाद रूप से संबंधित समिति द्वारा पूर्व-प्रमाणन की आवश्यकता होगी।

भवदीय,

(राहुल शर्मा)
अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.: 491/एस एम/2015/संचार दिनांक: 6 सितंबर, 2016

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: सोशल मीडिया का प्रयोग: तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

हाल ही में, सोशल मीडिया ने संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। मतदाताओं के साथ बेहतर आउटरीच एवं संचार और उन तक निर्वाचन संबंधी सूचना का प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया के प्रयोग हेतु मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हाल ही के निर्वाचनों में, अनेक राज्यों ने निर्वाचकों, विशेष रूप से युवाओं एवं अन्य हितधारकों के साथ संचार के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग अलग-अलग तरीके से एक साधन एवं प्लेटफार्म के रूप में किया है।

2. मतदाताओं एवं अन्य हितधारकों के साथ सूचना तथा संचार के लिए सोशल मीडिया की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने राज्य/संघ शासित क्षेत्र या जिला स्तर पर सोशल मीडिया का प्रयोग करने हेतु क्षमताएं बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है। सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों से फेसबुक, ट्विटर या यू-ट्यूब चैनल पर अपने आधिकारिक खाते शुरू करने की अपेक्षा की जाती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सोशल मीडिया प्लेटफार्म द्वारा मुख्य रूप से मतदाता शिक्षा, मतदाता पंजीकरण, आदर्श आचार संहिता,

पूर्व प्रमाणन और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में सूचना का प्रचार किया जाना चाहिए। उन्हें मतदाताओं, विशेष रूप से विद्यार्थियों एवं युवाओं से स्वीप क्रिएटिव की जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सोशल मीडिया का सार्थक प्रयोग करने और साथ ही एम सी एम सी, आचार संहिता, पूर्व-प्रमाणन, विभिन्न हितधारकों के सुझावों पर कार्रवाई करने के लिए अपने कार्यालयों में सोशल मीडिया सेल की स्थापना करनी चाहिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सोशल मीडिया के व्यावसायिक रूप से प्रयोग करने के लिए विशेषज्ञ एजेंसी एवं आवश्यक स्टाफ का उपयोग कर सकते हैं।

3. इसी तरह से, जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी (डी ई ओ) को निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक सूचना का प्रचार करने के लिए सी ई ओ कार्यालय हेतु यथा निर्देशित इसी प्रकार के प्रस्ताव की भी पहल करनी चाहिए। फील्ड स्तर पर सोशल मीडिया के लिए दृश्य, श्रव्य और चित्र जैसे अन्य प्रचार कार्यकलापों के अभिग्रहण जैसे कार्यकलापों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्राप्त की गई शिकायतों का उचित रूप से निराकरण किया जाना चाहिए।

4. यह भी निदेश दिया जाता है कि निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण प्रक्रिया जैसी एन ई आर पी से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना का अत्यधिक नवोन्मेषी और रोचक तरीके से मतदाताओं और हितधारकों में प्रचार किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पृष्ठों के साथ सहयोग या सहभागिता और सिविल सोसायटी या शैक्षणिक संस्थानों के साथ संपर्क करने से आपसी सहयोग विकसित करने में सहायता मिलेगी।

5. भारत निर्वाचन आयोग स्तर पर स्थापित किया जाने वाला प्रस्तावित सोशल मीडिया प्रकोष्ठ, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और जिलों के निष्पादन का नियमित रूप से अनुवीक्षण करेगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यापक एवं प्रभावकारी प्रयोग के लिए उनका मार्गदर्शन भी करेगा और समय-समय पर राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा।

6. सी ई ओ यथा निर्देशित आवश्यक उपाय करेंगे और इस संबंध में सभी डी ई ओ को आवश्यक अनुदेश जारी करेंगे।

7. सी ई ओ सोशल मीडिया के प्रयोग के संबंध में हाल ही में मतदान संपन्न हुए राज्यों के अन्य सी ई ओ के साथ भी उनके अनुभवों के बारे में परामर्श कर सकते हैं।

भवदीय,

(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक

सोशल मीडिया के संबंध में प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र. क्या अभ्यर्थियों को नाम-निर्देशन फाइल करते समय अपने सोशल मीडिया खातों के बारे में विवरण देना पड़ता है?

उ. अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन फाइल करते समय फॉर्म-26 के पैरा 3 में प्रामाणिक सोशल मीडिया खाते (यदि कोई है) के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

प्र. क्या सोशल मीडिया साइट संबंधी राजनैतिक विज्ञापन पूर्व-प्रमाणन की सीमा में आते हैं?

उ. हां। चूंकि परिभाषा के अनुसार सोशल मीडिया वेबसाइट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हैं, इसलिए राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन से संबंधित आयोग के अनुदेश सोशल मीडिया वेबसाइट सहित, *आवश्यक परिवर्तन के साथ,* वेबसाइटों पर भी लागू होंगे।

प्र. क्या आदर्श आचार संहिता सोशल मीडिया सहित इंटरनेट संबंधी विषय वस्तु पर भी लागू होती है?

उ. हां। आदर्श आचार संहिता के उपबंध और समय-समय पर जारी किए गए आयोग के संबंधित अनुदेश अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया वेबसाइट सहित इंटरनेट पर डाली जाने वाली विषय-वस्तु पर भी लागू होंगे।

प्र. क्या अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों को अपना अंतिम व्यय विवरण प्रस्तुत करते समय सोशल मीडिया संबंधी विज्ञापन पर किए गए व्यय सहित प्रचार संबंधी सभी व्यय शामिल करने होते हैं?

उ. हां। अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों को अपने अंतिम निर्वाचन व्यय विवरण प्रस्तुत करते समय सोशल मीडिया पर विज्ञापन पर किए गए खर्च सहित, प्रचार अभियान पर किया गया समस्त व्यय शामिल करना होता है। इसमें विज्ञापन जारी करने वाली इंटरनेट कंपनियों एवं

वेबसाइट को किया गया भुगतान और विषय वस्तु का सृजनात्मक विकास करने पर प्रचार से संबंधित प्रचालनात्मक व्यय, ऐसे अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों द्वारा अपने सोशल मीडिया खातों को संभालने के लिए नियुक्त किए गए कर्मिकों के दल को भुगतान किए गए वेतन एवं पारिश्रमिक संबंधी प्रचालनात्मक व्यय भी शामिल होंगे।

प्र. क्या संदेशों/चित्रों/टिप्पणियों/वीडियो/ब्लॉग्स/वेबसाइट पर स्वयं के खातों के रूप में विषय-वस्तु को राजनैतिक विज्ञापन के रूप में समझा जाएगा और क्या इसलिए पूर्व-प्रमाणन प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ेगी?

उ. नहीं। वेबसाइट पर ब्लॉग्स/अपने एकाउटंस पर पोस्ट किए गए/अपलोड किए गए संदेशों/टिप्पणियों/चित्रों/ वीडियो के रूप में किसी भी राजनैतिक सामग्री को राजनैतिक विज्ञापन के रूप में नहीं माना जाएगा और इसीलिए पूर्व-प्रमाणन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भले ही इसे राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों द्वारा ही क्यों न पोस्ट/अपलोड किया गया हो।

प्र. क्या किसी भी समाचार-पत्र के ई-पेपर में जारी किए गए राजनैतिक विज्ञापन के लिए पूर्व-प्रमाणन की आवश्यकता होगी?

उ. हां। किसी भी समाचार-पत्र के ई-पेपर में जारी किये गए राजनैतिक विज्ञापन के लिए संबंधित एम सी एम सी द्वारा अनिवार्य रूप से पूर्व-प्रमाणन की आवश्यकता होगी।

प्र. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आयोग की सोशल मीडिया में किस प्रकार शामिल होते हैं?

उ. मुख्य निर्वाचन अधिकारियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों से एक बेहतर संवादात्मक प्रणाली स्थापित करने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि पर अपने आधिकारिक खातों को सक्रिय किए जाने की अपेक्षा की जाती है। सोशल मीडिया को व्यावसायिक रूप से संभालने और मतदाता जागरूकता, पूर्व-प्रमाणन, आदर्श आचार संहिता आदि से संबंधित सभी आवश्यक सूचना का प्रचार करने के लिए सी ई ओ द्वारा एक सोशल मीडिया सेल भी स्थापित किया जाएगा। इस प्लेटफार्म पर प्राप्त सभी शिकायतों का उचित रूप से प्रत्युत्तर दिया जाएगा।

प्र. आयोग ने सोशल मीडिया जगत में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए क्या-क्या कदम उठाने की योजना बनाई है ?

उ. भारत निर्वाचन आयोग के स्तर पर, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और जिलों की निष्पादकता का अनुवीक्षण करने एवं उन्हें सोशल मीडिया के प्रयोग को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए उनका मार्गदर्शन करने एवं उन्हें प्रशिक्षित करने, सामान्य लोगों के लिए इसे अधिकाधिक संवादात्मक बनाने एवं रूचिकर बनाने के लिए एक सोशल मीडिया सेल स्थापित किया जाना है।

ग.

निर्वाचन प्रक्रिया के कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं

अनुदेशों का सार

(i) निर्वाचन प्रक्रिया के कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों को उपलब्ध कराई जानी वाली सुविधाएं

भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचनों के मीडिया कवरेज के लिए और निर्वाचन प्रक्रिया को पर्याप्त एवं प्रभावकारी कवरेज प्रदान करने हेतु मीडिया को हर संभव यथोचित सुविधा देने के लिए दिशानिर्देशतैयार किए हैं। इस संबंध में विस्तृत आदेश 27 मार्च, 1996 (पृष्ठ सं. 102-113) और 27 अप्रैल, 2004 (पृष्ठ सं. 115-122) को जारी किए गए हैं।

(ii) निर्वाचनों की प्रक्रिया के कवरेज के लिए

कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई भी प्रतिबंध लगाने हेतु सक्षम प्राधिकारियों की शक्तियों के अध्यधीन, मीडिया कर्मियों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे किसी भी निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें निर्वाचन आयोजित किए जा रहे हों, में घूमने और आने-जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है और प्रत्येक व्यक्ति निर्वाचनों का अवलोकन करने के लिए स्वतंत्र है।

तथापि, कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित नियमों (पृष्ठ 103-105) में उल्लिखित सीमा के अलावा अधिकार के तौर पर किसी भी मतदान केन्द्र या मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं कर सकता है:

(i) निर्वाचन संचालन नियम, 1961 का नियम 32 - मतदान केन्द्रों के लिए

(ii) निर्वाचन संचालन नियम, 1961 का नियम 53 (I) - मतगणना केन्द्रों के लिए

(iii) राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 का नियम 13 - मतदान केन्द्रों के लिए

(v) राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 का नियम 28 - मतगणना केन्द्रों के लिए

(III) मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया की कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों को प्राधिकार पत्र जारी करना

साधारण निर्वाचनों/उप-निर्वाचनों/द्विवार्षिक निर्वाचनों की घोषणा के बाद, मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों में प्रवेश करने के लिए प्राधिकार का जारी करने हेतु मीडिया कर्मियों से प्राप्त अनुरोधों को प्राप्त करने तथा विशिष्ट सिफारिशों के साथ प्रेषित करने के लिए आयोग प्रायोजक प्राधिकारियों को एक पत्र जारी करता है। (पृष्ठ सं. 105)

प्रायोजक प्राधिकारी

प्रायोजक प्राधिकारियों में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

साधारण निर्वाचनों/उप-निर्वाचनों/द्विवार्षिक निर्वाचनों के लिए (पृष्ठ सं. 105)

1) प्रधान सूचना अधिकारी (अब प्रधान महानिदेशक (मीडिया एवं संचार) पी आई बी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्यायित मीडिया कर्मियों के लिए और
2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित संबंधित राज्यों के सूचना एवं जन संपर्क निदेशक (या समतुल्य अधिकारी) और संबंधित राज्य/संघ शासित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन हेतु (पृष्ठ सं. 109)

3) नई दिल्ली में मतदान/मतगणना के लिए निर्वाचन का रिटर्निंग अधिकारी
4) राज्य मुख्यालय में मतदान के लिए संबंधित राज्य में सहायक रिटर्निंग अधिकारी

प्रायोजक संगठन केवल उन मीडिया कर्मियों के नामों को ही प्रायोजित करेगें; जिनकी पहचान के बारे में उन्हें यह विश्वास है कि वह एक प्रामाणिक मीडियाकर्मी है। प्राधिकार-पत्र/मीडिया पास जारी करने के लिए संस्तुत मीडिया कर्मियों की कुल संख्या उचित संख्या के भीतर होगी, जिसके बारे में भारत निर्वाचन आयोग या इसकी ओर से किसी प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। (पृष्ठ सं. 106)

(IV) प्रायोजक प्राधिकारियों से मीडिया कर्मियों की सूची प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख

आयोग प्रत्येक निर्वाचन के मामले में प्रायोजक प्राधिकारियों से मीडिया कर्मियों की विधिवत प्रायोजित सूची की प्राप्ति के लिए एक अंतिम तारीख निर्धारित करेगा। अंतिम तारीख मतदान की तारीख से पहले 15 दिन से बाद की नहीं होगी। अंतिम तारीख के बाद प्राप्त हुए किसी आवेदन पर संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी की संस्तुति द्वारा केवल दैवीय कृत्य, मृत्यु या बीमारी आदि जैसे आपवादिक मामलों में ही विचार किया जाएगा। प्रायोजक प्राधिकारियों से प्राप्त अलग-अलग आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा (पृष्ठ सं. 106)

(V) <u>अप्रत्यायित संवाददाताओं के लिए प्राधिकार पत्र</u>

प्रत्यायित संवाददाताओं के अतिरिक्त, अन्य प्रामाणिक मीडिया कर्मियों को भी प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रायोजित किया जा सकता है। ऐसे मीडिया व्यक्तियों के नामों की जांच करना और उन्हें प्रायोजित करना तथा अस्थाई एवं आकस्मिक प्रत्यायन प्रदान करने के साथ-साथ उपयुक्त नीतियां निर्धारित करना, भले ही यह निर्वाचन प्रक्रिया को कवर करने के लिए सीमित अवधि के लिए ही हो, प्रधान महानिदेशक (मीडिया एवं संचार) एवं संबंधित राज्य के निदेशक सूचना एवं लोक संपर्क (डी आई पी आर) पर निर्भर करता है। तथापि, निर्वाचन आयोग केवल ऐसे मामलों पर ही विचार करेगा, जो संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से संस्तुत किए गए हों। (पृष्ठ सं. 107)

(VI) <u>किसी एक आवेदक द्वारा कवर किए जा सकने वाले निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या</u>

किसी आवेदक द्वारा कवर किए जा सकने वाले निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। एक से अधिक व्यक्ति वाली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य के लिए एक पृथक प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता होगी। (पृष्ठ सं. 107)

(VII) **<u>मतगणना के लिए प्राधिकार पत्र</u>**

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम को एक गणना केन्द्र के लिए दो से अधिक पास नहीं दिए जाने चाहिएं और इस बात पर बल दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य के लिए एक

पृथक प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता होगी। प्रिंट मीडिया के लिए प्रति समाचार एजेंसी/समाचार पत्र को केवल एक ही पास दिया जाना चाहिए। (पृष्ठ सं. 117)

(VIII) <u>प्राधिकार पत्रों पर हस्ताक्षर करना</u>

आयोग ने अपने दिनांक 27.03.1996 के आदेश के तहत यह निदेश दिया है कि संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक प्राधिकार पत्र पर अपने हाथ से हस्ताक्षर करेगा (किसी भी प्रतिकृति या रबड़ की मोहर का प्रयोग नहीं किया जाएगा) (पृष्ठ सं. 108)। तथापि, आयोग ने दिनांक 25.03.1997 के अपने पत्र के तहत यह निदेश दिया है कि सीईओ के अलावा सी ई ओ कार्यालय में एक अतिरिक्त अधिकारी को भी प्राधिकार पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा (पृष्ठ सं. 114)।

मीडिया को सुविधा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ, आयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2014 के दौरान, अपने दिनांक 18.03.2014 के पत्र के तहत यह निदेश दिया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी को जिले में मीडिया के व्यक्तियों के लिए प्राधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार प्रत्यायोजित किया जा सकता है। (पृष्ठ सं. 123)

(IX) <u>मतदान केन्द्रों के भीतर वास्तविक मतदान की कवरेज</u>

पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र के भीतर वास्तविक मतदान की कवरेज के लिए, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के आधार पत्र मतदान बूथ के भीतर मीडिया व्यक्तियों का प्रवेश नियंत्रणीय समूहों में अनुमत्य किया जाएगा, बशर्ते यह प्रतिबंध होगा कि मीडिया व्यक्तियों को फोटोग्राफ/फिल्म लेने के लिए मतदान कंपार्टमेंट के नजदीक जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि मत की गोपनीयता भंग न हो।

यह अपेक्षा की जाती है कि सभी मीडिया कर्मी इस संबंध में आवश्यक सहयोग देंगे और किसी भी स्थिति में मतदान की प्रक्रिया अवरूद्ध नहीं होने दी जाएगी। (पृष्ठ सं. 108-109)

(X) <u>मीडिया केन्द्र</u>

निर्वाचनों के दौरान, विशेष रूप से निर्वाचन संबंधी सूचना का प्रचार करने के प्रयोजन से मीडिया केन्द्र, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय परिसर में स्थापित किए जाते हैं। जिला सूचना अधिकारियों के स्तर के अधिकारी जिला मीडिया केन्द्र के प्रभारी होंगे और उनके संपर्क पते एवं टेलीफोन नंबर काफी पहले परिचालित कर दिए जाते हैं। मीडिया

केन्द्र निर्वाचनों की अधिसूचना की तारीख से कार्य करना शुरू करेंगे और निर्वाचन प्रचार की अवधि के अंत तक कार्यालयीय समय के दौरान और उसके पश्चात् निर्वाचन प्रक्रिया के अंत तक चौबीसों घंटे खुले रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में, एक अपर/संयुक्त सी ई ओ मीडिया केन्द्र सुविधा केंद्रों का प्रभारी होगा (पृष्ठ सं. 111-112)।

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव/मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, प्रधान सूचना अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, महासचिव, लोकसभा, नई दिल्ली, महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली, सचिव, भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, सचिव, भारत सरकार, विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग, नई दिल्ली, और सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के सचिवों, सूचना एवं जन संपर्क और सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के सूचना एवं जन संपर्क निदेशकों को संबोधित निर्वाचन आयोग का दिनांक 27.03.1996 का पत्र संख्या 491/96/एमसीएस।

आदेश

विषय: मीडिया कर्मियों को निर्वाचन प्रक्रिया की कवरेज के लिए दी जाने वाली सुविधाएं

आयोग के दिनांक 14.12.94 के समसंख्यक आदेश के आंशिक संशोधन में निम्नलिखित आदेश जारी किया जाता है।

I. निर्वाचन सार्वजनिक मामलों में जन सहभागिता का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और निर्वाचन आयोग यथा व्यवहार्य पारदर्शिता के साथ निर्वाचनों के संचालन को अत्यधिक महत्व देता है। इसे संभव बनाने और, निर्वाचनों के नियमों और निर्वाचकों के अधिकारों पर प्रतिकूल रूप से अतिक्रमण किए बिना निर्वाचन प्रक्रिया को पर्याप्त एवं प्रभावी कवरेज प्रदान करने के

लिए मीडिया को सभी उचित सुविधा देने हेतु निर्वाचन की मीडिया कवरेज संबंधी निम्नलिखित दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

<u>प्राधिकार पत्र जारी करना</u>

1. निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 32, जो निर्वाचन केन्द्रों में प्रवेश को नियमित करता है, को तत्काल संदर्भ की सुविधा के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया जाता है:-

''32. मतदान केन्द्रों में प्रवेश- पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र में एक ही समय प्रवेश करने वाले निर्वाचकों की संख्या को विनियमित करेगा, तथा नीचे दिए गए व्यक्तियों के अलावा वहां से सबको अपवर्जित कर देगा : -

(क) मतदान अधिकारी;
(ख) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ लोक सेवक;
(ग) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;
(घ) अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और नियम 13 के उपबंधों के अध्यधीन प्रत्येक अभ्यर्थी का एक मतदान अभिकर्ता;
(ड़) छोटे बच्चों को गोद में लेकर आने वाली महिलाएं;
(च) किसी दृष्टिविहीन या विकलांग निर्वाचक के साथ आने वाला व्यक्ति; तथा
(छ) ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें, रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन अधिकारी उप नियम 35क नियम 34 के उप-नियम (2) के अधीन नियोजित करे।''

i. मतों की गणना के लिए निर्धारित किसी स्थान पर प्रवेश निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 53 (1) के उपबंधों द्वारा शासित होता है, जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया जाता है:

''53. मतगणना के लिए नियत स्थान में प्रवेश - रिटर्निंग अधिकारी मतों की गणना के लिए नियत स्थान से निम्नलिखित व्यक्तियों के सिवाय सभी को अपवर्जित कर देगा -

(क) ऐसे व्यक्ति, (जो गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक कहलाएंगें), जिन्हें वह गणना में अपनी सहायता के लिए नियुक्त करें;
(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;
(ग) निर्वाचन के संबंध में कर्त्तव्यारूढ़ लोक सेवक; और
(घ) अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और गणन अभिकर्ता।''

3. उपर्युक्त नियम निम्नलिखित निर्वाचनों पर लागू होंगे:

(1) राज्य सभा,

(2) लोक सभा,

(3) राज्य विधान परिषद् और

(4) राज्य विधान सभा।

4.राष्ट्रपतीय एवं उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचनों के मामलों में, संगत नियम ''राष्ट्रपतीय एवं उप- राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974'' के नियम 13 और नियम 28 हैं जिन्हें नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

'' 13. मतदान के स्थान पर प्रवेश - पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सभी व्यक्तियों को मतदान स्थल से निकाल देगा:

(क) मतदान अधिकारी एवं कर्त्तव्यारूढ़ अन्य सरकारी कर्मचारी;

(ख) अभ्यर्थी, एवं प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित में प्राधिकृत एक प्रतिनिधि;

(ग) निर्वाचक;

(घ) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;

(ड.) ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें पीठासीन अधिकारी मतदान के संचालन में उसे मदद करने के प्रयोजन हेतु समय-समय पर रखें''

'' 28 मतगणना के लिए नियत स्थान में प्रवेश-

रिटर्निंग अधिकारी मतों की गणना के लिए नियत केंद्र से निम्नलिखित व्यक्तियों के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति को अपवर्जित कर देगा :-

(क) ऐसे व्यक्ति के, जिन्हें वह गणना में अपनी सहायता के लिए नियुक्त करें;

(ख) अभ्यर्थी और हर एक अभ्यर्थी द्वारा लिखित में प्राधिकृत एक समय में एक प्रतिनिधि;

(ग) निर्वाचन के संबंध में कर्त्तव्यारूढ़ लोकसेवक; और

(घ) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,

5. कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई प्रतिबंध लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की शक्तियों के अध्यधीन, मीडिया कर्मियों सहित किसी व्यक्ति द्वारा कि किसी निर्वाचन क्षेत्र, जहां निर्वाचन आयोजित किया जा रहा है, में दौरा करने या इधर-उधर जाने के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है और प्रत्येक व्यक्ति निर्वाचनों का अवलोकन करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, मतदान केन्द्रों

और मतगणना केन्द्रों में प्रवेश उपर्युक्त सांविधिक उपबंधों द्वारा पूर्ण रूप से विनियमित होता है।

6. कोई भी व्यक्ति उपर्युक्त उद्धृत नियमों में उल्लिखित सीमा के सिवाय अधिकार मानते हुए किसी मतदान केन्द्र या मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं कर सकता है।
7. मतदान एवं मतगणना से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े व्यक्तियों के अतिरिक्त, केवल ऐसे व्यक्ति ही, मतदान केन्द्रों एवं मतगणना केन्द्रों में प्रवेश कर सकते हैं, जो निर्वाचन आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किए गए हैं । मीडिया कर्मियों सहित व्यक्तियों को प्रवेश पास जारी करने के निर्वाचन आयोग के विशिष्ट अधिकार में किसी व्यक्ति को प्रवेश पास जारी करने से इंकार करने का अधिकार भी शामिल है, बशर्ते कि आयोग की राय में ऐसा किए जाने हेतु पर्याप्त कारण हों।
8. आयोग के पर्यवेक्षण, दिशानिर्देशऔर नियंत्रण के अंतर्गत आयोजित किसी निर्वाचन की प्रक्रिया को कवर करने के इच्छुक मीडिया कर्मियों को उपलब्ध की जाने वाली सुविधाओं के लिए मानक दिशानिर्देशनिर्धारित करने का विषय आयोग का ध्यान आकर्षित करता रहा है। आयोग ने इस संबंध में विगत अनुभव और निर्वाचन प्रक्रिया को कवर करने में सक्षम होने के लिए मीडिया के सरोकारों पर ध्यान देने के लिए समीक्षा की है।
9. सभी संगत कारकों पर सावधानीपूर्वक सोच-विचार के पश्चात और इस संबंध में सभी पूर्व निदेशों का अतिक्रमण करते हुए, इसके पश्चात्, राज्य सभा, लोक सभा, विधान सभा और विधान परिषदों के सभी निर्वाचनों के लिए कड़ाईपूर्वक एवं समानपूर्वक अनुपालन किए जाने हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देशजारी किए जाते हैं।
10. जितनी जल्दी व्यवहार्य हो, साधारण निर्वाचनों/उप-निर्वाचनों/द्विवार्षिक निर्वाचनों की घोषणा के बाद, आयोग प्रायोजक प्राधिकारियों को एक पत्र अथवा संदेश जारी करेगा जिसमें (1) राष्ट्रीय स्तर पर पी आई बी द्वारा प्रत्यायित मीडिया कर्मियों के लिए प्रधान सूचना अधिकारी और (2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित संबंधित राज्यों के सूचना और जन संपर्क निदेशक (या समतुल्य अधिकारी) शामिल होंगे तथा मीडिया कार्मियों से मतदान केन्द्रों एवं मतगणना केन्द्रों में प्रवेश हेतु निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राधिकार पत्र जारी किए जाने के लिए आवेदन प्राप्त करने और विशेष संस्तुति के साथ अग्रसरित करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ शासित राज्यों के मुख्य निर्वाचक अधिकारियों को एक पत्र अथवा संदेश जारी करेगा।

    प्रायोजक प्राधिकारी केवल उन मीडिया कर्मियों के नाम प्रायोजित करेंगे, जिन प्रामाणिक मीडिया कर्मियों की पहचान के बारे में वे संतुष्ट हैं। प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए संस्तुत मीडिया कर्मियों की कुल संख्या उचित संख्या के भीतर होगी।

10.1 आयोग प्रत्येक निर्वाचन के मामले में प्रायोजक अधिकारियों/मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से प्राधिकार पत्रों के लिए विधिवत प्रायोजित अनुरोधों को आयोग के कार्यालय में प्राप्त करने के लिए एक अंतिम तारीख निर्धारित करेगा, जिसे मीडिया कर्मियों के लिए प्राधिकार पत्र तैयार करने और इसे प्रेषित करने के लिए पी आई ओ एवं सी ई ओ के पास ऐसे आवेदनों के पहुंचने के संबंध में समय से निर्णय लेने के विचार से मतदान/मतगणना की तारीख को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा। विधिवत प्रायोजित आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख, मतदान की तारीख से 15 दिन पूर्व से बाद की नहीं होगी।

10.2 प्रत्येक मामले में आयोग द्वारा निर्धारित की गई तारीख के बारे में सभी मीडिया कर्मियों को सूचित करना और आयोग के पास उनकी संस्तुतियां निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पहुंचना सुनिश्चित करना प्रायोजक प्राधिकारियों/सी ई ओ का उत्तरदायित्व होगा। केवल दैवीय घटना, मृत्यु या बीमारी आदि जैसे आपवादिक मामलों में अंतिम तारीख के बाद प्राप्त किसी आवेदन पर संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी, जिसे निजी रूप से प्रामाणिकता और कठिनाई के बारे में संतुष्ट होना चाहिए और जिसे संस्तुति देने से पहले आयोग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, द्वारा विचार किया जाएगा। ऐसी संस्तुतियां केवल आपवादिक मामलों में ही दी जानी चाहिए।

10.3 दिल्ली में पी आई बी में प्रत्यायित मीडिया कर्मियों के संबंध में प्राधिकार पत्रों के लिए लिखित अनुरोध प्रधान सूचना अधिकारी द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिए और प्रधान सूचना अधिकारी द्वारा आयोग को एक समेकित सूची प्रत्यक्ष रूप से और पैरा 10.2 में संदर्भित नियत समय-सीमा के भीतर भेजी जानी चाहिए। दिल्ली में सूचना एवं जन संपर्क राज्य निदेशालय द्वारा प्रत्यायित परंतु पी आई बी द्वारा अप्रत्यायित मीडिया कर्मियों के लिए उक्त निदेशक द्वारा इसी प्रकार की संस्तुतियां आयोग को सी ई ओ, दिल्ली के परामर्श से निर्धारित तारीख के अंतर्गत की जानी चाहिए।

10.4 दिल्ली से बाहर के मीडिया कर्मियों के मामले में, उनके अनुरोधों की सूचना एवं जन संपर्क निदेशालय या समतुल्य (राज्य/संघ शासित क्षेत्र में किसी भी नाम से अभिज्ञात) द्वारा विधिवत रूप से संवीक्षा की जानी चाहिए और उन्हें प्रायोजित किया जाना चाहिए तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अग्रसरित किया जाना चाहिए जो संबंधित आई एंड आर के राज्य निदेशकों से आवश्यक परामर्श के बाद, प्रायोजित, समेकित सूची को निर्वाचन आयोग के पैरा 10.2 में संदर्भित नियत समय के भीतर अग्रसरित करेगा।

10.5 प्रत्यायित संवाददाताओं के अलावा अन्य प्रामाणिक मीडिया कर्मियों को भी प्राधिकार पत्रों को जारी करने के लिए प्रायोजित किया जा सकता है। ऐसे मीडिया कर्मियों के नामों की संवीक्षा करना और उन्हें प्रायोजित करना तथा अस्थाई या आकस्मिक प्रत्यायन, भले ही यह निर्वाचन प्रक्रिया को कवर करने के लिए सीमित अवधि के लिए हो, प्रदान करने सहित उपयुक्त नीतियां निधारित करना पी आई ओ और आई एंड पी आर के संबंधित राज्य विभागों का उत्तरदायित्व है। तथापि, निर्वाचन आयोग केवल ऐसे मामलों पर विचार करेगा, जो संबंधित प्रायोजक अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से संस्तुत किए जाएंगें।

10.6 प्रायोजक प्राधिकारियों/मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त किन्हीं भी पृथक खण्डश: आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

10.7 प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम, पदनाम, समाचार एजेंसी/समाचार-पत्र/पत्रिका/इलैक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल, जिसका आवेदक प्रतिनिधित्व करता है, और निर्वाचन क्षेत्र के नाम, जिन्हें वह कवर करना चाहता है, का पूर्ण विवरण देना चाहिए। किसी आवेदक द्वारा कवर किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों, की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। एक से अधिक व्यक्ति वाली मीडिया टीम के लिए प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग प्राधिकार पत्र की आवश्यकता होगी।

10.8 आयोग द्वारा किसी भी स्थिति में कोई बहु प्रयोजनीय प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा। प्रायोजक प्राधिकरी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी/राज्य सूचना विभागों को प्राप्त हुए सभी अनुरोधों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए उनकी संस्तुतियां एक यथोचित संख्या के अंतर्गत होनी चाहिए।

10.9 आयोग सामान्य तौर से मीडिया/समाचार कवरेज के लिए प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति या एजेंसी से प्राप्त अनुरोधों पर विचार नहीं करेगा।

11. प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए राज्य के सूचना विभागों के माध्यम से व्यापक प्रचार करना और यह सुनिश्चित करना कि संस्तुतियां आयोग को समयपूर्वक भेज दी गई हैं, प्रायोजक प्राधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का उत्तरदायित्व है।

12. प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र की आवश्यकतानुसार मशीन द्वारा अंकित/सुरक्षा मुद्रित प्राधिकार पत्रों की क्रम संख्याओं को रजिस्टर में दर्ज करने के पश्चात्, इन्हें अग्रिम में संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजा जाएगा। प्रेस सूचना अधिकारी एवं संबद्ध राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्धारित अंतिम तारीख के भीतर प्राधिकार-पत्र जारी करने के लिए राज्य निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क के परामर्श से मीडिया कर्मियों के नाम आयोग को प्रायोजित करेगा। प्राधिकार पत्र जारी किए जाने वाले व्यक्तियों की सूची के लिए निर्वाचन आयोग के विशिष्ट

लिखित अनुमोदन की सूचना संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस निदेश के साथ दी जाएगी कि उसे प्राधिकार पत्र में विवरण भरने चाहिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आयोग की ओर से प्राधिकार-पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत होगा। वे अपने हाथ से अनुमोदित सूची के अनुसार ऐसे प्राधिकार-पत्रों पर हस्ताक्षर करेंगे (किसी प्रतिकृति या रबड़ की मोहर का प्रयोग नहीं किया जाएगा) और इसे संबद्ध व्यक्ति को सुपुर्द करेंगे। वे रजिस्टर में एक सूची भी बनायेंगे, जिसमें उन्हें व्यक्ति का विवरण और जारी किए गए प्राधिकार-पत्रों की क्रम संख्या लिखनी चाहिए। अनुमोदित सूची में दिए गए नामों को कहीं भी किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, कदापि नहीं किया जाएगा।

12.1 रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारियों और निर्वाचन संबंधी किन्हीं अन्य अधिकारियों के पास ऐसे प्राधिकार पत्र रहित व्यक्तियों को मतदान/मतगणना के स्थान से दूर रखने का पूर्ण अधिकार और उत्तरदायित्व है।

13. जारी किए गए प्राधिकार पत्र आयोग द्वारा लगाई गई शर्तों के अध्यधीन होंगे जैसाकि प्राधिकार पत्रों में उल्लिखित है। ऐसी शर्तों का कोई भी उल्लंघन स्वत: प्राधिकार-पत्र को अवैध कर देगा।

14. पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसे प्राधिकार-पत्रों के सत्यापन के पश्चात् ही प्राधिकार-पत्र धारी मीडिया कर्मियों को मतदान केन्द्रों के अंदर वास्तविक मतदान की कवरेज करने के लिए प्रवेश करने हेतु अनुमत्य किया जा सकेगा। तथापि, उन्हें बहुत कम संख्या में बैचों में भीतर जाने दिया जाएगा और उनकी वास्तविक संख्या कमरे के आकार एवं उपलब्ध जगह, अपना मत डालने के लिए प्रतीक्षा कर रहे निर्वाचकों की संख्या और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जाएगी। प्रासंगिक समय पर तत्समय स्थिति और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए मीडिया कर्मियों को मतदान बूथ के भीतर प्रवेश देने के संबंध में पीठासीन अधिकारी के पास पूरा विवेक रहेगा क्योंकि उस स्थान पर केवल वह ही ऐसा करने के लिए मौजूद होगा। ऐसे मीडिया कर्मियों को मतदान के भीतर अनुमति प्रदान करते समय पीठासीन अधिकारी एक ऐसे निश्चित स्थान को इंगित करते हुए वास्तविक कवरेज को और भी अधिक विनियमित कर सकता है जिसके बाहर उन्हें नहीं जाना चाहिए। यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसे मतदान केन्द्रों, जिनमें मीडिया का ध्यान अधिक आकर्षित होने की संभावना है, में संबद्ध राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकार द्वारा सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाएंगे। मतदान केन्द्र के भीतर प्रवेश और कार्यक्रमों की कवरेज इस ढंग से विनियमित की जाएगी कि गलती से भी किसी भी परिस्थिति में किसी मतदाता के मतपत्र की गोपनीयता का अतिक्रमण नहीं किया जाए। पीठासीन अधिकारी मौजूदा स्थिति को ध्यान में

रखते हुए,जैसा आवश्यक समझे, विनियामक उपायों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। यह अपेक्षा की जाती है कि सभी मीडिया कर्मचारी इस बारे में आवश्यक सहयोग देंगे और किसी भी स्थिति में एकल बूथ में किसी भी समय पर मौजूद मीडिया कर्मियों की बड़ी संख्या की वजह से मतदान की प्रक्रिया को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। प्रत्येक पीठासीन अधिकारी द्वारा इसे उपयुक्त ढंग से सुनिश्चित किया जाएगा। संक्षेप में, इस प्रतिबंध के अध्यधीन कि मीडिया कर्मियों को फोटोग्राफी/फिल्म लेने के लिए मतदान कक्ष के नजदीक जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि मत की गोपनीयता का उल्लंघन न हो, पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र के भीतर वास्तविक मतदान की कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए प्राधिकार-पत्रों के आधार पर मतदान बूथ के अंदर अनुमति नियंत्रणीय समूहों में दी जाएगी।

15. भारत के राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के पद के निर्वाचनों के संबंध में, दिल्ली में मतदान/मतगणना के स्थान में प्रवेश के लिए अनुरोध केवल निर्वाचन के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रायोजित किए जाएंगे और किसी अन्य के द्वारा नहीं।

16. राष्ट्रपतीय निर्वाचनों के लिए राज्य मुख्यालयों में मतदान के अन्य स्थानों में प्रवेश के लिए संबंधित राज्य में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा ही अनुरोध आयोग को अग्रेषित किए जाएंगे और किसी अन्य के द्वारा नहीं।

17. राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचनों के लिए प्रवेश पत्र प्रायोजित करने के मामले में उपर्युक्त पैराग्राफ 10 में दिए गए अनुदेश यथावश्यक परिवर्तन सहित राज्य के रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों पर भी लागू होंगें।

18. आकाशवाणी एवं दूरदर्शन जैसी सरकारी स्वामित्व वाली मीडिया के प्रतिनिधि और केन्द्रीय या राज्य सरकारों के सूचना एवं प्रसारण, प्रेस सूचना ब्यूरो, जन संपर्क विभागों, क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों आदि के निदेशालयों के अधिकारी मतदान या मतगणना के स्थान में प्रवेश के मामले में किसी विशेष सुविधा या अधिमान्य व्यवहार, जो भी हो, के हकदार नहीं होते हैं। वे पूरी तरह से दूसरे मीडिया कर्मियों के समतुल्य होते हैं और उन्हें तभी प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है जब उनके पास आयोग द्वारा जारी किए गए वैध प्राधिकार-पत्र हों। यही प्रतिबंध विदेशी मीडिया/पत्रकारों पर भी लागू होंगे। प्रवेश आदि के लिए किसी को भी विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती है। यदि कोई मुख्य निर्वाचन अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, जो

आयोग के निर्देशों के उल्लंघन में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की मीडिया या विदेशी प्रेस एवं मीडिया या सूचना एवं प्रचार से जुड़े किसी विभाग के सदस्यों, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, को अतिरिक्त सुविधाओं की अनुमति देता है, तो वह ऐसा अपने जोखिम पर करेगा और इसके परिणाम भी झेलेगा।

19. जब कभी संसद या राज्य विधान मंडल के परिजनों में कोई मतदान या मतगणना होती है, तो मतदान अथवा मतगणना का वह स्थान पूरी तरह से निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में होता है। मतदान या मतगणना के किसी ऐसे स्थान में किसी मीडिया कर्मी को प्रवेश केवल आयोग द्वारा जारी किए गए वैध प्रवेश पत्रों के आधार पर अनुमत्य किया जाएगा और अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रवेश पत्रों के आधार पर नहीं। किसी अन्य प्राधिकार द्वारा संसदीय/विधान सभा कार्यवाहियों को कवर करने के लिए जारी किए गए प्रवेश पत्र उन्हें निर्वाचन के दौरान मतदान/मतगणना के स्थान में प्रवेश करने का अधिकार नहीं देते हैं। इस संबंध में पशुपति नाथ सुकुल बनाम नेमचन्द्र जैन एवं अन्य (74 ई एल आर -83) के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट तौर से यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य सभा के निर्वाचन, जिसमें राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, के दौरान उठाए गए कदम लोक सभा की बैठक में होने वाले कार्यवाहियों के बाहर आते हैं। यह राष्ट्रपतीय/उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए भी सही है, जिसमें संसद और राज्य विधान सभाओं के सदस्य भाग लेते हैं।

20. ये सभी संबद्धों की जानकारी में लाए जाएंगे। किसी प्रकार का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

21. रिटर्निंग अधिकारी मतगणना के समय मतगणना हाल के बाहर लगे साउंड बाक्स पर जन संबोधन प्रणाली के माध्यम से चक्र-वार परिणाम घोषित करेगा और वह ऐसा मतगणना के प्रत्येक चक्र के समापन के बाद भी करेगा। नियंत्रणीय श्रव्य-दृश्य समूहों द्वारा अल्प अवधि की सीमित कवरेज की अनुमति दी जा सकती है और ये समूह मतगणना प्रभारी अधिकारियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामोद्दिष्ट अधिकारियों द्वारा संचालित किए जा सकते हैं। जहां तक मतगणना के रूख का संबंध है, मौजूदा अनुदेश जारी रहेंगे। जहां तक संदेशों के संचारण का संबंध है, निर्धारित प्रपत्र में परिणाम की घोषणा के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारियों से प्राप्त

विस्तृत परिणाम संदेशों को दोहराया जा सकता है और संदेश की प्रति आकाशवाणी/प्रेस सूचना ब्यूरो/दूरदर्शन को पृष्ठांकित की जा सकती है।

22. प्राधिकार पत्र धारकों, यदि वे चाहें, को मतगणना प्रक्रिया को कवर करते समय मतगणना के दौरान मतगणना हाल से बाहर आने की अनुमति प्रदान की जा सकती है और उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए। उन्हें उसी प्राधिकार पत्र के आधार पर फिर से प्रवेश लेने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। तथापि, पूरे समय में सभी प्रवेश कानून एवं व्यवस्था कायम रखने, उपयुक्त शिष्टाचार और शांतिपूर्ण मतगणना के संचालन की अपेक्षा के अध्यधीन होंगे।

23. इसी तरह से मतदान की तारीख को मतदान केंद्रों में पत्र धारकों के लिए ऐसे प्राधिकार पत्र धारकों के मामले में, मतदान प्रकिया के दौरान मतदान केन्द्रों में प्रवेश एवं पुन: प्रवेश इन्हीं प्राधिकार पत्रों के आधार पर दिया जाएगा जैसे कि मतगणना प्रकिया के संबंध में प्रवेश के मामले में दिया जाता है। यह भी कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतदान के संचालन में उचित शिष्टाचार की संपर्ण आवश्यकताओं के अध्यधीन होगा।

24. मीडिया केन्द्रों के पास आई एस डी/एस टी डी युक्त टेलीफोन, फैक्स मशीन, आवश्यक फर्नीचर, टेलीप्रिंटर्स आदि जैसी अपेक्षित अवसंरचनात्मक होनी चाहिए। ये संबंध राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा प्रदान की जा सकती हैं, जो विभिन्न सुविधाओं पर लगाए जाने वाले प्रभारों, यदि कोई हों, का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगी।

25. प्रश्नों का टेलीफोन से उत्तर देने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जा सकती है।

26. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में इंगित व्यवस्थाएं यथा आवश्यक परिवर्तन के साथ निजी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों पर भी लागू होंगी। उन्हें भी प्राधिकार-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी और उनके मामले प्रायोजक प्राधिकार नामत: पी आई ओ या संबद्ध राज्य सूचना एवं प्रचार निदेशक - जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्रायोजित किए जाएंगे।

27. आपवादिक मामलों में, प्रधान सूचना अधिकारी एक से अधिक राज्यों को कवर करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वरिष्ठ संवाददाताओं के मामलों की संस्तुति दे सकता है।

मीडिया केन्द्र

28. निर्वाचन संबंधी सूचना का प्रचार करने के प्रयोजन के लिए मीडिया केन्द्र विशेष रूप से मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय परिसर में स्थापित किए जाएंगे। जिला सूचना अधिकारी के स्तर के अधिकारियों को मीडिया केन्द्रों का प्रभारी बनाया जाएगा और उनका संपर्क पता एवं टेलीफोन नंबर अग्रिम में परिचालित किया जाएगा। ये केन्द्र निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से कार्य करना आरंभ करेंगे और निर्वाचन संबंधी गतिविधि की अवधि के अंत तक कार्यालयी समय के दौरान और उसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया के अंत तक चौबीसों घंटे खुले रहेंगे। मीडिया के पास टेलीफोन, आई एस डी/एस टी डी आदि, फैक्स मशीन, आवश्यक फर्नीचर, टेलीप्रिंटर आदि जैसी उचित संचार सुविधाएं होनी चाहिए। उपलब्धता के अध्यधीन और पूरे प्रभारों के भुगतान पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भी ये सुविधायें प्रदान की जा सकती हैं। प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकार विभिन्न सुविधाओं हेतु लिए जाने वाले शुल्कों का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगी।

29. पूर्व निर्वाचनों के सांख्यिकीय प्रतिवेदनों एवं दस्तावेजों की प्रतियां इन मीडिया केन्द्रों में व्यवहार्य सीमा तक संदर्भ के प्रयोजन के लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी।

30. प्रत्येक निर्वाचन के दौरान एक ऐसा मीडिया केन्द्र निर्वाचन आयोग के परिसर में भी स्थापित किया जाएगा।

31. कर्मचारियों द्वारा विधिवत रूप से सहयोग प्राप्त एक अधिकारी, जो मोटे तौर पर उप कलेक्टर/जिला सूचना अधिकारी से नीचे की रैंक का नहीं होगा, विशेष रूप से जिले में मीडिया केंद्र के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा।

32. मुख्य निर्वाचन अधिकारी और संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी दैनिक प्रेस नोट जारी करेंगे, जिसमें व्यापक सांख्यिकीय सूचनाएं एवं वे सभी अन्य सूचनाएं समाहित होंगीं जो उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित हो और उनके विचार में जिसके प्रकाशन से

शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन के लिए प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े या जिसे निर्वाचनों की घोषणा के प्रारंभ से निर्वाचन प्रक्रिया के समापन तक प्रकाशन के लिए विशिष्ट रूप से वर्जित नहीं किया गया हो।

33. जिलाधीश और जिला आरक्षी अधीक्षक संयुक्त रूप से उन जिलों में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कम से कम पांच बार प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करेंगे, जिनमें निर्वाचन आयोजित किया जाता है। इन ब्रीफिंगों में मीडिया कर्मियों में व्यापक प्रेस हैंड आउट वितरित किए जाएंगे। कानून एवं व्यवस्था, गोपनीयता और शांतिपूर्ण स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के अध्यधीन प्रेस वक्तव्यों एवं इन प्रेस सम्मेलनों की ब्रीफिंग में अनिवार्यत: शामिल किए जाने वाले विषय और उनका समय निम्नानुसार होगा:

सं.	**समय**	**विषय**
1.	अधिसूचना की तारीख	i) निर्वाचन क्षेत्र का मानचित्र, जिसमें मतदान केन्द्र और मार्ग प्रदर्शित होंगे। ii) मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, उनके कार्यालय के टेलीफोन नंबरों की सूची। iii) निर्वाचकों, महिला निर्वाचकों की संख्या और ऐसी अन्य सांख्यिकीय सूचना। iv) सांविधिक अधिकारियों के नाम, पते एवं टेलीफोन नंबर। v) निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण अनुदेशों का सार। vi) निर्वाचन का कार्यक्रम। vii) शांतिपूर्ण स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान आयोजित करने के लिए तैयारी। viii) आदर्श आचार संहिता एवं इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए तैयारी।
2.	नाम वापस लेने का अंतिम दिन	i) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन नामावली के अनुसार पते और उन्हें आबंटित किए गए प्रतीकों की सूची।

		ii) शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए तैयारी।
3.	चुनाव प्रक्रिया का समापन	i) निर्वाचनों की अवधि के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की घटनाएं और उन पर की गई कार्रवाई, ii) निर्वाचनों की अवधि के दौरान निर्वाचन अपराधों की घटनाएं और उन पर की गई कार्रवाई, iii) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई, iv) शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान आयोजित करने के लिए तैयारी।
4.	मतदान का समापन	मतदान के दिन निर्वाचन अपराधों एवं कदाचार की घटनाएं और उन पर की गई कार्रवाई। i) पुन: मतदान, यदि कोई हो, आयोजित करने के लिए तैयारी। ii) शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष गणना के लिए तैयारी।
5.	निर्वाचन प्रक्रिया का समापन	i) निर्वाचनों के बारे में सभी प्रकाशनीय सांख्यिकीय सूचना।

निर्वाचन आयोग का सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित दिनांक 25.03.1997 का पत्र संख्या 491/97/एम सी एस - वाल्यूम ।।

विषय: प्राधिकार-पत्र जारी करना - निर्वाचन प्रक्रिया की कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सुविधाएं - तत्संबंधी।

मुझे उद्धृत विषय पर आयोग के दिनांक 27.03.1996 के आदेश संख्या 491/97/एम सी एस के पैरा 12 का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उसमें अंतर्निहित अनुदेशों के अनुसार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्वयं अपने हाथों से प्राधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे (किसी प्रतिकृति या रबड़ मोहर का प्रयोग नहीं किया जाएगा)। ये अनुदेश दिनांक 14.01.1997 को आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सम्मेलन में परिचर्चा सार की मद V(2) के तहत लिए गए निर्णय एवं संस्तुतियों के अनुसार अब रूपांतरित कर दिए गए हैं जिसे आपको आयोग के दिनांक 18.02.1997 के पत्र सं. 505/97 पी एल एन - IV के साथ अग्रेषित किया गया था। इन अनुदेशों के अनुसार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अलावा एक अतिरिक्त अधिकारी प्राधिकार-पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत होगा।

कृपया इस पत्र की पावती शीघ्र भेजें।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं.: 491/2004/एम सी पी - वॉल्यूम-।। दिनांक: 27 अप्रैल, 2004

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: निर्वाचनों की प्रक्रिया की कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं:तत्संबंधी।

संदर्भ

1. आदेश सं. 491/94, दिनांक 14 दिसंबर, 1994
2. आदेश सं. 491/96/एम सी एस, दिनांक 27 मार्च, 1996
1. पत्र सं. 491/97/एम सी एस - वॉल्यूम ।।, दिनांक 25 मार्च, 1997
2. पत्र सं. 491/सी एन टी जी/एम सी एस/99, दिनांक 20 सितंबर, 1999

3. पत्र सं. 491/सी एन टी जी/एम सी एस/99, दिनांक 21 सितंबर, 1999

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मतदान एवं मतों की गणना के समय मीडिया के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के मामले में, भारत निर्वाचन आयोग यथाव्यवहार्य अधिकाधिक पारदर्शिता के साथ निर्वाचन के संचालन को अत्यधिक महत्व प्रदान करता है। साथ ही, यह इस वास्तविकता को भी मानता है कि निर्वाचन प्रक्रिया को शासित करने वाली निर्वाचन विधियां एवं निर्वाचन कार्यविधि का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और वास्तविक मतदान और मतगणना प्रक्रिया किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होनी चाहिए। इसलिए विभिन्न राज्यों में मतदान की प्रक्रिया के विस्तृत एवं मतगणना के विस्तृत अवलोकन के बाद और कुछेक से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए, मीडिया कर्मियों को मतों की गणना के समय सुविधाएं प्रदान करने के लिए अधिक व्यापक अनुदेश बनाए गए हैं। लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों में मतदान एवं मतों की गणना की प्रक्रिया के दौरान मीडिया को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के लिए संशोधित एवं अद्यतित अनुदेश अब इस प्रकार होंगे:-

<u>मतदान के लिए</u>

1. (I) विधिक उपबंध

निर्वाचन संचालन नियम, 1961 का नियम 32. जो निर्वाचन केन्द्रों में प्रवेश विनियमित करता है, तत्काल संदर्भ के सुविधा के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया जाता है:

> ''32. मतदान केन्द्रों में प्रवेश- पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र में एक ही समय प्रवेश करने वाले निर्वाचकों की संख्या को विनियमित करेगा, तथा नीचे दिए गए व्यक्तियों के अलावा वहां से सबको अपवर्जित कर देगा : -
>
> (क) मतदान अधिकारी;
> (ख) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ लोक सेवक;
> (ग) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;
> (घ) अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और नियम 13 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए हर एक अभ्यर्थी का एक मतदान अभिकर्ता;

(ङ) छोटे बच्चों को गोद में लेकर आने वाली महिलाएं;
(च) किसी दृष्टिविहीन या विकलांग निर्वाचक के साथ आने वाला व्यक्ति; तथा
(छ)ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें, रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन अधिकारी उप नियम 35क नियम 34 के उप-नियम (2) के अधीन नियोजित करे।''

<u>मतगणना के लिए</u>

(II) **विधिक उपबंध**

(i) मतों की गणना के लिए नियत किसी स्थान के लिए प्रवेश निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 53(1) के उपबंधों द्वारा संचालित होता है जो नीचे उद्धृत किया गया है:

'' नियम 53. मतगणना के लिए नियत स्थान में प्रवेश (1) रिटर्निंग अधिकारी मतों की गणना के लिए नियत स्थान से निम्नलिखित व्यक्तियों के सिवाय सभी को अपवर्जित कर देगा -

(क) ऐसे व्यक्ति, (जो गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक कहलाएंगें), जिन्हें वह गणना में अपनी सहायता के लिए नियुक्त करें;
(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;
(ग) निर्वाचन के संबंध में कर्त्तव्यारूढ़ लोक सेवक; और
(घ) अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और गणन अभिकर्ता।''

(ii) कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई प्रतिबंध लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की शक्तियों के अध्यधीन, मीडिया कर्मियों सहित किसी व्यक्ति द्वारा किसी निर्वाचन क्षेत्र, जहां निर्वाचन आयोजित किया जा रहा है, में दौरा करने या इधर-उधर जाने के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है और प्रत्येक व्यक्ति निर्वाचनों का अवलोकन करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, मतदान केन्द्रों और मतगणना केन्द्रों में प्रवेश उपर्युक्त सांविधिक उपबंधों द्वारा पूर्ण रूप से विनियमित होता है।

(III) <u>प्रवेश प्रक्रिया</u>

(i) मतदान एवं मतगणना से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े व्यक्तियों के अतिरिक्त, केवल ऐसे व्यक्ति ही, मतदान केन्द्रों एवं मतगणना केन्द्रों में प्रवेश कर सकते हैं, जो निर्वाचन आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किए गए हैं । मीडिया कर्मियों सहित व्यक्तियों को प्रवेश पास जारी करने के निर्वाचन आयोग के विशिष्ट अधिकार में किसी व्यक्ति को प्रवेश पास जारी करने से इंकार करने का अधिकार भी शामिल है, बशर्ते कि आयोग की राय में ऐसा किए जाने हेतु पर्याप्त कारण हों।

(ii) आकाशवाणी एवं दूरदर्शन जैसी सरकारी स्वामित्व वाली मीडिया के प्रतिनिधि और केन्द्रीय या राज्य सरकारों के सूचना एवं प्रसारण, प्रेस सूचना ब्यूरो, जन संपर्क विभागों, क्षेत्रीय प्रचार इकाईयों आदि के निदेशालयों के अधिकारी मतदान या मतगणना के स्थान में प्रवेश के मामले में किसी विशेष सुविधा या अधिमान्य व्यवहार, जो भी हो, के हकदार नहीं होते हैं। वे पूरी तरह से दूसरे मीडिया कर्मियों के समतुल्य होते हैं और उन्हें तभी प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है जब उनके पास आयोग द्वारा जारी किए गए वैध प्राधिकार-पत्र हों। यही प्रतिबंध विदेशी मीडिया/पत्रकारों पर भी लागू होंगे।

(iii) मतगणना के लिए पास

(क) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीमों को एक मतगणना केन्द्र के लिए दो से अधिक पास नहीं दिए जाने चाहिएं और इस पर बल दिया जाता है कि प्रत्येक सदस्य को एक पृथक प्राधिकार पत्र की आवश्यकता पड़ेगी।

(ख) प्रिंट मीडिया के लिए प्रति समाचार एजेंसी/समाचार पत्र केवल एक पास ही दिया जाना चाहिए।

(iv) रिटर्निंग अधिकारी एवं अन्य निर्वाचन संबंधित अधिकारियों के पास बिना प्राधिकार पत्र वाले कर्मचारियों को मतदान एवं मतगणना केंद्र से दूर रखने का पूर्ण अधिकार एवं उत्तरदायित्व है।

(v) जारी किए गए प्राधिकार पत्र आयोग द्वारा लगाई गई शर्तों के अध्यधीन होंगे जैसाकि प्राधिकार पत्रों में उल्लिखित हैं, उदाहरण के तौर पर मीडिया कर्मियों को मतदान कक्ष के नजदीक जाने की अनुमति न देना, फोटोग्राफरों को ऐसे फोटोग्राफ/फिल्म न लेने देना, जो गोपनीयता आदि का अतिक्रमण करे। ऐसी शर्तों का किसी प्रकार का उल्लंघन करना स्वयंमेव प्राधिकार पत्र को अवैध कर देगा और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(vi) वे परिसर, जिनमें मतगणना होती है, भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्राधीन होते हैं। किसी मीडिया कर्मी को मतगणना के किसी ऐसे केंद्र में प्रवेश केवल आयोग द्वारा जारी किए गए वैध प्रवेश पत्र के आधार पर दिया जाएगा और किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रवेश पत्र के आधार पर नहीं। संसदीय/विधान सभा कार्यवाहियों आदि को कवर करने के लिए किसी

अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी मीडिया कर्मी को जारी किए गए पत्र उन्हें निर्वाचन के दौरान मतगणना केंद्र में प्रवेश करने का हकदार नहीं बनाते हैं।

(IV) **मतगणना केन्द्र के भीतर मीडिया कक्ष**

(i) यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए वैध प्रवेश पत्र धारक मीडिया कर्मियों को मतगणना परिसरों के भीतर एक पृथक कक्ष, जिसे मीडिया कक्ष के रूप में जाना जाता है, में बैठने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें वास्तविक मतगणना हाल में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह कक्ष/हॉल मतगणना हाल के नजदीक होगा।

(ii) मतगणना हाल में मीडिया कर्मियों के प्रवेश को विनियमित किया जाएगा। मतगणना के प्रभारी अधिकारियों द्वारा अग्रिम में इस प्रयोजन के लिए नामोद्दिष्ट अधिकारी/अधिकारियों द्वारा उन्हें नियमित अंतरालों में छोटे-छोटे बैचों में मतगणना हाल के भीतर ले जाया जाएगा। पूरी मतगणना की प्रक्रिया के दौरान मीडिया कक्ष में पर्याप्त अधिकारी होने चाहिए।

(iii) मतगणना केन्द्रों में मीडिया कक्षों में अपेक्षित कर्मचारी होने चाहिए और इनमें आई एस डी/एस टी डी के साथ टेलीफोन, फैक्स मशीन, आवश्यक फर्नीचर एवं बुनियादी सुविधाएं जैसे पीने का पानी आदि जैसी अवसंरचनात्मक सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिएं। ये संबद्ध सरकारों द्वारा उपलब्ध करवाई जा सकती हैं जो विभिन्न सुविधाओं के लिए लगाए जाने वाले शुल्कों, यदि कोई हों, का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगी। प्रश्नों का टेलीफोन द्वारा उत्तर देने के लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं किए जाएंगे।

(iv) इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी को अग्रिम में दूरसंचार विभाग के प्रभागीय प्रबंधकों के साथ संपर्क करना और मतगणना केन्द्रों पर स्थापित किए जाने वाले ऐसे पी सी ओ/एस टी डी बूथों के लिए व्यवस्था करना जरूरी है। यह स्वयं मीडिया कक्ष में या मीडिया कक्ष के साथ वाले कक्ष में हो सकता है। वैकल्पिक तौर पर इसे बरामदे या किसी अस्थाई भवन में मतगणना हाल के समीप खुले स्थान में स्थापित किया जा सकता है। मीडिया कर्मियों को अग्रिम में इन सुविधाओं की जानकारी होनी चाहिए।

(v) **जिला स्तर और राज्य स्तर पर मीडिया केन्द्र**

(i) राज्य मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों (क्रमश: सी ई ओ एवं डी ई ओ द्वारा) में विशेष रूप से निर्वाचन संबंधित सूचना प्रसारित करने के प्रयोजन से स्थापित किया गया मीडिया केन्द्र, मतगणना की प्रक्रिया के दौरान भी कार्य करेगा। जिला स्तर पर जिला सूचना अधिकारी के स्तर के अधिकारी को मीडिया केन्द्र का प्रभारी बनाया जाएगा और उनके संपर्क पते एवं टेलीफोन नंबर अग्रिम में परिचालित किए जाएंगे। मतगणना की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान ये केन्द्र चौबीसों घंटे कार्य करेंगे। इन मीडिया केन्द्रों में आई एस डी, टेलीफोन, एस टी डी इत्यादि, फैक्स मशीन, आवश्यक फर्नीचर आदि जैसी उचित संचार सुविधाएं होंगी। वायर न्यूज़ एजेंसियों/राज्य मुख्यालयों में स्थित प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, मीडिया केन्द्र में एस टी डी/आई एस डी युक्त टेलीफोन लाइनों और पृथक फैक्स मशीनों की पर्याप्त संख्या की व्यवस्था की जाएगी।

(ii) प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र विभिन्न सुविधाओं के लिए लगाए जाने वाले शुल्कों का निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होंगे।

(iii) पूर्ववर्ती निर्वाचनों, पृष्ठभूमि सामग्री आदि की सांख्यिकीय रिपोर्टों और दस्तावेजों की प्रतियां इन मीडिया केन्द्रों को व्यवहार्य सीमा तक संदर्भ के प्रयोजन के लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी।

(iv) मतगणना केन्द्रों में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा घोषित किया गया चरण वार परिणाम साथ-साथ या तत्पश्चात् यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र प्राधिकार पत्र रहित मीडिया कर्मियों की सुविधा के लिए जिला स्तर एवं राज्य स्तर के मीडिया केन्द्रों में उपलब्ध होगा।

(VI) मतगणना हाल के अंदर कवरेज के लिए प्रक्रिया

(i) मतगणना हाल के भीतर वास्तविक मतगणना की कवरेज के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मीडिया कर्मियों के प्राधिकार पत्रों के सत्यापन के बाद प्राधिकार पत्र धारक मीडिया कर्मियों को मतगणना हाल में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है। तथापि उन्हें मतगणना हाल के भीतर बहुत कम संख्या में और बैचों में प्रवेश करने दिया जाएगा और मतगणना हाल के आकार, उपलब्ध जगह और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखकर वास्तविक संख्या निर्धारित की जाएगी। प्रासंगिक समय पर मौजूद स्थिति को ध्यान में रखते हुए रिटर्निंग अधिकारी एवं निर्वाचन संबंधी अन्य अधिकारियों के पास मीडिया कर्मियों के मतगणना हाल के भीतर प्रवेश के संबंध में पूर्ण विवेक रहेगा क्योंकि केवल वही उस स्थान पर ऐसा करने में सक्षम होगा। मतगणना हाल के भीतर ऐसे मीडिया कर्मियों को अनुमति देते समय रिटर्निंग अधिकारी एक निश्चित स्थान को इंगित करते हुए (किसी लाइन या धागे द्वारा) वास्तविक कवरेज को आगे और भी विनियमित कर सकता है जिसके आगे उन्हें नहीं बढ़ना चाहिए।

(ii) यह पुन: दोहराया जाता है कि मतगणना प्रभारी अधिकारियों द्वारा अग्रिम में इस प्रयोजन के लिए नामोद्दिष्ट अधिकारियों द्वारा मीडिया कर्मियों को मतगणना हाल के भीतर छोटे-छोटे बैचों में ले जाया जाएगा; और ये अधिकारी, जो मीडिया कर्मियों को ले जाएंगें, मतगणना हाल में उनके रूकने तक पूरे

समय उनके साथ रहेंगे और उनकी कवरेज के पश्चात उन्हें मीडिया कक्ष में ले जाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि इस प्रयोजन के लिए अधिकारियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होनी चाहिए।

(iii) यह भी उल्लेखनीय है कि मीडिया का स्थैतिक (फ्क्सि्ड) कैमरा-स्टिल या वीडियो मतगणना हाल के अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा। इसलिए मतगणना हाल के अंदर कोई कैमरा स्टैण्ड ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा, हाथ में या कंधे पर लिए कैमरे मतगणना प्रक्रिया की श्रव्य-दृश्य कवरेज करते समय, किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत मत पत्र में रिकार्ड किए गए मतों या ई वी एम में मतदान किए गए वास्तविक मतों को गलती से भी श्रवय-द्श्य कवरेज द्वारा चित्रित या कवर नहीं किया जाना चाहिए।

(iv) यह अपेक्षा की जाती है कि मतगणना केन्द्रों, जिन पर मीडिया का अत्यधिक ध्यान दिए जाने की संभावना होती है, में सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए उपयुक्त अतिरिक्त व्यवस्थायें की जानी होंगी (संबंधित प्राधिकारियों द्वारा)। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरीके से मतगणना केन्द्र के भीतर मीडिया कर्मियों की उपस्थिति से वास्तविक मतगणना प्रक्रिया भंग या बाधित नहीं होगी।
(v) मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, रिटर्निंग अधिकारी विनियामक उपायों, जैसा वह इस बारे में आवश्यक समझे, का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। यह अपेक्षा की जाती है कि सभी मीडिया कर्मी इस बारे में आवश्यक सहयोग देंगे। प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपयुक्त ढंग से इसे सुनिश्चित किया जाएगा।

(vi) मतगणना प्रक्रिया कवर करते समय प्राधिकार पत्रों के धारकों को, यदि वे चाहें, मतगणना के दौरान मतगणना हाल(लों) के बाहर आने की अनुमति दी जा सकती है और दी जानी चाहिए। उन्हें उसी प्राधिकार पत्र के आधार पर पुन: प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। तथापि, पूरे समय में सभी प्रवेश कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की समग्र आवश्यकता, उचित शिष्टाचार और शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना के संचालन के अध्यधीन है। मीडिया कर्मियों के एवजी को केवल तभी अनुमति दी जानी चाहिए जब एवजी के पास भी अपने नाम का वैध पत्र हो।

(vii) किसी को भी प्रवेश आदि की कोई भी विशेष सुविधाएं नहीं दी जा सकती है। यदि कोई भी सी ई ओ या दूसरा कोई व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की मीडिया को या विदेशी प्रेस और मीडिया या सूचना एवं प्रचार से जुड़े राज्य के किसी विभाग के सदस्यों, जो किसी भी नाम से जाने जाते हों, को आयोग निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त सुविधायें या अनुमतियां देता है, तो वह ऐसा अपने जोखिम पर करेगा और इसके परिणाम झेलेगा।

(VII) राउन्ड-वार परिणामों की घोषणा

(i) रिटर्निंग अधिकारी मतगणना के समय मतगणना हाल के बाहर लगे साउंड बाक्स से जन-संबोधन प्रणाली के माध्यम से राउन्ड-वार परिणामों की घोषणा करेगा और मतगणना के प्रत्येक राउन्ड के

समापन के बाद भी वह ऐसा करेगा। इन घोषणाओं से संगठित एवं सुव्यवस्थित ढंग से सही समय में मतगणना के रूझान और परिणाम से संबंधित सूचना प्रदान किए जाने की अपेक्षा की जाती है। यह सूचना मतगणना केन्द्र के भीतर उपस्थित न रहने वाले मीडिया कर्मियों के लाभ के साथ-साथ या यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र जिला स्तर के मीडिया केन्द्र और राज्य स्तर के मीडिया केन्द्र में भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

(ii) उन मामलों, जहां रिटर्निंग अधिकारी ने मीडिया की सूचना के लिए ब्लैकबोर्ड/व्हाइटबोर्ड आदि पर नवीनतम रूझानों एवं परिणाम शीटों को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थायें की हैं, में यह जन संबोधन प्रणाली के माध्यम से की जाने वाली घोषणा प्रणाली के अतिरिक्त होगी।

(VIII) विशिष्ट आधिकारिक प्रयोग के लिए मतगणना हाल के भीतर सुविधाएं

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रत्येक मतगणना केंद्र पर विशिष्ट आधिकारिक प्रयोग के लिए संचार सुविधाओं, टेलीफोन फैक्स आदि हेतु एक अलग केन्द्र स्थापित किया जाएगा। यह ध्यान में रखा जाए कि कंप्यूटर एवं संचार व्यवस्था के साथ ये आंतरिक संचार सुविधाएं आयोग के अधिकारियों जैसे रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी और उसके प्रेक्षकों के विशिष्ट प्रयोग के लिए हैं और किसी बाहरी एजेंसी या व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए नहीं हैं। मतगणना केन्द्र में प्रभारी रिटर्निंग अधिकारी को किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को इसके प्रयोग की अनुमति देने का कोई विवेक नहीं है। ये मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए उपलब्ध नहीं है, कदापि उपलब्ध नहीं हैं।

(IX) पर्यवेक्षकों को सभी व्यवस्थाओं के बारे में अवगत होना

जब पर्यवेक्षक मतगणना प्रक्रिया के अवलोकन के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें स्थापित की गई संपूर्ण व्यवस्थायें स्पष्ट की जानी चाहिए।

(X) पर्याप्त प्रचार

मीडिया के लिए सुविधाओं के बारे में अग्रिम में पर्याप्त प्रचार किया जाना चाहिए ताकि इस मामले में पूरी स्पष्टता रहे और सभी संबंधितों को इसकी जानकारी रहे।

2. जिला निर्वाचन अधिकारियों/रिटर्निंग अधिकारियों को तद्नुसार इन व्यवस्थाओं की अग्रिम में संवीक्षा करने और संपूर्ण विवरणों को तैयार करने और कार्मिकों एवं सुविधाओं संबंधी आवश्यक संसाधनों को आबंटित करने की अपेक्षा होती है। उन्हें उस मतगणना केन्द्र में जहां वे उपस्थित हैं, इन व्यवस्थाओं का व्यक्तिगत तौर से पर्यवेक्षण करना चाहिए और अपने प्रभार में आने वाले दूसरे मतगणना केन्द्र में ऐसा करने के लिए जिले के किसी वरिष्ठ अधिकारी को अभिज्ञात करना चाहिए।

भवदीय,

(एस.के.काउरा)
सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.: 491/प्रा.प.-अनु./2014(संचार) दिनांक: 18 मार्च, 2014

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: लोक सभा निर्वाचन 2014, प्राधिकार पत्र जारी करना।

महोदय/महोदया,

मुझे सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित आयोग के दिनांक 27.03.1996 के पत्र संख्या 491/96/एम सी एस के पैरा 12 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश

हुआ है जिसमें यह निदेश दिया गया था कि ''मुख्य निर्वाचन अधिकारी आयोग की ओर से प्राधिकार पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत होगा। वे अनुमोदित सूची के अनुसार ऐसे प्रत्येक प्राधिकार पत्र पर स्वयं अपने हाथ से हस्ताक्षर करेंगे (कोई प्रतिकृति या रबड़ की मोहर प्रयोग नहीं की जाएगी) और उसे संबद्ध व्यक्ति को सुपुर्द करेंगे।''

अब, मीडिया कर्मियों को निर्बाध सुविधा प्रदान करने के लिए, आयोग ने निर्णय लिया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी को जिले में मीडिया कर्मियों के प्राधिकार पत्रों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार प्रत्यायोजित किया जा सकता है।

भवदीय,

(राहुल शर्मा)
अवर सचिव

प्राधिकार पत्रों का प्रोटोटाइप

(साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन/द्विवार्षिक निर्वाचन)

मतदान केन्द्रों के लिए

अग्रभाग

पार्श्व भाग

मतगणना केन्द्रों के लिए

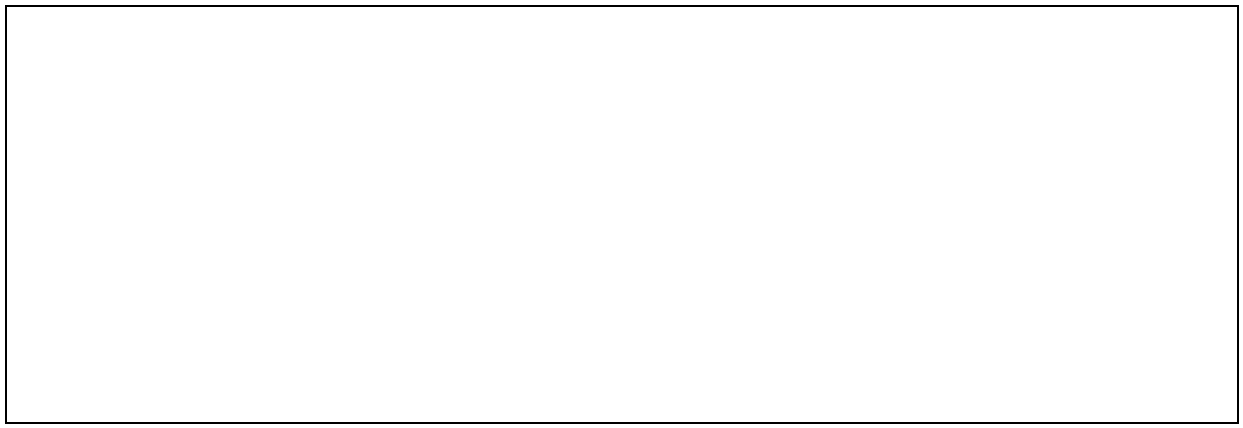

अग्रभाग पार्श्व भाग

<u>निर्वाचनों के दौरान मीडिया कर्मियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के संबंध में प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न</u>

प्र. निर्वाचनों के दौरान मीडिया कर्मियों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं **?**

उ. बेहतर निर्वाचन कवरेज के लिए निर्वाचन आयोग निम्नलिखित प्रदान करता है:

i. प्राधिकार पत्र (मीडिया पास)

ii. मीडिया केंद्र

प्र. मतदान/मतगणना प्रक्रिया को कवर करने के लिए मतदान केन्द्र एवं मतगणना केन्द्र में कौन प्रवेश कर सकता है ?

उ. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए वैध/हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र धारक मीडिया कर्मी मतदान/मतगणना प्रक्रिया को कवर करने के लिए मतदान केन्द्र एवं मतगणना केन्द्र में प्रवेश कर सकते हैं।

प्र. प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रायोजक प्राधिकारी कौन होते हैं ?

उ. साधारण निर्वाचन/उप निर्वाचन/द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए

i) राष्ट्रीय स्तर पर पी आई बी द्वारा प्रत्यायित मीडिया कर्मियों के लिए प्रधान सूचना अधिकारी (अब प्रधान महानिदेशक (मीडिया एवं संचार) और

ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित संबंधित राज्यों के सूचना एवं जन संपर्क निदेशक और संबंध राज्यों/संघ शासित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए

iii) नई दिल्ली में मतदान/मतगणना के लिए निर्वाचन का रिटर्निंग अधिकारी।

iv) राज्य मुख्यालय में मतदान के लिए संबधित राज्य में सहायक रिटर्निंग अधिकारी।

प्र. क्या प्राधिकार पत्र जारी किए जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से सीधे संपर्क किया जा सकता है ?

उ. सामान्य तौर से आयोग किसी व्यक्ति/मीडिया एजेंसी/न्यूज़ कवरेज से सीधे प्राप्त होने वाले अनुरोध पर विचार नहीं करता है।

प्र. भारत निर्वाचन आयोग में प्रायोजक प्राधिकारी की संस्तुति प्राप्त करने की अंतिम तारीख क्या है ?

उ. अंतिम तारीख मतदान की तारीख से 15 दिन पूर्व की तारीख से बाद की नहीं होनी चाहिए। अंतिम तारीख से बाद प्राप्त किए गए किसी भी अनुरोध पर संबद्ध प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिश से केवल दैवीय घटना, मृत्यु या बीमारी जैसे आपवादिक मामलों पर ही विचार किया जाएगा।

प्र. प्राधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कौन प्राधिकृत है ?

उ. संबद्ध राज्य/संघ शासित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सी ई ओ के कार्यालय का एक अतिरिक्त अधिकारी (सी ई ओ द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत) प्राधिकार पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हैं। तथापि, निर्विघ्न रूप से मीडिया की सुगमता के लिए, यदि अपेक्षित हो तो, जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी को मीडिया कर्मियों के प्राधिकार पत्रों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार प्रत्यायोजित किया जा सकता है।

प्र. क्या सभी साधारण निर्वाचनों, द्विवार्षिक निर्वाचनों और उप-निर्वाचनों के लिए प्राधिकार पत्रों के फारमेट एक जैसे होते हैं ?

उ. हां ! तथापि, राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के लिए प्राधिकार पत्रों का फारमेट अलग होता है।

प्र. क्या अप्रत्यायित संवाददाताओं को भी प्राधिकार पत्र जारी किए जा सकते हैं ?

उ. प्रत्यायित संवाददाताओं के अलावा अन्य प्रामाणिक मीडिया कर्मियों को भी प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रायोजित किया जा सकता है। ऐसे मीडिया कर्मियों के नामों की जांच करना और उन्हें प्रायोजित करना तथा अस्थाई या आकस्मिक प्रत्यायन प्रदान करने सहित उपयुक्त नीतियां निर्धारित करना, भले ही यह निर्वाचन प्रक्रिया को कवर करने के लिए सीमित अवधि के लिए हो, प्रधान निदेशक (पी आई बी) और संबद्ध राज्य डी आई पी आर का उत्तरदायित्व है। तथापि, निर्वाचन आयोग केवल ऐसे मामलों पर विचार करेगा, जो संबद्ध प्रायोजक प्राधिकार द्वारा विधिवत रूप से संस्तुत किए जाते हैं।

प्र. कोई आवेदक कितने निर्वाचन क्षेत्रों को कवर कर सकता है ?

उ. किसी आवेदक द्वारा कवर किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा।

प्र. क्या सरकार के स्वामित्व वाली मीडिया के प्रतिनिधि किसी विशेष सुविधा के हकदार हैं ?

उ. नहीं। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन जैसी सरकारी स्वामित्व वाली मीडिया के प्रतिनिधि और केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो, जन संपर्क विभाग, सूचना निदेशालय आदि के अधिकारी मतदान या मतगणना के स्थान में प्रवेश के किसी मामले में किसी सुविधा या अधिमान्य व्यवहार, जो भी हो, के हकदार नहीं होते हैं। वे पूरी तरह से अन्य मीडिया कर्मियों की तरह ही होते हैं और उन्हें प्रवेश की अनुमति तभी दी जा सकती है जब उनके पास आयोग द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र मौजूद हो। यही प्रतिबंध विदेशी मीडिया/पत्रकारों पर भी लागू होंगे। किसी को भी प्रवेश आदि की विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती है।

घ.

मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों को प्रसारण समय का आबंटन

अनुदेशों का सार

1. निर्वाचनों के दौरान राजनैतिक दलों द्वारा सरकारी स्वामित्व की इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग के लिए स्कीम (पृष्ठ सं. 131-137)

वर्ष 1998 में लोक सभा के साधारण निर्वाचनों के समय, राज्य के स्वामित्व वाले टेलीविज़न एवं रेडियो के मुफ्त प्रयोग के माध्यम से मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के राज्य वित्तपोषण के लिए एक नई पहल आयोग के दिनांक 16 जनवरी, 1998 के आदेश के तहत निदेशों के अंतर्गत शुरू की गई थी। उक्त स्कीम को इसके पश्चात् 1998 के उपरांत आयोजित किए गए राज्य विधान सभाओं के सभी साधारण निर्वाचनों और 1994, 2004, 2009 एवं 2014 में लोक सभा के साधारण निर्वाचनों के लिए लागू किया गया।

2. स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं (विधान सभा निर्वाचनों के लिए) (पृष्ठ सं. 140-142)

i) आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर ये सुविधायें केवल 'राष्ट्रीय दलों और संबद्ध राज्य के 'मान्यताप्राप्त राज्यीय दल' के लिए उपलब्ध हैं।

ii) प्रत्येक राष्ट्रीय दल और संबद्ध राज्य के मान्यताप्राप्त राज्यीय दल को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर एकसमान रूप से 45 मिनट का बेस समय आबंटित किया जाता है।

iii) दलों को आबंटित किए जाने वाले अतिरिक्त समय का निर्णय संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के पिछले विधान सभा निर्वाचनों या लोकसभा के पिछले साधारण निर्वाचनों, जैसी भी स्थिति हो, में दलों के मतदान निष्पादन के आधार पर लिया जाता है।

iv)रेडियो प्रसारण एवं टीवी प्रसारण की अवधि नामनिर्देशन दायर करने की अंतिम तारीख और मतदान की तारीख से पहले दो दिन के बीच की होगी (प्रत्येक चरण में)।

v) प्रसार भारती निगम आयोग के परामर्श से रेडियो प्रसारण एवं टीवी प्रसारण के लिए वास्तविक तारीख एवं समय के बारे में निर्णय लेगा।

vi) दलों द्वारा प्रसारण के अलावा, प्रसार भारती निगम दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र पर अधिक से अधिक दो पैनल विचार-विमर्श और/या वाद-विवाद आयोजित करता है।

vii) दूरदर्शन/आकाशवाणी पर दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण पर निम्नलिखित अनुमत्य नहीं होगा :

क) दूसरे देशों की आलोचना;
ख) धर्मों एवं समुदायों पर आक्षेपण;
ग) कोई भी अश्लील या निंदात्मक चीज;
घ) हिंसा भड़काना;
ड.) न्यायालय की अवमानना करने जैसी किसी चीज;
च) राष्ट्रपति एवं न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा के खिलाफ निंदा;
छ) राष्ट्र की एकता, संप्रभुता एवं अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई चीज;
ज) किसी व्यक्ति के नाम से कोई आलोचना करना।

viii) टाइम वाउचर 5 मिनट के वर्ग में उपलब्ध होंगे, जिसमें से एक टाइम वाउचर के लिए 1 से 4 मिनट का समय आबंटित किया जाएगा और दल उन्हें उपयुक्त ढंग से संयोजित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

3. राजनैतिक दलों द्वारा दूरदर्शन या आकाशवाणी को प्रस्तुत की गई प्रतिलिपियों के अनुमोदन में किसी प्रकार के भ्रम या विचलन को दूर करने के लिए, प्रसार भारती निर्वाचनों के दौरान सभी राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों में एक शीर्ष समीक्षा समिति का गठन कर सकता है, जिसमें आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, दोनों के सदस्य/विशेषज्ञ हो सकते हैं। आकाशवाणी/दूरदर्शन तथा राजनैतिक दलों के बीच रेडियो प्रसारण/दूरदर्शन प्रसारण की प्रतिलिपि से संबंधित सम्मति/अनुमोदन में किसी प्रकार का मतभेद होने पर मामले को अंतिम निर्णय के लिए शीर्ष समीक्षा समिति को भेजा सकता है। (पृष्ठ सं. 138)

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.: भा.नि.आ./जी ई 98/437 एम सी एस/98 दिनांक 16 जनवरी, 1998

विषय: निर्वाचनों के दौरान राजनैतिक दलों द्वारा सरकारी स्वामित्व के इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग के लिए स्कीम।

आदेश

कुछ समय से राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचन व्यय के राज्य निधियन का प्रश्न भारत निर्वाचन आयोग, संसद और केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करता है। तथापि इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है, क्योंकि यह समग्र निर्वाचन सुधारों संबंधी व्यापक प्रश्न से जुड़ा हुआ है।

2. आयोग ने इस मुद्दे पर गहन विचार किया है। आयोग द्वारा शुरू किए गए ठोस प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के समय दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रत्येक पर 15-15 मिनट के एक दूरदर्शन प्रसारण और दो आकाशवाणी प्रसारण के लिए मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दलों को फिलहाल उपलब्ध

सीमित सुविधा के बदले व्यापक पैमाने पर सरकार के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करना रहा है। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के विशाल नेटवर्क का दायरा अब काफी व्यापक हो गया है, जो लगभग देश के कोने-कोने को कवर करता है और उनका प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। राजनैतिक दलों द्वारा ऐसे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग उन्हें मतदाताओं को अपनी नीतियों, कार्यक्रमों, घोषणा-पत्रों और प्रमुख मुद्दों संबंधी अपने विचारों के बारे में नवीनतम जानकारी देने का अवसर प्रदान करेगा। निर्वाचकों के लिए भी विभिन्न दलों द्वारा यथाअनुमानित प्रमुख नीति संबंधी मुद्दों को समझने के लिए यह सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा।

3. राजनैतिक दलों के लिए उपर्युक्त सुविधा का प्रावधान निर्वाचन प्रसारों एवं सामान्य पार्टी प्रचारों संबंधी उनके व्ययों को अत्यधिक कम करेगा और, इस तरह से यह अप्रत्यक्ष राज्य निधियन के समान होगा। उपर्युक्त सुविधा की विशेषताओं में एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होगी कि, धन के लेन-देन की तरह से, इसमें विस्तृत खातों के किसी अनुरक्षण और इन खातों की जांच एवं लेखा परीक्षा के लिए इन्हें किसी प्राधिकारी को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, आर्थिक नकद सब्सिडी की तरह इसका दुरूपयोग नहीं किया जा सकता है।

4. आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों के साथ नई दिल्ली में दिनांक 7 मई, 1997 को और पुन: 22 एवं 23 दिसंबर, 1997 को आयोजित की गई बैठकों में उपर्युक्त योजना के संबंध में विचार-विमर्श किया गया था। उन सभी ने खुले दिल से इस योजना का स्वागत किया।

5. आयोग ने इसके अलावा प्रसार भारती निगम, जो अब दूरदर्शन एवं आकाशवाणी को नियंत्रित करता है, के साथ आगे बातचीत की है। निगम ने भी योजना का स्वागत किया है और इस योजना को कार्यान्वित करने एवं लोकसभा (12वीं लोकसभा के गठन के लिए) और कुछेक राज्य विधान सभाओं के आगामी साधारण निर्वाचनों के लिए इसे परिचालनात्मक बनाने हेतु उपयुक्त सहायता और समर्थन देने की सहमति जताई।

6. तद्नुसार, प्रसार भारती निगम से परामर्श के पश्चात्, और, अन्य बातों के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा आयोग में निहित संसद एवं राज्य विधान मंडलों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण संबंधी अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग निम्नलिखित दिशानिर्देश देता है:

दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण सुविधा के लिए पात्र दल :

(i) दूरदर्शन(डी डी) एवं आकाशवाणी (ए आई आर) के प्रयोग की उपर्युक्त सुविधा लोकसभा और गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड एवं त्रिपुरा के आगामी साधारण निर्वाचनों के संबंध में केवल उन सात (7) राष्ट्रीय दलों और चौंतीस (34) राज्यीय दलों को उपलब्ध होगी, जो वर्तमान में निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश 1968 के उपबंधों के अंतर्गत **मान्यताप्राप्त** हैं और जिनका नाम **अनुलग्नक-I** के रूप में इसके साथ संलग्न सूची में दिया गया है। यह सुविधा किसी पंजीकृत - गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या किसी निर्दलीय अभ्यर्थी के लिए उपलब्ध नहीं होगी। उच्चतम न्यायालय ने रमाकांत पांडे बनाम् भारत संघ (ए आई आर 1993 एस सी 1766) मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों की स्थिति गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से काफी भिन्न है और राजनीतिक दलों की इन दो श्रेणियों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव तर्कसंगत एवं वैध वर्गीकरण होगा। इस समय भी दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण की उपर्युक्त सीमित सुविधा केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों के लिए उपलब्ध है। इलाहाबाद, मद्रास और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों ने क्रमश: 1984 की रिट याचिका सं. 5790 (हरिशंकर जैन बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य), 1984 की रिट याचिका सं. 12378 एवं 1989 की रिट याचिका संख्या 14507 (पी.टी.श्रीनिवासन बनाम भारत संघ एवं अन्य तथा एस शनमुगम बनाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तमिलनाडु एवं अन्य) और 1984 की रिट याचिका सं. 19367 (रघुनाथमल बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य) में भी उपर्युक्त वर्गीकरण का समर्थन किया है। उपर्युक्त मामलों में मद्रास उच्च न्यायालय ने केवल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए ही दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण की उपर्युक्त सुविधा प्रदान करने को विशेष रूप से वैध ठहराया है।

दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण के लिए आबंटित कुल समय

(ii) प्रसार भारती निगम दूरदर्शन पर:

(क) राष्ट्रीय दलों द्वारा दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारण करने के लिए प्रसारण समय कुल 10 घंटे से कम नहीं रखेगा;
(ख) राष्ट्रीय दलों द्वारा क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों पर प्रसारण करने के लिए प्रसारण समय 15 घंटों से कम नही रखेगा;
(ग) राज्यीय दलों द्वारा क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा प्रसारण करने के लिए प्रसारण समय 30 घंटे से कम नहीं रखेगा; और
(घ) पूरे देश में दर्शकों के लिए उपलब्ध क्षेत्रीय उपग्रह सेवाओं के माध्यम से प्रसारण किए जाने का समय कुल 6 घंटे का रखेगा।

और आकाशवाणी पर

(ड.) राष्ट्रीय दलों द्वारा आकाशवाणी के राष्ट्रीय हुक-अप पर प्रसारण करने के लिए प्रसारण का समय कुल 10 घंटे से कम नहीं रखेगा;
(च) राष्ट्रीय दलों द्वारा क्षेत्रीय आकाशवाणी केन्द्रों पर प्रसारण करने के लिए प्रसारण का समय कुल 15 घंटे से कम नहीं रखेगा;
(छ) राज्यीय दलों द्वारा क्षेत्रीय आकाशवाणी केन्द्रों पर प्रसारण करने के लिए प्रसारण समय कुल 30 घंटे से कम नहीं रखेगा; और
(ज) राज्यीय दलों द्वारा राष्ट्रीय हुक-अप पर प्रसारण करने के लिए प्रसारण समय कुल 6 घंटे रखेगा।

प्रत्येक दल को समय का आबंटन :

(iii) प्रत्येक राष्ट्रीय एवं राज्यीय दल को दूरदर्शन पर प्रसारण करने एवं आकाशवाणी पर प्रसारण करने के लिए समय निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार आबंटित किया जाएगा:-

राष्ट्रीय दलों के लिए

(क) राष्ट्रीय दलों के लिए दूरदर्शन/आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल/हुक-अप पर दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण समय के कुल 10 आरक्षित घंटों में से 7 राष्ट्रीय दलों में से प्रत्येक को 45 (पैंतालीस) मिनट आबंटित किए जाएंगें अर्थात् दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर प्रत्येक के लिए अलग-अलग कुल पांच घंटे और पन्द्रह मिनट(5-1/4 घंटे) ;

(ख) दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण के शेष चार घंटे और पैंतालीस मिनट (4-3/4घंटे) के समय को 1996 में आयोजित किए गए लोकसभा के विगत साधारण निर्वाचन में ऐसे प्रत्येक दल को मिले मतों की प्रतिशतता के अनुसार आगे सात राष्ट्रीय दलों में विभक्त किया जाएगा;

(ग) इसके अलावा, प्रत्येक राष्ट्रीय दल को क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों/क्षेत्रीय आकाशवाणी स्टेशनों पर दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण करने के लिए उपर्युक्त उप-पैरा (क) एवं (ख) के अंतर्गत इसे आबंटित कुल समय का डेढ़ गुना समय आबंटित किया जाएगा;

(घ) प्रत्येक राष्ट्रीय दल को उप पैरा (ग) के अंतर्गत इस तरह से आबंटित कुल समय में से, ऐसे प्रत्येक दल के पास इस प्रकार से आबंटित समय का उपयोग किसी क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्र/ राज्य की राजधानी के आकाशवाणी स्टेशन पर करने का विकल्प होगा: बशर्ते कि इसके द्वारा किसी भी एक क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्र/आकाशवाणी स्टेशन पर ऐसे समय के दसवें (1/10वें) भाग से अधिक समय का उपयोग नहीं किया जाएगा;

राज्यीय दलों के लिए:

(ड.) क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों/क्षेत्रीय आकाशवाणी स्टेशनों पर राज्यीय दलों द्वारा दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण के लिए आरक्षित किए गए 30 घंटों के समय में से, 34 राज्यीय दलों में से प्रत्येक को पैंतालीस(45) मिनट आबंटित किए जाएंगे अर्थात् दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर अलग-अलग पांच घंटे 30 मिनट (25-1/2 घंटे);

(च) दलों के लिए दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण के लिए शेष 4 घंटे और 30 मिनट (4-1/2 घंटे) के समय को आगे 34 राज्यीय दलों के बीच 1996 में आयोजित किए गए विगत साधारण निर्वाचन, और साथ-साथ संबंधित राज्य के विधान सभा के पिछले साधारण निर्वाचन में ऐसे प्रत्येक दल द्वारा राज्य(यों), जिसमें इसे मान्यता प्राप्त की गई है, में प्राप्त किए गए मतों के प्रतिशत के आधार पर विभक्त किया जाएगा;

(छ) इसके अलावा, प्रत्येक दल को पूरे देश में दर्शकों के लिए उपलब्ध दूरदर्शन के क्षेत्रीय उपग्रह सेवा चैनल और आकाशवाणी के राष्ट्रीय हुक-अप पर दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण के लिए 10 मिनट आबंटित किए जाएंगे।

दलों के लिए टाइम-वाउचर

(iv) प्रत्येक दल को दूरदर्शन में दूरदर्शन प्रसारण करने और आकाशवाणी में रेडियो प्रसारण के लिए आबंटित किए गए कुल समय के बराबर 5 मिनट एवं 10 मिनट के विभिन्न वर्ग के टाइम-वाउचर पत्र दिए जाएंगें। दल के पास किसी भी निजी प्रतिनिधि को चुनने और उन्हें उस टाइम-वाउचर को प्रयोग करने की अनुमति देने का विवेक होगा, बशर्ते कि ऐसे निजी प्रतिनिधि को दूरदर्शन या आकाशवाणी पर दल को आबंटित कुल समय में से 20 मिनट से अधिक का समय उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण करने की तारीख

(v) संसदीय निर्वाचनों और संबद्ध राज्य या राज्यों, जहां संबंधित राज्य विधान सभाओं के लिए भी निर्वाचन साथ-साथ आयोजित किए जा रहे हैं, के मामले में उपर्युक्त दूरदर्शन प्रसारणों/रेडियो प्रसारणों की अवधि प्रथम चरण के लिए नाम निर्देशनों की अंतिम तारीख और भारत में कहीं भी मतदानों की अंतिम तारीखों से दो दिन पूर्व के बीच की अवधि की होगी। प्रसार भारती निगम आयोग के परामर्श से सप्ताह के उन दिनों एवं टाइम स्लॉट को निश्चित करेगा और उनकी घोषणा करेगा, जिनके दौरान ये दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण किए जाएंगे।

(vi) वास्तविक तारीख एवं समय, जिसके दौरान किसी दल के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपर्युक्त दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण किया जाएगा, का पूर्व-निर्धारण प्रसार भारती निगम द्वारा आयोग के परामर्श से लॉट द्वारा किया जाएगा।

(vii) ऐसी तारीखों एवं समय का निर्णय लेते समय, यथा संभव और ऐसे दलों द्वारा दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण के अवसर एवं समय के संबंध में तकनीकी गतिरोधों पर उचित ध्यान देते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निष्पक्षता एवं साम्यता कायम रखी गई है।

दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण में पालन किए जाने के लिए दिशानिर्देश

(viii) दूरदर्शन/आकाशवाणी पर दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण में निम्नलिखित अनुमत्य नहीं होगा:

क) दूसरे देशों की आलोचना;
ख) धर्मों एवं समुदायों पर आक्षेपण;
ग) कोई अश्लील एवं अपमानजनक चीज़;
घ) हिंसा भड़काना;
ड.) ऐसा कुछ, जिससे न्यायालय की अवमानना हो;
च) राष्ट्रपति एवं न्यायालय की सत्यनिष्ठा के प्रति निंदा;
छ) राष्ट्र की एकता, संप्रभुता एवं अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई चीज;
ज) किसी व्यक्ति का नाम लेकर कोई आलोचना करना।

प्रतिलिपियां अग्रिम में प्रस्तुत करना

(ix) दलों या उनके प्रतिनिधियों को अपने दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण की प्रतिलिपियों को तकनीकी गतिरोधों की वजह से प्रसार भारती निगम द्वारा यथा इंगित समय सीमा के भीतर अग्रिम में प्रसार भारती निगम द्वारा इस ओर से विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यह उत्तरदायित्व दलों का होगा कि अनुमोदन के उपरांत वे अपनी प्रतिलिपियों को प्रसार भारती निगम के अपेक्षित तकनीकी मानकों को पूरा करने वाले निजी स्टूडियो में अपनी लागत से रिकार्ड करवाएं, बशर्ते कि किसी भी वीडियो रिकार्डिंग में दल का प्रतीक सफेद पृष्ठभूमि के साथ दिखाया जाएं।

पैनल विचार-विमर्श एवं वाद-विवाद

(x)दलों के उपर्युक्त दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण के अतिरिक्त, प्रसार भारती निगम दूरदर्शन और आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनलों पर अधिकतम दो राष्ट्रीय पैनल विचार-विमर्श/वाद-विवाद का आयोजन कर सकता है। राष्ट्रीय तौर से मान्यता प्राप्त प्रत्येक दल ऐसे कार्यक्रमों के लिए एक प्रतिनिधि नामित कर सकता है।

भारत निर्वाचन आयोग ऐसे पैनल विचार-विमर्शों और वाद-विवादों के लिए प्रसार भारती निगम के परामर्श से मध्यस्थों के नामों का अनुमोदन करेगा।

(xi)गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड और त्रिपुरा राज्यों में, जहां एक साथ विधान सभा निर्वाचन आयोजित किए जा रहे हैं, संबद्ध राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के लिए दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्रों से इसी प्रकार के वाद-विवाद एवं पैनल विचार-विमर्श की व्यवस्था की जा सकती है। इन कार्यक्रमों में संबद्ध राज्य के मान्यता प्राप्त दलों को भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

कठिनाईयां दूर करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियां

7. पैरा 6 में कुछ भी अंतर्निहित होने के बावजूद, भारत निर्वाचन आयोग निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त निदेश एवं अनुदेश जारी कर सकता है -

(क) इस आदेश के किन्हीं भी उपबंधों का स्पष्टीकरण; या

(ख) ऐसी किसी शंका को दूर करना, जो ऐसे किसी उपबंध के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो सकती है; या

(ग) किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्यीय दल को समय के आबंटन या समय के उपयोग से संबंधित किसी ऐसे मामले के संबंध में, जिसके लिए इस आदेश में कोई उपबंध नहीं है या अपर्याप्त उपबंध है और ऐसा उपबंध आयोग की राय में इस आदेश द्वारा कवर की गई स्कीम के निर्विघ्न एवं सुव्यवस्थित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है।

8. उपर्युक्त दिशानिर्देश यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ संसदीय एवं राज्य विधान मंडलों के भावी निर्वाचनों पर भी लागू होंगे।

आदेशानुसार,

(सुबास पाणी)
उप निर्वाचन आयुक्त

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.: 437/टी ए/2015/संचार दिनांक: 2 दिसंबर, 2015

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
प्रसार भारती,
(भारत प्रसारण निगम)
मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली।

विषय: राजनीतिक दलों को निर्वाचन के दौरान रेडियो प्रसारण/दूरदर्शन प्रसारण के समय का आबंटन।

महोदय,

मुझे उद्धृत विषय का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि हाल ही में आयोजित किए गए बिहार विधान सभा निर्वाचन के दौरान कुछ राजनैतिक दलों ने आयोग को जानकारी दी कि कुछ मामलों में, राजनैतिक दलों द्वारा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में एक जैसी

प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर आकाशवाणी एवं दूरदर्शन द्वारा यथानुमोदित लिपि के अनुमोदन के बीच व्यापक अंतर थे।

आयोग भावी निर्वाचनों में ऐसे भ्रम एवं अंतर को दूर करने के लिए यह चाहता है कि प्रसार भारती निर्वाचनों के दौरान सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में एक शीर्ष समीक्षा समिति का गठन करे, जिसमें आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, दोनों के सदस्य/विशेषज्ञ हों। आकाशवाणी/दूरदर्शन एवं राजनैतिक दलों के बीच रेडियो प्रसारण/दूरदर्शन प्रसारण की प्रतिलिपि से संबंधित राय/अनुमोदन में कोई भी मतभेद होने पर इस मामले को अंतिम निर्णय के लिए शीर्ष समीक्षा समिति को भेजा जा सकता है।

इस संबंध में शीघ्र प्रत्युत्तर हेतु आभारी रहूंगा।

भवदीय,

(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक
दूरभाष: 011 23052015
ई मेल: director.do eci.@gmail.com

प्रतिलिपि:

1. महानिदेशक, आकाशवाणी,
   आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली-110001

2. महानिदेशक, दूरदर्शन,
   मंडी हाउस, नई दिल्ली-110001

3. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी - सूचना एवं राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में सभी संबंधितों की जानकारी में लाने हेतु।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.: 437/टीए-लोकसभा/1/2019/संचार दिनांक: 23 मार्च, 2019

आदेश

फरवरी, 1998 में लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के समय, भारत निर्वाचन आयोग ने अपने निर्देशों (दिनांक 16 फरवरी, 1998 के आदेश सं. ईसीआई/जीई 98/437/एमसीएस/98 के तहत) के अंतर्गत राज्य के स्वामित्व वाले टेलीविजन और रेडियों के नि:शुल्क इस्तेमाल के माध्यम से मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के राज्यीय वित्तपोषण के लिए एक नई पहल शुरू की थी।

2. वर्ष 1998 में लोक सभा निर्वाचन से ठीक पूर्व सभी राष्ट्रीय और राज्यीय मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ इस योजना पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। सभी दलों ने भारत निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव का स्वागत किया। आयोग ने प्रसार भारती निगम, दूरदर्शन और आकाशवाणी के साथ व्यापक परामर्श करके इस योजना के प्रचालनात्मक मापदण्डों को प्रस्तुत किया।

3. तत्पश्चात, इस योजना का वर्ष 1999, 2004, 2009 और 2014 में लोक सभा के सभी साधारण निर्वाचनों तथा 1998 के बाद राज्य विधान सभाओं के आयोजित साधारण निर्वाचनों में विस्तार कर दिया गया।

4. निर्वाचन और अन्य संबंधित विधि (संशोधन) अधिनियम, 2003 और उसके अंतर्गत अधिसूचित किए गए नियमों के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन होने से, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचन प्रचार के लिए समय के न्यायोचित सहभाजन का सांविधिक आधार है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 39क के नीचे व्याख्या के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने ऐसे सभी प्रसारण मीडिया को उस धारा के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में अधिसूचित कर दिया है जो केंद्र सरकार के स्वामित्व में हैं अथवा उसके द्वारा नियंत्रित हैं अथवा उनके द्वारा प्रदत्त निधियों द्वारा संपूर्णतया या मूलत: वित्तपोषित हैं। अत: अब आयोग ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ परामर्श करके लोकसभा और कुछ राज्यों (आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा, और सिक्किम) की विधान सभाओं के आगामी साधारण निर्वाचन 2019 में प्रसार भारती निगम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय के न्यायोचित सहभाजन की योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है।

5. तद्नुसार, आयोग निम्नलिखित दिशानिर्देश देता है:

दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण सुविधा के लिए पात्र दल :

(i) दूरदर्शन(डी डी) एवं आकाशवाणी (ए आई आर) के प्रयोग की उपर्युक्त सुविधा लोकसभा और कतिपय राज्यों के आगामी साधारण निर्वाचनों के संबंध में केवल उन सात (7) राष्ट्रीय दलों और बावन (52) राज्यीय दलों को उपलब्ध होगी, जो वर्तमान में निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश 1968 के उपबंधों के अंतर्गत **मान्यताप्राप्त** हैं और जिनका नाम **अनुलग्नक-I** के रूप में इसके साथ संलग्न सूची में दिया गया है। यह सुविधा किसी पंजीकृत - गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या किसी निर्दलीय अभ्यर्थी के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण के लिए आबंटित कुल समय

(ii) प्रसार भारती निगम

दूरदर्शन पर:

(क) राष्ट्रीय दलों द्वारा दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारण करने के लिए प्रसारण समय कुल **10 घंटे** से कम नहीं रखेगा;
(ख) राष्ट्रीय दलों द्वारा क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों पर प्रसारण करने के लिए प्रसारण समय **15 घंटों** से कम नही रखेगा;
(ग) राज्यीय दलों द्वारा क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा प्रसारण करने के लिए प्रसारण समय **30 घंटे** से कम नहीं रखेगा; और
(घ) पूरे देश में दर्शकों के लिए उपलब्ध क्षेत्रीय उपग्रह सेवाओं के माध्यम से प्रसारण किए जाने का समय कुल **8 घंटे 40** मिनट का रखेगा।

और आकाशवाणी पर

(क) राष्ट्रीय दलों द्वारा आकाशवाणी के राष्ट्रीय हुक-अप पर प्रसारण करने के लिए प्रसारण का समय कुल **10 घंटे** से कम नहीं रखेगा;
(ख) राष्ट्रीय दलों द्वारा क्षेत्रीय आकाशवाणी केन्द्रों पर प्रसारण करने के लिए प्रसारण का समय कुल **15 घंटे** से कम नहीं रखेगा;
(ग) राज्यीय दलों द्वारा क्षेत्रीय आकाशवाणी केन्द्रों पर प्रसारण करने के लिए प्रसारण समय कुल **30 घंटे** से कम नहीं रखेगा; और
(घ) राज्यीय दलों द्वारा राष्ट्रीय हुक-अप पर प्रसारण करने के लिए प्रसारण समय कुल **8 घंटे 40 मिनट** रखेगा।

प्रत्येक दल को समय का आबंटन :

(iii) प्रत्येक राष्ट्रीय एवं राज्यीय दल को दूरदर्शन पर प्रसारण करने एवं आकाशवाणी पर प्रसारण करने के लिए समय निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार आबंटित किया जाएगा:-

राष्ट्रीय दलों के लिए:

(क) राष्ट्रीय दलों के लिए दूरदर्शन/आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल/हुक-अप पर दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण समय के कुल 10 आरक्षित घंटों में से 7 राष्ट्रीय दलों में से प्रत्येक को 45 (पैंतालीस) मिनट आबंटित किए जाएंगें अर्थात् दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर प्रत्येक के लिए अलग-अलग कुल पांच घंटे और पन्द्रह मिनट(5-15 घंटे) ;

(ख) दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण के शेष चार घंटे और पैंतालीस मिनट (4-45घंटे) के समय को 2014 में आयोजित किए गए लोकसभा के विगत साधारण निर्वाचन में ऐसे प्रत्येक दल को मिले मतों की प्रतिशतता के अनुसार आगे सात राष्ट्रीय दलों में विभक्त किया जाएगा;

(ग) इसके अलावा, प्रत्येक राष्ट्रीय दल को क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों/क्षेत्रीय आकाशवाणी स्टेशनों पर दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण करने के लिए उपर्युक्त उप-पैरा (क) एवं (ख) के अंतर्गत इसे आबंटित कुल समय का डेढ़ गुना समय आबंटित किया जाएगा;

(घ) प्रत्येक राष्ट्रीय दल को उप पैरा (ग) के अंतर्गत इस तरह से आबंटित कुल समय में से, ऐसे प्रत्येक दल के पास इस प्रकार से आबंटित समय का उपयोग किसी क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्र/ राज्य की राजधानी के आकाशवाणी स्टेशन पर करने का विकल्प होगा: बशर्ते कि इसके द्वारा किसी भी एक क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्र/आकाशवाणी स्टेशन पर ऐसे समय के दसवें (1/10वें) भाग से अधिक समय का उपयोग नहीं किया जाएगा;

राज्यीय दलों के लिए:

(क) क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों/क्षेत्रीय आकाशवाणी स्टेशनों पर राज्यीय दलों द्वारा दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण के लिए आरक्षित किए गए 30 घंटों के समय में से, 52 राज्यीय दलों में से प्रत्येक को तीस (30) मिनट आबंटित किए जाएंगे अर्थात् दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर अलग-अलग छब्बीस (26) घंटे;

(ख) दलों के लिए दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण के लिए शेष बारह (12) घंटें और चार घंटे के समय को आगे 52 राज्यीय दलों के बीच 2014 में आयोजित किए गए विगत साधारण निर्वाचन, में ऐसे प्रत्येक दल द्वारा राज्य(यों), जिसमें इसे मान्यता प्राप्त की गई है, में प्राप्त किए गए मतों के प्रतिशत के आधार पर विभक्त किया जाएगा;

(ग) इसके अलावा, प्रत्येक दल को पूरे देश में दर्शकों के लिए उपलब्ध दूरदर्शन के क्षेत्रीय उपग्रह सेवा चैनल और आकाशवाणी के राष्ट्रीय हुक-अप पर दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण के लिए 10 मिनट आबंटित किए जाएंगे।

दलों के लिए टाइम-वाउचर

(iv) प्रत्येक दल को दूरदर्शन में प्रसारण करने और आकाशवाणी में रेडियो प्रसारण के लिए आबंटित किए गए कुल समय के बराबर 5 मिनट एवं 4,3,2, एवं 1 मिनट कें खंडों के वर्ग के टाइम-वाउचर पत्र दिए जाएंगें। दल के पास किसी भी निजी प्रतिनिधि को चुनने और उन्हें उस टाइम-वाउचर को प्रयोग करने की अनुमति देने का विवेक होगा, बशर्ते कि ऐसे निजी प्रतिनिधि को दूरदर्शन या आकाशवाणी पर दल को आबंटित कुल समय में से 20 मिनट से अधिक का समय उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण करने की तारीख

(v) संसदीय निर्वाचनों और संबद्ध राज्य या राज्यों, जहां संबंधित राज्य विधान सभाओं के लिए भी निर्वाचन साथ-साथ आयोजित किए जा रहे हैं, के मामले में उपर्युक्त दूरदर्शन प्रसारणों/रेडियो प्रसारणों की अवधि प्रथम चरण के लिए नाम निर्देशनों की अंतिम तारीख और भारत में कहीं भी मतदानों की अंतिम तारीखों से दो दिन पूर्व के बीच की अवधि की होगी। प्रसार भारती निगम आयोग के परामर्श से सप्ताह के उन दिनों एवं टाइम स्लॉट को निश्चित करेगा और उनकी घोषणा करेगा, जिनके दौरान ये दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण किए जाएंगे।

(vi) वास्तविक तारीख एवं समय, जिसके दौरान किसी दल के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपर्युक्त दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण किया जाएगा, का पूर्व-निर्धारण प्रसार भारती निगम द्वारा आयोग के परामर्श से लॉट द्वारा किया जाएगा।

(vii) ऐसी तारीखों एवं समय का निर्णय लेते समय, यथा संभव और ऐसे दलों द्वारा दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण के अवसर एवं समय के संबंध में तकनीकी गतिरोधों पर उचित ध्यान देते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निष्पक्षता एवं साम्यता कायम रखी गई है।

दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण में पालन किए जाने के लिए दिशानिर्देश

(viii) दूरदर्शन/आकाशवाणी पर दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण में निम्नलिखित अनुमत्य नहीं होगा:

क) दूसरे देशों की आलोचना;
ख) धर्मों एवं समुदायों पर आक्षेपण;
ग) कोई अश्लील एवं अपमानजनक चीज़;
घ) हिंसा भड़काना;

ड.) ऐसा कुछ, जिससे न्यायालय की अवमानना हो;
च) राष्ट्रपति एवं न्यायालय की सत्यनिष्ठा के प्रति निंदा;
छ) राष्ट्र की एकता, संप्रभुता एवं अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई चीज;
ज) किसी व्यक्ति का नाम लेकर कोई आलोचना करना।

प्रतिलिपियां अग्रिम में प्रस्तुत करना

(ix) दलों या उनके प्रतिनिधियों को अपने दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण की प्रतिलिपियों को तकनीकी गतिरोधों की वजह से प्रसार भारती निगम द्वारा यथा इंगित समय सीमा के भीतर अग्रिम में प्रसार भारती निगम द्वारा इस ओर से विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। दल अनुमोदन के उपरांत अपनी प्रतिलिपियों को प्रसार भारती निगम के अपेक्षित तकनीकी मानकों को पूरा करने वाले निजी स्टूडियो में अपनी लागत से रिकार्ड करवा सकते हैं बशर्ते कि किसी भी वीडियो रिकार्डिंग में दल का प्रतीक सफेद पृष्ठभूमि के साथ दिखाया जाए। यदि वे दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों में प्रसार भारती की सुविधाएं लेना चाहते हैं तो वे अनिवार्य व्यवस्थाएं करने के लिए संबद्ध स्टेशन निदेशक को पर्याप्त अग्रिम नोटिस देंगें।

पैनल विचार-विमर्श एवं वाद-विवाद

(x) दलों के उपर्युक्त दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण के अतिरिक्त, प्रसार भारती निगम दूरदर्शन और आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनलों पर अधिकतम दो राष्ट्रीय पैनल विचार-विमर्श/वाद-विवाद का आयोजन कर सकता है। राष्ट्रीय तौर से मान्यता प्राप्त प्रत्येक दल ऐसे कार्यक्रमों के लिए एक प्रतिनिधि नामित कर सकता है।

भारत निर्वाचन आयोग ऐसे पैनल विचार-विमर्शों और वाद-विवादों के लिए प्रसार भारती निगम के परामर्श से मध्यस्थों के नामों का अनुमोदन करेगा।

(xi) उन राज्यों में, जहां एक साथ विधान सभा निर्वाचन आयोजित किए जा रहे हैं, संबद्ध राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के लिए दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्रों से इसी प्रकार के वाद-विवाद एवं पैनल विचार-विमर्श की व्यवस्था की जा सकती है। इन कार्यक्रमों में संबद्ध राज्य के मान्यता प्राप्त दलों को भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

कठिनाइयां दूर करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियां

6. पैरा 6 में कुछ भी अंतर्निहित होने के बावजूद, भारत निर्वाचन आयोग निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त निदेश एवं अनुदेश जारी कर सकता है -

(क) इस आदेश के किन्हीं भी उपबंधों का स्पष्टीकरण; या

(ख) ऐसी किसी शंका को दूर करना, जो ऐसे किसी उपबंध के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो सकती है; या

(ग) किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्यीय दल को समय के आबंटन या समय के उपयोग से संबंधित किसी ऐसे मामले के संबंध में, जिसके लिए इस आदेश में कोई उपबंध नहीं है या अपर्याप्त उपबंध है और ऐसा उपबंध आयोग की राय में इस आदेश द्वारा कवर की गई स्कीम के निर्विघ्न एवं सुव्यवस्थित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है।

(घ) राष्ट्रीय और राज्यीय दलों को आबंटित समय निकाला गया है और यह अनुलग्नक I,II,III, एवं IV के रूप में इसके साथ संलग्न है।

आदेशानुसार,

(दिलीप के वर्मा)
सचिव

ड.

निर्वाचन प्रबंधन संबंधी समाचारों का मीडिया अनुवीक्षण

अनुदेशों का सार

1. आयोग, सभी साधारण निर्वाचनों (वर्ष 2012 से आरंभ करके) में भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में नियंत्रण कक्ष के माध्यम से राष्ट्रीय समाचार चैनलों (अंग्रेजी एवं हिंदी) पर निर्वाचन प्रबन्धन संबंधी सभी समाचारों का मीडिया अनुवीक्षण करता रहता था। आयोग ने वर्ष 2015 के बिहार विधान सभा निर्वाचनों के दौरान मीडिया अनुवीक्षण का कार्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया केन्द्र (ई एम एम सी) को सौंप दिया था **(पृष्ठ सं. 149-150)।**

2. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार को प्रत्येक निर्वाचन में मीडिया अनुवीक्षण के लिए ई एम एम सी को आवश्यक दिशानिर्देशजारी करने के लिए सूचित किया जाता है। इस स्कीम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

(i) निर्वाचन प्रबन्धन संबंधी समाचारों का यह मीडिया अनुवीक्षण मतदान के दिन से एक दिन पूर्व और मतदान के प्रत्येक चरण में मतदान के दिन पर किया जाएगा।

(ii) ई एम एम सी एक वरिष्ठ पर्यवेक्षणकारी अधिकारी के अंतर्गत समर्पित स्टाफ का एक दल केवल क्रम सं. (i) पर यथा विनिर्दिष्ट दिनों को चौबीसों घंटे मीडिया अनुवीक्षण करने के लिए नियुक्त करता है। यह दल पारी (शिफ्ट) आधार पर कार्य कर सकता है।

(iii) इस कार्य में तैनात ई एम एम सी कर्मचारियों को केवल उपर्युक्त विनिर्दिष्ट दिनों के लिए आयोग के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत माना जाएगा (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28क के अंतर्गत), हालांकि वे ई एम एम सी से ही काम करेंगे।

(iv) ई एम एम सी कर्मचारियों का अभिविन्यास आयोग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाता है **(पृष्ठ सं. 151-152)।**

3. मीडिया अनुवीक्षण में ई एम एम सी/सी ई ओ की भूमिका (पृष्ठ सं. 150)

ई एम एम सी की भूमिका: ई एम एम सी, मतदान के दिन और उससे एक दिन पूर्व सभी अंग्रेजी एवं हिंदी समाचार चैनलों पर निर्वाचन प्रबंधन से संबंधित सभी समाचारों(महत्वपूर्ण गतिविधियां/आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन/तलाशी एवं जब्ती) का अनुवीक्षण करता है। निर्वाचनों के प्रत्येक चरण के संबंध में रिपोर्टों की प्रस्तुति दो-दो घंटे के आधार पर आयोग को की जानी होती है। ई एम एम सी रिपोर्टों को सी ई ओ कार्यालय को भी साथ-साथ भेजता है।

सी ई ओ की भूमिका: सी ई ओ कार्यालय रिपोर्ट संबंधी मदों के संबंध में स्थिति को सुनिश्चित करता है और दो घंटे के भीतर/आगामी रिपोर्ट को आयोग को भेजने से पहले की गई कार्रवाई रिपोर्ट/स्थिति रिपोर्ट दायर करता है।

आयोग को प्रस्तुत करना: मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट अवलोकन के लिए आयोग को प्रस्तुत की जाएगी/भेजी जाएगी।

मीडिया अनुवीक्षण का विश्लेषण: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के प्रत्येक चरण के पश्चात् मीडिया अनुवीक्षण का विश्लेषण किया जाना। इसमें विश्लेषण, और अंतिम विश्लेषण निर्वाचन समाप्त हो जाने के बाद किया जाएगा।

4. मीडिया रिपोर्ट के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करना:

ई एम एम सी से रिपोर्ट प्राप्त करने पर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी ई ओ) का कार्यालय रिपोर्ट संबंधी मतों के संबंध में स्थिति सुनिश्चित करेगा और दो घंटे के भीतर/ आगामी रिपोर्ट को तैयार करने से पहले की गई कार्रवाई रिपोर्ट/स्थिति रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त, सी ई ओ का कार्यालय इस मामले में की गई कार्रवाई से मीडिया को भी अवगत करवाएगा। यदि समाचार की खबर सही नहीं पाई

जाती है, तो उस मीडिया विशेष को प्रत्याख्यान जारी करने के लिए सूचित किया जा सकता है। **(पृष्ठ सं. 153)**

5. मीडिया अनुवीक्षण और मीडिया परिनियोजन

आयोग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को प्रमुख न्यूज़ चैनलों, प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर निर्वाचन प्रबंधन संबंधी समाचार का अनुवीक्षण करने के लिए सीईओ/डीईओ स्तर पर एक सुसज्जित मीडिया अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष स्थापित करने हेतु अनुदेश दिया है। निर्वाचनों के दौरान आयोग को दैनिक आधार पर 5 बजे अपराह्न सूचनाओं से अवगत कराया जाना चाहिए।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं: 491/एम एम/2015/संचार दिनांक: 8 जनवरी, 2016

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी
(संलग्न सूची के अनुसार)

विषय: साधारण/उप-निर्वाचन/द्विवार्षिक निर्वाचनों में मीडिया अनुवीक्षण - मीडिया रिपोर्ट के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

महोदय/महोदया,

जैसाकि आपको जानकारी होगी कि राष्ट्रीय समाचार चैनलों (अंग्रेजी एवं हिंदी) एवं क्षेत्रीय भाषा के समाचार चैनलों पर निर्वाचन प्रबंधन संबंधी सभी समाचारों का मीडिया अनुवीक्षण भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन कार्यालय स्तर पर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

अनुवीक्षण केंद्र (ई एम एम सी) अंग्रेजी एवं हिंदी के सभी समाचार चैनलों का अनुवीक्षण भारत निर्वाचन आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में करता है।

2. निर्वाचनों के दौरान अनुवीक्षण दलों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों को प्रदर्शित करने वाला एक प्रवाह संचित्र (फ्लो चार्ट) तैयार किया गया है। इसे भावी संदर्भ एवं कार्रवाई के लिए इसे इसके साथ संलग्न किया जाता है।

3. इसलिए आपके अनुरोध है कि राज्य में सभी भावी निर्वाचनों में कारगर अनुवीक्षण एवं त्वरित कार्रवाई के लिए इस योजना का अनुपालन किया जाए।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय,

(एस.के. दास)

अवर सचिव

दूरभाष: 011-23052082

ई मेल: sumands 34 @ gmail.com

मीडिया

प्रेस को यह सूचित करता है 1

कि क्या कार्रवाई की जा रही है। ईएमएमसी निर्वाचन से संबंधित

5 खबरों के लिए पूरी इलैक्ट्रानिक

4 रिपोर्ट भेजती है मीडिया का अनुवीक्षण करती है।

डीईओ की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट 3 रिपोर्ट भेजती है 2

(एटीआर) और जमीनी हकीकतों के

बारे में जिलों से पूछता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ईएमएमसी

2

मुख्य निर्वाचन अधिकारी की गई कार्रवाई की

रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयुक्त को भेजता है।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.: 491/मीडिया अनुवीक्षण/2016/संचार दिनांक: 7 मार्च, 2016

सेवा में,

सचिव,
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली।

विषय: असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल के विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2016 - मीडिया अनुवीक्षण - तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे उद्धृत विषय का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने लोकसभा निर्वाचन, 2014 और राज्य विधान सभा के उत्तरवर्ती निर्वाचनों में सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के लिए दी गई सहायता और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केंद्र (ई एम एम सी) द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा की है। अब, आयोग ने उपर्युक्त राज्यों के आगामी विधान सभा निर्वाचनों के दौरान यह कार्य ई एम एम सी को सौंपने का निर्णय लिया है। इसलिए यह सूचित किया जाता है कि-

(i) निर्वाचन प्रबंधन संबंधी समाचारों का मीडिया अनुवीक्षण मतदान के प्रत्येक चरण में मतदान के दिन से एक दिन पहले और मतदान के दिन में किया जाएगा (निर्वाचन की अनुसूची संलग्न है)। इस मामले में, मीडिया का तात्पर्य केवल राज्यों के सभी अंग्रेजी एवं हिंदी समाचार चैनलों से होगा और रेडियो एवं प्रिंट से नहीं होगा1

(ii) इसके अतिरिक्त, यह भी अनुरोध है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचनरत राज्यों का मीडिया अनुवीक्षण (11.03.2016 से आरंभ होते हुए निर्वाचन प्रक्रिया के अंत तक) किया जाएगा, और कृपया इस संबंध में रिपोर्ट दैनिक आधार पर आयोग को दिन में एक बार अग्रसरित की जाए (अपराह्न 5 बजे तक)।

(iii) आयोग ई एम एम सी के किसी सांविधिक कार्य में विघ्न नहीं डालना चाहता है। ई एम एम सी केवल क्रम सं. (i) में यथाविनिर्दिष्ट दिनों में चौबीसों घंटे मीडिया अनुवीक्षण के लिए एक वरिष्ठ पर्यवेक्षक अधिकारी के अंतर्गत समर्पित स्टाफ का एक दल नियुक्त करेगी। यह दल पारी (शिफ्ट) आधार पर कार्य कर सकता है।

(iv) ये कर्मचारी केवल ऊपर विनिर्दिष्ट दिनों के लिए आयोग के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत माने जायेंगे (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28क के अधीन), हालांकि वे केवल ई एम एम सी से ही कार्य करेंगे।

(v) आयोग द्वारा संबंधित ई एम एम सी कर्मचारियों के लिए अभिविन्यास सत्र की ई एम एम सी में शीघ्रातिशीघ्र उपयुक्त तारीखों में व्यवस्था की जाएगी।

2. इसलिए, आपसे ई एम एम सी को आवश्यक निर्देश जारी करने और साथ ही नियत कार्मिक सदस्यों के सभी विवरण और आयोग के अनुमोदन के लिए चैनलों की सूची 16 मार्च, 2016 तक उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया जाता है, ताकि हमारी ओर से अग्रिम कार्रवाई की जा सके।

भवदीय,

(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.: 491/एम एम/2016/संचार दिनांक: 5 अप्रैल, 2016

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ शासित राज्यों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: साधारण/उप'निर्वाचन/द्विवार्षिक निर्वाचनों में मीडिया अनुवीक्षण - मीडिया रिपोर्ट के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आयोग के दिनांक 6 जनवरी, 2016 के पत्र संख्या 491/एम एम/2015/संचार के क्रम में, मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अनुवीक्षण केंद्र से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय रिपोर्ट संबंधी

मदों पर स्थिति सुनिश्चित करेगा और आयोग को दो घंटे के भीतर/आगामी रिपोर्ट तैयार करने से पहले की गई कार्रवाई रिपोर्ट/स्थिति रिपोर्ट दायर करेगा। इसके अतिरिक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय इस मामले में की गई कार्रवाई से मीडिया को भी अवगत करवाएगा। यदि समाचार की खबर सही नहीं पाई जाती है तो उस विशेष मीडिया को उसका खण्डन जारी करने के लिए सूचित किया जा सकता है।

भवदीय,

(एस.के. दास)
अवर सचिव
दूरभाष: 011-23052082
ई मेल: sumands34@gmail.com

स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

संख्या 491/मीडिया अनुवीक्षण/2018/संचार दिनांक : 28 मार्च, 2018

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
कर्नाटक,
बेंगलुरू।

विषय : कर्नाटक विधानसभा का साधारण निर्वाचन, 2018 - मीडिया परिनियोजन और मीडिया अनुवीक्षण के संबंध में।

महोदय,

मुझे उल्लिखित विषय के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य विधान सभा के वर्तमान निर्वाचन के दौरान, सीईओ/डीईओ के कार्यालय में एक मीडिया अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाए और प्रमुख न्यूज़ चैनलों तथा प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रिंट मीडिया पर निर्वाचन प्रबंधन संबंधी सभी समाचारों के अनुवीक्षण के लिए कुछ विशेषज्ञ/पेशेवर कर्मचारियों

को तत्काल तैनात किया जाए। इस संबंध में आवश्यक अनुदेश सभी डीईओ को भी जारी किए जाएं।

2. आयोग के दैनिक आधार पर अपराह्न 5 बजे ईमेल आईडी media.election eci@gmail.com पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

3. इसके अलावा, मीडिया की सुग्राहिता तथा मीडिया के साथ सकारात्मक परिनियोजन बनाने के लिए सीईओ तथा डीईओ, दोनों स्तरों पर निम्नलिखित कदम भी उठाए जाने की आवश्यकता है :-

i. निर्वाचन के दौरान मीडिया के साथ दैनिक आधार पर अधिमानत: नियमित तालमेल और मीडिया के साथ सकारात्मक संपर्क मार्ग बनाए रखना।

ii. नोडल अधिकारी तथा प्रवक्ता की नियुक्ति सहित मीडिया के लिए सूचना के प्रसार हेतु एक सक्षम ढांचे का निर्माण करना।

iii. इस संबंध में ईसीआई, पीसीआई तथा एनबीए द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के संबंध में मीडियाकर्मी को सुग्राही बनाने के लिए राज्य स्तर पर निर्वाचनकों को कवर करने वाले मीडिया के लोगों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की जाए।

भवदीय

हस्ता/-

(पवन दीवान)

अवर सचिव

फोन नं.-011-23052133

मीडिया अनुवीक्षण के संबंध में प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र. ई एम एम सी अनुवीक्षण रिपोर्ट किसे भेजती है ?

उ. ई एम एम सी को विलंब से बचने के लिए अनुवीक्षण रिपोर्ट दो-दो घंटे के आधार पर उस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग को अग्रेषित करनी चाहिए।

प्र.: ई एम एम सी निर्वाचन प्रबंधन संबंधी समाचारों का अनुवीक्षण कब करती है ?

उ. ई एम एम सी निर्वाचन प्रबंधन संबंधी समाचारों का अनुवीक्षण मतदान के दिन और उससे एक दिन पूर्व करती है।

प्र. किस प्रकार के कवरेज का अनुवीक्षण किया जाता है ?

उ. निर्वाचन प्रबंधन संबंधी सभी समाचारों का अनुवीक्षण किया जाता है। इसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, कोई कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या, नकदी/शराब आदि की जब्ती, किसी भी ई वी एम में खराबी और अन्य कोई विशिष्ट समाचार शामिल हो सकते हैं।

प्र.: इस प्रक्रिया में राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी की भूमिका क्या है ?

उ.: राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय रिपोर्ट संबंधी मदों पर स्थिति सुनिश्चित करेगा और दो घंटे के भीतर/आगामी रिपोर्ट तैयार करने से पहले की गई कार्रवाई रिपोर्ट/स्थिति रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

प्र.: यदि समाचार की खबर सही नहीं पाई जाती है तो क्या करना होता है ?

उ.: यदि समाचार की खबर सही नहीं पाई जाती है, तो प्रत्याख्यान जारी करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मीडिया विशेष को सूचित किया जा सकता है।

प्र.: भारत निर्वाचन आयोग मीडिया अनुवीक्षण का विश्लेषण कब करता है ?

उ.: भारत निर्वाचन आयोग मतदान के प्रत्येक चरण के बाद मीडिया अनुवीक्षण का विश्लेषण करता है। अंतिम विश्लेषण निर्वाचन समाप्त होने के बाद किया जाता है।

प्र. निर्वाचनों के बाद क्या करना होता है ?

उ.: आयोग को निर्वाचनों के बाद एक तुलनात्मक चार्ट फारमेट में एक समेकित रिपोर्ट भेजनी होती है।

च.

निर्वाचनों के दौरान पालन करने के लिए मीडिया हेतु दिशा-निर्देश

अनुदेशों का सारांश

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 में संदर्भित अवधि के दौरान मीडिया कवरेज (पृष्ठ सं. 159-164)

भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के प्रत्येक साधारण निर्वाचन में एक प्रेस नोट जारी करता है जिसमें निर्वाचनों के दौरान मीडिया की कवरेज में अनुपालन किए जाने हेतु मीडिया के लिए दिशानिर्देशअंतर्निहित होते हैं। प्रेस नोट की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 में अन्य बातों के साथ-साथ किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए निर्धारित किए गए घंटे के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान, टेलीविज़न या इस प्रकार के उपकरणों के माध्यम से निर्वाचन संबंधी किसी बात को प्रदर्शित करना निषेध है। ''निर्वाचन संबंधी बात'' को इस धारा में किसी ऐसी बात के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए अभिप्रेत या प्रकल्पित हो। धारा 126 के उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन दंडनीय है जिसमें दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं।

ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 क, इसमें उल्लिखित अवधि अर्थात् सभी राज्यों में प्रथम चरण में मतदान प्रारंभ होने के लिए नियत घंटे और अंतिम चरण में मतदान के समापन के

लिए नियत समय के बाद आधे घंटे के दौरान एक्जिट पोल के संचालन एवं उनके परिणामों के प्रचार करने पर रोक लगाता है।

iii) आयोग यह पुन:दोहराता है कि टेलीविजन/आकाशवाणी चैनलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धारा 126 में संदर्भित 48 घंटों की अवधि के भीतर दूरदर्शन/ आकाशवाणी चैनलों एवं केबल नेटवर्क द्वारा प्रसारित किए गए कार्यक्रमों की विषयवस्तु में पैनलधारियों/सहभागियों द्वारा दिए गए विचारों/अपीलों सहित ऐसी कोई अन्य सामग्री नहीं होनी चाहिए, जिसे किसी विशेष दल या अभ्यर्थी की संभावनाओं को बढ़ाने/उन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने/प्रभावित करने के रूप में समझा जाए।

iv) धारा 126 या धारा 126क द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान संबंधित टेलीविजन/आकाशवाणी/केबल/एफ एम चैनल किन्हीं भी रेडियो प्रसारण संबंधी कार्यक्रमों के संचालन के लिए आवश्यक अनुमति लेने हेतु राज्य/जिला/स्थानीय प्राधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है, जिन्हें आदर्श आचार संहिता के उपबंधों और शिष्टाचार, सामुदायिक सौहार्द आदि बनाए रखने के संबंध में केबल नेटवर्क (विनियम) अधिनियम के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम संबंधी नियमों के अनुसार होना चाहिए। संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसी अनुमति देते समय कानून एवं व्यवस्था सहित सभी संबद्ध पहलुओं को ध्यान में रखेंगे।

2. आयोग ने यह ध्यान में रखते हुए कि दूरदर्शन सार्वजनिक निधियों से संचालित किया जाता है, अपने दिनांक 15.04.2014 के पत्र के तहत आदेश दिया है कि आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन की अवधि के दौरान दूरदर्शन पर निर्वाचन लड़ने वाले अभिनेताओं की फीचर फिल्म (वाणिज्यिक विज्ञापन को छोड़कर) के प्रसारण की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि,, निर्वाचन लड़ने वाले फिल्मी अभिनेताओं से संबंधित फिल्मों एवं वाणिज्यिक विज्ञापनों के टी.वी. चैनलों या सिनेमा घरों में प्रसारण पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। (पृष्ठ सं. 165)

3. प्रिंट मीडिया के लिए भारतीय प्रेस परिषद् (पी सी आई) के दिशानिर्देश(**पृष्ठ सं. 166-174**)

4. प्रसारण मीडिया के लिए राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरण के दिशानिर्देश(**पृष्ठ सं. 175-177**)

5. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 126 में संशोधन के लिए आयोग का प्रस्ताव

आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 की उपधारा (1) के खंड(ख) की परिधि में **प्रिंट मीडिया** को लाने के लिए उक्त अधिनियम की उक्त धारा में संशोधन के लिए विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा है ताकि निर्वाचकों को अपना विकल्प तय करने के लिए शांतिमय समयावधि प्राप्त हो/और उप-धारा 2क अर्थात् *''कोई*

न्यायालय धारा 126(1)(ख) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि निर्वाचन आयोग अथवा संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश से अथवा के प्राधिकार के अधीन कोई शिकायत नहीं की जाएगी'। (पृष्ठ सं. 183)

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/36/2019 दिनांक : 23 मार्च, 2019

प्रेस नोट

विषय: 17वीं लोक सभा, 2019 और आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम राज्य की विधान सभाओं का साधारण निर्वाचन, 2019-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 में संदर्भित अवधि के दौरान मीडिया कवरेज।

17वीं लोक सभा, 2019 और आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम राज्य की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन,2019 कराने संबंधी अनुसूची दिनांक 10 मार्च, 2019 को घोषित कर दी गई है। मतदान कई चरणों में आयोजित किया जाएगा । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति हेतु निर्धारित घंटे से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ टेलीविजन या समरूप माध्यम/साधनों के माध्यम से किसी

भी निर्वाचन संबंधी बात के प्रदर्शन का निषेध करती है। उक्त धारा 126 के सुसंगत अंश नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

(126. मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घंटो की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिबंध-

(1) कोई भी व्यक्ति-

(क) .....

(ख) चलचित्र, टेलीविजन या अन्य समरूप उपकरणों के माध्यम से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेंगे;

(ग) .....

मतदान क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान

(2) वह व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास, जिसकी अवधि बढ़ाकर दो वर्ष तक की जा सकती है, या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।

(3) इस धारा में, ''निर्वाचन संबंधी बात'' पद से अभिप्रेत है कोई ऐसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रकल्पित है)।

2. निर्वाचनों के दौरान, कभी-कभी टी.वी चैनलों द्वारा उनकी पेनल चर्चाओं/ वाद-विवाद तथा अन्य समाचारों और वर्तमान घटनाक्रम कार्यक्रमों के प्रसारण में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उपर्युक्त धारा 126 के उपबंधों के उल्लंघन का आरोप लगता रहा है। विगत में भी आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि उक्त धारा 126, निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ टेलीविजन या समरूप उपकरणों के माध्यम से किसी भी निर्वाचन संबंधी बात के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाती है। उस धारा में ''निर्वाचन संबंधी बात'' को ऐसी बात के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या परिकल्पित हो। धारा 126 के उपर्युक्त उपबंधों का उल्लंघन दो वर्ष के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

3. आयोग इस बात को पुन: दोहराता है कि टीवी/रेडियो चैनलो तथा केबल नेटवर्कों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 में संदर्भित 48 घंटों की अवधि के दौरान उनके द्वारा टेलीविजन प्रसारित/रेडिया प्रसारित/प्रदर्शित कार्यक्रमों की विषय सूची में पैनल के सदस्यों/प्रतिभागियों द्वारा दिए गए विचारों/अपीलों सहित कोई ऐसी सामग्री न हो जिससे निर्वाचन के परिणामों को प्रभावित करने/असर डालने या अभ्यर्थी(र्थियों) अथवा किसी विशेष दल की संभावनाओं को प्रोत्साहित करने/प्रतिकूल प्रभाव डालने का अर्थ लगाया जाए। अन्य बातों के अलावा, इसमें किसी भी ओपीनियन पोल तथा मानक वाद-विवादों, विश्लेषण, विजुअल तथा साउंड बाइट्स का प्रदर्शन भी शामिल होगा।

4. इस संबंध में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो कि सभी राज्यों में मतदान प्रारंभ होने से तथा मतदान समाप्त होने के आधा घंटा बाद तक के बीच की अवधि के दौरान एग्जिट पोल आयोजित करने और उसके परिणामों को प्रसारित करने को प्रतिबंधित करती है।

5. धारा 126 द्वारा कवर न होने वाली अवधि के दौरान, संबंधित टीवी/रेडियो/केबल/एफ एम चैनल/इंटरनेट वेबसाइट/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी भी प्रसारण संबंधी कार्यक्रमों (एग्जिट पोल्स से भिन्न) के संचालन, जो शालीनता, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने आदि के संबंध में केबल नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के अधीन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रोग्राम कोड और आदर्श आचार संहिता के उपबंधों के अनुरूप हो, हेतु आवश्यक अनुमति के लिए राज्य/जिला/स्थानीय प्राधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। सभी इंटरनेट वेबसाइट तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को अपने प्लेटफॉर्म पर सभी राजनैतिक विषय वस्तु के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 के दिशानिर्देश सं. 491/एसएम/2013/संचार का भी अनुपालन करेंगे। जहां तक राजनीतिक विज्ञापनों का संबंध है, आयोग के दिनांक 15.04.2004 के आदेश संख्या 509/75/2004/जेएस-I के अनुसार राज्य/जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा टेलीकॉस्ट/प्रसारण पूर्व प्रमाणन किया जाना अपेक्षित है।

6. **प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा जारी, निर्वाचन के दौरान पालन करने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देशों** की ओर सभी प्रिन्ट मीडिया का भी ध्यान आकर्षित किया जाता है:

(i) प्रेस का यह कर्तव्य होगा कि वह निर्वाचनों तथा अभ्यर्थियों के बारे में वस्तुपरक रिपोर्ट दें। समाचार पत्रों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे निर्वाचनों के दौरान किसी अभ्यर्थी/पार्टी या घटना के बारे में अतिशयोंक्तिपूर्ण रिपोर्टों और दूषित निर्वाचन प्रचारों में हिस्सा लें। व्यावहारिक रूप से, दो या तीन कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी सारी मीडिया को अपनी ओर ध्यानाकर्षित करते हैं। वास्तविक प्रचार पर रिपोर्ट तैयार करते समय समाचार पत्र में ऐसा कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं छोड़ना चाहिए जो कि अभ्यर्थी द्वारा उठाया गया हो और जो उसके विरोधी पर आक्षेप लगाता हो।

(ii) सांप्रदायिक या जाति आधार पर वोट मांगते हुए निर्वाचन प्रचार करना निर्वाचन नियमावली के अधीन निषेध है। अत:, प्रेस को धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर लोगों के बीच विद्वेष या घृणा की भावना को बढ़ावा देने से बचना चाहिए।

(iii) प्रेस को किसी अभ्यर्थी के आचरण और उसके निजी चरित्र के संबंध में कोई मिथ्या या आलोचनात्मक वक्तव्य अथवा उसकी अभ्यर्थिता या नाम वापस लेने के संबंध में किसी प्रकार के प्रकाशन से बचना चाहिए ताकि निर्वाचनों में उस अभ्यर्थी की संभावनाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित न होने पाएं। प्रेस को किसी अभ्यर्थी/दल के विरूद्ध असत्यापित आरोपों को प्रकाशित नहीं करना चाहिए।

(iv) प्रेस, किसी अभ्यर्थी/दल को प्रोजेक्ट करने में वित्तीय अथवा अन्य किसी प्रकार के प्रलोभन को स्वीकार नहीं करेगा। यह किसी अभ्यर्थी/दल की ओर से उनको दी जाने वाली कोई भी सुविधा या आतिथ्य स्वीकार नहीं करेगी।

(v) प्रेस से किसी विशेष अभ्यर्थी/दल के प्रचार में शामिल होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। यदि यह ऐसा करती है तो यह ऐसे अन्य अभ्यर्थी/दल को इस संबंध में जवाब देने के अधिकार की अनुमति भी देगी।

(vi) प्रेस, सत्ताधारी पार्टी/सरकार की उपलब्धियों के संबंध में सरकारी खर्च/राजकोष पर किसी विज्ञापन को स्वीकार/प्रकाशित नहीं करेगी।

(vii) प्रेस, निर्वाचन आयोग/रिटर्निंग अधिकारियों या मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सभी निदेशों/आदेशों/अनुदेशों का पालन करेगी।

7. **एनबीएसए द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2014 को जारी "निर्वाचन प्रसारण हेतु दिशा-निर्देश"** की ओर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ध्यानाकर्षण किया जाता है :-

(i) समाचार (न्यूज़) प्रसारकों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन निर्धारित नियमों तथा विनियमों के अनुसार सुसंगत निर्वाचन मामलों, राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, अभियान मामलों तथा मतदान प्रक्रियाओं के बारे में लोगों को निरपेक्ष तरीके से सूचित करने का प्रयास करना चाहिए।

(ii) न्यूज़ चैनलों को पार्टी या अभ्यर्थी के संबंध में किसी भी प्रकार की राजनैतिक संबद्धता का उल्लेख करना चाहिए। जब तक समाचार प्रसारक किसी विशेष दल या अभ्यर्थी का सार्वजनिक रूप से अनुसमर्थन या समर्थन नहीं करते हैं तब तक उनका यह कर्तव्य बनता है कि वे विशेष अपनी निर्वाचन संबंधी रिपोर्टिंग में संतुलित एवं निष्पक्ष बने रहें।

(iii) समाचार प्रसारकों को सभी प्रकार की अफवाहों, निराधार अटकलबाजियों तथा गलत सूचना देने से बचना चाहिए, विशेषत:, जब यह किन्ही विशेष दलों या अभ्यर्थियों के संबंध में हो। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी/राजनैतिक दल जो कि इस प्रकार से बदनाम किया गया है या मिथ्या निरूपण, गलत सूचना देने या सूचना के प्रसारण द्वारा समरूप क्षति से पीड़ित है, तो उसमें तुरंत सुधार लाया जाए और जहां उचित लगे जबाव देने का अवसर भी प्रदान किया जाए।

(iv) समाचार प्रसारकों को ऐसे सभी राजनैतिक तथा वित्तीय दबावों से बचना चाहिए जो कि निर्वाचनों की कवरेज तथा निर्वाचन संबंधी मामलों पर प्रभाव डालते हों।

(v) समाचार प्रसारकों को अपने समाचार चैनलों में प्रसारित संपादकीय तथा विशेषज्ञ राय के बीच स्पष्ट अंतर रखना चाहिए।

(vi) वे समाचार प्रसारक जो राजनैतिक दलों से वीडियो सामग्री प्राप्त करते है, उन्हें इसका उल्लेख करना चाहिए और इसे उचित रूप से टैग भी करना चाहिए।

(vii) घटनाओं, तारीखों, स्थानों और उद्धरणों के संबंध में निर्वाचनों तथा निर्वाचन संबंधी मामलों से संबंध रखने वाले समाचारों/कार्यक्रमों की प्रत्येक मूलवस्तु के संबंध में यथार्थता सुनिश्चित करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि गलती से या असावधानी से किसी गलत सूचना का प्रसारण हो जाता है तो जैसे ही प्रसारक के ध्यान में यह बात आती है तो वह उसे उसी विशिष्टता से संपन्न करेगा जैसे कि मूल प्रसारण के समय किया था।

(viii) समाचार प्रसारकों, उनके संवाददाताओं और अधिकारियों को धन, किसी प्रकार का उपहार या ऐसा कोई समर्थन स्वीकार नही करना चाहिए जो उन पर किसी प्रकार का प्रभाव डाले या प्रभाव डालता हुआ प्रतीत हो, हितों संबंधी विरोध उत्पन्न करे या प्रसारक अथवा उसके कार्मिक की विश्वसीनयता को क्षति पहुंचाए।

(ix) समाचार प्रसारक किसी प्रकार का 'घृणापूर्ण भाषण' या अन्य प्रकार के आपित्तजनक अंशों का प्रसारण नहीं करेंगे जिससे हिंसा या जनाक्रोश को बढ़ावा मिले या अव्यवस्था फैले क्योंकि सांप्रदायिक या जाति के आधार पर प्रचार करना निर्वाचन विधि के अधीन निषेध है। समाचार प्रसारकों को ऐसी रिपोर्टों से कड़ाईपूर्वक परहेज करना चाहिए जिससे धर्म, वंश, समुदाय, क्षेत्र या भाषा के आधार पर वैमनस्यता या घृणा की भावना को बढ़ावा मिले।

(x) समाचार प्रचारकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समाचारों तथा पेड सामग्री का अंतर बनाए रखने में सावधानी बरतें। सारी पेड सामग्री पर ''पेड विज्ञापन'' या ''पेड सामग्री'' स्पष्ट रूप से चिहनित की जानी चाहिए और पेड सामग्री एनबीए द्वारा जारी दिनांक 24.11.2011 के ''पेड न्यूज़ संबंधी मानदंड और दिशा-निर्देश'' के अनुसरण में कार्यान्वित होने चाहिएं।

(xi) ओपीनियन पोल को रिपोर्ट करते समय उसकी सटीकता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, दर्शकों के लिए यह खुलासा किया जाना चाहिए, कि ओपीनियन पोल के संचालन और उसके प्रसारण के लिए उन्हें किसने अधिकृत किया है, किसने उसका संचालन किया है और किसने उसके लिए भुगतान किया है। यदि किसी समाचार प्रसारक के पास ओपीनियन पोल अथवा अन्य निर्वाचन प्रेक्षणों का परिणाम है तो उसे ऐसे मतदानों की उनकी सीमाओं सहित सीमाओं तथा कार्यक्षेत्र और उसका संदर्भ या उल्लेख अवश्य करना चाहिए। ओपीनियन पोल के प्रसारण के साथ ऐसी सूचना भी अवश्य दी जानी चाहिए जिससे दर्शक मतदान का महत्व समझ सकें यथा प्रयुक्त पद्धति, सैंपल का आकार, त्रुटियों की गुंजाइश, फील्डवर्क तारीखें तथा प्रयोग किए गए आंकड़े। प्रसारक को इस संबंध में भी सूचना देनी चाहिए कि वोट शेयर किस प्रकार सीट शेयर में बदल जाता है।

(xii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के उल्लघंन में मतदान के परिणाम के लिए नियत घंटों की समाप्ति के 48 घंटे के दौरान, प्रसारणकर्ता कोई भी "निर्वाचन मामला" अर्थात निर्वाचन के परिणाम को अभिप्रेत या सुनियोजित दबाव डालना या प्रभावित करने के किसी भी मामले को प्रसारित नहीं करेगा।

(xiii) भारत निर्वाचन आयोग, समाचार प्रसारकों द्वारा निर्वाचनों की घोषणा से निर्वाचनों की समाप्ति और निर्वाचनों परिणामों की घोषणा तक किए गए प्रसारणों का अनुवीक्षण करेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) को सदस्य प्रसारक द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के उल्लंघन के मामले की शिकायत पर एनबीएसए द्वारा इसके विनियमों के अधीन ही कार्रवाई की जाएगी।

(xiv) प्रसारकों को, संभव स्तर तक, मतदान प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को प्रभावी रूप से सूचित करने के लिए मतदान का महत्व बताने तथा साथ ही कैसे, कब और कहां वोट करें, वोट के लिए रजिस्टर कराने और मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चलाने चाहिए।

(xv) समाचार प्रसारकों को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से परिणामों की घोषणा किए जाने तक किसी भी प्रकार के अंतिम, औपचारिक और निश्चित परिणामों का प्रसारण नहीं करना चाहिए जबतक कि ऐसे परिणामों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख न हो कि वे अनाधिकारिक हैं या अधूरे या अपूर्ण परिणाम अथवा अनुमान हैं जिन्हें अंतिम परिणामों के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

8. **इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई)** ने एक साथ आयोजित हो रहे लोक सभा 2019 तथा चार राज्यों की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों तथा उप-निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया की निष्ठा बनाए रखने के लिए सभी भागीदार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु उन सभी के लिए **"स्वैच्छिक नैतिकता संहिता"** भी तैयार की है। दिनांक 20 मार्च, 2019 की "स्वैच्छिक नैतिकता संहिता" के निम्नलिखित पाठ की ओर सभी संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है :

(i) प्रतिभागी, जहां उपयुक्त होगा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत को ध्यान में रखकर अपने उत्पादों तथा/या सेवाओं के बारे में निर्वाचन विषयों से संबंधित सूचना तक पहुंच को सुगम बनाने हेतु उपयुक्त नीतियों तथा प्रक्रियाओं का उपयोग करने का प्रयास करेंगे।

(ii) प्रतिभागी निर्वाचन विधियों तथा अन्य संबंधित अनुदेशों सहित जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार अभियानों को स्वैच्छिक रूप से शुरू करने का प्रयास करेंगे। प्रतिभागी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अनुरोध (रिक्वेस्ट) भेजने के लिए तंत्र सहित अपने उत्पादों/सेवाओं के बारे में भारत निर्वाचन आयोग के नोडल अधिकारी को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास करेंगे।

(iii) प्रतिभागियों और भारत निर्वाचन आयोग (ई सी आई) ने एक अधिसूचना तंत्र विकसित किया है जिसके द्वारा भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिधिनित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 तथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार अन्य लागू निर्वाचन विधियों के संभावित उल्लंघनों वाले सुसंगत प्लेटफॉर्म को सूचना दे सकता है। इन विधिमान्य विधिक आदेशों को सिन्हा समिति की सिफारिशों के अनुसार धारा 126 के अधीन सूचित उल्लंघनों के 3 घंटे के भीतर स्वीकार किया जाएगा तथा/या इन पर कार्रवाई की जाएगी। सभी अन्य विधिमान्य विधिक अनुरोधों पर सूचित उल्लंघन के स्वरूप के आधार पर प्रतिभागियों द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई की जाएगी।

(iv) प्रतिभागी भारत निर्वाचन आयोग के लिए उच्च प्राथमिकता वाला समर्पित रिपोर्टिंग तंत्र सृजित कर रहे हैं/ खोल रहे हैं तथा उन्होंने इन्टरफेस करने और फीडबैक का आदान-प्रदान करने के लिए साधारण निर्वाचनों की अवधि के दौरान समर्पित व्यक्ति(यों)/टीमों को नियुक्त करते हैं जो

सम्यक विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त ऐसे विधिसम्मत अनुरोध के प्राप्त होने पर उनपर त्वरित कार्रवाई करने में सहायता कर सकते हैं।

(v) प्रतिभागी, साधारण निर्वाचन 2019 के लिए निर्वाचन विज्ञापनों, जिनमें राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों के नाम छपे हों, के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग तथा/या मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) द्वारा जारी पूर्व-प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए विधि के अधीन अपने दायित्वों के अनुसार सुसंगत राजनैतिक विज्ञापनों के लिए तंत्र प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त, जिन विज्ञापनों के लिए प्रमाणन नहीं है, उनपर प्रतिभागी, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनको अधिसूचित पेड राजनैतिक विज्ञापनों पर विधि सम्मत रूप से त्वरित कार्रवाई करेंगे।

(vi) प्रतिभागी, ऐसे विज्ञापनों के लिए अपने पूर्व-विद्यमान लेबल/प्रकटन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने सहित पेड राजनैतिक विज्ञापनों में पारदर्शिता को सुगम बनाने के लिए वचनबद्ध होंगे।

(vii) प्रतिभागी, भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त विधिमान्य अनुरोध के अनुसरण में, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया **(आईएएमएआई)** के माध्यम से, उनके अपने-अपने प्लेटफॉर्मों के दुरूपयोग को रोकने के लिए उनके द्वारा किए गए उपायों पर अद्यतन सूचना प्रदान करेंगे।

8. आईएएमएआई इस संहिता के अधीन उठाए गए कदमों के बारे में प्रतिभागियों के साथ समन्वय करेंगे तथा आईएएमएआई और प्रतिभागी निर्वाचन अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे।

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का सभी संबंधितों द्वारा विधिवत रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए।

ह./-

(पवन दीवान)
अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.: 437/6/गुज.-हि.प्र./2014 दिनांक: 15 अप्रैल, 2014

सेवा में,

1. सी ई ओ, प्रसार भारती,
   प्रसार भारती,
   दूसरी मंजिल, पी टी आई भवन,
   संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001.
2. महानिदेशक,
   दूरदर्शन,
   दूरदर्शन भवन,
   कॉपरनिकस मार्ग,
   नई दिल्ली-110001
3. सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी
   दिनांक 28.03.2014 के पत्र सं ईएलसी./102014/सी एच एच (एम सी सी) के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात के विशेष ध्यानाकर्षण हेतु।

विषय: निर्वाचन लड़ने वाले अभिनेताओं की फिल्मों का टी.वी. चैनलों पर प्रसारण: तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने निर्वाचन लड़ने वाले अभिनेताओं की फिल्म को टी.वी. चैनलों पर प्रसारित करने के मामले पर विचार किया है। इस संबंध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन लड़ने वाले फिल्म अभिनेताओं से संबंधित फिल्मों एवं वाणिज्यिक विज्ञापनों के टी.वी. चैनलों या सिनेमा घरों में प्रसारण पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। तथापि, यह ध्यान में रखते हुए कि दूरदर्शन सार्वजनिक निधि से संचालित किया जाता है, ऐसी फीचर फिल्म (वाणिज्यिक विज्ञापन को छोड़कर) के दूरदर्शन पर प्रसारण को आदर्श आचार संहिता लागू रहने की अवधि के दौरान अनुमति नहीं दी जाएगी। आप तद्नुसार कार्रवाई कर सकते हैं।

भवदीय,

(राहुल शर्मा)
अवर सचिव
<u>विशेष संदेश संवाहक द्वारा</u>

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं.3/ईआर/2018/एसडीआर/खंड-I दिनांक: 17 जनवरी, 2019

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार
विधि एवं न्याय मंत्रालय,
विधायी विभाग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

(ध्यानाकर्षण: डा0 रीटा वशिष्ठ अपर सचिव)

विषय:- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 में संशोधन करने का प्रस्ताव - तत्संबंधी

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से पूर्व अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं, सार्वजनिक निष्पादनों(कार्य), जलूसों, सिनेमा, टेलीविजन अथवा इसी प्रकार के उपस्करों के माध्यम से विज्ञापन देने जैसी निर्वाचन गतिविधियों को प्रतिबंधित करती

है। चूंकि, यह धारा प्रिंट मीडिया को संदर्भित नहीं करती है, अत: राजनैतिक दल और अभ्यर्थी मतदान दिवस सहित इस अवधि के दौरान समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी करते हैं।

2. पूर्व में भी आयोग ने कई बार सिफारिश की थी कि प्रिंट मीडिया को भी धारा 126 की उप-धारा(1) के खण्ड(ख) के क्षेत्राधिकार में लाया जाए। इस संबंध में तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के दिनांक 13-04-2012 के अर्ध शासकीय पत्र सं. 3/ईआर/एसडीआर/2012, जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री को संबोधित था, की ओर संदर्भ आमंत्रित किया जाता है। इसमें किए गए अन्य प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव यह भी दिया गया था कि धारा 126 प्रिंट मीडिया पर भी समान रूप से लागू होनी चाहिए ताकि निर्वाचकों को अपना विकल्प चुनने के लिए शांत एवं पर्याप्त समय मिल सके।

3. इसके अतिरिक्त, श्री अशोक देसाई, भूतपूर्व महान्यायविधि और वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दी गई राय के आधार पर लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) की प्रयोज्यता और अधिकार क्षेत्र पर विचार करने के संबंध में आयोग ने अपने दिनांक 13.06.2019 के पत्र सं. 3/1/2014/एसडीआर-खंड.IV, के तहत यह प्रस्ताव दिया था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 में एक खंड जोड़ा जाए कि *"कोई भी न्यायालय धारा 126(1)(ख) के अंतर्गत किसी अपराध पर तब तक संज्ञान नहीं लेगा, जब तक निर्वाचन आयोग अथवा संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश द्वारा अथवा उनके प्राधिकार के अंतर्गत शिकायत नहीं की जाती है,"* जैसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 के मामले में है।

4. पिछले वर्ष आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 और अन्य सम्बद्ध मामलों के प्रावधानों की पुनरीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने 10 जनवरी, 2019 को आयोग को अपनी रिपोर्ट दे दी है। समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

5. समिति ने अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 में संशोधनों की सिफारिश की थी। समिति द्वारा की गई सिफारिशों और पूर्व में दिए गए प्रस्तावों पर विधिवत विचार करने के पश्चात आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करता है-

"126 मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध---(1) कोई व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान,-

(क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा; या

(ख)प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साधनों, अथवा सम्बद्ध माध्यमों (इंटरमीडियरीज) अथवा किन्हीं अन्य साधनों के द्वारा निर्वाचन संबंधी किन्हीं भी मामलों का प्रकाशन, प्रचार अथवा प्रसार नहीं करेगा; अथवा

(ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।

(2) वह व्यक्ति, जो उपधारा(1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा; कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2क) कोई भी न्यायालय उप-धारा(1) के अंतर्गत किसी दंडनीय अपराध पर तब तक संज्ञान नहीं लेगा, जब तक निर्वाचन आयोग अथवा संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश द्वारा अथवा उनके प्राधिकार के अंतर्गत शिकायत नहीं की जाए।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए, -

(क)"प्रचार करना" में "प्रिंट मीडिया" में प्रकाशन अथवा किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारण अथवा प्रदर्शन करना सम्मिलित है।

(ख) " निर्वाचन संबंधी मामले" पद से अभिप्रेत है कोई ऐसी बात, जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रकल्पित है।

(ग)" इलेक्ट्रॉनिक मीडिया" में इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन, सेटेलाइट, स्थलीय अथवा केबल चैनल, अथवा प्रिंट मीडिया के इंटरनेट/डिजिटल रूपान्तर, सरकार अथवा निजी व्यक्तिगत अथवा दोनों के स्वामित्व वाले मोबाइल और ऐसे अन्य साधनों सहित इंटरनेट, रेडियो और टेलीविजन सम्मिलित हैं;

(घ)"सम्बद्ध माध्यमों (इंटरमीडियरीज)" को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2(ब) में परिभाषित किया जाएगा।

(ङ)"प्रिंट मीडिया" के अंतर्गत कोई समाचार-पत्र, पत्रिका अथवा पत्रिकाएं, पोस्टर, इश्तहार, विज्ञापन-पत्र (हैंडबिल) अथवा अन्य कोई दस्तावेज सम्मिलित हैं।"

[वर्तमान उपधारा (3) को हटाने का यथा प्रस्ताव दिया गया है और इसके स्थान पर स्पष्टीकरण खंड को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है, जैसा उपरोक्त में उल्लेख किया गया है।]

6. यह भी स्मरण किया जाए कि विधि आयोग ने अपनी 255वीं रिपोर्ट में भी धारा 126 में संशोधन करने की सिफारिश की थी।

7. आयोग की इच्छा है कि उपरोक्त पैरा 5 में यथा प्रस्तावित संशोधन की कार्रवाई शीघ्र की जाए ताकि इसे आगामी निर्वाचनों में लागू किया जा सके।

भवदीय,

हस्त/-
(के.एफ. विल्फ्रेड)
वरिष्ठ प्रधान सचिव

भारतीय प्रेस परिषद्
पेड-न्यूज पर रिपोर्ट

(पत्र सं. 17/07/09-10 दिनांक 16 अगस्त, 2010 के तहत भारतीय प्रेस परिषद् से प्राप्त)

दिनांक: 30/07/2010

'पेड-न्यूज़' की घटनाओं ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। आज यह कुछेक पत्रकारों और मीडिया कंपनियों के भ्रष्टाचार की सीमा से बहुत आगे निकल गया है और अब यह व्यापक, संरचित और अत्यंत संगठित बन गया है। इस प्रक्रिया में यह भारत के लोकतंत्र को क्षति पहुंचा रहा है। इसने राजनेताओं, विचारकों, पत्रकारों एवं मीडिया मालिकों सहित समाज के प्रबुद्ध वर्गों को खिन्न कर दिया है। उन सभी ने ऐसे कदाचारों के घातक प्रभाव के बारे में अपनी नाराजगी एवं चिंता जाहिर की है।

स्व. श्री प्रभाष जोशी, श्री अजीत भट्टाचार्जी, श्री बी.जी. वर्गिस और श्री कुलदीप नायर सहित अनेक अनुभवी पत्रकार चाहते थे कि भारतीय प्रेस परिषद् इस मुद्दे पर अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करे और अपने सुझाव दे कि ''पेड-न्यूज'' की घटना पर किस प्रकार रोक लगाई जाए। आंध्र प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सहित विभिन्न पत्रकार एसोसिएशनों ने इस घटना की जांच की, सर्वेक्षण किए और इस विषय पर परिचर्चाएं की। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इण्डिया ने भी इस विषय पर चर्चा की और इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। 8 जून, 2010 को भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचनों से पहले ''पेड-न्यूज'', अर्थात् न्यूज़ की आड़ में विज्ञापन की जांच करने के उपायों के संबंध में सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए।

''राजनैतिक पेड-न्यूज़'' की घटनाएं विशेष रूप से 2009 के साधारण निर्वाचनों और तत्पश्चात् विभिन्न राज्यों के निर्वाचनों के दौरान विशेष रूप से ध्यान में आईं। निर्वाचन के लिए खड़े होने वाले अभ्यर्थियों संबंधी राजनैतिक ''न्यूज'' या ''रिपोर्टिंग'' ने पुनर्परिभाषित होकर इस प्रवृत्ति को एक नया एवं और अधिक विनाशकारी रूप प्रदान कर दिया - कदाचित ऐसी 'न्यूज रिपोर्ट, संभवत: सदैव गुप्त ढंग से केवल वित्तीय लेन-देन हो जाने के पश्चात् ही प्रकाशित या प्रसारित की जाने लगी। आमतौर से यह विश्वास किया जाना है कि अनेक मीडिया कंपनियाँ, उनके कारोबारों एवं उनके लाभ की सीमाओं को ध्यान में रखे बिना, राजनैतिकों एवं कारपोरेट इकाइयों के विज्ञापक प्रतिनिधियों के साथ 'समझ' विकसित करने के पश्चात् न्यूज स्पेस बेच रहे थे। प्रकाशनों एवं प्रसारण समय स्पेस ऐसे विज्ञापनों से भरे हुए थे जो ''न्यूज़'' के भेष में थे।

समाचार का अभिप्राय तटस्थ, यथार्थ और निष्पक्ष होता है - यही वह भाव है जो ऐसी सूचना एवं राय को उन विज्ञापनों से अलग करता है जिनके लिए कारपोरेट इकाईयों, सरकारों, संगठनों या व्यक्तियों द्वारा भुगतान किया जाता है। जब न्यूज़ एवं विज्ञापनों में अन्तर मिट जाता है, जब विज्ञापन भुगतान किए गए न्यूज़ से दुगुने हो जाते हैं, या जब संपादकीय स्पेस को बेचकर किसी विशेष राजनैतिज्ञ के पक्ष में ''न्यूज़'' प्रकाशित की जाती है तो क्या होता है ?

ऐसी परिस्थितियों में पाठकों या दर्शकों का एक भाग रिपोर्टों एवं विज्ञापनों/एडवर्टोरियलों के बीच मुश्किल से भेद कर पाता है। विपणन कार्यकारी राजनैतिक व्यक्तियों तक पहुंच बनाने के लिए स्वेच्छा से - या अन्यथा पत्रकारों की सेवाओं का प्रयोग करते हैं। तथाकथित ''रेट कार्ड'' या ''पैकेज'' वितरित किए जाते हैं जिनमें प्राय: उन ''न्यूज़'' मदों के प्रकाशन के लिए ''दरें'' शामिल होती हैं जो न केवल किन्हीं विशेष अभ्यर्थियों की प्रशंसा करती हैं बल्कि उनके राजनैतिक प्रतिद्वंद्वियो की भी आलोचना करते हैं। जो अभ्यर्थी मीडिया संगठनों की ओर से ऐसी रीतियों को नहीं अपनाते हैं, उन्हें कवरेज से इंकार किया जा सकता है। भारत में मीडिया वर्ग जबरदस्ती ऐसी रीतियों में सहभागी बन चुके हैं जो राजनीति में धन शक्ति के बढ़ते हुए प्रयोग को और बढ़ावा देते हैं जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं एवं मानदंडों को क्षति पहुंचती है - जबकि वे कुटिलतापूर्वक उच्च नैतिक आदर्श रखने का ढोंग करते हैं। इसने न केवल भारत में लोकतंत्र को क्षति पहुंचाई है अपितु देश की प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगा दिया है।

प्रतियोगी प्रकाशनों में चित्रों एवं शीर्षकों के साथ समरूपी लेख दिखाई दिए हैं जिनमें एक ही समय में विभिन्न लेखकों की नाम पंक्तियां होती हैं। विशिष्ट समाचार-पत्रों के एक ही पृष्ठ पर प्रतियोगी अभ्यर्थियों की प्रशंसा करते हुए लेख प्रिंट किए गए हैं जिनमें दोनों अभ्यर्थियों द्वारा उस निर्वाचन को जीतने की संभावना का दावा किया जाता है। इसमें कहीं पर यह जिक्र नहीं होता है कि ऐसी ''न्यूज़'' रिपोर्ट के प्रकाशन में कहीं वित्तीय लेन-देन हुआ है या इसे कुछ व्यक्तियों या राजनैतिक दलों द्वारा प्रायोजित किया गया है। जब ऐसे पारिस्थितिक साक्ष्य से सामना होता है जो ''पेड-न्यूज़'' के आरोपों को प्रमाणित करता है, तो कदाचार के आरोपित व्यक्तियों की मानक प्रतिक्रिया यह बहाना बनाने की होती है कि कुछ भी अनुचित नहीं हुआ है क्योंकि साक्ष्य की प्रकृति पारिस्थितिक है। राजनैतिक दलों के साथ-

साथ मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों की विशिष्ट प्रतिक्रिया इन आरोपों को स्पष्ट रूप से इंकार करने की होती है। हालांकि, प्राइवेट में निजी तौर से, ये ही लोग यह मानते हैं कि ''पेड-न्यूज़'' के कैंसर ने देश की राजनीति में गहरी जड़ें फैला ली हैं और इसे दूर करने की आवश्यकता है।

लोकतंत्र के लिए ''पेड-न्यूज़'' के साथ-साथ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रतिष्ठापित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के खतरों को महसूस करते हुए, भारतीय प्रेस परिषद् ने 9 जून, 2009 को ''सदस्यों एवं अन्य से प्राप्त इनपुट के आधार पर पिछली लोक सभा के दौरान ध्यान में आई पेड-न्यूज़ की घटना की जांच करने के लिए एक उप-समिति नियुक्त की'' जिसमें परनजॉय गुहा ठाकुरता और श्री कालिमेकोलम श्रीनिवास रेड्डी शामिल थे।

दोनों सदस्य नई दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में समाज के प्रतिनिधिक समूहों से मिले और उन्होंने परिषद् को भेजे गए अनेक पत्रों एवं आवेदनों को भी पढ़ा। प्रेस परिषद् द्वारा इंदौर तथा नई दिल्ली में क्रमश: 31 मार्च, 2010 और 26 अप्रैल, 2010 को आयोजित की गई बैठकों में उप-समिति की रिपोर्ट पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। सदस्यों ने अनेक सुझाव दिए और तत्पश्चात् भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष ने परिषद् के विचार-विमर्श के लिए एक अंतिम रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक प्रारूप समिति नियुक्त की। अध्यक्ष ने एक 12 सदस्यीय समिति नियुक्त की जिसमें सर्वश्री एच.एन.कामा, ललित मंगोत्रा, यू.सी.शर्मा, वाई.सी. हलान, के. श्रीनिवास रेड्डी, कल्याण बरूआ, एस.एन. सिन्हा, अनिल जुगल किशोर अग्रवाल, कुंदन आर.एल. व्यास, परनजॉय गुहा ठाकुरता, पी जावडेकर और केशव राव शामिल थे।

प्रारूप समिति ने प्रेस परिषद् की विभिन्न बैठकों के दौरान व्यक्त किए गए दृष्टिकोणों पर विचार किया और प्रेस के विचार-विमर्श के लिए एक रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया।

प्रस्तावना

पेड-न्यूज़ को ''किसी मीडिया (प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक) में प्रतिफल के रूप में नकद या वस्तु रूप में मूल्य के लिए प्रकाशित होने वाले किसी न्यूज या विश्लेषण'' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

पेड-न्यूज एक पेचीदा मामला है और इसने पिछले छ: दशकों के दौरान विभिन्न रूप धारण कर लिए हैं। इसमें धन के प्रत्यक्ष रूप से किए गए भुगतान के अलावा विभिन्न अवसरों पर उपहार स्वीकार करने से लेकर विदेशी एवं घरेलू सैर, विभिन्न धन संबंधी एवं गैर धन संबंधी उपहार स्वीकार करना आता है। पेड-न्यूज़ का दूसरा रूप जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा भारतीय प्रेस परिषद् की जानकारी में लाया गया है, मीडिया कंपनियों एवं कार्पोरेट इकाईयों के बीच ''प्राइवेट संधियों'' के रूप में होता है। प्राइवेट संधि मीडिया कंपनी एवं अन्य गैर मीडिया कंपनी के बीच किया गया एक औपचारिक

करार होता है जिसमें गैर मीडिया कंपनी अपनी कंपनी के निश्चित शेयर मीडिया कंपनी को विज्ञापन के लिए स्थान और अनुकूल कवरेज के बदले में हस्तांतरित करता है।

चूंकि पेड-न्यूज का मामला काफी पुराना, पेचीदा तथा पद्धति में गहराई तक समाया हुआ है और जैसाकि 2009 निर्वाचनों के बाद देखा गया है कि इसकी कैंसररूपी जड़ें तीव्रता से फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए प्रारूप समिति यह महसूस करती है कि भारतीय प्रेस परिषद् को आरंभ में केवल पिछले लोकसभा निर्वाचन (2009) के दौरान प्रकाश में आए उत्पन्न पेड-न्यूज़ पर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। यह निर्णय प्रेस परिषद् के निर्णय से उत्पन्न होता है जैसाकि सचिव द्वारा परिषद् के सदस्यों को सूचित किया गया था।

निर्वाचन कालीन पेड-न्यूज़

निवार्चन कालीन पेड-न्यूज़ परिदृश्य के तीन आयाम हैं। प्रथम, कोई पाठक या दर्शक उस अभ्यर्थी के व्यक्तिगत या निष्पादन की सही तस्वीर नहीं पाता है जिसके पक्ष में या जिसके खिलाफ वह अपना वोट डालने का निर्णय लेता है। यह लोकतंत्र के वास्तविक सार को ही नष्ट कर देता है। दूसरा, निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी कदाचित इसे अपने निर्वाचन व्यय लेखा में प्रदर्शित नहीं करता है जिससे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किए गए निर्वाचन संचालन नियम, 1961 का उल्लघंन होता है। तीसरा, वे समाचार पत्र और टेलीविज़न चैनल, जिन्होंने नकद रूप से धन प्राप्त किया है परंतु अपने आधिकारिक लेखा विवरणों में इसे नहीं दिखाया है, उन्होंने अन्य विधियों के अलावा कंपनी अधिनियम1956 के साथ-साथ आयकर अधिनियम, 1961 का उल्लंघन किया है।

निर्वाचन-कालीन पेड-न्यूज़ का भुगतान एवं प्रापण एक गुप्त कार्य है और व्यापक एवं संगठित बन चुका है क्योंकि विज्ञापन एजेंसियां, जन संपर्क फर्म, राजनैतिक, पत्रकार, कुछ मीडिया कंपनियों के प्रबंधक एवं मालिक इसमें सम्मिलित माने जाते हैं। इसलिए ऐसा निश्चित साक्ष्य मिलना आसान नहीं होता है जो व्यक्तियों, दलों और संगठनों संबंधी जिम्मेदारी तय कर सके। तथापि, परिषद् द्वारा स्थापित उप-समिति के सदस्यों सहित अनेक व्यक्तियों ने एक बड़ी मात्रा में पारिस्थितिक साक्ष्य एकत्रित किए हैं जो प्रेस परिषद् के पास है, जो यह इंगित करते हैं कि अनुकूल कवरेज, रिपोर्टिंग एवं दूरदर्शन प्रसारण के लिए वित्तीय प्रतिफल का विनिमय किया गया था।

प्रबंधन को संपादकीय से पृथक करना

ऐसे व्यक्तियों, जिनके साथ उप-समिति ने पारस्परिक बातचीत की और उनके द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य तथा प्रेस परिषद् में हुए विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए, यह महसूस किया जाता है कि निर्वाचन-कालीन पेड-न्यूज़ सौदे अभ्यर्थियों या राजनैतिक दलों या उनके एजेंटों एवं मीडिया के बीच किए जाते हैं। यह महसूस किया गया कि मीडिया कंपनियों में प्रबंधन एवं संपादकीय कर्मचारियों के बीच स्पष्ट भेद किया जाना चाहिए और संपादक की स्वतंत्रता को कायम एवं सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

प्रेस परिषद् की भूमिका

संसद द्वारा भारतीय प्रेस परिषद् की स्थापना ''भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और समाचार-पत्रों एवं न्यूज़ एजेंसियों के स्तरों को सुधारने के लिए'' एक सांविधिक, अर्द्ध न्यायिक निकाय के रूप में की गई थी। तथापि, इसे चेतावनी देने, फटकार लगाने और निंदा करने के केवल सीमित अधिकार सौंपे गए हैं1 यह पथभ्रष्टों एवं कदाचार के दोषी पाए गए व्यक्तियों को दंडित नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त परिषद् का अधिदेश प्रिंट मीडिया से बाहर लागू नहीं होता है। प्रेस के निर्देशों को बाध्यकारी बनाने के लिए प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 15(4) को संशोधित करने का एक प्रस्ताव काफी लंबे समय से लंबित पड़ा है। इस पर प्राथमिकता आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

संघ एवं राज्य, निर्वाचन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपबंधों द्वारा विनियमित होते हैं। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना है। चूंकि निर्वाचनकालीन ''पेड-न्यूज़'' स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों को क्षति पहुंचाते हैं, इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए ताकि समाचारों के प्रकाशन के लिए किए गए किसी भी भुगतान को भ्रष्ट आचारण या ''निर्वाचन कदाचार'' के रूप में घोषित किया जा सके और इसे दंडनीय बनाया जाना चाहिए।

भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद् को राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर पर ''पेड-न्यूज़'' की घटनाओं की स्वत: या शिकायत प्राप्त होने के पश्चात शिकायतों की जांच करने के लिए व्यापक प्रतिनिधित्व वाला मीडिया व्यावसायियों का एक निकाय गठित करना चाहिए और ऐसे निकाय की सिफारिशें - अपीलीय प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात् - भारत निर्वाचन आयोग एवं सरकारी प्राधिकारियों पर बाध्यकारी होनी चाहिए।

भारतीय प्रेस परिषद् का यह दिशानिर्देश कि समाचार, डिस्क्लेमर मुद्रित करते हुए विज्ञापनों से स्पष्ट रूप से पृथक किए जाने चाहिएं, को सभी प्रकाशनों द्वारा स्पष्ट रूप से लागू किया जाना चाहिए। जहां तक समाचारों का संबंध है, इसमें हमेशा एक (क्रेडिट) लाइन होनी चाहिए और एक टंकित आकृति (टाइप फेस) में सेट किया जाना चाहिए जो इसे विज्ञापनों से भिन्न करेगा। भारतीय प्रेस परिषद के वर्ष 1996 में यथाविनिश्चित दिशानिर्देश नीचे पुन: प्रस्तुत किए जाते हैं और यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिएं कि सभी मीडिया संगठनों द्वारा इनका पालन किया जाए।

(i) ***साधारण निर्वाचन हमारे लोकतंत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है और यह अत्यावश्यक है कि मीडिया निर्वाचकों को निर्वाचन लड़ने वाले दलों द्वारा किए गए निर्वाचन प्रचार की निष्पक्ष एवं वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। प्रेस की स्वतंत्रता बहुत हद तक प्रेस द्वारा स्वयं उत्तरदायित्व की भावना से काम करने पर निर्भर करती है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मीडिया निर्वाचन प्रचार की निष्पक्ष एवं वास्तविक रिपोर्ट करने के सिद्धांत का पालन करे । इसलिए प्रेस परिषद् ने निर्वाचनों के दौरान अनुपालन किए जाने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशतैयार किए हैं:***

1. निर्वाचनों एवं अभ्यर्थियों के बारे में वास्तविक रिपोर्ट देना प्रेस की ड्यूटी होगी। समाचार-पत्रों से हानिकर निर्वाचन प्रचारों, निर्वाचनों के दौरान किसी अभ्यर्थी/दल या घटना के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण रिपोर्टों में लिप्त रहने की अपेक्षा नहीं की जाती है। व्यावहारिक तौर पर कड़ी टक्कर से निर्वाचन लड़ने वाले दो या तीन अभ्यर्थी मीडिया का पूरा ध्यान आकर्षित करते हैं। वास्तविक प्रचार पर रिपोर्टिंग करते समय, कोई समाचार पत्र किसी अभ्यर्थी द्वारा उठाए गए किसी महत्वपूर्ण प्रसंग को छोड़ नहीं सकता है और उसके प्रतिद्वन्दवी पर आक्रमण नहीं कर सकता है।

2. निर्वाचन नियमों के अंतर्गत सामुदायिक या जातिगत आधारों पर निर्वाचन अभियान चलाना निषेध है। अतएव, प्रेस को ऐसी रिपोर्टिंग करने से परहेज करना चाहिए जो धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर लोगों में शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ावा दें।

3. प्रेस को निर्वाचनों में किसी अभ्यर्थी के भविष्य पर बुरा प्रभाव डालने के लिए उस अभ्यर्थी के व्यक्तिगत चरित्र एवं आचरण के संबंध में या अभ्यर्थिता के संबंध में या किसी अभ्यर्थी या उसकी अभ्यर्थिता के संबध में मिथ्या या आलोचनात्मक कथन प्रकाशित करने से परहेज करना चाहिए। प्रेस किसी अभ्यर्थी/दल के खिलाफ असत्यापित आरोप प्रकाशित नहीं करेगी।

4. प्रेस किसी अभ्यर्थी/दल को प्रोजेक्ट करने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन, वित्तीय या अन्यथा, स्वीकार नहीं करेगी। यह किसी अभ्यर्थी/दल द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तावित आतिथ्य सत्कार या अन्य सुविधाओं को स्वीकार नहीं करेगी।

5. प्रेस से किसी विशेष अभ्यर्थी/दल के प्रचार में लिप्त रहने की अपेक्षा नहीं की जाती है। यदि यह ऐसा करता है तो वह अन्य अभ्यर्थी/दल को प्रत्युत्तर के अधिकार की अनुमति देगा।

6. प्रेस किसी दल/सत्ताधारी दल/सरकार की उपलब्धियों के संबंध में सार्वजनिक कोष की लागत से किसी विज्ञापन को स्वीकार/प्रकाशित नहीं करेगी।

7. प्रेस निर्वाचन आयोग/रिटर्निंग अधिकारियों या मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी निर्देशों/आदेशों/अनुदेशों का पालन करेगी।

' मतदान पूर्व' एवं 'एग्जिट पोल' सर्वेक्षण - 1996 पर दिशा-निर्देश

भारतीय प्रेस परिषद मतदान-पूर्व सर्वेक्षणों के निष्कर्षों के प्रकाशन की वांछनीयता एवं अन्यथा और उनके द्वारा पूरे किए जाने वाले उद्देश्य के प्रश्न पर विचार करने के पश्चात भारतीय प्रेस परिषद की यह राय है कि समाचार-पत्रों को अपने फोरम का इस्तेमाल निर्वाचनों के मिथ्या-वर्णन एवं हेर-फेर के प्रयोजन के लिए नहीं करने देना चाहिए और अपने आपका इस्तेमाल स्वार्थी दलों द्वारा नहीं करने देना चाहिए।

1. इसलिए, प्रेस परिषद यह सलाह देता है कि चूंकि हमारे जैसे प्रतिनिधिक लोकतंत्र में निर्वाचन प्रक्रिया को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, उसे ध्यान में रखते हुए मीडिया को निर्वाचनों के मिथ्यावर्णन एवं हेर-फेर के लिए अपने मूल्यवान फोरम का इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। आज इस बात पर जोर देना जरूरी हो गया है कि हितबद्ध व्यक्तियों एवं समूहों द्वारा कथित मतदान पूर्व सर्वेक्षणों जैसे परिष्कृत साधनों के इस्तेमाल के साथ-साथ जातिवादी, धार्मिक और नैतिक आधार पर कमोवेश प्रचार द्वारा बेखबर मतदाताओं को बहकाने एवं गुमराह करने के लिए प्रिंट मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग करने की चाहत की जाती है। जबकि कई मामलों में सांप्रदायिक एवं राजद्रोही प्रचार का पता लगाना कठिन नहीं है, परंतु कभी-कभी जान-बूझकर छोड़े गए, प्लांट किए गए मतदान पूर्व सर्वेक्षण के हितबद्ध इस्तेमाल का पर्दाफाश करना आसान नहीं होता है। इसलिए, प्रेस परिषद ने सुझाव दिया है कि समाचार-पत्र जब कभी भी मतदान पूर्व सर्वेक्षणों को प्रकाशन करें, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे उनकी शुरूआत में उन संस्थानों में सुस्पष्ट रूप से उल्लिखित करें जिन्होंने ऐसे सर्वेक्षण आयोजित किए हैं। साथ ही साथ, यह भी उल्लेख करें कि वे व्यक्ति और संगठन कौन हैं जिन्होंने ऐसे सर्वेक्षण करवाएं हैं, चयनित प्रतिदर्श का आकार एवं स्वरूप क्या है, निष्कर्षों के लिए प्रतिदर्श के चयन की पद्धति क्या है और निष्कर्षों में गलती की कितनी संभव गुंजाइश है।

2. इसके अतिरिक्त, भिन्न-भिन्न मतदान तारीखों की दशा में, मीडिया को पहले आयोजित किए जा चुके मतदानों का एग्जिट पोल सर्वेक्षण करते हुए देखा गया है। इससे उन इलाकों में मतदाताओं के प्रभावित होने की संभावना रहती है जहां अभी मतदान होना बाकी है। यह सुनिश्चित करने के विचार से कि निर्वाचन प्रक्रिया साफ-सुथरी रखी जाए और मतदाताओं के दिलो-दिमाग किन्हीं बाध्य कारणों से प्रभावित न हों, यह जरूरी है कि मीडिया एग्जिट पोल सर्वेक्षणों को तब तक सार्वजनिक न करे जब तक कि अंतिम मतदान का आयोजन न कर लिया जाए।

3. इसलिए, प्रेस परिषद एग्जिट पोल के संबंध में प्रेस से निम्नलिखित दिशानिर्देश का पालन करने का अनुरोध करता है :-

दिशा निर्देश:

कोई भी समाचार-पत्र एग्जिट पोल सर्वेक्षणों, भले ही वे कितने ही वास्तविक क्यों न हों, तब तक सार्वजनिक नहीं करेगा जब तक कि मतदानों में से सबसे आखिरी मतदान सम्पन्न न हो जाए।

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग को निर्वाचनों के संचालन के सिलसिले में ''पेड-न्यूज़'' के बारे में शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए और ऐसी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए जिसके माध्यम से ऐसी शिकायतों के आधार पर शीघ्र कार्रवाई की जा सके। भारत निर्वाचन आयोग को भारतीय प्रेस परिषद के परामर्श से निष्पक्ष पत्रकार/नागरिक नामित करने चाहिए जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों एवं जिलों में भेजे गए निर्वाचन प्रेक्षकों के साथ-साथ रहेंगे।

ये नामित पत्रकार/नागरिक ''पेड-न्यूज़'' के दृष्टांतों पर भारतीय प्रेस परिषद एवं भारत निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेज सकेंगे।

स्व-विनियमन

स्व-विनियमन ''पेड-न्यूज़'' मामले पर अंकुश लगाने का सर्वोत्तम विकल्प है। तथापि, स्व-विनियमन से समस्या का आंशिक समाधान ही होता है क्योंकि हमेशा ऐसे दोषी होंगे जो आचरण एवं नैतिक मानदंडों की उन स्वैच्छिक संहिताओं का पालन करने से इंकार कर देंगे जो विधायी रूप से अधिदेशित नहीं हैं। सभी संबंधित हितधारकों के बीच इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या उच्चतम न्यायालय का वह निदेश, जो यह व्यादिष्ट करता है कि टेलीविजन चैनल निर्वाचन शुरू होने से 48 घंटे पहले अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों पर प्रचार-संबंधी सूचना के प्रसारण को बंद कर दे, प्रिंट मीडिया पर भी लागू किया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान में इस प्रकार का प्रतिबंध मीडिया के इस वर्ग पर नहीं लागू है।

शिक्षा

परिषद यह सुझाव देता है कि मतदाताओं को इस बात की जानकारी देने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए कि वे कूटरचित रिपोर्टिंग और संतुलित एवं न्यायसंगत रिपोर्टिंग के बीच भेद करें। इसे सूचना एवं

प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रेस परिषद और पत्रकारों एवं समाचार पत्र मालिकों की विभिन्न एसोसिएशनों की सहायता से किया जा सकता है। पाठकों एवं दर्शकों को जानकारी प्रदान करने के लिए स्थानीय प्रेस क्लबों को विभिन्न शहरों में संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं के संचालन के साथ जोड़ना चाहिए। भारतीय प्रेस परिषद राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, समाचार-पत्र मालिकों, प्रसारकों, टेलीविजन एसोसिएशन, और पत्रकार यूनियन एवं एसोसिएशन ऐसे सेमिनार एवं कार्यशालाओं के लिए विशेषज्ञ उपलब्ध करा सकते हैं। मतदाताओं एवं नागरिकों को जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया, निर्वाचनों की तारीखों की घोषणा करने के तुरंत बाद निर्वाचन आरंभ होने से पहले शुरू की जानी चाहिए।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने और विशेष रूप से ''पेड न्यूज'' की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए साध्य समाधान निकालने के लिए केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को राष्ट्रीय सम्मेलन, कार्यशालाएं, सेमिनार और जागरूकता पैदा करने वाले अभियान संचालित करने चाहिए जिनमें अन्य के साथ-साथ, भारतीय प्रेस परिषद, भारत निर्वाचन आयोग, संपादकों के प्रतिनिधि, पत्रकार एसोसिएशन एवं यूनियन, राजनैतिक दलों और मीडिया मालिकों को शामिल किया जाए। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ''पेड-न्यूज़'' परिघटना एवं इस पर किस प्रकार अंकुश लगाया जाए, पर विचार-विमर्श करने के लिए समाचार-पत्र मालिकों, संपादकों और पत्रकारों की राष्ट्रीय एसोसिएशनों के साथ पृथक-पृथक बैठकें आयोजित करनी चाहिए। सभी राजनैतिक दलों की एक बैठक उन्हें यह समझाने के लिए भी आयोजित की जानी चाहिए कि यदि ''पेड-न्यूज़'' की परिघटना पर अंकुश नहीं लगाया गया तो किसी भी राजनैतिक दल को लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह, मीडिया कंपनियों के मालिकों को भी यह समझाया जाना चाहिए कि ''पेड-न्यूज़'' के लिए गैर-कानूनी ढंग से धन अर्जित करना न केवल अदूरदर्शिता है बल्कि, इससे अन्ततोगत्वा पाठकों एवं दर्शकों में विश्वसनीयता का क्षरण होगा और इसलिए, वह मीडिया के हितों के प्रति अहितकर होगा।

संसद

दोनों सदनों से संसद सदस्यों की एक लघु समिति को समाचार-पत्रों एवं टेलीविज़न चैनलों में समाचारों के कवरेज के लिए भुगतान करने की परिपाटी को रोकने और उसे ''निर्वाचन कदाचार'' या एक भ्रष्ट कृत्य के रूप में घोषित करने तथा एक दंडनीय अपराध बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए एक सुनवाई आयोजित करनी चाहिए। यदि इन सभी पहलुओं को ईमानदारी के साथ कार्यान्वित किया जाए तो उससे न केवल भारतीय मीडिया में ऐसे कदाचारों पर पूरी तरह रोक लग सकेगी बल्कि काफी हद तक उनकी विद्यमानता में कमी आएगी।

सिफारिशें

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार द्वारा नीचे यथा-उल्लिखित सिफारिशें कार्यान्वित करनी चाहिए।

1) पेड-न्यूज़ की घटना को एक दंडनीय निर्वाचन कदाचार बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को संशोधित किया जाना चाहिए,
2) भारतीय प्रेस परिषद को 'पेड-न्यूज़' की शिकायतों पर न्याय-निर्णयन करने और मामले में अंतिम निर्णय देने के लिए पूर्ण रूप से समर्थ किया जाना चाहिए।
3) प्रेस परिषद अधिनियम की सिफारिशों को बाध्य बनाने के लिए इसमें संशोधन किया जाना चाहिए और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को इसके परिक्षेत्र के अधीन लाया जाना चाहिए, और
4) भारतीय प्रेस परिषद को पुनर्गठित किया जाना चाहिए ताकि इसमें इलैक्ट्रॉनिक एवं अन्य मीडिया के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।

पाद टिप्पणी :-

परिषद ने निर्णय लिया कि उप-समिति की रिपोर्ट संदर्भ दस्तावेज के रूप में परिषद के रिकार्ड में रखी जाए।

इसने यह भी निर्णय लिया कि श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम को सशक्त बनाने का मुद्दा अलग से उठाया जाए।

निर्वाचन प्रसारण के लिए राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरण के दिशा-निर्देश

सही, तथ्यपरक और पूरी जानकारी की उपलब्धता नागरिकों को सोच-समझ कर अपनी पसन्द तय करने व उसके आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाती है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बुनियादी आवश्यकता है। निम्नलिखित दिशानिर्देशोंका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव और चुनाव विषयक मामलों में न्यूज़ चैनलों पर प्रसारित होने वाले समाचार, समसामयिक कार्यक्रम और अन्य सभी सामग्री निष्पक्ष, संतुलित यानी कि तथ्यपरक और सही हो और उसकी विधिवत पुष्टि कर ली गयी हो।

1. न्यूज़ बॉडकास्टर्स को चुनाव से जुड़े प्रासंगिक मामलों, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, चुनाव-प्रचार के मुद्दों और मतदान प्रक्रियाओं के बारे में जनता को निष्पक्ष और तथ्यपरक तरीके से जानकारी देने की कोशिश करनी चाहिए और ऐसा करते समय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत और भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए।
2. न्यूज़ चैनलों को किसी पार्टी या उम्मीदवार के साथ अपनी किसी प्रकार की सम्बद्धता का खुलासा करना होगा लेकिन यदि उन्होंने किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार विशेष के प्रति अपने समर्थन या जुड़ाव को सार्वजनिक तौर पर घोषित नहीं किया हो, तो यह न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स का कर्तव्य है कि वे सन्तुलित और निष्पक्ष रहें, विशेष कर चुनावी रिपोर्टिंग में।
3. न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स को कोशिश करनी चाहिए कि वह हर प्रकार की अफवाह, निराधार अटकलों और दुष्प्रचार से बच कर रहें, विशेष रूप से तब जबकि यह किसी ख़ास राजनीतिक दल या उम्मीदवार के बारे में हो। यदि कोई उम्मीदवार/राजनीतिक दल किसी गलत खबर, गलतबयानी, या उससे सम्बन्धित सूचनाओं के प्रसारण में किसी तरह की अन्य गड़बड़ियों का शिकार हुआ हो उसका

तुरंत सुधार किया जाना चाहिए और जहाँ उचित हो, पीड़ित पक्ष को अपना जवाब रखने का अवसर दिया जाना चाहिए।

4. न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स को ऐसे सभी राजनीतिक और वित्तीय दबावों का अवश्य प्रतिरोध करना चाहिए, जो निर्वाचन और निर्वाचन विषयक कवरेज को प्रभावित कर सकते हों।

5. न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स और समाचार चैनलों पर विशेषज्ञों के विचार और अपने संपादकीय दृष्टिकोण के बीच एक स्पष्ट अन्तर बनाये रखना चाहिए।

6. जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स राजनीतिक दलों से प्राप्त वीडियो फीड का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ऐसा करते समय इसका खुलासा करना चाहिए और उचित रूप से इसे टैग किया जाना चाहिए।

7. इस बात की विशेष सावधानी रखी जानी चाहिए कि निर्वाचन और निर्वाचन विषयक मामलों की खबरों/कार्यक्रमों के प्रसारण में दिये गये सभी तथ्य, घटनाएँ, तिथियाँ, स्थानों के नाम और कथन व बयान पूरी तरह सही हों। यदि गलती या असावधानी से कोई गलत जानकारी प्रसारित हो जाये, तो इसे ब्रॉडकास्टर्स के संज्ञान में आते ही जल्दी अवश्य सुधारा जाना चाहिए और इसे भी वही प्रमुखता दी जानी चाहिए, जो मूल प्रसारण को दी गयी थी।

8. न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स, उनके पत्रकारों और अधिकारियों को ऐसी कोई धनराशि, या मूल्यवान उपहार, या किसी प्रकार या अनुग्रह कतई न्हीं स्वीकार करना चाहिए, जो उन पर असर डाल सकता हो या असर डाल सकने वाला प्रतीत हो सकता हो, या जिससे हित-विरोध या हितों का टकराव (Conflict of interest) पैदा होता हो या ब्रॉडकास्टर या उसके कर्मियों की विश्वसनीयता को क्षति पहुँचती हो।

9. न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स को ''भड़काऊ भाषण'' या ऐसी अन्य आपत्तिजनक सामग्री का किसी भी रूप में प्रसारण नहीं करना चाहिए, जो हिंसा भड़का सकती हो या जनता में अशांति या अव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती हो क्योंकि सांप्रदायिक या जातीय कारकों पर आधारित निर्वाचन-प्रचार करना निर्वाचन नियमों के तहत निषिद्ध है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स को ऐसी रिपोर्टों के प्रसारण से कड़ाई से बचना चाहिए जो धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, क्षेत्र या भाषा के आधार पर लोगों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ावा देती हों।

10. न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स को समाचार और सशुल्क सामग्री के बीच स्पष्ट अन्तर बनाये रखना आवश्यक है। सभी ''सशुल्क सामग्री'' के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और सभी सशुल्क सामग्री को दिनांक 24.11.2011 को जारी किये गये 'पेड न्यूज़ के बारे में मानदंड और दिशा निर्देश' का अनुपालन करते हुए ही प्रसारित किया जाना चाहिए।

11. जनमत सर्वेक्षणों को सही और निष्पक्ष ढंग से पेश करने पर विशष ध्यान दिया जाना चाहिए और दर्शकों को साफ तौर पर बताया जाना चाहिए कि जनमत सर्वेक्षण कराने का काम किसने सौंपा है, किसने यह सर्वेक्षण किया है और इस सर्वेक्षण व इसके प्रसारण के लिए किसने भुगतान किया है। यदि कोई न्यूज ब्रॉडकास्टर किसी जनमत सर्वेक्षण या अन्य निर्वाचन अनुमान (Election projection) के परिणाम को प्रसारित करता है तो उसे ऐसे सर्वेक्षणों/अनुमानों का संदर्भ, उनका विषय-क्षेत्र (Scope) और उनकी सीमाओं को स्पष्ट रूप से अवश्य बताना चाहिए। जनमत सर्वेक्षण के प्रसारण

के साथ ऐसी सभी जानकारियाँ दी जानी चाहिए, जिससे दर्शक उस जनमत सर्वेक्षण की सार्थकता समझ सकें, जैसे सर्वेक्षण के लिए इस्तेमाल की गयी पद्धति, नमूने या 'सैम्पल' का आकार, त्रुटि की संभावना की सीमा, फील्डवर्क की तिथियां, और इस्तेमाल किये गये आंकड़े। ब्रॉडकास्टर्स को इस बात का खुलासा करना चाहिए कि वोट शेयरों (वोट प्रतिशत) को सीट के शेयरों (सीटों की संख्या) में किस प्रकार परिवर्तित किया गया है।

12. ब्राडकास्टर्स को मतदान समाप्त होने के समय से पूर्व के 48 घंटों के दौरान ऐसी किसी भी तरह की 'निर्वाचन सामग्री' का प्रसारण नहीं करना चाहिए, जिसका अभिप्राय या उद्देश्य निर्वाचन परिणाम को प्रेरित या प्रभावित करना हो, जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(बी) का उल्लंघन है।

13. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) निर्वाचन की घोष्णण के समय से लेकर निर्वाचन के समापन और परिणामों की घोषणा तक ब्रॉडकास्टर्स द्वारा किये जाने वाले प्रसारणों की निगरानी करेगा। यदि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीएसए) को निर्वाचन आयोग की ओर से किसी ब्रॉडकास्टर सदस्य द्वारा किये गये किसी प्रकार के उल्लंघन की सूचना मिलती है तो एनबीएसए अपने नियमों के तहत उसका निपटारा करेगा।

14. ब्रॉडकास्टर्स को, जहां तक सम्भव हो, मतदाता शिक्षण कार्यक्रम चलाने चाहिए और मतदाताओं को प्रभावी ढंग से मतदान प्रक्रिया, मतदान का महत्व, मतदान को गुप्त रखने आदि के बारे में बताने के साथ यह भी बताना चाहिए कि वह कब, कहाँ और कैसे मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं या वोट डाल सकते हैं।

15. जब तक भारत निर्वाचन आयोग (ECI) औपचारिक रूप से परिणामों की घोषणा न कर दें, तब तक न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स को अंतिम, औपचारिक और निश्चित रूप से किसी परिणाम का प्रसारण कतई नहीं करना चाहिए और 'अप्रमाणित' परिणामों के प्रसारण के साथ स्पष्ट घोषणा की जानी चाहिए कि ये परिणाम अनाधिकारिक या अपूर्ण या आंशिक परिणाम हैं या चुनावी अनुमानों (Projections) पर आधारित हैं, जिसे अंतिम परिणाम के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

16. ये दिशानिर्देशभारत में होने वाले सभी राष्ट्रीय, विधान सभा, नगर निगम और स्थानीय निर्वाचनों के लिए लागू होंगे।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 03 मार्च, 2014

साधारण निर्वाचन 2019 के लिए स्वैच्छिक नैतिक आचार-संहिता

प्रस्तावना

इंटरनेट ने सभी के लिए भरोसेमंद सूचना तक पहुंच बनाने, विश्वसनीय स्त्रोतों की खोजने तथा प्रासंगिक तथ्यों को प्राप्त करने हेतु अवसर सृजित किए हैं। वेब के खुलेपन से ये फायदे सभी के लिए उपलब्ध हो गए हैं चाहे वे कोई भी हों और कहीं भी रहते हों।

यह, निर्वाचनों जो एक लोकतांत्रिक संस्कृति को विकसित तथा सुदृढ़ करने की कुंजी है, पर समान रूप से लागू होता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन लोकतंत्र की आधारशिला है। इंटरनेट के माध्यम से भरोसेमंद सूचना और संप्रेषण के प्लेटफार्मों तक पहुंच से लोग निर्वाचनों के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सोचे-समझे विकल्पों का चयन करने में समर्थ होते हैं।

इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए तथा सिन्हा समिति रिपोर्ट की संस्तुतियों के अनुसार सहभागी इस बात को मानते हैं कि हालांकि उनके उत्पाद/सेवाएं प्रयोक्ताओं को अंतर्वस्तु पोस्ट करने में समर्थ बनाती हैं, फिर भी सहभागी ऐसी अंतर्वस्तु के न तो लेखक और न ही प्रकाशक होते है। तथापि, सहभागियों ने इस 'साधारण निर्वाचन 2019 के लिए स्वैच्छिक आचार-संहिता (संहिता)' मिलकर तैयार की है और वे निर्वाचन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा तथा पारदर्शिता को बेहतर करके ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सहायता देने हेतु प्रतिबद्ध हैं।

सहभागी मानते हैं कि उनकी सामूहिक कंपनियां भिन्न-भिन्न उत्पाद और सेवाएं प्रदान करती हैं और उन्हें प्रशासित करती हैं, प्रत्येक विभिन्नतापूर्ण दर्शकों के साथ भिन्न-भिन्न व्यावसायिक प्रतिमानों और प्रोद्योगिकियों के अंतर्गत प्रचालित होती है। अत: सहभागी उत्पादों/सेवाओं की विविधतापूर्ण प्रकृति, जो उनकी अपनी उत्पाद नीतियों द्वारा प्रशासित होती है, को स्पष्ट करते हुए यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि ऐसे उत्पादों/सेवाओं द्वारा संहिता का आशय पूरा होता है।

यह संहिता भारत के मौजूदा विधिक ढांचे के भीतर लागू होगी। स्वैच्छिक ढांचे तथा मौजूदा विधिक ढांचे के बीच टकराव की स्थिति में विधिक ढांचा अभिभावी होगा।

संहिता का प्रयोजन

इस स्वैच्छिक संहिता का प्रयोजन उन उपायों की पहचान करना है जिन्हें सहभागी निर्वाचन प्रक्रिया में विश्वास बढ़ाने हेतु व्यवस्थित कर सकते हैं। यह भारत में 2019 के साधारण निर्वाचनों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष स्वरूप को बिगाड़ने हेतु दुरूपयोग के विरूद्ध सहभागियों के उत्पादों तथा/अथवा सेवाओं को सुरक्षित रखने में सहायता करने के प्रयोजनार्थ है।

प्रतिबद्धताएं

सहभागी भारत में 2019 के लोकसभा साधारण निर्वाचनों के दौरान निम्नलिखित प्रतिबद्धताओं को सदभावपूर्वक अपनी पूरी योग्यता से पूरा करने का प्रयास करेंगे:

1. जहां उचित हो तथा अभिव्यक्ति की स्तवंत्रता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सहभागी अपने उत्पादों तथा/अथवा सेवाओं पर निर्वाचक मामले से संबंधित सूचना तक पहुंच को सुकर बनाने हेतु उपयुक्त नीतियां और प्रक्रियाएं परिनियोजित करेंगे।
2. सहभागी निर्वाचन मामलों और अन्य संबंधित अनुदेशों सहित जागरूकता का निर्माण करने के लिए सूचना शिक्षा एवं संप्रेक्षण अभियानों को स्वैच्छापूर्वक चलाने का प्रयास करेंगे। सहभागी भारत निर्वाचन आयोग में नोडल अधिकारी को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अनुरोधों को प्रेषित करने हेतु तंत्र सहित अपने उत्पादों/सेवाओं के संबंध में प्रशिक्षण देने का भी प्रयास करेंगे।
3. सहभागी और भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने एक ऐसा अधिसूचना तंत्र विकसित किया है जिसके द्वारा ईसीआई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 तथा अन्य लागू निर्वाचक विधियों के संभावित उल्लंघनों की अधिसूचना संबंधित प्लेटफार्म को दे सकते हैं। इन विधिमान्य

विधिक आदेशों को सिन्हा समिति की संस्तुतियों के अनुसार धारा 125 के अधीन सूचित उल्लंघनों के लिए 3 घंटे के भीतर अभिस्वीकृत/प्रोसेस किया जाएगा। सभी अन्य विधिमान्य विधिक अनुरोधों पर सूचित उल्लंघनों की प्रकृति के आधार पर शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई की जाएगी।

4. सहभागी ईसीआई के लिए एक अन्य प्राथमिकता युक्त समर्पित रिपोर्टिंग तंत्र का गठन/शुरूआत कर रहे हैं और साधारण निर्वाचनों की अवधि के दौरान समर्पित व्यक्ति(यों)/ दलों को नियुक्त करते हैं ताकि ईसीआई से ऐसा विधिक अनुरोध प्राप्त होने पर उचित विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करके शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करने में तालमेल स्थापित किया जा सके तथा फीडबैक का आदान-प्रदान किया जा सके।
5. सहभागी 2019 के साधारण निर्वाचनों के लिए राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों के नामों को दर्शित करने वाले निर्वाचन विज्ञापनों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग तथा/अथवा मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) द्वारा जारी पूर्व-प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने हेतु विधि के अधीन अपने दायित्वों के अनुसार संबंधित राजनैतिक विज्ञापनों के लिए एक तंत्र की व्यवस्था करेंगे। इसके अतिरिक्त, सहभागी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें अधिसूचित ऐसे पेड राजनैतिक विज्ञापनों को विधिपूर्वक शीघ्रतापूर्वक प्रोसेस/उन पर कार्रवाई करेंगे जो ऐसे प्रमाणन को दर्शित नहीं करते हैं।
6. सहभागी पेड राजनैतिक विज्ञापनों में पारदर्शिता को सुकर बनाने हेतु प्रतिबद्धता करेंगे जिसमें ऐसे विज्ञापनों के लिए उनके पूर्ववर्ती लेवल/प्रकटीकरण प्रोद्योगिकी का इस्तेमाल शामिल है।
7. इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया **(आईएएमएआई)** के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त विधिमान्य अनुरोध के अनुसरण में सहभागी अपने-अपने प्लेटफार्मों के दुरूपयोग को रोकने के लिए अपने द्वारा उठाए गए उपायों पर अद्यतन जानकारी प्रदान करेंगे।
8. आईएएमएआई इस संहिता के अंतर्गत उठाए गए कदमों के संबंध में सहभागियों के साथ समन्वय करेगा तथा सहभागी निर्वाचन अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निरंतर संपर्क में रहेंगे।

संहिता लागू होना

यह संहिता 20 मार्च, 2019 से प्रभावी और लागू होगी और 2019 के भारतीय साधारण निर्वाचनों के दौरान लागू रहेगी।

निर्वाचनों के दौरान मीडिया कवरेज पर प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

प्र.: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 में क्या प्रावधान है?

उ.: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) किसी निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से पहले 48 घंटों की कालावधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालवाधि के दौरान किसी मतदान क्षेत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, टेलीविजन या ऐसे ही साधित्रों द्वारा निर्वाचन संबंधी किसी बात का संप्रदर्शन करना प्रतिबंधित करती है।

प्र.: लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम, 1951 के संबंध में ''निर्वाचन संबंधी बात'' का क्या अर्थ है?

उ.: उस धारा में ''निर्वाचन संबंधी बात'' को किसी ऐसी बात के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रकल्पित हो''।

प्र.: एग्जिट पोल सर्वेक्षण के संचालन के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में क्या-क्या प्रावधान हैं?

उ.: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(क) उसमें उल्लिखित कालावधि अर्थात सभी राज्यों में प्रथम चरण में मतदान आरंभ होने के लिए नियत समय और अंतिम चरण के लिए मतदान के समापन के लिए नियत समय के बाद आधे घंटे के बीच एग्जिट पोल के संचालन और उनके परिणामों के प्रचार-प्रसार को प्रतिबंधित करती है।

प्र.: धारा 126 में संदर्भित 48 घंटों की कालावधि के दौरान टी.वी./रेडियो चैनलों तथा केबल नेटवर्क द्वारा किस बात से परहेज किया जाना चाहिए?

उ.: टी.वी./रेडियो चैनलों एवं केबल नेटवर्क को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा धारा 126 में संदर्भित 48 घंटों की कालावधि के दौरान प्रसारित/प्रदर्शित कार्यक्रम की विषय-वस्तु में ऐसी कोई बात, जिसमें पैनलिस्टों/प्रतिभागितयों द्वारा व्यक्त विचार/अपील शामिल है, सम्मिलित नहीं हो जो किसी दल या अभ्यर्थी (र्थियों) की संभावना को बढ़ावा देने वाला/क्षति पहुंचाने वाला या निर्वाचन के परिणाम को प्रभावित करने वाला/उन पर असर डालने वाला हो।

प्र.: क्या 48 घंटों की कालावधि के दौरान किसी ओपिनियन पोल सर्वेक्षण के परिणाम को प्रदर्शित करने पर भी रोक लगाई गई है?

उ.: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) निर्वाचनों के प्रत्येक चरण में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई ओपिनियन पोल या कोई अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित निर्वाचन संबंधी किसी भी बात का प्रदर्शन करना प्रतिषेधित करती है।

प्र.: क्या धारा 126 का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है?

उ.: हां। धारा 126 के पूर्वोक्त उपबंधों का उल्लंघन दो वर्ष की कालावधि तक की कैद या जुर्माना या दोनों के साथ दंडनीय है।

प्र.: टी.वी./रेडियो/केबल/एफ एम चैनल धारा 126 या धारा 126 (क) द्वारा कवर न की गई कालावधि के दौरान प्रसारण संबंधी किसी कार्यक्रम के संचालन के लिए किस प्रकार अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं?

उ.: धारा 126 या धारा 126क द्वारा कवर नहीं की गई कालावधि के दौरान, टी.वी./रेडियो/केबल/एफ एम चैनल प्रसारण संबंधी किसी कार्यक्रम के संचालन के लिए आवश्यक अनुमति हेतु राज्य/जिला/स्थानीय प्राधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये कार्यक्रम अवश्य तौर पर आदर्श आचार संहिता के उपबंधों एवं शिष्टाचार, सांप्रदायिक सदभाव बनाए रखने आदि के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा केबल नेटवर्क (विनियम) अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता के अनुरूप होने चाहिए।

उनके लिए यह भी अपेक्षित है कि वे पेड-न्यूज़ एवं संबंधित विषयों से संबंधित आयोग के दिनांक 27 अगस्त, 2012 के दिशानिर्देशोंके उपबंधों की परिसीमा में रहें। ऐसी अनुमति प्रदान करते समय संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी विधि एवं व्यवस्था की स्थिति सहित सभी संगत पहलुओं का ध्यान रखेंगे।

प्र.: क्या निर्वाचन लड़ने वाले अभिनेताओं के फिल्मों एवं कमर्शियलों के प्रसारण पर रोक लगाई जानी चाहिए?

उ.: यह ध्यान में रखते हुए कि दूरदर्शन सार्वजनिक निधि से चलाया जाता है, आदर्श आचार संहिता लागू रहने की कालावधि के दौरान निर्वाचन लड़ रहे अभिनेताओं की फीचर फिल्मों (वाणिज्यिक विज्ञापन के अलावा) का दूरदर्शन पर प्रसारण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, निर्वाचन लड़ने वाले फिल्म अभिनेताओं से संबंधित फिल्मों एवं वाणिज्यिक विज्ञापनों के दूसरे टी.वी. चैनलों एवं सिनेमा घरों में प्रसारण पर रोक नहीं लगाई जाएगी।